दसवीं माला, खंड 19, अंक 11

शुक्रवार, 5 मार्च, 1993
14 फाल्गुन, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

छठा सत्र
(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 19 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

दशम माला, खण्ड 19, छठा सत्र, 1993/1914 (शक)

अंक 11, शुक्रवार, 5 मार्च, 1993/14 फाल्गुन, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	2—21
*तारांकित प्रश्न संख्या : 161, 164, 165, 168 और 169	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	21—192
तारांकित प्रश्न संख्या : 162, 163, 166, 167 और 170 से 180	21—39
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1640 से 1688 और 1690 से 1809	39—184
सभा पटल पर रखे गए पत्र	192—199
सभा का कार्य	200—207
प्रतिभूतियों और बैंक संव्यवहार में हुई अनियमितताओं की जांच करने सम्बन्धी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत	207—212
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	212—224
श्री किरिप चालिहा	212
श्री मानवेन्द्र शाह	218
श्री जगमीत सिंह बराड़	220
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति पन्द्रहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	224
विनिवेश नीति की समीक्षा के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	225—229
उत्तरांचल और वनांचल नामक नए राज्यों की स्थापना के बारे में संकल्प	229—260
श्री जगत वीर सिंह द्रोण	229
श्री भोगेन्द्र झा	235

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
श्री रमेश चेन्नितला	237
श्री प्रताप सिंह	239
श्री सूरज मंडल	241
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	244
प्रो० के० वी० थामस	247
श्री राम विलास पासवान	250
श्री सूर्य नारायण यादव	254
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही	257
लोक सभा की बैठक के बारे में घोषणा	253—254

लोक सभा

शुक्रवार, 5 मार्च, 1993/14 फाल्गुन, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को अपने एक भूतपूर्व सहयोगी, श्री बहादुरभाई कुंथाभाई पटेल के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री पटेल तत्कालीन बम्बई राज्य के सूरत (आरक्षित) निर्वाचम क्षेत्र से 1952-57 के दौरान पहली लोक सभा के लिए चुने गए थे। इससे पूर्व वह बम्बई विधान सभा के सदस्य थे। वह गुजरात विधान सभा के भी सदस्य रहे। वह भूतपूर्व बम्बई राज्य तथा बाद में गुजरात राज्य में विभिन्न मंत्रालयों के उपमंत्री भी रहे।

श्री पटेल ने विज्ञान अध्यापक के रूप में अपने जीवन की शुरूआत की थी और पिछड़े वर्गों, आदिवासियों तथा समाज के अन्य निर्धन वर्गों के कल्याण एवं उत्थान में उन्होंने गहन रुचि ली। उन्होंने इन वर्गों के बीच सहकारिता आन्दोलन का संवर्द्धन भी किया और इन वर्गों के कल्याण हेतु गठित अनेक संगठनों तथा समितियों से भी वह निकट से सम्बद्ध रहे।

श्री पटेल वनों के विकास में भी रुचि लेते थे तथा वह 8 वर्षों तक गुजरात राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष रहे। वह गुजरात विश्वविद्यालय सीनेट के भी सदस्य रहे।

श्री पटेल का निधन 28 फरवरी, 1993 को 80 वर्ष की आयु में, वंसदा, गुजरात में हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मुझे विश्वास है कि शोक-संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने में सारा सदन सम्मिलित है।

मृतात्मा के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए अब सदस्यगण कुछ देर मौन खड़े रहेंगे।

11.02 म०पू०

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ देर मौन खड़े रहे।

11.04 म०पू०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में बाल श्रमिक

*161. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक बाल श्रमिक रोजगारों में लगे हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो बाल श्रमिकों को शोषण से मुक्त कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

कार्य के समय बालकों की शोषण से रक्षा करने और उनकी कामकाजी परिस्थितियों में सुधार करने के लिये विभिन्न कानूनों में विधायी उपबंध किए गये हैं। इसके अतिरिक्त, बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 कतिपय खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बाल श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध करता है तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में उनके नियोजन को विनियमित करता है ।

1987 में एक राष्ट्रीय बाल श्रम नीति बनाई गई है जिसमें कानूनी उपबंधों के प्रवर्तन के अलावा बाल श्रमिकों के लाभ के लिये सामान्य विकास कार्यक्रमों तथा बाल श्रम की उच्च बहुलता वाले क्षेत्रों में परियोजना आधारित कार्रवाई योजना पर ध्यान देने की परिकल्पना की गई है । ऐसे नौ क्षेत्रों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं शुरू की गयी है।

कार्योन्मुखी परियोजनाएं शुरू करने के लिये स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय नीति के ढांचे के अन्दर-अन्दर बाल श्रम की समस्या का समाधान करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सहायता से दो परियोजनाएं अर्थात् आई० पी० ई० सी० (अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम) तथा सी० एल० ए० एस० पी० (बाल श्रम कार्रवाई एवं सहायता कार्यक्रम) भी शुरू की गई है।

[हिन्दी]

श्री जे० चोक्का राव : अध्यक्ष महोदय, जो जवाब दिया है उसमें यह नहीं बताया गया कि आंध्र प्रदेश में क्या स्टैप लिये गये हैं।

[अनुवाद]

बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए, विशेषतया आंध्र प्रदेश में, कौन-कौन से विकास कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने इस

सम्बन्ध में किसी सहायता के लिए निवेदन किया है, क्या अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने बाल मजदूरी के उन्मूलन के लिए कोई सहायता दी है, यदि हां, तो इसका कार्यान्वयन किस रूप में किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में कितने बाल कल्याण केन्द्र चलाये जा रहे हैं ? क्या वे प्रभावशाली ढंग से बच्चों की देखरेख कर रहे हैं।

श्री पी० ए० संगमा : दो प्रकार के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। एक है राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एक परियोजना जग्गमपेट में चलाई जा रही है, जो कि टाइल उद्योग में लागू की गई है। यह आंध्र प्रदेश में चलाई जा रही राष्ट्रीय परियोजना है। आई० एल० ओ० के अन्तर्गत 'आइपैक' नाम से एक नई परियोजना आरम्भ की गई है, जिले के बिस्कुट उद्योग में लगे बाल-श्रमिकों के कल्याण के लिए वैंकटारंगैया न्यास के सपुर्द किया गया है।

[हिन्दी]

श्री जे० चोक्का राव : इस एक्ट को बने हुए 6 साल हो गये हैं, इतना समय होने के बाद भी क्या स्टेप लिये गये हैं, साफ बताया नहीं जा रहा है।

[अनुवाद]

निरीक्षण कार्यालय द्वारा कितनी बार निरीक्षण किया गया। ऐसी इकाइयों के विरुद्ध कितने मुकद्दमे दर्ज किए गये हैं, जिन्होंने बाल-श्रमिकों को कार्य पर लगा रखा है ? निरीक्षकों की नियुक्ति तथा बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए क्या सभी राज्यों ने कानून बना लिए हैं ? बाल श्रम अधिनियम केन्द्रीय क्षेत्र में भी लागू है। इस क्षेत्र में कितनी बार निरीक्षण किया गया तथा कितने मुकद्दमे चलाये गये ? क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे कि निषिद्ध कार्यों में बाल श्रमिकों को न लगाया जाये ?

आंध्र प्रदेश में एक दो स्कीम हैं।

आप आंध्र प्रदेश को और अधिक सहायता क्यों नहीं प्रदान करते जहां कि सबसे बड़ी संख्या में बाल श्रमिक हैं ?

श्री पी० ए० संगमा : अभी तक बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत 2,51,000 निरीक्षण किए गए और 3,455 मामलों में दण्ड दिया गया। मैं माननीय सदस्य जी इस बात में सहमत हूं कि यह पर्याप्त नहीं है। जहां तक इसके विनियमन तथा निषेध का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और इस सम्बन्ध में मैं सारे सदन के दृष्टिकोण से सहमत हूं। पिछले दिनों अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने तीन करोड़ की लागत की एक परियोजना को मंजूरी दी है। इसे बाल श्रम कार्य योजना तथा सहायता कार्यक्रम कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बाल श्रम अधिनियम कार्यक्रम क्रियान्वयन को और सुदृढ़ बनाना है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न आंध्र प्रदेश से सम्बन्धित है। कृपया प्रश्न पूछते समय यह बात ध्यान में रखिए।

श्री अनुपचन्द आचार्य : कृपया प्रश्न को आप सामान्य बना दीजिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बिला वजह चर्चा मत करें। आप अपने प्रश्न पढ़ लीजिए, यह आंध्र प्रदेश के बारे में है···

श्री अनादि चरण दास : आन्ध्र प्रदेश में जो ट्राईबल एरिया है, उसके साथ ही उड़ीसा में कोरापुट ट्राईबल एरिया है। यह भी ट्राईबल एरिया में आता है। यहां भी ज्यादा बाल श्रमिक काम में लगे हुए हैं, इसके लिए सरकार ने कौन-सी कार्रवाई की है, मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह बात समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप सामान्य रूप से सारे भारत के बारे में जानकारी चाहेंगे तो मन्त्री महोदय आपको दे नहीं पाएंगे।

क्या मन्त्री महोदय उत्तर दे सकेंगे ?

श्री पी० ए० संगमा : जहां तक जनजातीय क्षेत्रों का प्रश्न है, मेरे पास इस सम्बन्ध में अलग जानकारी नहीं है। व्यवसाय-वार मेरे पास सारे देश के आंकड़े हैं। वास्तव में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक, लगभग 42 प्रतिशत, कृषि क्षेत्र में है। अपने ही खेतों में जुताई का कार्य कर रहे बाल श्रमिकों की संख्या 35 प्रतिशत है।

कुछ उद्योगों में बाल श्रमिकों की संख्या अधिक है, जैसे कि शिवाकाशी के माचिस उद्योग में, जम्मू तथा कश्मीर और उत्तर प्रदेश के गलीचा उद्योग में, उत्तर प्रदेश में ताला और शीशा उद्योग में, तथा गुजरात में हीरे को पालिश करने के उद्योग में इत्यादि। इसी प्रकार कुछ क्षेत्रों में उद्योग-वार तथा व्यवसाय-वार बाल-श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक है।

श्री गुमान मल लोढ़ा : जहां तक इस कानून का सम्बन्ध है, यह संगठित क्षेत्र के उद्योगों के लिए है जिन्हें कि कारखानों अथवा उद्योग के रूप में पंजीकृत किया गया है। भवन निर्माण जैसे असंगठित क्षेत्र में लगे बाल श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं, जिन्हें कि पंजीकृत नहीं किया गया है। बालकों के घरेलू नौकरों के रूप में शोषण को रोकने के लिए भी कोई उपाय नहीं किए गये हैं। और बहुत-से ऐसे क्षेत्र हैं जहां कि बालकों का शोषण होता है। असंगठित क्षेत्र में बाल श्रमिकों को रोकने के लिए भी आपके पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

श्री पी० ए० संगमा : सभी व्यवसायों में बाल श्रम निषेध नहीं है। कुछ क्षेत्र में इसका निषेध है और कुछ में इसका विनियमन किया गया है। कुछ क्षेत्रों में जहां कि व्यवसाय जोखिमपूर्ण है, बाल श्रम निषेध है। परन्तु अन्य क्षेत्रों में इसका निषेध नहीं है और वहां पर हम कई कारणों से इसका विनियमन करते हैं। इस मामले में सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है तथा सदन इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हम पूरी तरह से बाल श्रम समाप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिये सरकार की नीति इसे धीरे-धीरे समाप्त करने की है।

एक तकनीकी परामर्शदात्री समिति भी बनाई गई है जो कि इस सम्बन्ध में विचार करती है कि क्या कोई विशेष व्यवसाय अथवा काम जोखिमपूर्ण है, तथा अगर यह समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अमुक व्यवसाय जोखिमपूर्ण है, तो उस व्यवसाय विशेष में बाल-श्रम निषेध लागू कर दिया जाता है। वर्तमान में 6 व्यवसाय तथा 14 कार्य ऐसे हैं जिन्हें निषिद्ध करार दिया गया है तथा बाकी व्यवसायों पर पर निषेध लागू नहीं है।

श्री अनिल बसु : महोदय, हमारे देश में बहुत से ऐसे कानून हैं जो कि विभिन्न क्षेत्रों में बाल-श्रमिकों को लगाने पर प्रतिबन्ध लगाते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 16 वर्ष से कम आयु के

बच्चों को बाल श्रमिक के रूप में काम पर लगाने को निषिद्ध घोषित करता है। परन्तु कुछ और कानून भी हैं जैसे कि बीड़ी तथा सिगरेट कानून जहां कि आयु-सीमा भिन्न है। विभिन्न कानूनों में आयु-सीमा अलग-अलग है। कुछ में यह 16 वर्ष है और कुछ में 14 वर्ष।

27 फरवरी को वित्त मन्त्री महोदय ने जब बजट प्रस्तुत किया तो उन्होंने आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था का बड़ा उत्साहवर्धक चित्र प्रस्तुत किया तथा उन्होंने कहा···

अध्यक्ष महोदय : यह बजट पर भाषण नहीं हो रहा बल्कि प्रश्न काल चल रहा है। कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री अनिल बसु : उन्होंने कहा कि लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा तथा आने वाले समय में यह विश्व के अन्य देशों के समान होगा। वित्त मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में ऐसा ही संकेत दिया था। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं एक बड़ा ही स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं।

संविधान पुस्तिका में बाल-श्रम को निषिद्ध घोषित करने वाला कोई कानून नहीं है, परन्तु बाल-श्रम पर प्रतिबन्ध लागू करने वाले अनेक कानून हैं। बाल-श्रम आयोजन पर पाबन्दियां लगाना इसके निषेध से काफी भिन्न है। इसलिए सरकार इस सम्बन्ध में क्या कोई व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहती है ? बाल-श्रम के आयोजन पर पाबन्दी लगाने वाले अनेक कानून हैं परन्तु उनमें आयु सीमा भिन्न-भिन्न है। इसलिए, आने वाली परिस्थितियों को समक्ष रखते हुए क्या सरकार बाल-श्रम के निषेध के लिए कोई व्यापक विधेयक लाना चाहती है ताकि···

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न समझ में आ गया है और आप इसे और स्पष्ट मत कीजिए।

श्री अनिल बसु : ताकि हमें अनुदान के लिए आई० एल० ओ० के समक्ष न जाना पड़े।

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, यह बात ठीक है कि भिन्न कानूनों में बाल-श्रमिक की परिभाषा भिन्न है। कुछ कानूनों में इसकी आयु 16 वर्ष है, कुछ में 14 वर्ष और कुछ में 12 वर्ष। परन्तु जब बाल-श्रमिक (प्रतिषेध तथा विनियमन) अधिनियम पारित किया गया, तो इस सम्बन्ध में कानून में एकरूपता लाने के लिए बालक उसे घोषित किया गया जिसकी आयु 14 वर्ष से कम हो। प्लांटेशन लेबर एक्ट के अतिरिक्त यह एकरूपता प्रत्येक कानून में है जिसमें कि संशोधन अभी होना है। यह संशोधन ससद के विचाराधीन है तथा शायद वर्तमान सत्र के दौरान इस संशोधन को पारित कर दिया जाये।

श्री अनिल बसु : महोदय, उन्होंने यह बात स्वीकार की है कि कोई व्यापक कानून इस संबंध में नहीं है। हमारे जो कानून हैं, वे 20 या 30 वर्ष पहले पारित किये गये थे। आज संसार की परिस्थितियां बदल चुकी हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु : महोदय, यह अति महत्वपूर्ण मुद्दा है। बाल-श्रम एक उपेक्षित क्षेत्र है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान इस पर चर्चा कर सकते हैं। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

श्री पी० सी० चाक्को : महोदय, इस क्षेत्र मे सम्बन्धित विधायी प्रावधानों तथा नियमों की कोई कमी नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि विनियमन अथवा निषेध को किसी भी क्षेत्र में कड़ाई से लागू नहीं किया जा रहा है। महोदय, इस अधिनियम का बहुत अधिक दुरुपयोग किया जा रहा है। श्रम मन्त्रियों के सम्मेलन में बार-बार इस विषय पर चर्चा की जा रही थी --- इसलिए मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस बारे में विभिन्न राज्य सरकारों ने क्या प्रशासनिक निर्णय लिए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रणाली की निगरानी के लिए केन्द्र सरकार में कोई तन्त्र है।

दूसरे, मै माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या निगरानी एजेंसियां जिसका हवाल उत्तर में दिया गया है, क्या उन निगरानी एजेंसियां में, जनता के प्रतिनिधियों अर्थात् सांसद और विधायक सम्बद्ध होंगे और सलाहकार समिति राज्य स्तर पर गठित की जाएगी। चूंकि श्रम विभाग की पहुंच सीमित है, उनके पास इतने बड़े क्षेत्र की निगरानी के लिए कोई तन्त्र नहीं है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके क्रियान्वयन की निगरानी के लिये सलाहकार समिति में जनता के प्रतिनिधियों को शामिल करके उसका गठन किया जायेगा।

श्री पी० ए० संगमा : हमारे पास बाल श्रम पर केन्द्रीय सलाहकार समिति है। मुझे याद नहीं है कि उस समिति में कितने संसद सदस्यों ने प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन श्रम मन्त्रालय द्वारा गठित सभी समितियों में, सांसदों ने प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन विशेषतया इस अधिनियम के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है।

दूसरा, जहां तक निगरानी का संबंध है इस अधिनियम का राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, हम यूनियम स्तर पर श्रम मन्त्रालय से जांच कराते हैं। लेकिम वह पर्याप्त नहीं है। पिछला श्रम मन्त्रियों का सम्मेलन जो हाल ही में कुछ महीने पहले हुआ था, में हमने इस अधिनियम और अन्य अधिनियमों जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, जो बहुत महत्वपूर्ण है, पर चर्चा की थी। श्रम मन्त्रियों के सम्मेलन में उन कानूनों के क्रियान्वयन की प्रगति और समीक्षा करने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति गठित करने का निर्णय लिया था, जो वास्तव में असंगठित क्षेत्र से संबंधित थे, विशेषतया, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सम पारिश्रमिक अधिनियम, मजदूर प्रतिपूर्ति अधिनियम और बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम। इसलिए इन अधिनियमों की समीक्षा की जा रही है और हम यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ तक इन्हें लागू किया गया है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, चाइल्ड लेबर के बारे में इन दिनों, हिन्दुस्तान के संबंध में, विदेशों में भी चिन्ता व्यक्त की जा रही है। जब विदेशों में चिन्ता व्यक्त की जा रही है तो वह चिन्ता निस्वार्थ नहीं होगी। चाइल्ड लेबर का खात्मा होना चाहिये, इसमें कोई दो रायें नहीं हो

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सकती हैं लेकिन मैं एक मौलिक सवाल आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसमें कई क्षेत्र ऐसे हैं, हिन्दुस्तान में परम्परागत दस्तकारी के क्षेत्र में, जैसे कालीन बनाने का काम है, कालीन बनाने का काम यदि 5 साल की उम्र से बच्चे नहीं सीखेंगे तो उनकी उंगलियों में उतनी दक्षता हासिल नहीं हो सकती, जितनी आवश्यक है और वे आगे आने वाले दिनों काम नहीं कर सकेंगे। आज सबसे बड़ा निर्यात का क्षेत्र भी यही है, यानी कालीन, बुनकर जो चीजें बनाते हैं, हैण्डीक्राफ्ट्स की जो चीजें हैं। इस तरह के कामों में महारथ हासिल करने के लिए बच्चों को छोटी उम्र से ही सीखना प्रारम्भ करना जरूरी है।

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जितने हैजार्डस एरियाज हैं, जैसे पत्थर का काम है या दूसरे इसी तरह के खतरनाक काम हैं, ऐसे कामों में तो चाइल्ड लेबर का बिलकुल प्रोहिबिशन होना चाहिये, ऐसे कामों से तो बच्चों को हटाया जाये लेकिन जैसा मंत्री जी ने कहा कि धीरे-धीरे हम हर क्षेत्र से चाइल्ड लेबर को एबोलिश करेंगे, क्या उस धीरे-धीरे चाइल्ड लेबर को एबोलिश करने के काम में, जो बच्चे हमारे निर्यात के क्षेत्र में हैं, जो परम्परागत दस्तकारी का क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में भी क्या चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया जायेगा या वह एरिया इससे वर्जित माना जायेगा क्योंकि दस्तकारी के काम में बच्चे छोटी उम्र से ही काम सीख कर महारथ हासिल कर सकते हैं उनसे चाइल्ड लेबर को हटाना हमारे हित में नहीं होगा। मैं इस बारे में मन्त्री जी से स्पष्ट जानना चाहता हूं।

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, यह सच है कि बहुत से बच्चे कालीन उद्योग, जो विशेषतया उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में हैं, में कार्य कर रहे हैं। यह निषेध श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। बच्चों द्वारा कालीन बुनाई अनुसूची (क) के अन्तर्गत आता है जो निषेध है।

लेकिन, जैसा मैंने कहा था, कानून द्वारा कागजों पर विशेष व्यवसाय को निषेध करना ठीक है, लेकिन हमें इसकी मूल स्थिति को और मूल वास्तविकताओं को भी समझना चाहिए। यह कोई आसान काम नहीं है। हमारी उत्तर प्रदेश बदहोई में राष्ट्रीय बाल कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत एक परियोजना है। मैंने अपने पूर्व कार्यकाल 1986-87 में एक बार वहां दौरा किया था। उस क्षेत्र का फिर दौरा करने का मेरा प्रस्ताव है।

मैं नहीं जानता। मैं स्थिति का स्वयं जायजा लेना चाहता हूं। लेकिन मुझे भी माननीय सदस्यों जितना दुःख है कि कालीन उद्योग में बहुत से बच्चे कार्य कर रहे हैं।

अब जहां तक विश्व के अन्य भागों में व्यक्त विचारों का सम्बन्ध है, यह सच है कि बहुत से देशों में स्वैच्छिक संगठन और मानवाधिकारों के कार्यकर्त्ता बाल-श्रमिक के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। वे अपनी सम्बन्धित देशों में भी मांग कर रहे हैं कि बाल-श्रम द्वारा बने सामान को उस देश में आयात करने की अनुमति न दी जाये। अतः इस तरह की बहुत-सी मांगें की जा रही हैं और सबसे महत्वपूर्ण मांग गैर सरकारी सदस्यों का विधेयक जिसे सीनेटर हारकीन द्वारा संयुक्त राष्ट्रों के सीनेट में पुरःस्थापित किया था वह विधेयक अभी भी सीनेट के पास लम्बित है।

लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है कि किसी भी देश ने अभी तक आधिकारिक तौर पर निर्णय नहीं लिया है कि बाल-श्रम द्वारा उत्पादित सामान को आयात नहीं किया जायेगा सम्बन्धित देशों की सरकार द्वारा ऐसा निर्णय नहीं किया गया है। लेकिन वहां मानव अधिकार कार्यकर्त्ता और विदेशी स्वैच्छिक संगठन हैं जो इस प्रकार की आवाज उठा रहे हैं। भारत सरकार ने उनको और

उन विचारों को जो समूचे विश्व में व्यक्त किये जा रहे हैं, को नोट कर लिया है और हम निश्चय ही देखेंगे कि हमने जो कदम उठाए हैं तथा बाल-श्रम को धीरे-धीरे खत्म करने के लिये जो और कदम उठाए जाएंगे उसमें तेजी लाई जायेगी।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, आप भी हमारी चिन्ता समझ रहे थे, यह तो उल्टा जवाब दिया है। धीरे-धीरे परम्परागत, इस पेशे को समाप्त कर देने······(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(**व्यवधान**)*

श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल : यह प्रश्न आंध्र प्रदेश से सम्बन्धित है और यहां दो मुद्दे उठाये गये हैं। पहला मुद्दा बाल-श्रम के नियोजन को रोकने के बारे में है। दूसरा मुद्दा उन बालकों को श्रम से छुटकारा दिलाने के बारे में है जिनका शोषण किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार की टिप्पणी करना आपको शोभा नहीं देता। मेरे विचार से श्री नीतीश कुमार आगे से ऐसी टिप्पणियां नहीं करेंगे।

श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल : मैं जानना चाहती हूं कि आंध्र प्रदेश सरकार बाल-श्रम के नियोजन को रोकने तथा पहले से ही कार्य कर रहे बच्चों को बाल-श्रम से मुक्त कराने के लिये क्या कारगर कदम उठा रही है? आंध्र प्रदेश सरकार के अधीन कौन-सी तन्त्र प्रणाली है जो उन बच्चों की, जिनका शोषण होता है, सहायता का प्रयास कर रही है और किस तरीके से केन्द्र सरकार आंध्र प्रदेश की सहायता कर रही है।

श्री पी० ए० संगमा : जहां तक सहायता और परियोजना का सम्बन्ध है, मैं पहले ही दो परियोजनाओं का उल्लेख कर चुका हूं जो आंध्र प्रदेश में चलाई जा रही हैं।

कानून को लागू करने के बारे में जितने भी आंकड़े मेरे पास थे मैंने दे दिए हैं। अब तक 25,100 निरीक्षण किए जा चुके हैं, 7,000 अभियोजन चलाये गए हैं और 3,455 दोषी सिद्ध किये जा चुके हैं, लेकिन इन आंकड़ों में आंध्र प्रदेश शामिल नहीं है, क्योंकि हमें अभी तक आंध्र प्रदेश सरकार से इस पर कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। हमने उन्हें याद दिलाया है; और जैसे ही मुझे आंध्र प्रदेश सरकार से जानकारी मिलेगी, मैं माननीय सदस्य को दे दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम निहोर राय : अध्यक्ष महोदय, हमारे जनपद में,···

अध्यक्ष महोदय : आपका नाम वीरेन्द्र सिंह नहीं है। मैंने श्री वीरेन्द्र सिंह को बोलने के लिए कहा है। आप कृपया बैठ जाइए।

श्री राम निहोर राय : अध्यक्ष महोदय हमारे जनपद में मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही में

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कालीन का सबसे बड़ा उद्योग है जहां पर करोड़ों और अरबों रुपये का कालीन बनाया जाता है और सरकार को इसके निर्यात से अच्छी खासी विदेशी मुद्रा मिलती है, लेकिन उस उद्योग को समाप्त करने के लिए स्वामी अग्निवेश एक षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर 10, 12 ओर 14 व 15 साल तक की उम्र के बच्चे कालीन बनाने का हुनर सीखते हैं, वे बहुत अच्छा कालीन बुनते हैं और उनका बुना हुआ कालीन विदेशों में काफी अच्छी मात्रा में निर्यात होता है, पसंद किया जाता है, लेकिन आज उस उद्योग को बाल-श्रमिक के नाम पर समाप्त करने का षड्यन्त्र रचा जा रहा है, तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो बच्चे वहां कालीन बुनने का हुनर सीख रहे हैं, उनकी डाक्टरी का प्रबन्ध गांव में करने के लिये, गांवों में उन बच्चों के खेलने का प्रबन्ध तथा उन बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध करने पर क्या सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : मैं श्री नीतीश कुमार को इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें हिन्दी में उत्तर दीजिए वह इसे समझ जाएंगे। वह कहते हैं कि अन्य सरकारों ने बाल-श्रम द्वारा उत्पादित सामान पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है।

श्री पी० ए० संगमा : मैं पहले ही कह चुका हूं कि कतिपय उद्योगों में विशेषकर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और बदहोई क्षेत्रों में बहुत से बच्चे काम कर रहे हैं। हमारे पास बच्चों के कल्याण के लिए भी चिकित्सा, शिक्षा तथा अन्य प्रावधानों के सम्बन्ध में एक परियोजना है।

मैंने 1986-87 में एक बार उस परियोजना का दौरा किया था। मैं पहले कह चुका हूं कि मैं एक बार फिर जल्द ही उस परियोजना का दौरा करूंगा।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, बाल श्रमिकों का शोषण मानवता के खिलाफ है और आज बाल श्रमिकों को शोषण से मुक्त कराने के नाम पर कुछ स्वयंसेवी संगठन जैसे बाल बंधुआ मुक्ति मोर्चा, काम कर रहे हैं। इसका प्रचार विदेशों देश में भी होता है और करोड़ों रुपये राष्ट्र से और विदेशों से इस संगठन को बाल बंधुआ मजदूर को मुक्त कराने के नाम पर मिलते हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि बाल श्रमिकों को शोषण से मुक्त कराने के नाम पर मोर्चे को खर्चा करने के लिये जो धनराशि मिलती है इसका सदुपयोग कहां होता है, इसकी गतिविधि क्या है और मोर्चे में काम करने वाले लोगों की गतिविधि क्या है जो विदेशों के इशारे पर बाल बंधुआ मुक्ति मोर्चे के नाम पर यह संगठन चलाते हैं और श्रमिकों को शोषण से मुक्त कराने के नाम पर योजना चलाते हैं ?

अभी बाल श्रमिकों की दासता अभियान की एक यात्रा बिहार के नगर उटारी से लेकर राजघाट में बापू की समाधि तक चली थी। उस यात्रा में क्या-क्या घटनाएं मुक्ति मोर्चे के लोगों ने की हैं, क्या सरकार को उसके बारे में जानकारी है ? मैं सरकार से यह भी सवाल करना चाहता हूं कि ये राष्ट्रद्रोही गतिविधियां हैं, क्या सरकार इसके बारे में कोई कार्यवाही कर रही है ?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या

और हम सबके लिए यह बहुत चिन्ता की बात है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी बाल श्रम के बारे में जो न केवल भारत में है बल्कि पूरे विश्व में है पर चिन्ता व्यक्त की है और यह भी कहा है कि यह एक ऐसी समस्या है कि जिसे एक या दो दिन में हल नहीं किया जा सकता।

मैंने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अधिकारियों से काफी चर्चा की थी विशेषतया उन लोगों के साथ जो भारत में तथा विश्व में पांच अन्य देशों में आई० पी० ई० सी० कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहे हैं। उन्होंने भी स्वीकार किया है कि यह एक ऐसी समस्या है जिसे धीरे-धीरे सुलझाया जा सकता है, जल्दी से नहीं।

यह मेरा निजी अनुभव है। मैंने समूचे देश के बाल श्रम के केन्द्रों में दौरा किया है जहां यह परियोजना है। मैं फिरोजाबाद गया था, इलाहाबाद गया था, शिवकाशी तथा कई अन्य स्थानों पर भी गया था। शिवकाशी का मेरा अनुभव यह है कि मैंने सोचा कि कुछ लोग अपने बच्चों से काम आर्थिक जरूरतों के लिए करवाते हैं। यही मेरी राय थी। अनुभव के तौर पर शिवकाशी में जहां हमारी काफी परियोजनाएं हैं; हमने एक प्रिंटिंग प्रेस शुरू की थी जिसमें 74 महिलाओं को नौकरी दी थी और इन महिलाओं को नौकरी देते समय मैंने एक शर्त रखी थी। मैं स्वयं वहां गया था और इन 74 महिलाओं से बात की थी और कहा था, "मैं आपको यह नौकरी तब दूंगा बशर्ते कि आप अपने बच्चों को काम पर नहीं भेजेंगी केवल यही आपके काम का विकल्प है और इसी शर्त पर मैं आपको नौकरी दे रहा हूं। उन्होंने मेरे साथ वायदा किया कि वे अपने बच्चों को काम पर नहीं भेजेंगी क्योंकि उन्हें यह नौकरी मिल गई थी। लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि छह महीने बाद ही वे दुबारा अपने बच्चों को काम पर भेजना शुरू कर दिया था। मैं यह घटना अपने निजी अनुभव के आधार पर बता रहा हूं केवल इस मुद्दे पर जोर डालने के लिए। लेकिन यह हमारी इच्छा रही है कि बाल श्रम को समाप्त किया जाये लेकिन जब आप वास्तविक स्थिति देखते हैं तो आप पायेंगे कि यह बहुत कठिन काम है क्योंकि बाल श्रम की समस्या को मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है।

कलकत्ता में भी सहोदया ने कई बार अपने हाथ उठाये हैं—मैंने कलकत्ता शहर का दौरा किया है और उन संगठनों से बातचीत की जो इन बालकों के लिए पढ़ाई की कक्षाएं चला रहे हैं। मैंने स्वयं कलकत्ता शहर कोल इण्डिया तथा अन्य सार्वजनिक उपक्रमों संगठनों के माध्यम से धन इकट्ठा किया है ताकि कलकत्ता में काम करने वाले बालकों के लिए रात्रि-विश्रामघर बनाया जा सके। हमने भी कुछ योगदान किया है।

अत: मैं व्यक्तिगत रूप से इससे शामिल हूं। मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि यह कोई छोटी-सी समस्या नहीं है कि जिसको यहां पर सुझाव देकर या कानून बनाकर आसानी से हल किया जा सके। ऐसा नहीं है मेरा विचार है कि देश को इसकी सराहना करनी चाहिए।

[हिन्दी]

राज्यों की सड़कों/पुलों के निर्माण के लिए धनराशि

*164. श्री के० तुलसिऐया वान्डयार :

श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्यों की सड़कों/पुलों के

निर्माण, रख-रखाव तथा मरम्मत के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता दी है;

(ख) राज्य सरकारों द्वारा वास्तव में खर्च की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस धनराशि के उपयोग पर केन्द्रीय सरकार कैसे निगरानी रखती है ?

[अनुवाद]

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है ।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के तहत राज्यों को जारी की गई राशि के राज्यवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(लाख रु०)

क्र० सं०	राज्य का नाम	जारी की गई राशि		
		1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.49	5.00	50.00
2.	असम	31.50	—	25.00
3.	बिहार	—	—	20.00
4.	गुजरात	100.00	150.00	60.00
5.	हरियाणा	15.00	50.00	10.00
6.	हिमाचल प्रदेश	6.00	9.81	—
7.	जम्मू और कश्मीर	10.00	—	20.00
8.	कर्नाटक	6.024	7.00	45.00
9.	केरल	135.016	150.00	40.00
10.	मध्य प्रदेश	30.00	50.00	60.00
11.	महाराष्ट्र	19.01	4.50	90.00
12.	मणिपुर	5.00	10.50	1 00
13.	मेघालय	—	—	20.00
14.	मिजोरम	—	—	10.00

11

1	2	3	4	5
15.	नागालैंड	1.96	1.19	—
16.	उड़ीसा	—	—	30.00
17.	राजस्थान	161.00	207.00	—
18.	तमिलनाडु	10.00	—	60.00
19.	त्रिपुरा	—	—	5.00
20.	उत्तर प्रदेश	315.00	250.00	—
21.	पश्चिम बंगाल	50.00	5.00	34.00
	कुल	900.00	900.00	580.00

(ख) और (ग) अनुमोदित कार्यों पर व्यय प्रारंभ में राज्य सरकारों द्वारा अपने योजनागत संसाधनों में से वहन किया जाता है और अनुमोदित कार्यों पर उनके द्वारा किए गए व्यय तथा निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वर्ष के अन्त में इसकी प्रतिपूर्ति की जाती है। चूंकि, केन्द्रीय सड़क निधि के तहत निधियां राज्य की योजना का भाग होती हैं अतः उनके उपयोग पर नजर रखने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारें जिम्मेदारी होती हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री जगदीश टाईटलर अस्वस्थ हैं।

श्री तुलसिऐया वान्डायार : तमिलनाडु में पुल क्षीण अवस्था में हैं, इसका समुचित ढंग से रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति इसलिए है क्योंकि हमारे पास निर्वाचित पंचायत और नगरपालिकाएं नहीं हैं। यहां तक कि बिना कोई कार्य किए बिल पास कर दिया जाता है। यह महज आरोप नहीं है, यह बिल्कुल सच है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सड़कों का अनुरक्षण करवाएगी तथा इस व्याप्त कदाचार को समाप्त करेगी।

श्री पी०ए० संगमा : केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत जितनी धनराशि उपलब्ध है। वह राज्य योजना का अभिन्न अंग है। इसलिए उक्त राशि को खर्च करने की जिम्मेदारी राज्य योजना के अन्तर्गत आती है तथा उक्त परियोजना को कार्यान्वित करने और उस पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की है। इसलिए हमारे लिए राज्य सरकारों की ओर से उत्तर देना अत्यन्त कठिन है। हम तो केवल राज्य योजना के हिस्से के रूप में उन्हें धनराशि उपलब्ध कराते हैं।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल : अध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े मन्त्री महोदय ने दिए हैं, उनके अनुसार हिमाचल प्रदेश को 1989-90 में केवल 6 लाख रुपए दिये, 1990-91 में 9 लाख 8 हजार रुपए और 1991-92 में कुछ भी नहीं दिया। अभी पिछले दिनों जो वर्षा हुई, उससे हिन्दुस्तान-तिब्बत नेशनल हाई-वे रामपुर के पास 450 मीटर बह गई। वह सारा का सारा पानी में डूब गया। वहां राष्ट्रपति शासन लागू है। लगातार वहां की सरकार राज्यपाल के द्वारा मांग कर रही

है कि उस पर ध्यान दिया जाए। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ऐसे मामले जो कि स्ट्रैटेजिक प्वाइंट आफ व्यू से, सेना के हिसाब से और सीमा की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण हैं, उनमें क्या प्राथमिकता के आधार आप हिमाचल प्रदेश को धन आवंटित करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं यह वह निधि है जो राज्य योजना का ही एक हिस्सा है। इसलिए राज्य सरकारों को स्वयं कार्यक्रमों को लागू करने में आगे आना होता है। अतः राज्य सरकार पहले धनराशि खर्च करे, कार्यक्रमों को लागू करे, उसके उपरान्त केन्द्रीय सरकार उसकी प्रतिपूर्ति कर देगी। इस प्रकार यह जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। जब भी वे उक्त धनराशि खर्च करते हैं—हम इसकी प्रतिपूर्ति कर देते हैं। इसलिए माननीय सदस्य राज्य सरकार को धनराशि खर्च करने को कहें हम उसकी प्रतिपूर्ति कर देंगे।

प्रो० प्रेम धूमल : उनके पास धन नहीं है।

डा० बी० जी० जावाली : यह हम सभी जानते हैं कि सड़कों का विकास सीधे देश की प्रगति से जुड़ा है। यदि हम वर्ष 1989-90 और 1990-91 से आज तक, अर्थात् 1991-92 के दौरान खर्च की गई धनराशि के आंकड़े देखें तो यह राशि 900 लाख रुपए से घटकर 580 लाख रुपए रह गई है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकारें सड़कों और पुलों के निर्माण, रखरखाव पर धनराशि खर्च के प्रति उदासीन है या ऐसा केन्द्रीय सहायता की कमी अथवा योजनागत आबंटन के कारण हो रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं सड़कों के विकास से निश्चित रूप से काफी मात्रा में पैट्रोल और डीजल की बचत होती है, वाहनों का अवमूल्यन कम होता है, दुर्घटनाएं कम होती हैं।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि राज्य सरकारें राज्य योजना के एक हिस्से के रूप में पहले धनराशि खर्च करेंगी, उसके पश्चात् ही हम उस राशि की प्रतिपूर्ति करेंगे। हमारी भी केन्द्रीय सड़क निधि में धनराशि की समस्या है। वास्तव में यह कोष बहुत पहले 1929 में सृजित किया गया था और तभी से चल रहा है। एक संकल्प द्वारा सभा पटल पर एक फार्मूला तैयार किया था। अन्तिम संकल्प 1977 में पारित किया गया था जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि प्रति लीटर पैट्रोल में से 3.5 पैसे विभिन्न राज्यों की सड़कों के विकास के लिए इस कोष में जाएगा। 1988 में सभा ने एक संकल्प पारित किया जिसके तहत 3.5 पैसे की राशि को बढ़ा कर 5 प्रतिशत कर दी गई जो पैट्रोल के साथ-साथ डीजल पर भी लागू होगी। लेकिन वित्त मंत्रालय ने इसे अभी तक स्वीकार नहीं किया है। इसलिए समूचे मामले की समीक्षा हो रही है। अब मेरा मुद्दा यह है कि इस कोष के अन्तर्गत धनराशि कम होती जा रही है और इसमें वृद्धि करने हेतु कोई खास उपाय नहीं किये गए हैं। इसलिए केन्द्रीय सरकार के लिए राज्य सरकारों को अधिक सहायता देना संभव नहीं है। यदि हमें यह करना है तो इस कोष में धनराशि बढ़ानी होगी और इस समय समूचे मामले की समीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल : अध्यक्ष महोदय, पुल और रास्तों के लिए जो पैसा दिया जाता है, उसमें

बिहार को 1989-90 में पैसा नहीं दिया, 1990-91 में नहीं दिया और 1991-92 में सिर्फ 20 लाख रुपया दिया है। दूसरी तरफ जो छोटे स्टेट्स हैं, उनमें से केरल को 135 लाख दिया है और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को 315 लाख रुपया दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस झारखंड इलाके से मैं आता हूं, केन्द्र को वहां से रायल्टी से, गैस से या कोयले से, लोहे से, चीनी मिट्टी से और स्टील से सबसे ज्यादा पैसा हर मामले में मिलता है। 41 परसेंट वहां उस इलाके में मिनरल है लेकिन सबसे कम पैसा इन्होंने पिछले तीन साल में एन० एच० रोड्स के लिए रैगुलर दिया है जबकि रिकमेण्डेशन होकर आता है। आज तक एक भी कोई झारखण्ड इलाके में···

अध्यक्ष महोदय : मंडल जी, आपने उनका जवाब नहीं सुना। उन्होंने पहले जवाब दिया है कि पहले स्टेट गवर्नमेंट को खर्च करना है, बाद में वह देते हैं।

श्री सूरज मंडल : मैं वही पूछ रहा हूं कि स्टेट गवर्नमेण्ट ने रिकमेण्ड किया है···

अध्यक्ष महोदय : रिकमेण्ड नहीं करना है, खर्च करना है।

श्री सूरज मंडल : उसमें रिकमेण्ड करना है, एन० एच० रोड के बारे में और बड़े पुल के बारे में रिकमेण्ड करना है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप जल्दी पूछ लीजिये।

श्री सूरज मंडल : पैसा नहीं दिया तो मैं जानना चाहता हूं कि उस इलाके में ईयर मार्क कर के, जहां से केन्द्र सरकार को कोयले से पैसा मिलता है, वहां पुल के लिए और एन०एच० के लिए पैसा देना चाहते हैं कि नहीं? इस इलाके में धारा 234 के अन्तर्गत केन्द्र की भी जिम्मेदारी बनती है तो वह उधर पैसा ईयर मार्क करके रीजनल डवलपमेंण्ट एथोरिटी को देकर कराना चाहती है या नहीं?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : सर्वप्रथम, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि मैं अब कोयला मंत्री नहीं हूं।

दूसरे, यह राशि राष्ट्रीय राजमार्गों पर खर्च नहीं की जाती। माननीय सदस्य राष्ट्रीय राजमार्गों को राज्य राजमार्गों के साथ मिला देते हैं। यह पृथक कोष है। जैसे कि मैंने कहा, यह राज्य योजना का हिस्सा है।

तीसरा, जैसा कि मैंने पहले कहा, यह राज्य सरकार का काम है कि वह परियोजना को कार्यान्वित करे और उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति कराए। यह राज्य सरकारों को ही करना होता है।

श्री श्रीकांत जेना : मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय ने धनराशि की उपलब्धि और परियोजनाओं की मंजूरी के बारे में प्रश्न के अन्तिम भाग का सही उत्तर नहीं दिया। परियोजनाओं को मंजूरी भारत सरकार देती है। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार स्वतः ही धनराशि खर्च कर ले और तब भारत सरकार से उसकी प्रतिपूर्ति मांगे। जब तक भारत सरकार प्रत्येक परियोजना को मंजूरी नहीं दे देती और वर्ष विशेष के लिए उपलब्ध धनराशि को स्पष्ट नहीं कर देती, राज्य सरकारें उस परियोजना विशेष के लिए अपेक्षित धनराशि खर्च नहीं कर सकतीं।

जहां तक मेरी जानकारी है उड़ीसा सरकार पहले ही एक प्रस्ताव भेज चुकी है। उन्होंने प्रस्ताव ही नहीं, अपनी धनराशि की मांग भी भेजी है। केन्द्रीय सरकार ने संकल्प 1988 और संकल्प 1977 के अनुसार विभिन्न राज्यों को देय धनराशि उपलब्ध नहीं कराई है। उन्होंने उक्त राशि कुछ अन्य राज्यों को दे दी। यानी उत्तर प्रदेश को 300 लाख रुपये मिलने हैं लेकिन वे पहले ही 500 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं और उड़ीसा राज्य को जिसे 100 करोड़ रुपये मिलते हैं, 10 करोड़ रुपये भी नहीं दिए गए हैं। अतः जल भूतल मंत्रालय द्वारा इस प्रकार का भेदभाव बरता जा रहा है जिसे भारत सरकार अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाई है। 1988 का संकल्प पारित होने के बावजूद वित्त मंत्रालय समूचे मामले को दबाए बैठा है और धनराशि जारी नहीं कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब प्रश्न पर आइए।

श्री श्रीकांत जेना : मेरा मुद्दा एकदम साधारण है। महोदय, मंत्री जी द्वारा दिया गया उत्तर वास्तव में तथ्यपरक नहीं है। उड़ीसा सरकार धनराशि खर्च कर चुकी है और वह केन्द्र को प्रतिपूर्ति बिल पहले ही भेज चुकी है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि सरकार उन्हें धनराशि जारी क्यों नहीं कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह है कि उड़ीसा सरकार धनराशि खर्च कर चुकी है और उसे उस धनराशि की प्रतिपूर्ति नहीं की जा रही है। उसे धनराशि क्यों नहीं दी जा रही है।

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि एक राज्य से दूसरे राज्य को कोई धनराशि अन्तरित नहीं की जाती है। मैं आपको ऐसा आश्वासन दे सकता हूं।...(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : महोदय, मैं इस पर विशेषाधिकार प्रस्ताव लाऊंगा क्योंकि जल भूतल मंत्री ने इस सभा में कहा है कि उक्त धनराशि अन्तरित की गई है। उनका यह वक्तव्य सभा की कार्यवाही वृतान्त में है। उन्होंने ऐसा इस सभा में कहा है।

श्री पी० ए० संगमा : हो सकता है कुछ मामलों में यह सही भी हो...(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : मैं यह सिद्ध कर दूंगा। महोदय, यह कार्यवाही वृतान्त में है।

श्री पी० ए० संगमा : कृपया मेरी बात सुनिए। आपने मेरी केवल अधूरी बात ही सुनी है। कुछ राज्य सरकारें ऐसी हैं जो वास्तव में कठिन परिश्रम करती हैं और ऐसा भी हो सकता है और वे उस राशि से अधिक कार्य कर देते हों जिसके वे उक्त विशेष वर्ष में पात्र हैं। इसलिए ऐसा हो सकता है।

श्री श्रीकांत जेना : नहीं, महोदय।

श्री पी० ए० संगमा : लेकिन जहां तक धनराशि को अन्य प्रयोजनार्थ जारी करने का सवाल है, ऐसा कभी नहीं होता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा कभी नहीं होता।

मेरे पास उड़ीसा के लम्बित पड़े मामलों का ब्यौरा नहीं है। मैं पता करूंगा और माननीय सदस्य को उक्त जानकारी से अवगत कराऊंगा।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग

*165. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेल के राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1992-93 के दौरान स्वीकृत की गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए वर्ष 1992-93 के दौरान, 3 मार्च, 1993 तक कुल 314.928 लाख रु० की ग्यारह परियोजनाएं अनुमोदित की जा चुकी हैं। इनमें से तीन पुलियों के लिए, तीन हार्ड शोल्डर्स के लिए, एक रोड ओवर ब्रिज के लिए, एक भूमि-अधिग्रहण के लिए तथा तीन विविध प्रकार के कार्यों के लिए हैं। इन अनुमोदित परियोजनाओं के लिये वर्ष 1992-93 की अनुदान मांगों में 22.60 लाख रु० का प्रावधान है।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : महोदय, मन्त्री महोदय जी का उत्तर है कि वर्ष 1992-93 के लिए आंध्र प्रदेश को आवंटित राशि 22.60 लाख रुपये की है। पिछली रिपोर्टों के अनुसार आंध्र प्रदेश को वर्ष 1989-90 में 21.69 करोड़ रुपये जारी किये गए थे और 1990-91 में 22.20 करोड़ रुपये जारी किये गये थे। इसका मतलब हैं कि वर्ष 1990-91 में केवल 51 लाख रुपये और 1992-93 में 91 लाख रुपये की वृद्धि हुई। आंध्र प्रदेश में सड़कों की हालत बहुत खराब है। सड़कों की खस्ता हालत होने के कारण कई दुर्घटनाएं हो रही हैं। दूसरी बात यह है कि आंध्र प्रदेश के अधिकारियों ने यहां तक बताया है कि सड़कों की खस्ता हालत होने के कारण टायरों के चलने की अवधि भी कम हो गई है। अतः क्या मन्त्री महोदय यह बताएंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार आंध्र प्रदेश में सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए बजट में वृद्धि की घोषणा करेगी ?

दूसरा, हैदराबाद शहर की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। हैदराबाद को भी महानगरों में शामिल कर लिया गया है। लेकिन वहां केवल दो लेन वाली 'बाईपास' सड़कें हैं। राज्य सरकार ने हैदराबाद शहर में चार लेन वाली सड़कों का प्रस्ताव केन्द्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा है।

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, संसाधनों का अभाव है। राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता में वृद्धि करने सम्बन्धी हमारे अच्छे प्रयासों के बावजूद—केवल सहायता ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजमार्गों में सुधार करने के प्रयास के बावजूद—सरकार के लिए यह बहुत कठिन हो जाता है कि वह उन्हें राष्ट्रीय राजमार्गों को विकसित करने हेतु और अधिक धनराशि दे। लेकिन वास्तविकता यह है कि आंध्र प्रदेश में हमारे पास 8 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। हमारे पास वहां मौजूदा 7 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और कुछ सप्ताह पहले हमने एक और सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया है। इस प्रकार राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची में एक राजमार्ग और जुड़ गया है। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई का 8 प्रतिशत भाग आंध्र प्रदेश से गुजरता है। हम अपनी ओर से बेहतर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहां तक दूसरे 'बाईपास' की बात है जिसके बारे में माननीय सदस्य चर्चा कर रहे हैं, इस सम्बन्ध में छानबीन की जा रही है और हम इसे आठवीं योजना में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को वर्ष 1989 से आज तक 25 निर्माण कार्यों का प्रस्ताव भेजा। उसमें से भारत सरकार ने 9.81 करोड़ रुपये लागत के केवल 5 कार्यों को मंजूरी दी। शेष 274.88 करोड़ रुपये की लागत के 19 कार्य भारत सरकार की मंजूरी के लिये अभी तक लम्बित पड़े हैं। दूसरे इसी तरह भारत सरकार और जल-भूतल मंत्रालय द्वारा स्वीकृत राशि 4.58 करोड़ रुपए में से केवल 1.23 करोड़ रुपये ही मंजूर किए गए हैं और बाकी की राशि जो 3.35 करोड़ रुपये की है, को अभी मंजूरी नहीं मिली है। पिछले नौ वर्षों से परियोजनाएं स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हैं। क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि इन परियोजनाओं की स्वीकृति में कितना समय लगेगा और 3.35 करोड़ रुपए देने में कितना समय लगेगा ?

राज्य सरकार के पास धन की कमी है। राज्य सरकार सिंचाई तथा विद्युत के लिए अधिक धन आबंटित कर रही है। सड़कों के कामों के लिए राशि बहुत थोड़ी है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों से अधिक धन प्राप्त करने के लिए रोड मार्क स्कीम के बारे में सिफारिश की गई है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार रोड मार्क स्कीम के लिये भी स्वीकृति दे रही है।

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, वास्तव में आंध्र प्रदेश सरकार से बहुत से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उदाहरण के लिये, सुधारों के लिये उन्होंने ज्यादा से ज्यादा 40 योजनाएं प्रस्तुत की हैं जैसा मैंने बताया है—उनमें से 11 को स्वीकृति दे दी गई है। केन्द्रीय सड़क निधि (सैन्ट्रल रोड फण्ड) के अधीन—पूर्व प्रश्न केन्द्रीय सड़क निधि (सी० आर० एफ०) के बारे में भी था—आंध्र प्रदेश ने 401 योजनाएं प्रस्तुत की हैं। जिस प्रश्न की आप बात कर रहे हैं वह अन्तर्राज्य मार्गों से सम्बन्धित हैं। उन्होंने कुल 19 योजनाएं प्रस्तुत की हैं और सभी योजनाएं अभी संवीक्षा के अधीन हैं। मैं यह बताने में असमर्थ हूं कि इसमें कितना समय लगेगा लेकिन इसे जल्दी पूरा करने का प्रयास करेंगे।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : तटवर्ती जिलों में राजमार्गों की हालत बहुत खराब है। जब मैंने इन्जीनियरों से पूछा, उन्होंने बताया कि मैदानी क्षेत्रों के लिये तथा तटवर्ती क्षेत्रों के लिये जहां भूमि की वहन क्षमता भिन्न है, भारत सरकार द्वारा धन के आबंटन में एक जैसा मानदण्ड अपनाए जाने के कारण ऐसा हुआ है। वे उतना ही धन आबंटित कर रहे हैं और सड़कों के डिजाइनों में भी एक जैसे मापदण्ड अपनाए जा रहे हैं। क्या मंत्री जी मैदानी क्षेत्रों पर जहां भूमि की वहन क्षमता काफी अधिक है और तटवर्ती जिलों में जहां भूमि की वहन क्षमता कम है, के लिए धन आबंटित करने तथा सड़कों के डिजाइन के बारे में पुनः विचार करेंगे।

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, वास्तव में ऐसी बहुत-सी परियोजनाएं हैं जिन्हें आंध्र प्रदेश में संपादित किया जा रहा है। वास्तव में मैं उन सड़कों की स्थिति के बारे में नहीं जानता। माननीय सदस्य ठीक ही कह रहे होंगे। मैं उनसे सड़कों की हालत के बारे में विवाद नहीं करना चाहता। हम सड़कों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हम नागपुर-हैदराबाद सड़क जो राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 7 है, जिसकी लम्बाई 148 किलोमीटर है, को मजबूत बनाने का कार्य कर रहे हैं। हम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 अनकापाली-विशाखापट्टनम सैक्शन, जिनमें अनकापाली बाईपास शामिल है, को चौड़ा करके चार लेनों का कर रहे हैं।

अतः यह दो महत्वपूर्ण सड़कें हैं जिनको मजबूत बनाया जा रहा है तथा सड़कों की हालत में सुधार किया जा रहा है। इसके अलावा, महोदय ऐसी कई सड़कें है जिन्हें आंध्र प्रदेश में विदेशी

सहायता योजना के अधीन विशेषतया एशिया विकास बैंक के माध्यम से सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए सड़क जिसका मैंने उल्लेख किया है वह अनकापल्ली-विशाखापट्टनम सड़क है।

श्री के० पी० रेड्डया यादव : एक किलोमीटर की लाइन के लिए ... (व्यवधान)

श्री पी० ए० संगमा : हैदराबाद-रामगुंडम रोड का भी 130 करोड़ रुपये की लागत से एशिया विकास बैंक के अधीन सुधार किया जा रहा है, काकीनाडा-राज्यनगरम सड़क का, जो 34 किमी० है, का 20.2 करोड़ की लागत से सुधार किया जा रहा है। वहां ये सब योजनाएं चल रही हैं। हम यह सब सुनिश्चित करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में और देश के अन्य स्थानों पर सड़कों में क्या सुधार हो :

श्री जी० एम० सी० बालयोगी : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आंध्र प्रदेश में नये राष्ट्रीय राज मार्ग; राष्ट्रीय राज मार्गों तथा राज्य राज मार्गों के लिये एशिया विकास बैंक या विश्व बैंक कोई ऋण देने जा रहा है। यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

आंध्र प्रदेश से सम्बन्धित केन्द्रीय सड़क निधि (सेंट्रल रोड फण्ड) के बारे में भी, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी के बीच अन्तर्राज्यीय सड़क पिछले कई वर्षों से लम्बित पड़ी है। सरकार इस विषय में क्या कदम उठाने जा रही है?

श्री पी० ए० संगमा : एशिया विकास बैंक के तहत आंध्र प्रदेश में नये राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि ऐसी तीन परियोजनाएं हैं जो एशिया विकास बैंक सहायता कार्यक्रम के अधीन लेने का प्रस्ताव है। इन तीन में से, एक राज्य राजमार्ग है अर्थात हैदराबाद-रामगुण्डम रोड को सुधारना है। यह राज्य राजमार्ग है। अन्य दो परियोजनाएं राष्ट्रीय राजमार्ग की हैं।

हमने विजयवाड़ा-चिलकालुरपेट रोड को चौड़ा करने के लिये जापानी सरकार की सहायता लेने का भी प्रस्ताव है। वस्तुतः हमें जापानी सरकार से जवाब नहीं मिला है, लेकिन हम जापानी सरकार को सहायता देने के बारे में राजी करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन नये राष्ट्रीय राजमार्ग के लिये कोई प्रस्ताव नहीं है।

विश्व बैंक के साथ वार्ता

*168. **श्री रवि राय**† :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने विश्व बैंक के प्रबन्ध निदेशक के साथ फरवरी, 1993 में वार्ता की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्व बैंक के प्रबन्ध निदेशक द्वारा वित्तीय सहायता देने के बारे में यदि कोई वायदे किये गये हैं तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिये इस सहायता का उपयोग किया जाएगा?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी हां। विश्व बैंक के प्रबन्ध निदेशक श्री अर्नेस्ट स्टर्न के साथ नई दिल्ली में 8 फरवरी, 1993 को एक बैठक हुई थी।

(ख) से (घ) श्री स्टर्न के साथ जो चर्चाएं हुईं, वे वचनबद्धताओं के वर्तमान पोर्टफोलियो के कार्यनिष्पादन, वचनबद्ध सहायता का सर्वोत्तम सम्भव उपयोग निश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों, भारतीय अर्थव्यवस्था और सरकार की स्थिति, सुधार कार्यक्रम और भविष्य में विश्व बैंक से सहायता की सम्भावित राशि से सम्बन्धित थीं।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि विश्व बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टरर श्री अर्नेस्ट स्टर्न के साथ जो सरकार की बातचीत हुई थी, उस सिलसिले में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भविष्य के लिये विश्व बैंक से जो असिस्टेंस मिलने वाली है उसके बारे में कोई कंडीशनेलिटि है तो भारत सरकार का उस बारे में क्या रिस्पांस है ?

[अनुवाद]

वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, विश्व बैंक के प्रबन्ध निदेशक के आने पर उनसे वैयक्तिक ऋणों पर चर्चा नहीं की जाती है। कार्यक्रम के बारे में आम चर्चा होती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी प्रगति कर रही है। शर्तों के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई थी।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : मेरा सवाल था कि किस-किस चीज के बारे में बात हुई थी, हमें लगता है कि इसको मनमोहन सिंह जी ने बड़ी चतुराई से टाल दिया। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इनको पता है अर्नेस्ट स्टर्न ने एक पत्रकार के प्रश्न के जवाब में कहा था :

[अनुवाद]

"यह सच है कि यदि आप समायोजन प्रक्रिया से जांच करते हो तो इससे गरीब व्यक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, कभी-कभी समायोजन से बेरोजगारी में भी वृद्धि हो सकती है, कभी-कभी मूल्यों में आय की तुलना में तेजी से वृद्धि हो सकती है।"

[हिन्दी]

क्या विश्व बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर की इस बात से आप सहमत हैं ?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह निश्चय ही सच है कि यदि पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है तो समायोजन कार्यक्रम से मूल्यों में वृद्धि हो सकती है, इससे कभी-कभी बेरोजगारी बढ़ सकती है। लेकिन मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि हमने पर्याप्त ध्यान दिया है और सच यह है कि मुद्रास्फीति जितनी दो वर्ष पहले थी आज उससे बहुत कम है, यह इस बात का प्रमाण है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या विश्व बैंक अधिकारियों की राय में हमारी अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्र ने इतनी प्रगति नहीं की है कि जितनी उनके हिसाब से होनी

चाहिये थी। वे महसूस करते हैं कि जहां तक पुन: समायोजन और सुधारों का संबंध है प्रगति धीमी रही है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने कतिपय क्षेत्रों में हमारी सरकार द्वारा सुधार कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है और यदि हां, तो वे कौन-से क्षेत्र हैं ?

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, जो क्षेत्र पीछे चल रहे हैं उन पर कोई विशेष चर्चा नहीं हुई थी।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : यद्यपि इसमें सच्चाई है कि मुद्रास्फीति की दर कम हुई है, क्या यह सच है कि इस तथ्य के कारण आयात के दबाव कम करके हमने आयात को उदार बनाया है और व्यापार सन्तुलन में काफी कमी आई है जिसका अभिप्राय अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना है ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या मूल्य-वृद्धि को रोकने के लिये भविष्य में निर्यात-आयात नीति में आयात आधिक्य (इम्पोर्ट सरप्लस) की पूरी नीति की पुन: जांच की जायेगी।

श्री मनमोहन सिंह : आयात आधिक्य ही केवल घटक नहीं है। अर्थव्यवस्था एक जटिल तत्व है और ऐसे कई घटक हैं। लेकिन मुख्य तथ्य यह है कि मुद्रा स्फीति का कम होना सरकार की माइक्रो इकोनोमिक मैनेजमेंट को दर्शाता है।

श्री चित्त बसु : महोदय, मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या विश्व बैंक के प्रबन्ध निदेशक से वार्ता के दौरान, विश्व बैंक के प्रबन्ध निदेशक द्वारा निर्यात-आयात नीति के प्रश्न को उठाया गया था तथा क्या सरकार निर्यात-आयात नीति को बनाने की शर्तों पर सहमत हुई है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आयात-निर्यात नीति की विषय-वस्तु के बारे में बताएगी जिस पर उनकी विश्व बैंक-प्रबन्ध निदेशक से सहमति हुई है।

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, मैंने पहले ही उल्लेख कर दिया है कि आयात-निर्यात नीति पर कोई विशिष्ट चर्चा नहीं हुई थी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इस तेजी से बदलते विश्व में यदि तकनीकी परिवर्तन होते हैं तो हमें पुन: नियोजन की आवश्यकता पड़ेगी और हम पर्याप्त कदम उठा रहे हैं जिससे कि आर्थिक समायोजन और तकनीकी परिवर्तन की कीमतों का भार श्रमिक वर्ग पर न पड़े। हम सभी न्यायसंगत हितों को सुरक्षित करने के प्रति वचनबद्ध हैं।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष जी, वित्त मन्त्री जी मुद्रा स्फीति के घटने का दावा करते हैं, वह इसको साफ करें कि इस साल संयोगवश देश के पैमाने पर मौसम या प्रकृति ने हमारा साथ दिया तो उसका हिस्सा क्या है और इनके प्रबन्धन का हिस्सा क्या है ?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, मैं पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। यह निश्चय ही सच है कि एक अच्छा मानसून मदद करता है लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि जब मानसून खराब होता है तो सरकार को दोषी ठहराया जाता है और जब मानसून अच्छा होता है तो सरकार को इसका कोई श्रेय नहीं मिलता। मैं कहूंगा कि मानसून भी एक घटक रहा है लेकिन नई फसलों के आने से पहले ही मुद्रा स्फीति की दर गिर जाती है सितम्बर, 1991 में जो 17 प्रतिशत थी वह सितम्बर, 1992 में 8 प्रतिशत रह गई।

श्री भोगेन्द्र झा : वह अच्छी फसलों का पूर्वानुमान था।

श्री मुमताज अंसारी : अध्यक्ष महोदय, कतिपय परियोजनाओं का विवरण में ब्यौरा दिया गया था। जिन परियोजनाओं को विश्व बैंक द्वारा स्वीकृति दी गई थी उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सभी परियोजनाओं के बारे में विश्व बैंक के प्रबन्ध निदेशक से चर्चा हुई थी।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने प्रथम प्रश्न में ही इसका उत्तर दे दिया था।

[हिन्दी]

कृषि श्रमिकों के लिए केन्द्रीय विधान

*169. **श्री मृत्युंजय नायक**† :

श्री आनन्द अहिरवार :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि श्रमिकों के लिये केन्द्रीय विधान बनाने के सम्बन्ध में महाराष्ट्र के श्रम मंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दी जायेगी ?

[अनुवाद]

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) 13-8-1992 को आयोजित 41वें श्रम मन्त्री सम्मेलन में लिये गये निर्णय के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र के श्रम मन्त्री की अध्यक्षता में 13 राज्यों के श्रम मन्त्रियों की एक समिति 17-9-1992 को गठित की गई थी। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

बिहार की विकास परियोजनायें

*162. **श्री चन्द्रजीत यादव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य में वित्तीय संकट के कारण राज्य की विकास योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य की बकाया देय राशि की तुलना में केन्द्रीय सहायता में से राज्य का कितना हिस्सा जारी किया गया है; और

(ग) राज्य को वित्तीय संकट से उबारने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) राज्य सरकार के अनुरोध पर, वर्ष 1992-93 के लिए 24-6-1992 को अनुमोदित 2202.73 करोड़ रुपये के परिव्यय को हाल ही में संशोधित करके 1100 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

(ख) 770.26 करोड़ रुपए की आबंटित सामान्य केन्द्रीय सहायता के प्रति अब तक बिहार को 650.93 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की जा चुकी है ? इसके अतिरिक्त, 267.98 करोड़ रुपए के आयोजना घाटा अनुदान की राशि पूरी की पूरी रिलीज कर कर दी गई है। वाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 135 करोड़ रुपये की अनुमानित केन्द्रीय सहायता के प्रति अब तक राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रतिपूर्ति के दावे के आधार पर 34 करोड़ रुपए रिलीज किए जा चुके हैं।

(ग) राज्यों को संसाधनों का अन्तरण वित्त आयोग और योजना आयोग की सिफारिशों पर किया जाता है। राज्य की हकदारियां मासिक/तिमाही आधार पर रिलीज की जाती हैं अथवा उनको प्रतिपूर्ति राज्य सरकारों द्वारा किए गए दावों के आधार पर की जाती है। राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें अपने हिस्से के संसाधनों को वार्षिक योजना तैयार करते समय की सहमति के अनुसार जुटाना चाहिए ताकि वार्षिक योजना के कार्यान्वियन में रुकावट न आए। बिहार के लिए 1992-93 के लिए राज्य सरकार के 574.25 करोड़ रुपए के अपने संसाधनों के आधार पर 2202.73 करोड़ रुपए का योजनागत परिव्यय अनुमोदित किया गया था।

आयुध कारखानों की क्षमता का उपयोग

*163. **श्री प्रफुल पटेल :**

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्यतः देश में और विशेष रूप से महाराष्ट्र में स्थित आयुध कारखाने अपनी क्षमता से बहुत ही कम कार्य कर रहे है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 1992-97 की अवधि के दौरान आयुध कारखानों का आधुनिकीकरण करने, संयंत्र और मशीनरी को बदलने अथवा उनका नवीकरण करने तथा प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने की कोई व्यापक योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ आयुध कारखाना बोर्ड द्वारा राज्यवार और एकक-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) कुछ आयुध निर्माणियों, जिनमें महाराष्ट्र में स्थित कुछ आयुध निर्माणियां शामिल है, की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता। इसके कारण निम्नलिखित हैं :—

(क) उत्पादों की मांग में घट-बढ़,

(ख) धन की कमी, और

(ग) कुछ अतिरिक्त क्षमताएं, जिन्हें आपातकालीन आवश्यकताओं को तत्काल पूरा करने के उद्देश्य से जानबूझकर स्थापित किया गया है।

आयुध निर्माणियों में संयंत्र और मशीनरी का आधुनिकीकरण, प्रतिस्थापन/नवीकरण और प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाना सदा जारी रहने वाली प्रक्रिया है। फिर भी, आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा 1992 से 1997 तक के पांच वर्ष के प्रस्तावित व्यय के राज्य-वार और इकाई-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र० सं०	राज्य और निर्माणी का नाम	वर्ष 1992-97 के दौरान आधुनिकीकरण के लिए प्रस्तावित राशि (करोड़ रुपए)
1	2	3
	(क) **आन्ध्र प्रदेश**	
1.	आयुध निर्माणी परियोजना, मेडक	37.44
	(ख) **मध्य प्रदेश**	
2.	तोप गाड़ी निर्माणी, जबलपुर	26.47
3.	ग्रे आयरन फाउंडरी, जबलपुर	13.00
4.	आयुध निर्माणी, इटारसी	10.46
5.	आयुध निर्माणी, कटनी	23.14
6.	आयुध निर्माणी, खमरिया	75.66
7.	वाहन निर्माणी, जबलपुर	152.94
	कुल :	301.67
	(ग) **महाराष्ट्र**	
8.	गोला बारूद निर्माणी, खड़की	269.08
9.	उच्च विस्फोटक निर्माणी, खड़की	5.10
10.	मशीनी औजार आदिरूप निर्माणी, अम्बरनाथ	25.86
11.	आयुध निर्माणी, अम्बाझरी	17.50
12.	आयुध निर्माणी, अम्बरनाथ	32.59
13.	आयुध निर्माणी, भण्डारा	12.85

1	2	3
14.	आयुध निर्माणी, भुसावल	2.00
15.	आयुध निर्माणी, चांदा	15 25
16.	आयुध निर्माणी, देहू रोड	2.50
17.	आयुध निर्माणी, वरणगांव	170.12
	कुल :	552.85
	(च) उड़ीसा	
18.	आयुध निर्माणी, बोलंगीर	259.14
	(छ) तमिलनाडु	
19.	कारडाइट निर्माणी, अरुवनकाडु	5.00
20.	इंजन निर्माणी, आवडी	66.75
21.	भारी वाहन निर्माणी, आवडी	91.52
22.	आयुध वस्त्र निर्माणी, आवडी	3.75
23.	हैवी एलाय पेनेट्रेटर परियोजना, तिरुचिरापल्ली	—
24.	आयुध निर्माणी, तिरुचिरापल्ली	30.32
	कुल :	197.34
	(ज) उत्तर प्रदेश	
25.	फील्ड तोप निर्माणी, कानपुर	1.49
26.	आप्टो-इलेक्ट्रानिक्स निर्माणी, देहरादून	2.57
27.	आयुध वस्त्र निर्माणी, शाहजांपुर	2.50
28.	आयुध उपस्कर निर्माणी, कानपुर	5.00
29.	आयुध निर्माणी, कानपुर	20.88
30.	आयुध निर्माणी, देहरादून	20.00
31.	आयुध निर्माणी, मुरादनगर	17.50
32.	आयुध उपस्कर निर्माणी, हजरतपुर	1.25
33.	आयुध पैराशूट निर्माणी, कानपुर	2.50
34.	लघु शस्त्र निर्माणी, कानपुर	16.25
	कुल :	89.94

1	2	3
	(छ) **पश्चिमी बंगाल**	
35.	तोप गोला निर्माणी, काशीपुर	19.58
36.	धातु एवं इस्पात निर्माणी, ईशापुर	153.74
37.	आयुध निर्माणी, दमदम	2.50
38.	राइफल निर्माणी, ईशापुर	80.46
	कुल :	256.28
	(ज) **चंडीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र)**	
39.	आयुध केबल निर्माणी, चंडीगढ़	15.00
	कुल जोड़ :	1709.66

[हिन्दी]

राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों के निदेशकों में गैर-सरकारी सदस्यों का नामनिर्देशन

*166. **श्री खेलन राम जांगड़े** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक बोर्डों में गैर-सरकारी सदस्यों के नाम निर्देशन की नीति सफल रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) निदेशक बोर्डों मे गैर-सरकारी सदस्यों के नाम निर्देशन के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गये हैं;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में नीति का सख्ती से पालन किया गया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार बैंकिंग उद्योग के कार्यकरण को कुशल एवं सुव्यस्थित बनाने के लिए निदेशक बोर्डों का पुनर्गठन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (च) राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) योजना, 1970 और 1980 में निर्धारित कार्यविधि और मानदण्डों के अनुसार की जाती है। उक्त योजनाओं में भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श के पश्चात् प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के बोर्ड में 9 गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति का प्रावधान है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों का अस्तित्व निरंतर बना रहता है और होने वाली रिक्तियों को समय-समय पर भरा जाता है। फिलहाल, 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में गैर-

सरकारी निदेशकों के 88 रिक्त पद हैं। इसके अलावा, विद्यमान 92 गैर-सरकारी निदेशकों का कार्यकाल भी समाप्त हो गया है और उनके उत्तराधिकारियों की नियुक्ति के लम्बित होने पर वे कार्यरत हैं। सरकार ने रिक्तियों को भरने के वास्ते पहले ही आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है।

जमाकर्ताओं, किसानों, कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले तथा योजनाओं में निर्धारित विशेष ज्ञान या राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यचालन सम्बन्धी व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्त किया जाता है। बोर्ड की बैठकों की परि-चर्चाओं में इन निदेशकों की भागीदारी उपयोगी रही है।

[अनुवाद]

सीमा शुल्क में राहत

*167. **श्री चन्द्रेश पटेल :**

श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यात्री सामान सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत आयातित 35 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं पर सीमा शुल्क में की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सीमा-शुल्क में इस कमी से व्यापार तथा घरेलू निर्माता उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या सरकार का विचार स्वदेशी निर्माताओं को भी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने हेतु उनकी सहायता करने के लिए करों में राहत प्रदान करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी हां, सरकार ने 1993-94 के बजट में यात्री द्वारा बैगेज के रूप में आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क 255 रु० की पूर्व दर से घटाकर 150 रु० यथामूल्य कर दिया है। टेलीविजन सेटों पर फिर भी उसी दर से सीमा शुल्क लगेगा जिस दर से स्वदेश निर्मित टेलीविजन सेटों पर उत्पाद शुल्क लगता है। अधिसूचना (संख्या 6/93 सीमा शुल्क दिनांक 9-2-93) जिसमें विवरण दर्शाया गया है, को पहले ही सभा पटल पर रख दिया है। सीमा शुल्क को इस कारण घटा दिया गया कि 255 रु० का शुल्क बहुत अधिक प्रतीत हुआ।

(ग) क्योंकि 150 प्रतिशत की दर अभी भी ज्यादा है इससे स्वदेशी उद्योग पर कोई प्रति-कूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(घ) से (च) 1993-94 के बजट में स्वदेशी निर्माताओं को सरकार ने पहले ही बहुत वित्तीय छूट देने की घोषणा की है।

[हिन्दी]

कृषि ऋण

*170. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से किसानों को कितनी राशि के कृषि-ऋण दिए गए;

(ख) क्या सरकार द्वारा घोषित ऋण माफी योजना के कारण ऋणों की वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और कृषि-ऋणों के वितरण में कमी आई है;

(ग) क्या सरकार ने ऋणों के वितरण में वृद्धि करने के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-1990) तथा बाद के दो वर्षों, अर्थात् 1990-91 और 1991-92 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा दी गई कृषि ऋणों की रकम तथा इन संस्थाओं द्वारा वसूल की गई रकमों को नीचे दर्शाया गया है :—

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	कृषि ऋणों की रकम		मांग की तुलना में
	संवितरित	वसूली	वसूली का प्रतिशत
1985-86	7005	6017	56.39
1986-87	8016	6765	56.46
1987-88	8429	7754	56.90
1988-89	9084	7685	56.16
1989-90	9801	6349	45.32
1990-91	8846	7576	54.09
1991-92	11199	7878	51.56

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 1989-90 के दौरान ऋणों की वसूली में कमी हुई है। इस कमी का एक मुख्य कारण ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 की घोषणा थी जिसने उधारकर्ताओं में भविष्य में ऋणों की वापसी अदायगी के बारे में गलत आशाएं पैदा कर दी थीं जिनके कारण वसूली में कमी हुई। इसके कारण वर्ष 1990-91 के दौरान संवितरणों में भी कमी आई क्योंकि काफी बड़ी संख्या में उधारकर्ता नए अग्रिमों के लिए पात्र नहीं रहे। तथापि, अगले वर्ष 1991-92 के लिए संवितरणों तथा वसूली में दोनों में काफी सुधार हुआ।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी भारतीय बैंकों को अपने कुल ऋण का 18% कृषि (सम्बद्ध गतिविधियों सहित) को प्रत्यक्ष वित्त के रूप में देना होता है। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि 25,000 रुपए तक के सभी ऋण आवेदनों को एक पखवाड़े के अन्दर और 25,000 रुपए से अधिक के ऋण आवेदनों को 8-9 सप्ताह के अन्दर निपटाया जाना है।

किसानों को और विशेष रूप से छोटे और सीमांतिक किसानों को ऋण का प्रवाह बढ़ाने की दृष्टि से कई कदम उठाए गए हैं। इनमें से महत्वपूर्ण कदम ये हैं :—

1. *7,500 रुपए तक के ऋणों पर ब्याज की 11.5% वार्षिक की कम दर पर रखा गया है।*

2. 2 लाख रुपए तक के सावधि ऋणों को रियायती दर पर प्रदान किया जाता है।

3. छोटे और सीमांत किसानों द्वारा प्राप्त किए गए फसल ऋणों के मामले में ब्याज में की गई कटौती मूलधन से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4. फसल खराब हो जाने पर देय राशि को 3-5 वर्ष की अवधि के लिए पुनः निर्धारित किया जाना चाहिए और किसानों को नए ऋण दिए जाने चाहिए।

5. 10,000 रुपए तक ऋणों के लिए तीसरी पार्टी की गारंटी अथवा संपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए।

6. कृषि क्षेत्र में वर्तमान देय राशियों पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगाया जाना चाहिए।

7. ग्रामीण शाखा प्रबंधकों को मंजूरी की उपयुक्त शक्तियां प्रत्यायोजित करना ताकि अधिकांश ऋण आवेदन शाखा स्तर पर ही मंजूर किये जा सकें।

कृषि क्षेत्र सहित प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण सहायता देने के मामले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यनिष्पादन की सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और ध्यान में आने वाली कमियों को दूर करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं। कार्यनिष्पादन की पिछली समीक्षा सितम्बर, 1992 में की गई थी और सरकार द्वारा बैंकों को निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपाय करने को कहा गया था।

[अनुवाद]

आर्थिक सहयोग संगठन

*171. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 6-7 फरवरी, 1993 को क्वेटा में हुई आर्थिक सहयोग संगठन परिषद् के मंत्रियों की तीसरी बैठक की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने मध्य एशियाई गणतांत्रिक देशों के साथ देश के व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) जी, हां। इन बैठक में एक 29 सूत्री योजना मंजूर की गई जिसका नाम "क्वेटा प्लान आफ ऐक्शन फार ई० सी० ओ०" है। इस योजना का घोषित उद्देश्य वर्ष 2000 तक अपना उद्देश्य प्राप्त करना है। इसमें इस क्षेत्र के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों को इस प्रकार जुटाने की महती आवश्यकता पर बल दिया गया है जो जहां तक संभव हो बाजार-उन्मुक्त अर्थव्यवस्था और सबके लाभ पर आधारित हों। इस प्लान आफ ऐक्शन में आर्थिक क्रियाकलाप के आठ क्षेत्रों में सहयोग के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत दिए गए हैं—यह क्षेत्र हैं परिवहन और संचार, व्यापार, ऊर्जा, उद्योग, कृषि, पर्यटन, मानव संसाधन विकास और साध्यता अध्ययन के लिए वित्त व्यवस्था करना। इस प्लान आफ ऐक्शन में जिन मुद्दों पर व्यवस्थाएं हैं वे इस प्रकार हैं: इस क्षेत्र के भीतर व्यापार का संवर्धन करना; इस क्षेत्र के भीतर व्यापार अवरोधों को शिथिल और आसान करना; इस क्षेत्र के देशों की अर्थव्यवस्थाओं के पूरक तत्वों का अध्ययन; सीमा शुल्क क्रियाविधियों की समरूप प्रणाली; व्यापार तथा कारोबार के लिए वित्त व्यवस्था और बैंकिंग सुविधाओं के बारे में आपसी कार्रवाई; तथा क्षेत्र के भीतर व्यापारियों के आवागमन में सुविधाएं प्रदान करना।

सरकार ने मध्य-एशिया के गणराज्यों में भारत के व्यापारी हितों की रक्षा और उनके संवर्धन के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, जो उपाय शामिल हैं वे इस प्रकार हैं: उच्च-स्तर पर अधिकारियों आदि की वार्ता-यात्राएं, व्यापार और भुगतान के संबंध में द्विपक्षीय करार, आर्थिक सहयोग और बैंकिंग सुविधाओं का प्रबंध, व्यापारी प्रतिनिधित्व, संयुक्त परामर्शी फोरमों की स्थापना, ऋण सुविधाएं, संयुक्त उद्यमों और प्रति-व्यापार का संवर्धन, परिवहन और ट्रांजिट पथों का विकास, प्रशिक्षण, विशेषज्ञता, परामर्शी सेवाओं आदि के रूप में सहयोग तथा व्यापारी स्तर पर सम्पर्कों को प्रोत्साहन।

गुजरात में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए ऋण

172. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार गुजरात में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कितनी शाखाएं थीं;

(ख) इस राज्य में इन बैंकों में विगत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी राशि जमा की गई और इनके द्वारा कितनी राशि का ऋण बांटा गया;

(ग) क्या बांटी गई ऋण की राशि लक्ष्य के अनुसार थी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ऋण की राशि बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इन बैंकों द्वारा गुजरात में कितने लघु एककों को ऋण दिया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) 30 सितम्बर, 1992 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार गुजरात राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल 2929 शाखाएं हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में जमा की गई कुल राशि और उनके द्वारा संवितरित ऋणों की राशि निम्नलिखित है :

(लाख रुपये)

के अन्त में	जमा राशि	ऋण राशि
मार्च, 1989	860809	516812
मार्च, 1990	1005245	614758
मार्च, 1991	1155665	689857

(ग) और (घ) बैंकों ने ऋण संवितरणों या निर्धारित ऋण जमा अनुपात के रख-रखाव संबंधी राज्य वार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं। तथापि, बैंकों को अखिल भारतीय आधार पर समग्र रूप से, ग्रामीण और अर्ध शहरी स्तर पर 60% ऋण जमा अनुपात प्राप्त करना होता है।

(ङ) गुजरात राज्य में लघु उद्योग एककों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की राशि को नीचे दर्शाया गया है :

(लाख रुपये)

के अन्त में	खातों की संख्या	बकाया शेष
मार्च, 1989	127227	105155
मार्च, 1990	118773	112246
मार्च, 1991	114602	132823

दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ में शामिल होने का प्रस्ताव

*173. **श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विश्व व्यापार व्यवस्था में विद्यमान प्रवृत्तियों को स्वीकार करते हुए क्षेत्रीय व्यापार समूह में शामिल होने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार व्यापार के लिए दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ में शामिल होने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी). (क) से (ङ) भारत के किसी क्षेत्रीय व्यापारिक मंच में शामिल होने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत का आसियान की सदस्यता की मांग हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु भारत और आसियान, दोनों ने यह निर्णय किया है कि व्यापार, पूंजी निवेश तथा पर्यटन जैसे क्षेत्रों में कोई क्षेत्रीय वार्ता संबंध स्थापित किए जाएं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह है कि गाट के अधीन स्थापित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के भीतर दोनों पक्षों के बीच व्यापार और आर्थिक आदान-प्रदान बढ़ाए जाएं।

भारत क्षेत्रीय दृष्टिकोण की बजाए बहुपक्षीय दृष्टिकोण को प्राथमिकता देता है। हमारा प्रयास यह रहा है कि उरुग्वे दौर में बहुपक्षवाद को मजबूत किया जाए क्योंकि ऐसा विश्वास है कि भेदभाव रहित व्यापार से विश्व व्यापार के विस्तार को अधिकाधिक गारण्टी मिलती है।

भारतीय बैंकों का अन्तर्राष्ट्रीय कारोबार

174. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत भारतीय बैंकों के अन्तर्राष्ट्रीय कारोबार की भारी संभावनाओं के बावजूद अनेक मामलों में उनका अन्तर्राष्ट्रीय कारोबार बहुत ही कम रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय कारोबार में भारतीय बैंकों के कार्यनिष्पादन का वर्षवार और बैंकवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय बैंकों के अन्तर्राष्ट्रीय कारोबार को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालनों का विशेष जोर भारतीय मूल के समुदाय को ऋण देने के अलावा, भारत के विदेश व्यापार को समर्थन प्रदान करना और सेवाएं प्रदान करना है। भारतीय बैंकों की विदेश स्थित शाखाएं मुख्य रूप से विदेशों में भारतीय मूल के ग्राहकों से सम्बन्धित व्यापार वित्त पोषण, बिलों के परकामण/संग्रहण, प्रेषणाओं आदि जैसे पारम्परिक कारोबार करती हैं। बाद में उन्होंने परियोजना वित्त पोषण, स्थावर सम्पदा वित्त पोषण औद्योगिक ऋण सिंडिकेटिड एक्सपोजर में भागीदारी, राजकीय ऋणों आदि जैसी नयी गतिविधियों को भी शुरू कर दिया है। तथापि, संसाधनों की कमी, कारोबार का सीमित दायरा और तकनीक के निम्न स्तर के कारण हमारे बैंकों ने जो कारोबार विदेशों में हासिल किया वह सीमित ही है।

सरकारी क्षेत्र के बैंक (जिनमें विदेशी परिचालनों वाले बैंक भी शामिल हैं) अपने तुलनपत्र तथा लाभ-हानि खाते बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्धारित फार्मेट में तैयार करते हैं। बैंक की समग्र लाभ/हानि सम्बन्धी स्थिति इसमें दर्शायी जाती है। इसलिए विदेशी शाखाओं की लाभ/हानि की स्थिति अलग से नहीं दर्शायी जाती।

(ग) भारतीय बैंकों की विदेशों में स्थित शाखाओं के परिचालनों की सरकार और भारतीय

रिजर्व बैंक द्वारा लगातार समीक्षा की जाती है। विदेशों में स्थित शाखाओं के परिचालनों की निगरानी और उनमें सुधार लाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई कदम उठाए गए हैं जिनमें अन्यों के साथ-साथ ये शामिल थे—कार्मिक नीति को सुदृढ़ बनाना तथा ऋण सीमाओं तथा देश-विशेष के परिचालनों (एक्सपोजर्स) के रूप में विवेक सम्मत मानदण्ड, आंतरिक और पर्यवेक्षी नियन्त्रण को सुदृढ़ बनाना, भारतीय बैंकों के बीच सहयोग और समन्वय को मजबूत बनाना; अन्तर्राष्ट्रीय प्रभागों का पोर्टफोलियो निरीक्षण, अनर्थक्षम शाखाओं को बन्द करना, समस्यापरक ऋणों की पुनरीक्षा आदि। विदेशों में स्थित शाखाओं से संबद्ध महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के साथ कार्य योजना बैठकों में चर्चा की जाती है।

हल्दिया पेट्रो-रसायन परियोजना

175. **श्री चित्त बसु :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने हल्दिया पेट्रो-रसायन परियोजना हेतु वित्त पोषण व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो हल्दिया परियोजना को वित्तीय सहायता देने के लिए क्या शर्तें रखी गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) ने सूचित किया है कि मैसर्स हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लि० (एच० पी० एल०) की परियोजना कार्य क्षेत्र में संशोधन के पश्चात्, 26-12-92 को हुई वित्तीय संस्थाओं की संयुक्त बैठक में प्रथम चरण में 2,00,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्रैकर क्षमता को दूसरे चरण में बढ़ाकर 3,00,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष किए जाने वाले संशोधित प्रस्ताव पर विचार किया गया था, इस बैठक में प्रथम चरण में वित्तीय संस्थाओं और बैंकों से 1600 करोड़ रुपए की पहले मंजूर की गई सहायता की निम्नलिखित शर्तों के साथ पुनर्पुष्टि करने का निर्णय लिया गया :

(i) प्रवर्तक सहमत समय सीमा के भीतर पूर्णरूपेण परियोजोजना को लागू करने की दृढ़ प्रतिबद्धता जाहिर करेगा और संस्थाओं और बैंकों के परामर्श से अन्तिम रूप से तय किए गए अनुसार अपेक्षित निधियों को जुटाने के लिए वचन देगा।

(ii) प्रथम चरण से संस्थाओं और बैंकों से सहायता की राशि को विशेष रूप से दूसरे चरण के कार्यान्वयन के लिये विभिन्न शर्तों का सम्मत ढंग से पालन किए जाने सम्बन्धी प्रगति के साथ जोड़ा जाएगा। इस उद्देश्य के लिए संस्थाएं/बैंक आवधिक अन्तरालों पर परियोजना की प्रगति की पुनरीक्षा करेंगे।

(iii) परियोजना लागत में किसी भी प्रकार की वृद्धि को बिना संस्थाओं/बैंकों की सहायता के पूरा किया जाना होगा।

(iv) कम्पनी राज्य सरकार से आधारभूत सुविधाओं के साथ-साथ परियोजना की अर्थक्षमता में सुधार के लिये दूसरी राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली बिक्री कर/खरीद कर, चुंगी कर, प्रवेश और विद्युत पर राज्य लेवी में छूट जैसी बचत प्रतिबद्धताएं प्राप्त करेगी।

विदेशों से ऋण प्रस्ताव

*176. श्रीमती विभू कुमारी देवी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 दिसम्बर, 1992 से लेकर अब तक विदेशों से कितने ऋण प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं,

(ख) प्रत्येक मामले में ऋण तथा सहायता के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होने की संभावना है; और

(ग) प्रत्येक मामले में ऋण सुविधाओं की शर्तें क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग)

क्रम सं०	देश का नाम	करार की तारीख	राशि (डी० सी० मिलियन)		वापसी अदायगी की अवधि		ब्याज की दर
					परिपक्वता अवधि (वर्ष)	अनुग्रह अवधि (वर्ष)	
1	2	3	4		5	6	7
1.	जापान	3-12-92	येन	33085	25	7	2.6 प्रतिशत
2.	जापान	3-12-92	येन	13224	30	10	2.6 प्रतिशत
3.	जापान	21-12-92	येन	17773	30	10	2.6 प्रतिशत
4.	जापान	21-12-92	येन	3806	30	10	2.6 प्रतिशत
5.	जापान	21-12-92	येन	19538	30	10	2.61 प्रतिशत
6.	जापान	21-12-92	येन	24482	30	10	2.6+0.1 प्रतिशत
7.	जर्मनी	19-2-93	डीएम	29.604	40	10	डीईएम-एल ओई बीओआर-आई एसडीए दर पर आधारित
8.	जर्मनी	17-12-92	डीएम	25.00	40	10	—तदैव—

1	2	3	4		5	6	7
9.	जर्मनी	19-2-93	डीएम	55.0	40	10	½ + ½ प्रतिशत वचनबद्धता प्रभार
10.	फ्रांस	22-12-92	एफएफ	257.6	19	—	2 प्रतिशत
11.	फ्रांस	22-12-92	एफएफ	302.4	30	10	2 प्रतिशत

औषधि लागत मूल्य निर्धारण समिति

*177. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य वर्धन सम्बन्धी वर्तमान मानदंडों की समीक्षा करने के लिए औषधि निर्माताओं के प्रस्ताव पर विचार करने हेतु कोई समिति बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान मानदंड कठोर हैं जिसके परिणामस्वरूप औषधियों का निर्यात करना बहुत कठिन हो गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो औषधियों की स्वदेशी मांग का आकलन करने के पश्चात् निर्यात बढ़ाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) औषधि विनिर्माताओं से मूल्य-वर्द्धन सम्बन्धी मौजूदा मानदंडों की पुनरीक्षा के लिए जो प्रस्ताव मिलते हैं उनकी जांच के लिए अलग से कोई समिति नहीं बनाई गई है लेकिन विदेश व्यापार निदेशालय में हाल ही में एक विशेष अग्रिम लाइसेंसिंग समिति का गठन किया गया जिसे उद्योग के सभी उप-क्षेत्रों के लिए मानक निवेश-सामग्री बनाम उत्पादन मानदंडों और मूल्य-वर्धन मानदंडों के निर्धारण/समीक्षा का काम दिया गया है। उद्योग के इन उप-क्षेत्रों में औषधि उप-क्षेत्र भी शामिल हैं।

जो मानदंड पहले अधिसूचित किए जा चुके हैं उनके विरुद्ध अलग-अलग एककों से प्राप्त किसी अभिवेदन की उक्त समिति गुणावगुण के आधार पर जांच करती है और आवश्यक समझे जाने पर इन मानदंडों की समीक्षा/संशोधन किया जाता है।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान औषधियों और भेषजों के निर्यात में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई है।

थोक मूल्य

*178. श्री मदन लाल खुराना : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उपभोक्ता वस्तुओं के थोक मूल्यों में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खुदरा मूल्यों में भी थोक मूल्यों में कमी के अनुरूप कोई कमी हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी हां। 31 आवश्यक वस्तुओं में से 13 वस्तुओं अर्थात चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मूंग, मसूर, अरहर, उड़द, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, बनास्पति, लाल मिर्च और आलू के थोक मूल्य सूचकांक में हाल में गिरावट आई है। थोक मूल्यों का संयुक्त सूचकांक अगस्त, 1992 में 235.4 से गिर कर जनवरी, 1993 में 230.7 पर आ गया।

(ख) अगस्त, 1992 से जनवरी, 1993 की अवधि के लिए आवश्यक वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक संलग्न विवरण 1 में दिया गया है।

(ग) जी, हां। अगस्त, 1992 से नवम्बर, 1992 की अवधि के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा प्रदर्शित 14 आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्यों में भी गिरावट आई है, जैसा कि संलग्न विवरण 2 में दर्शाया गया है। उपभोक्ता मूल्यों का संयुक्त सूचकांक अगस्त, 1992 में 240.3 से गिर कर नवम्बर, 1992 में 236.7 रह गया।

(घ) कुल मिलाकर, आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्यों में हाल के महीनों में या तो गिरावट आई है या स्थिर रहे हैं। सरकार ने सभी वस्तुओं सामान्य और विशेषकर आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियन्त्रित करने के लिये अनेक कदम उठाए हैं। इनमें राजकोषीय घाटे पर कठोर नियन्त्रण, सख्त मौद्रिक नीति, समय आयातों के माध्यम से खाद्य आपूर्ति को बढ़ाना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना और आयात संकुचन उपायों में छूट देना शामिल है।

विवरण-1

आवश्यक वस्तुओं का मासिक थोक मूल्य सूचकांक

आधार : 1981-82 100

क्रम सं०	वस्तुएं	भार	1992 अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवंबर	दिसंबर	जनवरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	चावल	3.69	252.2	251.1	248.9	251.7	249.0	248.2
2.	गेहूं	2.25	234.7	228.0	221.4	223.4	227.0	233.2
3.	गेहूं का आटा	0.76	260.4	255.6	253.5	254.0	263.3	267.7
4.	ज्वार	0.42	287.4	265.4	256.0	236.6	233.9	218.6
5.	बाजरा	0.18	261.0	224.6	197.2	193.6	193.3	182.2
6.	मूंग	0.20	298.2	274.2	247.1	235.2	235.4	250.3
7.	चना	0.41	209.1	212.0	211.3	210.9	222.8	230.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	मसूर	0.05	241.7	240.7	232.1	220.3	216.5	215.5
9.	अरहर	0.27	309.8	312.4	305.1	287.6	278.7	288.0
10.	उड़द	0.15	323.1	321.8	305.2	282.4	270.9	269.5
11.	नारियल का तेल	0.17	337.4	337.3	344.4	344.4	344.9	348.7
12.	मूंगफली का तेल	0.53	251.5	244.1	246.3	229.9	222.8	206.6
13.	सरसों का तेल	0.28	230.8	226.6	222.5	219.3	213.7	207.6
14.	वनास्पति	0.52	274 9	272.8	273.9	267.3	264.1	257.4
15.	बकरी का मांस	0.52	272.4	276.3	277.0	277.0	281.5	283.1
16.	ताजा मछली	0.51	266.5	273.0	279.0	297.3	307.0	313.9
17.	दूध	1.96	255.9	267.7	272.8	274.4	274.9	274.6
18.	नमक	0.04	213.6	211.0	213.5	214.4	214.1	213.6
19.	मिर्च	0.32	402.7	397.3	379.7	324.4	302.5	297.9
20.	प्याज	0.16	168.9	147.6	159.8	167.1	191.9	209.3
21.	आलू	0.47	294.5	292.3	302.0	308.1	237.6	191.7
22.	चीनी	2.01	176.5	177.0	177.0	176.3	173.9	175.7
23.	गुड़	1.75	196.3	194.6	206.9	190.6	195.9	192.6
24.	चाय पत्ती	0.56	281.8	263.7	279.7	283.7	284.0	297.3
25.	कच्चा कोयला	0.35	320.0	320.0	320 0	320.0	320.0	320.0
26.	मिट्टी का तेल	0.87	146.7	146.7	146.7	146.7	146.7	146.7
27.	माचिस	0.23	144.6	144.6	144.6	144.6	144.3	144.3
28.	कपड़े धोने का साबुन	0.59	193.3	194.7	196.0	196.0	196.0	196.0
29.	लट्ठा और चद्दरें	0.36	170.8	170.8	170.8	170.8	169.2	169.2
30.	धोती, साड़ियां और वायल	1.19	190.0	192.6	193.3	193.3	198.5	198.5
31.	साड़ियां*							
	मूल्य सूचकांक	21.77	235.4	233.8	234.0	231.9	231.0	230.7

*मद संख्या 30 में शामिल है।

विवरण-2

आवश्यक वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

आधार : 1982 = 100

क्र० सं०	वस्तुएं	भार	1992			
			अगस्त	सितंबर	अक्तूबर	नवम्बर
1	2	3	4	5	6	7
1.	चावल	12.45	236.6	238.5	241.3	241.1
2.	गेहूं	4.43	232.5	225.4	222.3	219.8
3	गेहूं का आटा	1.75	213.6	214.3	211.3	207.5
4.	ज्वार	0.46	337.9	324.7	316.4	307.2
5.	बाजरा	0.16	277.7	247.4	198.6	191.0
6	मूंग	0.53	348.5	335.4	101.3	288.3
7.	चना	0.08	265.3	266.0	265.1	266.3
8.	मसूर	0.41	273.2	273.5	268.8	265.6
9.	अरहर	1.69	308.3	307.3	301.3	295.1
10.	उड़द	0.35	270.5	271.3	265.3	258.8
11.	नारियल का तेल	0.09	315.8	318.4	324.5	328.3
12.	मूंगफली का तेल	2 27	263.3	261.5	260.4	248.0
13.	सरसों का तेल	1.44	235.2	234.9	230.6	225.7
14.	वनास्पति	0.78	261.1	257.8	255.2	251.0
15.	बकरी का मांस	2.12	265.3	266.9	265.8	271.4
16.	ताजा मछली	1.31	264.9	271.0	265.0	265.0
17.	दूध	5.52	238.5	239.5	240.4	240.6
18.	नमक	0.15	296.3	297.6	297.1	296.8
19.	मिर्च	0.63	444.8	405.3	390.0	373.1
20.	प्याज	0.67	224.8	214.0	208.7	214.3
21.	आलू	1.23	257.4	253.7	251.4	243.9
22.	चीनी	2.24	191.7	189.2	184.8	189.3
23.	गुड़	0.47	277.1	283.3	286.6	282.9

1	2	3	4	5	6	7
24.	चाय पत्ती	0.82	269.1	270.7	270.8	271.0
25.	कच्चा कोयला	0.80	289.7	293.1	294.8	295.8
26.	मिट्टी का तेल	1.82	147.0	147.6	147.0	147.0
27.	माचिस	0.23	179.9	167.1	168.2	169.1
28.	कपड़े धोने का साबुन	1.33	204.0	205.0	206.3	206.9
29.	लट्ठा और चादरें	0.20	222.1	225.0	226.9	231.7
30.	धोती, साड़ियां और वायल	0.35	179.0	181.3	183.9	187.2
31.	साड़ियां	2.05	177.5	178.4	181.4	184.4
	संयुक्त सूचकांक	48.83	240.3	239.3	238.1	236.7

दोहरा कराधान रोकना

*179. **श्री शरद दिघे :**

श्री रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कुछ देशों के साथ दोहरे कराधान को रोकने और आय तथा पूंजी पर करों संबंधी अपवंचन को रोकने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो देशवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन समझौतों से प्राप्त होने वाली उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) दिनांक 1 जनवरी, 1993 से सरकार के स्तर पर दोहरे कराधान से बचने के बारे में किए गए करारों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

क्र०सं०	देश का नाम	हस्ताक्षर की तारीख
1.	युनाइटेड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड नार्दर्न आयरलैण्ड	25-1-1993
2.	किंगडम आफ स्पेन	8-2-1993
3.	इटली गणतंत्र	19-2-1993

(ग) दोहरे कराधान से बचने के बारे में किए गए इन करारों से अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित की व्यवस्था करके प्रोद्योगिकी के आधुनिकीकरण में तथा भारतीय व्यापार, निवेश एवं अन्य गतिविधियों के विकास में सहायता मिलेगी :

(i) आय के दोहरे कराधान से राहत,

(ii) निवेश तथा तकनालाजी के प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए लाभांशों, निवेश, रायल्टी तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के संबंध में स्रोत देश में घरेलू कानूनों की अपेक्षा कराधान की न्यून दर,

(iii) स्रोत देश में छिट-पुट कारोबार एवं व्यावसायिक गतिविधियों को कराधान से छूट,

(iv) धोखाधड़ी तथा करों के अपवंचन की रोकथाम के प्रयोजनार्थ सूचना का आदान-प्रदान ।

विदेशी पोतों/नौकाओं द्वारा भारतीय क्षेत्र में की गई घुसपैठ के मामले

*180. **श्री जगत बीर सिंह द्रोण :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992 के दौरान तट रक्षकों ने विदेशी पोतों/नौकाओं द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने के कितने मामलों का पता लगाया;

(ख) उक्त वर्ष के दौरान तट रक्षकों ने स्वापक औषधियों सहित तस्करी का कितना माल पकड़ा; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान तट रक्षक अधिकारियों को कुल कितनी धनराशि पुरस्कार के रूप में दी गई और अन्य क्या प्रोत्साहन दिये गये ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) वर्ष 1992 के दौरान, तटरक्षक ने 47 विदेशी पोत/नावें पकड़ीं, जिनमें अनुमानित रूप से 21.84 करोड़ रुपये की 859 चांदी की छड़ें जब्त की गई थीं । वर्ष 1992 के दौरान कोई स्वापक पदार्थ नहीं पकड़े गए ।

(ग) वर्ष 1992 के दौरान उक्त पोतों/नावों और सामान को जब्त करने के एवज में तटरक्षक कार्मिकों को अभी तक कोई पुरस्कार नहीं दिया गया । इस वर्ष के दौरान अन्य प्रोत्साहनों के रूप में छह तटरक्षक कार्मिकों को अनुशंसा/प्रमाण-पत्र/तटरक्षक मेडल प्रदान किए गए ।

[हिन्दी]

कृषि एवं संसाधित खाद्य पदार्थ निर्यात प्रभाग प्राधिकरण द्वारा भांडागारों की स्थापना

1640. **श्री केशरी लाल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि एवं संसाधित खाद्य पदार्थ निर्यात प्रभाग प्राधिकरण का विचार यूरोप में कोई भांडागार स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) गैर सरकारी उद्यमों का एक संघ रोटारडम में भण्डारागार सुविधा सहित एक विपणन-सह-वितरण केन्द्र की स्थापना और प्रबंध करने पर विचार कर रहा है। कृषि और संसाधित खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण इस कार्य के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य कर रहा है।

[अनुवाद]

भारत-इजराइल के बीच व्यापार समझौता

1641. **श्री प्रकाश वी० पाटील :**
श्री सुबास चन्द्र नायक :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इजराइल के साथ कोई व्यापार समझौते अथवा किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दो देशों के बीच किन मदों का आयात-निर्यात किया जा रहा है और इस प्रायोजनार्थ क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अप्रैल-नवम्बर, 1992 के दौरान भारत से इजरायल को निर्यात की गई प्रमुख मदों में रत्न और आभूषण, सूती यार्न/फेब्रिक्स/मेड-अप्स, काजू, मानव निर्मित यार्न फेब्रिक/मेड-अप्स प्राकृतिक रेशम यार्न/फेब्रिक्स/मेड-अप्स, हस्त शिल्प, कार्बनिक/अकार्बनिक/कृषि रसायन, आयल मिल्स, मसाले, धातु से बनी वस्तुएं, मशीनरी, औजार आदि शामिल हैं। उसी अवधि के दौरान इजरायल से आयात की गई प्रमुख मदों में शामिल हैं—मोती, मूल्यवान/अर्द्ध मूल्यवान पत्थर, उर्वरक क्रूड, विनिर्मित उर्वरक, अन्य अपरिष्कृत खनिज, अकार्बनिक रसायन, इलेक्ट्रिकल मशीनरी आदि।

इजरायल के साथ हमारे व्यापार के लिए निर्यात और आयात नीति (1992-97) में कोई विशेष मानदंड और कसौटी निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

चमड़ा उत्पादों का निर्यात

1642. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के पहले दस माह के दौरान निर्यात किए गए तैयार, अर्द्ध-तैयार और गैर-तैयार चमड़ा उत्पादों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार तैयार चर्म उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने संबंधी किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) अपरिष्कृत खालों तथा चमड़ियों के निर्यात पर वर्ष 1973 से और अर्द्ध-परिष्कृत चमड़े के निर्यात पर दिनांक 1-4-1990 से प्रतिबंध है। वर्ष 1989-90 से अन्य चमड़ा तथा चमड़ा उत्पादकों के निर्यात आंकड़े इस प्रकार हैं :

(करोड़ रु०)

मद	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93 (अनन्तिम) (अप्रैल 1992-जनवरी, 1993)
1. अर्द्ध-परिष्कृत चमड़ा	21.07	12.36	—	—
2. तैयार चमड़ा	693.53	789.94	726.21	564.02
3. चमड़ा फुटवियर	171.43	280.47	430.81	347.28
4. फुटवियर संघटक	518.25	573.01	663.35	523.60
5. चमड़ा परिधान	332.88	554.81	736.87	684.57
6. चमड़ा माला	292.87	343.26	518.99	529.35
योग	2030.03	2553.85	3076.23	2648.82

(स्रोत : चर्म निर्यात परिषद, मद्रास)

राज्य-वार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) और (ग) सरकार ने चमड़ा तथा चमड़ा उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) चमड़े की घरेलू उपलब्धता को पूरा करने के लिए अपरिष्कृत, अर्द्ध-परिष्कृत रूप में चमड़े का शुल्क मुक्त आयात;

(2) रियायती शुल्कों पर अन्य कच्चे माल, उपभोक्ता मदों, सहायक सामान, रसायनों और पूंजीगत माल का आयात;

(3) डिजायन तथा विकास कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना;

(4) देश तथा विदेशों दोनों में मानव-शक्ति का प्रशिक्षण बढ़ाना;

(5) औद्योगिक एस्टेट और सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना;

(6) भारतीय उत्पादों की क्वालिटी में सुधार करना और उन्हें विश्व बाजार में अपेक्षतया और अधिक प्रतियोगी बनाना; और

(7) इस उद्योग के एकीकृत विकास के वास्ते संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू० एन० डी० पी०) की सहायता से एक राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (एन०एल०डी०पी०) भी आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि इस उद्योग में नाजुक अन्तराल समाप्त हो जाए और उसे अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में चुनौतियों का सामना करने के लिए सुदृढ़ किया जाए।

[अनुवाद]

भारत-कजाकिस्तान के बीच संयुक्त उपक्रम

1643. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कजाकिस्तान के साथ कुछ संयुक्त उपक्रम स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक कार्यान्वित किया जागए ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) इस समय सरकार के पास एक मात्र प्रस्ताव जो कजाकिस्ताम के साथ एक संयुक्त उद्यम लगाए जाने के बारे में है वह एक संयुक्त उद्यम बैंक के लिए है।

(ख) कजाकिस्तान के तत्कालीस बाणिज्य उप मंत्री की नवम्बर 1 से 4, 1992 तक की भारत यात्रा के दौराना दोनों पक्षों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे जिसमें वे अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर सहमत हुए थे कि कजाकिस्तान में एक ऐसे भारत-कजाक संयुक्त उद्यम बैंक की स्थापना पर विचार किया जाएगा जिसमें भारत के साथ दीर्घावधि व्यापार से हितबद्ध कुछ उद्यमी और एक कजाक बैंक और भारत की ओर से भारतीय स्टेट बैंक तथा एक्सिम बैंक आफ इण्डिया संवर्धक होंगे। इस संयुक्त उद्यम बैंक के लिए यह परिकल्पना है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग लेन-देनों सहित पूरी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेगा। भारतीय स्टेट बैंक को उक्त संयुक्त उद्यम बैंक के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी बनाने और इसके कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए अभिज्ञात किया गया है। अंतिम पूंजी मात्रा और साझेदारों के बारे में एक विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन के बाद परस्पर सहमति होगी।

(ग) उपरोक्त अभिज्ञात भारतीय साझेदारों ने इस परियोजना के लिए आगे कार्रवाई और परामर्श आरम्भ कर दिए हैं। कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं किया गया है। यह प्रस्ताव व्यवहार्यता के अनुरूप यथा शीघ्र लागू हो जाएगा।

"एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक आफ यू० एस० ए०" से रियायती ऋण

1644. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में 'एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक आफ यू० एस० ए०' ने भारतीय उद्योग को 1.7 बिलियन डालर का रियायती ऋण देने की पेशकेश की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिये गए हैं; और

(ग) इस राशि को किन-किन परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नीचे दिये गये ब्यौरों के अनुसार एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक आफ यू० एस० ए० ने कुल 770.19 मिलियन मूल्य के अमेरिकी डालर के सहायता प्राप्त वित्तपोषण प्रबन्धों पर हस्ताक्षर किये हैं, तथापि, इन ऋणों को पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान इस विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया था।

क्रम संख्या	कम्पनी/बैंक अथवा वित्तीय संस्थान का नाम	करार के दर्ज होने की तारीख	राशि मिलियन (अमरीकी डालर)
1.	एस० बी० आई० कैपिटल मार्किट	22-04-92	10.00
2.	एम० आर० पी० एल०	25-09-92	3.65
3.	ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि०	27-11-92	6.50
4.	एयर इंडिया	5-02-93	600.04
5.	आई० एफ० सी० आई०	18-02-93	50.00
6.	आई० डी० बी० आई०	18-02-93	50.00
7.	आई० सी० आई० सी० आई०	24-02-93	50.00
		जोड़	770.19

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नीचे दिये गये ब्यौरे के अनुसार फरवरी, 1993 तक कुल 45.80 मिलियन मूल्य के अमरीकी डालर के ऋणों अनुमोदन दिये गये हैं। इन ऋणों के लिए ऋण करारों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और शीघ्र ही इन पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	अनुमोदन जारी करने की तारीख	राशि (मिलियन अमरीकी डालर)
1.	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग	6-05-92	30.42
2.	एल० एण्ड टी०	19-08-92	5.06
3.	नेशनल एरोमेटिक्स	30-11-92	10.32
		जोड़	45.80

नौवहन उद्योग द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

1645. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश :** क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत वित्तीय वर्ष के दौरान नौवहन उद्योग द्वारा विदेशी मुद्रा की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) विदेशी मुद्रा आय/बचत में वर्ष दर वर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान नौवहन उद्योग में हुई विदेशी मुद्रा की आय/बचत के ब्यौरे निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं :

(करोड़ रु०)

वर्ष	सकल विदेशी मुद्रा आय/बचत	विदेशी मुद्रा व्यय	निवल विदेशी मुद्रा आय/बचत
1989-90	1943	828	1115
1990-91	2179	1016	1163
1991-92	2428	1070	1358

[हिन्दी]

विद्युत निगमों को ऋण

1646. **श्री गोविन्दराव निकाम :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न बैंकों को यह सुझाव दिया है कि वे घाटे में चल रहे विद्युत निगमों को ऋण उपलब्ध न कराएं;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा विद्युत निगमों को कितनी सहायता देने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने हानि उठाने वाले विद्युत बोर्डों को ऋण न देने के लिए बैंकों को परामर्श नहीं दिया है। तथापि, बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी वित्त, बिजली उत्पादन और वितरण के लिए निर्धारित सूची और प्राप्ति सम्बन्धी मानदन्डों के अनुसार दिया जाता है।

(ग) वर्ष 1992-93 में विद्युत उत्पादन एवं पारेषण में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए 3,070.00 करोड़ रुपए का कुल बजट प्रावधान किया गया है।

सैनिकों की विधवाओं का पुनर्वास

1647. **श्री राम बहल चौधरी :** क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सैनिकों की विधवाओं के लिए पुनर्वास केन्द्र राज्य-वार कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सैनिकों की विधवाओं के पुनर्वास हेतु वर्ष-वार, राज्य-वार कितनी राशि का नियतन किया गया है;

(ग) क्या सरकार को इन केन्द्रों में, विशेषत: बिहार में, व्याप्त कदाचार के सम्बन्ध में कोई शिकायत/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिवंगत सैनिकों की पत्नियों/आश्रितों को प्रशिक्षण देने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं ताकि उनका पुनर्वास हो सके। ऐसे केन्द्रों की राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए कोई अलग वित्तीय आबंटन नहीं किया जाता है। ऐसे केन्द्रों की स्थापना का व्यय केन्द्रीय सैनिक बोर्ड और सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा अपनी कल्याण निधियों में से समान अंश में वहन किया जाता है। वर्ष 1991-92 के दौरान केन्द्रीय सैनिक बोर्ड ने चार व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार के हिस्से के रूप में बिहार राज्य के सैनिक कल्याण निदेशालय को 2.02 लाख रु० अदा किए हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, ऐसे केन्द्र की स्थापना के लिए सहायता देने के लिए किसी अन्य राज्य/संघ शासित राज्य से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

दिवंगत रक्षा कार्मिकों और भूतपूर्व सैनिकों की पत्नियों के लिए पुनर्वास/व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्व उत्पादन केन्द्र

क्र० सं०	राज्य	केन्द्र का स्थान
1	2	3
1.	मिजोरम	ऐजवाल लोंगली

1	2	3
2.	उत्तर प्रदेश	लैंसडाउन रानीखेत पौड़ी गढ़वाल
3.	बिहार	पटना आरा रांची चैबासा
4.	राजस्थान	खरिजा खास तेना इंडरोका सिघासन झुनझुनू
5.	हरियाणा	पंचकुला रेवाड़ी छपरौली दादरी झज्जर हिसार रोहतक
6.	महाराष्ट्र	सतारा

प्रमुख विदेशी मुद्राओं में रुपए का विनिमय मूल्य

1648. **श्री स्वामी सुरेशानन्द** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 और 1 जनवरी, 1993 को मूल्य के रूप में रुपये की क्रय शक्ति में कितने प्रतिशत की कमी आई; और

(ख) विदेशी मुद्रा की तुलना में 1993 में रुपए की क्रय शक्ति और मूल्य में गिरावट आने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, आधार 1965 (1 रुपया = 100 पैसे) के व्युत्क्रम में मापित रुपए का मूल्य दिसम्बर, 1992 में 11 पैसे था।

(ख) रुपए की क्रय शक्ति में गिरावट आने का मुख्य कारण वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में सामान्य वृद्धि होना और अंशत: विदेशी मुद्राओं के मुकाबले रुपए के मूल्य में गिरावट आना रहा है जो कि हमारे भुगतान संतुलन पर पड़ने वाले लगातार दबावों के कारण थी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋणों का वितरण

1649. **श्री रामलखन सिंह यादव :**
डा० लाल बाबू राय :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने बिहार के किसानों को पाइप लाइन और बिजली के मोटर लगाने के लिए पचास हजार रुपये से तीन लाख रुपए तक की राशि के ऋण प्रदान किए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन किसानों के ऋण को माफ करने अथवा पाइप लाइन की खरीद के लिए पचास प्रतिशत राज-सहायता देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) आंकड़ा सूचना प्रणाली में पूछे गए ढंग से सूचना एकत्र नहीं की जाती हैं। अलबत्ता, जून, 1990-91 (नवीनतम उपलब्ध) के अन्त की स्थिति के अनुसार, लघु सिंचाई योजना के लिए बिहार में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों की बकाया राशि लगभग 3 लाख खातों में 151 करोड़ रुपए थी।

(ख) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऋणों को सपाट रूप से बट्टे खाते डालने के हक में नही है। तथापि, भारत सरकार और राज्य सरकारों ने किन्हीं वर्गों के पात्र उधारकर्ताओं को 10,000 रुपए प्रति उधारकर्ता ऋण राहत प्रदान करने के लिए मई, 1990 में एक योजना तैयार की थी। यह योजना पहले ही 31 मार्च, 1991 को समाप्त हो गई है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी

1650. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में कृषि मजदूरों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी क्या है;

(ख) गत प्रत्येक तीन वर्षों में प्रति वर्ष मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों का राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने तथा बंधुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या उठाने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) सरकार द्वारा अब तक प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर संकलित आंकड़ों के अनुसार कृषि मजदूरों की अकुशल श्रेणी के लिए मजदूरी की राज्य-वार न्यूनतम दरों को दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है।

(ख) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान विभिन्न राज्यों में मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है।

(ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें/संघ राज्य

क्षेत्र प्रशासन दोनों ही अपने-अपने क्षेत्र के अन्तर्गत अनुसूचित नियोजनों के लिए मजदूरी की न्यूततम दरों के निर्धारण/संशोधन के लिये समुचित सरकारें हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों को कार्यान्वित करने तथा लागू करने के लिए समुचित सरकार द्वारा प्रवर्तन तन्त्र का गठन किया जाना अपेक्षित है। प्रवर्तन तन्त्र को जब कभी भी अधिनियम के किसी उल्लंघन का पता चलता है तो वह समुचित कार्रवाई करता है।

बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत 25 अक्तूबर, 1975 से पूरे देश में बंधुआ श्रम पद्धति समाप्त कर दी गई है। इस अधिनियम में सभी बंधुआ मजदूरों को बंधित श्रम पद्धति से मुक्त कराने और साथ-साथ उनके ऋणों को समाप्त कर देने की परिकल्पना की गई है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व सम्बन्धित राज्य सरकारों पर है। बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने और उनके पुनर्वास के कार्य को तेज करने के लिये जिला/सब-डिविजनल स्तर पर सतर्कता समितियां गठित की गई हैं।

विवरण-1

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कृषि कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	16.80 रुपये से 23.40 रुपये प्रतिदिन (जोन के अनुसार) (8-4-91)
2.	अरुणाचल प्रदेश	18.00 रुपये से 21.00 रुपये प्रतिदिन (क्षेत्रानुसार) (1-11-90)
3.	असम	978.00 रुपये प्रतिमाह या 828.00 रुपये प्रतिमाह जमा भोजन, आश्रय और वस्त्र (1-2-91)
4.	बिहार	16.50 रुपये प्रतिदिन (16-10-90)
5.	गोवा	22.00 रुपए से 27.50 रुपए प्रतिदिन (5-2-92)
6.	गुजरात	15.00 रुपये प्रतिदिन (1-8-90)
7.	हरियाणा	31.75 रुपए भोजन सहित अथवा 35.75 रुपए बिना भोजन के (1-1-92)

1	2	3
8.	हिमाचल प्रदेश	22.00 रुपए प्रतिदिन (26-1-90)
9.	जम्मू और कश्मीर	15.00 रुपए प्रतिदिन (24-3-89)
10.	कर्नाटक	12.00 रुपए से 17.65 रुपए प्रतिदिन (12-7-88)
11.	केरल	30.00 रुपए प्रतिदिन से 40.20 रुपए प्रतिदिन (31-3-92)
12.	मध्य प्रदेश	20.27 रुपए प्रतिदिन (1-10-91)
13.	महाराष्ट्र	12.00 रुपए से 20.00 रुपए प्रतिदिन (जोन के अनुसार) (1-5-88)
14.	मणिपुर	26.70 रुपए प्रतिदिन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए और 23.70 रुपए प्रतिदिन पहाड़ी क्षेत्रों के अतिरिक्त क्षेत्रों के लिये (1-12-88)
15.	मेघालय	25.00 रुपए प्रतिदिन (1-6-90)
16.	मिजोरम	28.00 रुपए प्रतिदिन (1-11-87)
17	नागालैंड	25.00 रुपए प्रतिदिन (6-7-92)
18.	उड़ीसा	25.00 रुपए प्रतिदिन (1-7-90)
19.	पंजाब	40.23 रुपए भोजन बिना अथवा 36.23 रुपए भोजन सहित (1-3-92)
20.	राजस्थान	22.00 रुपए प्रतिदिन (2-7-90)

1	2	3
21.	सिक्किम	17.00 रुपए प्रतिदिन (1-1-91)
22.	तमिलनाडु	14.00 रुपए प्रतिदिन (3-4-89)
23.	त्रिपुरा	17.80 रुपए प्रतिदिन (1-10-90)
24.	उत्तर प्रदेश	23.00 रुपए प्रतिदिन से 25.00 रुपए प्रतिदिन (7-1-92)
25.	पश्चिमी बंगाल	26.95 रुपए प्रतिदिन 23.75 रुपए जमा दो मुख्य भोजन (1-10-91)
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	27.00 रुपए प्रतिदिन (अण्डमान) 28 00 रुपए प्रतिदिन (निकोबार) (13-8-92)
27.	चंडीगढ़	36.23 रुपए प्रतिदिन भोजन सहित अथवा 40.23 रुपए प्रतिदिन भोजन बिना
28.	दादरा और नगर हवेली	14.00 रुपए प्रतिदिन (5-10-89)
29.	दिल्ली	41.45 रुपए प्रतिदिन (1-2-93)
30	दमण व दीव	18.40 रु० प्रतिदिन से 22.00 रुपए प्रतिदिन (7-2-91)
31.	लक्षद्वीप	18.00 रुपए प्रतिदिन (1-9-88)
32.	पांडिचेरी	
	(i) पांडिचेरी क्षेत्र	14.00 रुपए प्रतिदिन (15-12-89)
	(ii) माहे क्षेत्र	12.00 रुपए प्रतिदिन (12-2-87)

1	2	3
	(iii) यनम क्षेत्र	11.00 रुपए प्रतिदिन (15-3-88)
	(iv) कराइकल	14.00 रुपए प्रतिदिन, वयस्कों के लिये (31-1-90)

टिप्पणी : कोष्ठक में दी गई तिथि वह तिथि है जिससे न्यूनतम मजदूरी लागू हुई है।

विवरण-2

दिनांक 5-3-1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1550 के भाग (ख) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण।

राज्यों के नाम	पता लगाए गए तथा मुक्त किए गए बंधित श्रमिकों की संख्या		
	1989-90	1990-91	19 91-92
1. आंध्र प्रदेश	—	1856	124
2. बिहार	104	33	—
3. कर्नाटक	249	5938	—
4. मध्य प्रदेश	1323	317	80
5. महाराष्ट्र	10	41	—
6. उड़ीसा	1055	108	55
7. राजस्थान	47	126	56
8. तमिलनाडु	59	323	456
9. उत्तर प्रदेश	104	1230	—
10. गुजरात	—	—	—
11. हरियाणा	67	—	—
12. केरल	—	—	—
जोड़	3018	9972	771

[अनुवाद]

शेयर दलालों की न्यूनतम पूंजी आवश्यकता सम्बन्धी मानक नियम

1651. **श्री राम नाईक** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड ने शेयर दलालों की न्यूनतम पूंजी आवश्यकता के सम्बन्ध में मानक नियमों का प्रारूप मुम्बई स्टाक एक्सचेंज तथा अन्य स्टाक एक्सचेंजों के अधिकारियों के पास भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृत कर दिया जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नवम्बर, 1992 में स्टाक एक्सचेंजों को एक टिप्पणी परिचालित की थी जिसमें स्टाक दलालों के लिए पूंजी पर्याप्तता के मानदंडों का उल्लेख किया गया था और एक्सचेंजों से कहा गया था कि इन मानदंडों को अधिमानत: दिसम्बर, 1992 के अन्त तक लागू करें। ये मानदंड अन्य बातों के साथ-साथ बम्बई और कलकत्ता स्थित स्टाक एक्सचेंजों के प्रत्येक सदस्य दलाल के लिये कम से कम 5 लाख रुपए, दिल्ली और अहमदाबाद के लिये 3.5 लाख रुपए और अन्य एक्सचेंजों के लिये 2 लाख रुपए की बुनियादी न्यूनतम पूंजी, व्यवसाय के आकार से सम्बद्ध पूजी और उस फार्म जिसमें इन दो किस्मों की पूंजी को रखा जाना है, से सम्बद्ध हैं। "सेबी" ने सूचित किया है कि किसी भी स्टाक एक्सचेंज ने अभी तक इन मानदंडों का कार्यान्वयन नहीं किया है और उनमें से कुछ ही एक्सचेंजों ने अपने सुझाव इस सम्बन्ध में "सेबी" को भेजे हैं। "सेबी" ने सूचित किया है कि एक्सचेंजों से विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद वह विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगा। पूंजी पर्याप्तता के मानदंड के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण का दायित्व "सेबी" का है क्योंकि यह सांविधिक निकाय है।

अंडमान-कलकत्ता सेवा

1652. **श्री हाराधन राय** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम ने अंडमान-कलकत्ता सेवा को हस्तांतरित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) अंडमान-कलकत्ता सेवा को अंडमान और निकोबार प्रशासन को हस्तांतरित करने के बारे में भारतीय नौवहन निगम अथवा अंडमान और निकोबार प्रशासन ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

योजनाबद्ध ऋण योजना के अन्तर्गत सहायता

1653. **श्री ललित उरांव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्ष 1992-93 के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा विभिन्न वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों तथा विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को योजनाबद्ध ऋण के अधीन प्रदान की गई पुनर्वित्तपोषण सहायता का बैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान बिहार के जनजाति बहुल वन-क्षेत्रों (छोटा नागपुर-संथाल परगना) में उपरोक्त योजना के अन्तर्गत आबंटित और वितरित निधियों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) गत दो वर्षों अर्थात 1990-91 और 1991-92 (अद्यतन उपलब्ध) के दौरान योजनाबद्ध ऋण के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा उपलब्ध कराई गई एजेंसी- वार पुनर्वित्त सहायता को नीचे दर्शाया गया है :

(करोड़ रुपए)

एजेंसी	1990-91	1991-92
राज्य भूमि विकास बैंक	565	658
वाणिज्यिक बैंक	934	952
राज्य सहकारी बैंक	114	149
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	289	295
योग	1,902	2,054

(ख) नाबार्ड की आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गये अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होती है तथा नाबार्ड ने छोटा नागपुर संथाल परगना के आदिवासी क्षेत्र सहित बिहार में 1990-91 और 1991-92 के दौरान क्रमश: 8,108 लाख और 8,947 लाख रुपए की पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराई है ।

बट्टे-खाते में डाले गए ऋण

1654. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश गढ़वाल डिवीजन में गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितनी राशि के ऋण बट्टे खाते में डाले गये;

(ख) क्या इससे राज्य की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है; और

(ग) सरकार द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) बैंक ऋण पात्र उधारकर्ताओं को उनकी वापसी की क्षमता से संतुष्ट होने पर अर्थक्षम आर्थिक कार्यकलाप करने के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। फिर भी, बैंकिंग परिचालनों में विभिन्न कारणों के कुछ ऋणों के अशोध्य हो जाने की सम्भावना रहती है। वापसी के सभी उपाय समाप्त होने के बाद, अपने हितों की रक्षा के लिए, बैंक मुकदमा दायर करने, बैंकों के पास गिरवी रखी प्रतिभूतियों का विक्रय, आदि जैसे कदम उठाते हैं। ऋणों को बट्टे-खाते डालने पर बैंकों द्वारा उनके गुण-दोषों पर प्रत्येक मामले के आधार पर विचार किया जाता है और यह उनके सामान्य बैंकिंग कार्यकलाप का एक भाग है। अधिकृत सूचना प्रणाली से विभिन्न बैंकों द्वारा ऋण को बट्टे-खाते डालने की राशि के बारे में क्षेत्र-वार सूचना प्राप्त नहीं होती है। पृथक्तया, कृषि और ग्रामीण ऋण राहत ए० आर० डी० आर० (योजना, 1990) के अन्तर्गत जो 31 मार्च, 1991 को पहले ही बन्द हो चुकी है, में उत्तर प्रदेश में 1041.85 करोड़ रुपए की राशि बट्टे-खाते डाली गई। गढ़वाल मण्डल के लिए ऐसी ही सूचना उपलब्ध नहीं है। ए० आर० डी० आर योजना ने उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि अग्रिमों की वसूली पर प्रभाव डाला है। राज्य में प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वापसी की प्रतिशतता जून, 1989 के 57.9% की तुलना से वर्ष जून, 1990 के अन्त में 47.9% थी। अनुवर्ती वर्ष जून, 1991 में स्थिति में सुधार हुआ और वसूली 60.9 प्रतिशत हो गई।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी शाखाओं के सम्बन्ध में अलग-अलग कम से कम 60% का ऋण जमा अनुपात प्राप्त करने का परामर्श दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को यह भी सुनिश्चित करने का परामर्श दिया गया है कि ऋण संवितरण में विभिन्न राज्यों के बीच अत्याधिक क्षेत्रीय असमानताओं से बचा जाए और विभिन्न क्षेत्रों में सभी उत्पादक और पहचान किए गए अर्थक्षम प्रस्तावों के लिए ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाएं। मामले की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस० एल० बी० सी०) राज्य सरकारों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

भूतपूर्व सैनिकों को परती भूमि का आबंटन

1655. **डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की विशेष योजना के अन्तर्गत भूतपूर्व रक्षा सेवा कर्मियों को अपने राज्यों में कृषि हेतु परती भूमि आबंटित करने के मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या आबंटन के उपर्युक्त मानदंडों का सभी राज्यों द्वारा पालन किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और वास्तव में किन मानदंडों का पालन किया जा रहा है; और

(घ) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान अभी तक इस योजना के अन्तर्गत कुल कितने आबंटन किये गये और कुल कितना क्षेत्र आबंटित किया गया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भूतपूर्व रक्षा कार्मिकों को परती भूमि के आबंटन के लिए रक्षा मंत्रालय के पास कोई विशेष योजना नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

"सार्क' देशों के साथ व्यापार

1656. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान "सार्क" देशों के बीच एस० डी० आर० और अमरीकी डालर में कितने मूल्य का व्यापार हुआ;

(ख) इन देशों के बीच आदान-प्रदान की गई प्रमुख मदों के नाम क्या हैं और मदवार प्रमुख निर्यातकों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या वर्ष 1991-92 के दौरान सार्क व्यापार में वृद्धि होने की संभावना है; और

(घ) अन्य सार्क देशों के साथ व्यापार को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही हैं ।

(घ) सार्क ग्रुप के सदस्य राष्ट्र सदस्य देशों के बीच अधिमानी व्यापार प्रबन्ध आदि सहित विभिन्न उपायों के जरिये व्यापार बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगा रहे हैं ।

नौवहन उद्योग का राष्ट्रीयकरण

1657. **डा० असीम बाला** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने याचिका समिति द्वारा नौवहन उद्योग के राष्ट्रीयकरण और विकास तथा इसके श्रमिकों और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के बारे में 31 जुलाई, 1989 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई 11वें प्रतिवेदन की सिफारिशों को स्वीकार करके उन्हें कार्यान्वित कर दिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) सरकार ने याचिका समिति की 31 जुलाई, 1989 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई ग्यारहवीं रिपोर्ट की दो सिफारिशों को छोड़कर सभी सिफ़ारिशें स्वीकार कर ली हैं । समिति की सिफारिशों और उनके कार्यान्वयन से सम्बन्धित स्थिति निम्न प्रकार है :

सिफारिशें	स्थिति
1	2
1. यह आरोप लगाया गया था कि भारतीय व्यापारिक बेड़े में कमी से कुल राष्ट्रीय व्यापार में भारतीय नौवहन कम्पनियों के शेयर मे कमी आई। यह सुझाव दिया गया था कि नौवहन उद्योग के विकास एवं विस्तार के लिए आवश्यक विधायी एवं प्रशासनिक उपाय किये जाएं जिससे नाविकों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो।	सरकार ने नौवहन उद्योग का विकास करने के लिए समय-समय पर अनेक कदम उठाए हैं। इनमें लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाना तथा अब निम्नलिखित के लिए दिये जाने वाले स्वतः अनुमोदन शामिल हैं, (क) आफ शोर सप्लाई वैसल्स और क्रूड टैंकरों को छोड़कर वैसल्स का अधिग्रहण। (ख) वैसल्स की बिक्री/अन्य उपायों में वैसल्स को चार्टर आउट करने की अनुमति, चुकता पूंजी (आरक्षित निधि से ली गई पूंजी की राशि को छोड़कर) के दो गुणे तक की सीमा तक आय कर अधिनियम की धारा 33-क ग के अन्तर्गत विशेष आरक्षित निधि तैयार करना जिस पर आय कर से छूट होगी, शामिल हैं। इस तरह सृजित निधियां केवल जहाज खरीदने के लिए उपयोग की जाएंगी। चुनिंदा लाइनर मार्गों पर प्रचालन की छूट आदि अन्य उपाय हैं जिन्हें नौवहन उद्योग के विकास के लिए किया गया है।
2. समिति को पता चला है कि भारतीय नौवहन कम्पनियों की संख्या जो कि 1985 में 72 थी, घटकर अगस्त, 1986 में 35 हो गई। यह भी नोट किया गया था कि नाविकों के लिए उपलब्ध रोजगार, नाविक रोजगार कार्यालय में पंजीकृत नाविकों की संख्या के मुकाबले कम है।	वर्ष 1987 के समापन समय से विश्व नौवहन में मन्दी में सुधार के साथ-साथ भारतीय नौवहन की स्थिति भी सुधरी है। महानिदेशक नौवहन ने नाविकों के लिए रोजगार अवसरों में सुधार लाने की दृष्टि से नाविकों की विनिर्दिष्ट श्रेणियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया है।
3. समिति ने यह पाया कि नौवहन उद्योग में जो संकट 1973 में शुरू हुआ था वह पिछले 14 या 15 वर्षों तक बना रहा है। यह भी सुझाव दिया गया था कि	लाइनर कांफ्रेंस के लिए आचरण संहिता पर यू एन अभिसमय के उपबंधों को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

1	2
यू० एन० लाइनर कोड को प्रभावशाली बनाने के लिए कानून लागू करने की आवश्यकता इसी प्रकार का एक उपाय है।	
4. समिति का यह भी विचार था कि देश के विदेशी व्यापार में शुल्क बल्क कार्गो के 50% को राष्ट्रीय नौवहन हेतु आरक्षित करने के लिए जल्दी ही कानून लागू किया जाए।	सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया। बढ़े हुए भारतीय बेड़े को भारी वित्तीय तथा कार्गो सहायता देने की सरकारी नीति को ध्यान में रखते हुए सरकार समझती है कि भारतीय नौवहन के लिए शुष्क/बल्क कार्गो का 50% आरक्षित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
5. समिति ने यह महसूस किया कि भारतीय बेड़े का विकास तथा सभी मूलभूत सुविधाओं जैसे कि पत्तनों, गोदियों तथा जहाज निर्माण यार्डों का आधुनिकीकरण एक ऐसा दूसरा क्षेत्र है जिस पर विस्तृत ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। समिति चाहेगी कि भारतीय नौवहन उद्योग को विदेशी नौवहन कम्पनियों से कड़ी प्रतियोगिता का मुकाबला करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किये जाएं तथा आठवीं योजना में पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाए।	समिति की सिफारिश को सरकार द्वारा नोट कर लिया गया था। 8वीं योजना कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए पत्तनों, नौवहन तथा जहाज निर्माण क्षेत्र में निम्न प्रकार परिव्यय की व्यवस्था की गई है : क्षेत्र — 8वीं योजना परिव्यय (करोड़ रु०) पत्तन तथा दीपघर — 3273 नौवहन — 3400 जहाज निर्माण — 152
6. समिति ने यह महसूस किया कि एक और क्षेत्र जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है वह है मरम्मत सुविधाओं में वृद्धि करना। समिति ने जोर दिया कि मरम्मत सुविधाओं के लिए 1,600 ड्राई डाक दिनों के इस बड़े अन्तर की जल्द से जल्द समाप्त किया जाए।	यह मन्त्रालय इस बात से पूर्णतः सहमत है कि मरम्मत सुविधाओं के लिए पर्याप्त और तुरन्त वृद्धि की आवश्यकता है। एशियाई विकास बैंक द्वारा अपने तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत एक अध्ययन किया गया था। एशियाई विकास बैंक से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इस बीच मद्रास पत्तन में दो फ्लोटिंग डाक्स का एक जहाज मरम्मत परिसर स्थापित करके जहाज मरम्मत क्षमता में वृद्धि की गई है।

1	2
7. समिति ने नोट किया कि कुल टन भार का लगभग 55% तो पहले से ही सरकार के नियन्त्रणाधीन है। समिति का विचार था कि राष्ट्रीयकरण के इस मामले को खुला रखना चाहिए तथा इसकी उपयुक्त समय पर समीक्षा की जाए।	सरकार की वर्तमान नीति नौवहन उद्योग के राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध है।
8. समिति ने यह सिफारिश भी की थी कि कार्गो पूलिंग प्रणाली जिसे 1983 में बन्द कर दिया गया था, को पुनः लागू करने का सुझाव विचार करने योग्य है। इसकी जांच करके निर्णय किया जाए। समिति ने यह सिफारिश भी की थी कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि नौवहन उद्योग का नियोजित ढंग से विकास किया जाए ताकि नाविकों के लिये रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो जाए।	सरकार ने समिति की सिफारिश पर विचार किया और विभिन्न कारणों को ध्यान में रखते हुए यह समझा कि पूलिंग प्रणाली को पुनः लागू करना व्यवहार्य नहीं होगा। समिति का यह सुझाव कि नौवहन उद्योग को नियोजित ढंग से विकसित किया जाए, को नौवहन उद्योग के विकास से सम्बन्धित नीतियां तैयार करते समय ध्यान में रखा जाता है।

यह ध्यान दिया जाये कि याचिका समिति द्वारा नौवहन, जहाज निर्माण और पत्तन क्षेत्र के लिए की गई अधिकांश सिफारिशें या तो टिप्पणियों के रूप में हैं अथवा सामान्य प्रकार की हैं। इन्हें उपर्युक्त क्षेत्रों के लिये योजना और नीतियां तैयार करते समय ध्यान में रखा गया है।

[हिन्दी]

सोना और चांदी जब्त करना

1650. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान केन्द्रीय सरकार के सीमा शुल्क विभाग और अन्य विभागों द्वारा कुल कितनी मात्रा और मूल्य का सोना और चांदी जब्त किया गया तथा उन दस मामलों का ब्यौरा क्या है जो तत्संबंधी मूल्य के आधार पर सूची में शीर्ष पर हैं; और

(ख) इस प्रकार की जब्ती के लिये सूचना देने वालों और मदद करने वाले अधिकारियों को पुरस्कार देने के लिए क्या मानदंड रखे गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) अगस्त, 1992 से जनवरी, 1993 को छः महीने की अवधि के दौरान सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबन्धों के अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा पकड़े गये सोने एवं चांदी की मात्रा और मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	मात्रा (कि० ग्रा० में)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
सोना	995.726	41.19
चांदी	79950	54.48

मूल्य के आधार पर सूची में सबसे ऊपर आने वाले अभिग्रहण के दस मामलों के ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं और उन्हें सभापटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) मुखबिरों और सरकारी कर्मचारियों को अलग-अलग अभिग्रहण के मामले में पकड़े गए 10 ग्राम सोने के लिए अधिकतम 500 रु० तक और पकड़ी गई प्रति किलोग्राम चांदी के लिए 1000 रु० तक की राशि पुरस्कार के रूप में दी जा सकती है। तथापि, पुरस्कार की वास्तविक रूप से दी जाने वाली राशि बहुत से कारकों पर निर्भर करती है जिनमें दी गई सूचना की विशिष्टता और यथार्थता, उठाया गया जोखिम और कठिनाई, मुखबिर द्वारा दी गई सहायता की सीमा और उसका स्वरूप क्या सूचना में तस्करी में शामिल व्यक्तियों अथवा उनके सहयोगियों आदि के बारे में कोई सुराग दिया गया है, मामले को सुलझाने में सरकारी कर्मचारी द्वारा उठाया गया जोखिम, सूचना प्राप्त करने में उठाई गई कठिनाई, किये गए प्रयास और प्रदर्शित की गई प्रवीणता आदि शामिल हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का विस्तार

1659. **श्री काशीराम राणा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं के विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात के लिए क्या लक्ष्य रखे गए थे;

(ख) इस अवधि के दौरान इन बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं; और

(ग) प्रति व्यक्ति निवेश के राष्ट्रीय औसत की तुलना में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक गुजरात में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किस सीमा तक प्रति व्यक्ति निवेश किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के साथ-साथ समाप्त होने वाली शाखा लाइसेंसिंग नीति, 1985-90 के दौरान गुजरात में बैंक शाखाएं खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था। तथापि, पहचान किए गए केन्द्रों की सूची के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने गुजरात में बैंक शाखाएं खोलने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 151 केन्द्र तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 102 केन्द्र आवंटित किए थे।

(ग) वर्ष 1990 के लिए गुजरात में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का प्रति व्यक्ति निवेश तथा राष्ट्रीय औसत निवेश क्रमशः 327 रुपए तथा 249 रुपए है।

[अनुवाद]

अल्प राशि जमाकर्ताओं को प्रोत्साहन

1660. **श्री अरविन्द तुलसी काम्बले** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में अल्प राशि जमाकर्ताओं को दिये गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान शुरू की गई नई योजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं को अधिक आकर्षक बनाने हेतु कौन से प्रस्ताव विचाराधीन हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) सरकार द्वारा देश में अल्प राशि जमाकर्ताओं को प्रदान किए गए प्रोत्साहनों में निम्नलिखित प्रोत्साहन शामिल हैं :

(i) जमाकर्ता डाकघर आवर्ती जमा खाते में पांच रुपए के गुणजों में मासिक रूप से जमा कर सकता है, बशर्ते कि यह राशि कम से कम दस रुपए हो। 10 रुपए मूल्य वर्ग के खाते का पांच वर्ष बाद परिपक्वता मूल्य 856.40 रुपए है। इस खाते को पांच वर्ष की परिपक्वता के बाद भी जारी रखा जा सकता है। किसी खाते के चालू रहने के दौरान जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने पर कानुनी उत्तराधिकारी अथवा कतिपय शर्तों के तहत नामजद व्यक्ति को पूर्ण परिपक्वता मूल्य की अदायगी की जाती है। निकासी और नामांकन की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ii) डाकघर मासिक आय खाते में जमा पर ब्याज की दर 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष मासिक रूप से देय है। जमा की परिपक्वता—पूर्व निकासी, बिना किसी ब्याज की हानि के, तीन वर्ष बाद अनुमत्य है। छः वर्ष की परिपक्वता के लिए, जमा के 10 प्रतिशत के बराबर बोनस देय होता है। परिपक्वता से पूर्व जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने के मामले में खाता बंद किया जा सकता है और जमा राशि वापसी के महीने से पूर्व तक ब्याज के साथ वापिस कर दी जाती है।

(iii) इन्दिरा विकास पत्र और किसान विकास पत्र में निवेश पांच वर्ष में दुगना हो जाता है। ये पत्र कम मूल्य वर्गों में भी उपलब्ध हैं। इन्दिरा विकास पत्र की खरीद के लिए किसी आवेदन-पत्र की आवश्यकता नहीं है। किसान विकास पत्र के मामलों में ढाई वर्ष के बाद परिपक्वता-पूर्व भुनाना अनुमत्य है।

(ख) सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए जमा योजना 1-1-91 से शुरू की गई थी। यह योजना बैंकों के माध्यम से चलाई जाती है। इस योजना के अन्तर्गत खोले गए खाते में निवेशित सेवा-निवृत्ति लाभ पर 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज मिलता है और यह छमाही आधार पर देय होता है। ब्याज आय को आयकर से छूट प्राप्त है।

राष्ट्रीय बचत योजना, 1992, 1-10-92 से शुरू की गई थी, नई योजना के अन्तर्गत कोई भी खाता एक सौ रुपए से कम जमा से नहीं खोला जाएगा और सभी जमा सौ रुपए के गुणजों में की जाएंगी। इस योजना के अन्तर्गत जमा पर 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुमत्य होगा। खाते को खाता खोलने के वर्ष के अन्त से चार वर्ष की समाप्ति पर बंद किया जा सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 88 और 80ठ के अन्तर्गत कर रियायतें उपलब्ध हैं।

(ग) अल्प बचत योजनाओं पर प्रतिलाभ, तदनुरूपी परिपक्वता की बैंक जमा पर प्रतिलाभ की तुलना में अब काफी अधिक है जिसका कारण बैंक जमा पर देय ब्याज की दर का कम होना है।

बैंकों की नई शाखाएं खोलना

1661. **श्री शोभी प्रासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बैंकों की नई शाखाएं खोलने हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं करती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंक की नई शाखा खोलने के लिए सरकार क्या मानदण्ड अपना रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) चालू शाखा लाइसेंसिंग नीति के लिए बैंकों की नई शाखाएं खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। ऐसा सम्भव नहीं है क्योंकि नई शाखाओं का खोला जाना आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता के साथ-साथ केन्द्र की व्यापार संभाव्यता जैसे विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत ऐसे बैंक जो संशोधित पूंजी पर्याप्तता मानदण्ड और विवेकपूर्ण लेखा मानक प्राप्त कर लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना शाखा कार्यालय स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है। तथापि, बैंकों को व्यापार संभाव्यता, सेवा क्षेत्र योजना और प्रस्तावित शाखाओं की कुल अर्थक्षमता जैसे पैरामीटरों को ध्यान में रखना चाहिए।

मिर्चों, हल्दी और अन्य मसालों का निर्यात

1662. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष मदवार कितनी मात्रा में मिर्चों, हल्दी और अन्य मसालों का निर्यात किया गया और वह कितने मूल्य की थी; और

(ख) इन फसलों का उत्पादन करने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने तथा इन मसालों का अधिक निर्यात करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 (जनवरी, 1993 तक) के दौरान लाल मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के निर्यात की मात्रा और मूल्य निम्नानुसार हैं :

(मात्रा : मीटरी टन
(मूल्य : करोड़ रु०)

	1990-91		1991-92		1992-93 (अप्रैल-जनवरी)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1. लाल मिर्च	24534	27.56	33398	97.91	11550	49.31
2. हल्दी	13624	15.48	16569	31.58	12550	30.56
3. अन्य मसाले	71478	199.10	80604	232.55	60040	183.26
जोड़	109636	242.14	130567	362.04	84040	263.13

स्रोत : मसाला बोर्ड

(ख) मसालों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिये मसालों के विकास के लिए एक समेकित केन्द्रीय क्षेत्र कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं—(1) हल्दी, लाल मिर्च और अन्य गौण मसालों की रोपण सामग्री/आधार बीज का उत्पादन, (2) पौध संरक्षण स्प्रेयर्स की आपूर्ति, (3) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में मसालों के लिए प्रदर्शन-सह-प्रोगेनी बागानों की स्थापना, (4) मसालों के फार्मों में प्रसंस्करण के संबंध में किसानों को प्रशिक्षण देना। केन्द्र में कृषि मन्त्रालय के पास आठवीं योजना के दौरान मसालों के समेकित विकास के लिए 150.00 करोड़ रु० के परिव्यय का प्रावधान है। स्पाइसेज बोर्ड ने भी और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के उद्देश्य से लाल मिर्च और अन्य मसालों का निर्यात अधिक मात्रा में करने हेतु विभिन्न उपाय किये हैं। इनमें ये शामिल हैं :

(1) अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के मानकों को पूरा करने के लिये गुणवत्ता मूल्यांकन तथा उन्नयन पर प्रशिक्षण प्रदान करना।

(2) लाल मिर्च सहित मसालों के मूल्य वृद्धि, उत्पादों विशेष रूप से मसाला तेलों का निर्यात बढ़ाना।

(3) मौजूदा बाजारों में बाजार आधार को सुदृढ़ करना और नए बाजारों का पता लगाना।

राष्ट्रीय जल मार्ग का विकास

1663. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कोट्टापुरम से क्विलोन तक राष्ट्रीय जल मार्ग का विकास कार्य आरम्भ कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त जल मार्ग के क्विलोन-त्रिवेन्द्रम अनुभाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) वैस्ट कोस्ट कनाल के कोल्लाम-कोट्टापुरम खंड को दिनांक 1-2-1993 से एक राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया गया है। इस जलमार्ग का विकास एक चरणबद्ध रूप में किया जाएगा। एक सहायक निदेशक की अध्यक्षता में फिलहाल कोचीन में एक फील्ड आफिस खोल दिया गया है और तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये 19 पदों को संस्वीकृति दे दी गई है। प्रथम चरण के रूप में, चम्पाकारा और उद्योग मंडल नहरों के सुधार की एक स्कीम, जिसमें किनारे के बचाव के लिये निकर्षण नौवहन उपकरण और 1.76 करोड़ की अनुमानित लागत से कोचीं-कोलाम रूट पर जोखिम भरे शोलज को हटाने सम्बन्धी एक स्कीम भी आई० डब्ल्यू० ए० आई० ने तैयार की है। आई० डब्ल्यू० ए० आई० ने जलमार्ग के सुधार कार्य के प्रथम चरण के रूप में पहले ही व्यापक स्तर पर जलराशिक सर्वेक्षण शुरू कर दिया है।

(ग) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को सलाह दी गई है कि वह इस बारे में नए सिरे से व्यवहार्यता अध्ययन करे।

असम में ग्रामीण उद्योगों की स्थापना

1664. **श्री प्रबीण डेका** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने असम में ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिये कोई परियोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य के लिये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की भावी योजनाएं क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने सूचित किया है कि वह किसी राज्य विशेष से सम्बन्धित वित्तीय सहायता की योजनाएं नहीं बनाता है। तथापि, वह अपनी पुन-र्वित्त योजनाओं के अन्तर्गत अत्यन्त लघु तथा लघु उद्योग क्षेत्रों को, राज्य वित्तीय निगमों/राज्य औद्योगिक विकास निगमों एवं बैंकों के माध्यम से असम सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता उपलब्ध कराता रहा है।

सिडबी ने पूर्वोत्तर अंचल में रोजगारों का सृजन करने के लिये संवर्धन एवं विकास के कार्य-कलापों के लिये भी कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है। पोषणीय ग्रामीण रोजगार का सृजन करने के लिये, सिडबी ने असम में नलबारी जिले के तामुलपुर ब्लाक को अपनाया है। सिडबी ने उद्यमी विकास कार्यक्रमों (ई० डी० पी०) को भी चलाना शुरू किया है और साथ ही कुक्कुट पालन और सूअर पालन पर एक-एक प्रदर्शन एवं उत्पादन केन्द्र स्थापित किये हैं जिनकी कुल लागत 3.64 लाख रुपये है। इसके अलावा, कताई और बुनाई के लिये प्रशिक्षण और उत्पादन केन्द्रों की स्थापना के लिये सिडबी ने 3 स्वैच्छिक अभिकरणों को 32.03 लाख रुपये भी संवितरित किये हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 को चौड़ा करना

1665. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 31 को उत्तरी सलमारा से तीह चौक तक चौड़ा करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ग) इस पर कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दसवां भारतीय इन्जीनियरिंग व्यापार मेला

1666. **श्री सुबास चन्द्र नायक** :
श्री सी० पी० मदाल गिरियप्पा :
श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित दसवें भारतीय इन्जीनियरिंग व्यापार मेले में भाग लिया;

(ख) भारतीय और जर्मनी की कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने उक्त मेले में भाग लिया था;

(ग) क्या जर्मनी ने इस मेले में सहभागी के रूप में भाग लिया था;

(घ) इस मेले से व्यापार और निर्यात को बढ़ाने हेतु कितनी सहायता मिली है और मेले के दौरान कितने संयुक्त उद्यम समझौता/संयुक्त उद्यम सम्बन्धी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए; और

(च) इस मेले में कुल कितने मूल्य का व्यापार हुआ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जिन 22 देशों ने दसवें भारतीय इन्जीनियरी व्यापार मेले (आई०ई०टी०एफ०) में भाग लिया, वे थे : आस्ट्रिया, कनाडा, चीन, चेक गणराज्य, यूरोपीय समुदाय, संघीय जर्मन गणराज्य, (सहयोगी देश) फिनलैंड, फ्रांस, हंगरी, इजरायल, इटली, जापान, मारीशस, नीदरलैंड, रूसी परिसंघ, स्लोवाक गणराज्य, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, ताइवान, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका।

(ख) 10वें आई० ई० टी० एफ० में करीब 1000 भारतीय कम्पनियों तथा बड़ी संख्या में जर्मन कम्पनियों ने भाग लिया। प्रमुख भारतीय और जर्मन प्रदर्शक कम्पनियों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) जी हां।

(घ) सूचना तथा व्यापार-विनिमय का आदान-प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय और विदेशी कम्पनियों तथा प्रदर्शकों को प्रौद्योगिकी में नवीनतम विकासों के बारे में प्रदर्शन करने तथा सीखने का अवसर प्रदान करने के लिये प्रत्येक एक वर्ष के अन्तराल पर आई० ई० टी० एफ० आयोजित करने का उद्देश्य है।

(ङ) और (च) इस मेले से देश के व्यापार तथा निर्यातों का संवर्धन करने में सहायता मिली है। बड़ी संख्या में विदेशी तथा भारतीय कम्पनियों के भाग लेने से विदेशी और भारतीय व्यापारियों एवं आगंतुकों से काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। कुल मिलाकर दसवें आई० ई० टी० एफ० में करीब एक लाख लोग आए। देश में पर्यटन के लिये भी यह प्रदर्शनी एक बड़ा बढ़ावा था। इस मेले का व्यापार बुक किये गये आदेशों के रूप में 4.39 करोड़ रु० तथा पैदा की गई व्यापार सूचना के रूप में 3035 करोड़ रु० थी। इस मेले के दौरान कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये, जिनमें से मुख्य थे :

— त्रिवेणी इन्जीनियरिंग वर्क्स लि० का जी० ई० सी० अल्सथम के साथ समझौता ज्ञापन।

— खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में ब्रिटेन के साथ 2300 करोड़ रु० के व्यापार के लिये समझौता ज्ञापन।

-- तमिलनाडु में 1.4 बिलियन ड्यूस मार्क का निवेश करने का जर्मन (सहायता) संघ का निर्णय।

— घरेलू उपकरणों के विनिर्माण के लिये गोदरेज जी० ई० टाई-अप।

— जर्मनी के सी० आई० आई तथा बी० डी० आई० एवं कनाडा के सी० आई० आई० सी० एम० ए० के बीच समझौता ज्ञापन।

विवरण

प्रमुख भारतीय प्रदर्शक :

1. भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड (भैल)
2. स्टील अथारिटी आफ इण्डिया (सैल)
3. नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन०टी०पी०सी०)
4. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एच०एम०टी०)
5. डिफैंस रिसर्च एंड डेवलपमैंट कारपोरेशन (डी०आर०डी०ओ०)
6. महानगर टेलीफोन निगम लि० (एम०टी०एन०एल०)
7. इण्डियन स्पेस रिसर्च ओरगनाइजेशन (आई०एस०आर०ओ०)
8. किरलोस्कर आयल इन्जिन लिमि०
9. श्री रामकृष्णा स्टील्स इण्डस्ट्रीज लिमि०
10. टाटा इन्जीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमि० (टेल्को)
11. टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमि० (टिसको)
12. बजाज आटो लिमि०
13. हिन्दुस्तान मोटर लिमि०
14. सीट लिमि०
15. गोदरेज जी०ई० एप्लाइन्सिस लिमि०
16. ग्रीवस कोटन एंड कं० लिमि०
17. ईचर ट्रैक्टर लिमि०
18. डी० सी० एम० टोयटा लिमि०
19. हीरो होण्डा मोटर लिमि०
20. वेस्ट बंगाल इलैक्ट्रोनिक्स इण्डस्ट्री डेवलपमैंट कारपोरेशन लि० (वील)
21. ट्यूब इन्वेस्टमैंट आफ इण्डिया लि०

22. आई०टी०सी० लि०

23. नेशनल कैमिकल लैबोरेटरीज

24. नेशनल इन्फारमेटिक्स सैंटर

प्रमुख जर्मन प्रवर्तक

1. एशिया ब्राउन बोवेरी लिमि० (ए०बी०बी०)

2. बाल्क-डर कावेरी प्रा० लि०

3. सिमेन्स लिमि०

4. लुफ्थांसा जर्मन एयरलाइन्स

5. नोविया इण्टरनेशनल जी०एम०बी०एच०

6. लिपजिगर मैस जी०एम०बी०एच०

7. फार्मोप्लाम जी०एम०बी०एच०

8. फेस्टो के०जी०

9. फ्रीड क्रप ए०जी०

10. क्रिश्चियन गेयर जी०एम०बी०एच०

11. बाल्फ जी०एम०बी०एच० एंड कं०

12. लिन इलैक्ट्रो थर्म जी०एम०बी०एच०

13. रोड एंड स्वार्ज

स्टील फ्लेंजों के निर्यातकों के विरुद्ध कार्यवाही

1667. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी प्रशासन ने स्टील फ्लेंजों को निर्यात करने वाले बीस भारतीय निर्यातकों द्वारा स्टील फ्लेंजों को अमरीका में सस्ती दरों पर बेचे जाने के विरुद्ध जांच करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) संयुक्त राज्य प्रशासन ने भारत से स्टील फ्लेंजों के आयात के लिए एक एंटी-डंपिंग याचिका के उत्तर में एंटी डंपिंग जांच शुरू करने का निर्णय लिया है। याचिका में स्टील फ्लेंजों के 14 भारतीय निर्यातकों के नाम दिये गये हैं। यू० एस० इण्टरनेशनल ट्रेड कमीशन ने 9 फरवरी, 1993 के मामले में प्राथमिक स्वीकारात्मक निश्चय किया है। इसी प्रकार का निश्चय उन्होंने ताईवान से आयातित स्टील फ्लेंजों के बारे में किया है। इस समय कोई भी एंटी-डंपिंग शुल्क नहीं लगाये गये हैं। इण्टरनेशनल ट्रेड कमीशन के निश्चय के परिणामस्वरूप यू० एस० का वाणिज्य विभाग इस मामले में एंटी डंपिंग जांच करता रहेगा।

(ख) यू० एस० ए० में एक सामान्य सुरक्षा प्रवृत्ति देखी गई है और ऐसा एंटी-डंपिंग और काउण्टर-वेलिंग ड्यूटी कार्यों पर दिये गये अधिक विश्वास द्वारा परिलक्षित होता है।

दिल्ली परिवहन निगम की सेवाएं

1668. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह
श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :
श्री सूर्य नारायण यादव :
श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :
श्री केशरी लाल :
श्री जीवन शर्मा :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री राजेश कुमार :
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान दिल्ली परिवहन निगम सेवा के अन्तर्गत कितने एस०टी०ए० परमिट जारी करने का प्रस्ताव है;

(ख) इस वर्ष कितनी डी०टी०सी० बसें शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार को एस०टी०ए० परमिटों के अन्तर्गत चलने वाली बसों से कोई आय होती है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार इन बसों के संचालन को किस प्रकार नियंत्रित करती है;

(च) क्या सरकार का विचार इन बसों में विद्यार्थी पासों को अनुमति देने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) चालू वर्ष के दौरान, दिल्ली परिवहन निगम के अधीन निजी वाहनों के प्रचालनों के लिए कोई रा०प०प्रा० परमिट जारी करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) सरकार ने, दि०प०नि० द्वारा रिप्लेसमेंट खाते के तहत 312 बसों की खरीद के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

(ग) और (घ) राज्य परिवहन प्राधिकरण को केवल परमिट शुल्क के लिए 200 रु० प्रति बस प्राप्त होते हैं।

(ङ) मोटर यान अधिनियम तथा उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के अनुसार राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली ने परमिट में यह शर्त निर्धारित की है कि परमिट धारक अपनी बसें

अनुमोदित समय-सूची और निर्धारित मार्ग पर चलाएगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि लगाई गई प्रत्येक ट्रिप, ट्रिप के लिए नियत समय के भीतर हो।

(च) और (छ) सरकार के समक्ष रा०प०प्रा० परमिटों के तहत प्रचालनरत रेड लाइन और व्हाइट लाइन बसों में रियायती छात्र पासों की अनुमति देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव नहीं है। रियायती छात्र पास दि०प०नि० की सभी साधारण बसों तथा दि०प०नि० के अधीन प्रचालित निजी बसों में मान्य हैं।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

1669. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनिवासी भारतीयों को व्यापार करने तथा भारतीय उत्पादों के निर्यात और विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध कराने की अनुमति देने सम्बन्धी सुविधा प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय अर्थव्यवस्था पर ऐसे उदार उपायों का क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद : (क) और (ख) अनिवासी भारतीयों को एक 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिट या किसी निर्यात शोधन क्षेत्र में यूनिट की स्थापना के लिए प्रत्यावर्तन के आधार पर 100 प्रतिशत तक इक्विटी निवेश की अनुमति है। उन्हें निर्यात (व्यापार) स्टार व्यापार घरानों के रूप में मान्य व्यापारिक कंपनियों में पूरी तरह प्रत्यावर्तन के आधार पर 100 प्रतिशत तक इक्विटी निवेश की भी अनुमति है।

(ग) सरकार द्वारा अनिवासी भारतीय निवेशों को बढ़ावा देने के लिए किए गए विभिन्न उपायों के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया अच्छी रही है। 1990-92 की अवधि के दौरान अनिवासी भारतीयों से प्राप्त एवं स्वीकृत निवेश प्रस्तावों की कुल धनराशि में महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई देती है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

वर्ष	(लाख रुपयों में)
1990	524.00
1991	1,970.00
1992	43,913.00

[अनुवाद]

विमानों की खरीद

1670. **श्री अन्ना जोशी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 और 1992 के दौरान, विमान को खरीदने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए है;

(ख) इनमें से कितने मंजूर किए गए तथा कितने विचाराधीन हैं; और

(ग) विचाराधीन आवेदनों को कब तक मंजूर किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख)

वर्ष	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या	लम्बित
1991	1	1	0
1992	12	2	10

(ग) लम्बित आवेदन पत्रों की जांच की गई है और उन पर अगले वित्तीय वर्ष में विचार किया जाएगा।

आर्थिक स्थिरता तथा भुगतान-संतुलन की समस्याएं

1671. **श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन ने चेतावनी दी है कि आर्थिक स्थिरता तथा भुगतान-संतुलन की समस्याओं को सुलझाने के लिए निर्दिष्ट ढांचागत समायोजनों का निर्धन लोगों के पोषण-संबंधी कल्याण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी नीतियां अपनाई हैं जिससे आर्थिक समायोजन किया जाएगा तथा कमजोर वर्गों को संरक्षण दिया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ? और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) 1992 में आयोजित पोषाहार पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए खाद्य और कृषि संगठन द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों में से एक में यह उल्लेख किया गया है कि जनसंख्या के विभिन्न समूहों की पौषणिक स्थिति बृहत आर्थिक नीति सम्बन्धी निर्णयों द्वारा प्रभावित होती है। ऐसी नीतियां पोषाहार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं यदि वे खाद्य और कृषि क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्रों व गरीबों तथा कमजोर वर्गों के प्रति भेदभाव करती हैं अथवा स्वास्थ्य, शिक्षा, लक्षित खाद्य आर्थिक सहायताओं आदि जैसी सामाजिक सेवाओं में कटौती करती हैं। लेकिन, संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम को इस प्रकार तैयार किया जाए और ऐसे क्रम में रखा जाए तथा/या 'सुरक्षा तंत्र' कार्यक्रम के साथ चलाया जाए ताकि आर्थिक वृद्धि और बृहद-आर्थिक संतुलन प्राप्त करते समय नीतिगत कार्रवाई गरीबों और कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करे।

(ख) से (घ) सुविधा वंचित लोगों के लिए सुविधा पैदा करना और विशेष कठिनाइयों को दूर करते हुए उनकी विपदाओं की रोकथाम करना ही सरकार की नीति के महत्वपूर्ण पहलू रहे हैं।

केन्द्र सरकार के 1993-94 के बजट में इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनेक प्रस्ताव किए गए हैं। राष्ट्रीय नवीकरण निधि के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण, औद्योगिक उपक्रमों की पुनर्संरचना और पुनरुद्धार से प्रभावित कर्मचारियों को सहायता प्रदान किए जाने और स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के अन्तर्गत भुगतानों सहित औद्योगिक उपक्रमों में यौक्तिकीकरण द्वारा प्रभावित कर्मचारियों को मुआवजे का भुगतान करने के लिए प्रस्ताव किए गए हैं। 1992-93 के दौरान राष्ट्रीय नवीकरण निधि के लिए 200 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान को संशोधित अनुमानों में बढ़ाकर 829.66 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। 1993-94 के बजट अनुमानों में राष्ट्रीय नवीकरण निधि के लिए 700 करोड़ रुपए की राशि प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष की तुलना में 1992-94 के दौरान ग्रामीण विकास विभाग के परिव्यय में 62 प्रतिशत की भारी वृद्धि करके 5010 करोड़ रुपए किए जाने का प्रस्ताव है। 1993-94 के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य के परिव्यय में भी क्रमशः 37.6 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि करके 1310 करोड़ रुपए और 60 प्रतिशत की वृद्धि द्वारा 483 करोड़ रुपए किए जाने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार, कल्याण मंत्रालय के परिव्यय को भी 1992-93 में 530 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1993-94 में 630 करोड़ रुपए और एकीकृत बाल विकास सेवाओं के परिव्यय को 60 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 474 करोड़ रुपए किए जाने का प्रस्ताव है। नेहरू रोजगार योजना के लिए 1993-94 के दौरान शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए 74.77 करोड़ रुपए का केन्द्रीय आयोजना परिव्यय किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

काजू का निर्यात

1672. श्री पी० पी० कालियापेरुमल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काजू के निर्यात में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का कौन-सा स्थान है;

(ख) क्या तमिलनाडु में प्रति पेड़ काजू की औसत उपज बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार अधिक उपज देने वाले किस्म के पेड़ों की पौध लगाकर काजू की उपज बढ़ाने अथवा इसमें सुधार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) काजू की गिरी के निर्यात में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की स्थिति अच्छी बनी हुई है।

(ख) और (ग) अन्य राज्यों में काजू की उपज की तुलना में तमिलनाडु में काजू की औसत उपज कम है। कम उपज के महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित हैं।—(1) अधिकांश बागान पुराने हैं। (2) कीड़ों और रोगों से सुरक्षा के लिए पौध-संरक्षण उपायों को विधिवत नहीं अपनाया गया है। (3) भौतिक और रसायनिक पौध संरक्षण उपायों की कमी आदि।

(घ) और (ङ) काजू की गिरी का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा भारत में काजू गिरी के एकीकृत विकास के लिए एक केन्द्रीय सेक्टर कार्यक्रम कार्यान्वित किया

जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, क्लोनल रोपण सामग्री सहित क्षेत्र का विस्तार, उदिभज्ज प्रजनन द्वारा काजू में सुधार और कलम बैंकों का रख-रखाव, व्यापक कीट-नियन्त्रण उपाय जैसे उपाय अपनाये जाते हैं, इसके अतिरिक्त उद्भिज्ज कृषि की लोकप्रियता के लिए पायलट, प्रदर्शन, और काजू सेब से उत्पाद तैयार करना। कृषि मंत्रालय ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान काजू गिरी का एकीकृत विकास के लिए 30 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की है।

निर्यात प्रस्तावों को मंजूरी

1673. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव :**

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात-निर्यात नीति को उदार बनाने के बावजूद निर्यातकों को अपने प्रस्तावों के लिए मंजूरी प्राप्त करने में विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में निर्यातकों ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो मंजूरी देने में विलम्ब से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) यह प्रश्न सम्भवतः मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसों के जारी होने में कभी-कभी विलम्ब हो जाने से सम्बन्धित है।

इस तरह के अग्रिम लाइसेंसों की स्वीकृति के लिए आवेदन पत्रों का जहां मानकीकृत इनपुट-आउटपुट मानदंडों को प्रकाशित किया जा चुका है बिना किसी विलम्ब के निपटान कर दिया जाता है। तथापि, जहां इन मानदंडों को अधिसूचित नहीं किया गया है वहां मानदंडों के निर्धारण लाइसेंस स्वीकृत करने के प्रस्तावों का मूल्यांकन तकनीकी प्राधिकारियों द्वारा खपत आंकड़े, आवेदकों द्वारा प्रस्तुत इनपुट-आउटपुट लागत तथा पहले से ही उपलब्ध पिछले आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। यह, कभी-कभी अपरिहार्य रूप से एक देर लगाने वाली प्रक्रिया बन जाती है। निर्यातकों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं लेकिन उन्हें मात्रा पर आधारित अग्रिम लाइसेंस प्राप्त करने के लिए उत्साहित किया जाता है।

यथासंभव अधिक से अधिक मदों के लिए मानदंड अधिसूचित करने और उनका मानकीकरण करने के लिए सतत और गहन प्रयास किये जा रहे हैं। अभी हाल में केवल इनपुट-आउटपुट और मूल्यवर्द्धन के मानकीकरण में शीघ्रता लाने के उद्देश्य एक विशेष अग्रिम लाइसेंसिंग समिति गठित की गई है।

इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का निर्यात

1674. **श्री हरिन पाठक :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इलेक्ट्रानिक उद्योग हेतु निर्यात नीति और प्रक्रियाओं पर पुनर्विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने माल देने सम्बन्धी वचनों को पूरा करने के लिए बेहतर प्रक्रिया अपनाने और सामान-सेवाओं आदि को सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान किन-किन देशों ने भारतीय इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का आयात किया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) इलेक्ट्रानिक्स सहिस सभी सेक्टरों के लिए निर्यात नीति और क्रियाविधियों की सतत समीक्षा की जा रही है और समय-समय पर उसमें सुधार किए जाते हैं। सरकार ने सुपुर्दगी सम्बन्धी वचनबद्धता को पूरा करने के लिए बेहतर क्रियाविधि और तर्कसंगत सहायता के लिए कई उपाय किये हैं : जैसे इलेक्ट्रानिक उद्योगों के लिए मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसों की शुरुआत। इलेक्ट्रानिक हार्डवेअर टेक्नालोजी पार्क योजना, कुछ थोड़ी-सी मदों के अलावा सभी इलेक्ट्रानिक मदों के स्वतन्त्र रूप से आयात को अनुमति, मात्रा पर आधारित अग्रिम लाइसेंसों में कम्प्यूटर हार्डवेअर उद्योग के लिए मूल्यवर्धन अपेक्षाओं में कमी आदि।

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के आयात का देशवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया हुआ है।

विवरण

इलेक्ट्रानिक सामान के निर्यात का देशवार ब्यौर

वर्ष 1989-90

देश	निर्यात मूल्य
1	2
	(लाख रु० में)
अफगानिस्तान	5.71
अल्जीरिया	—
अर्जेन्टीना	—
आस्ट्रेलिया	211.61
आस्ट्रीया	241.24
बहरीन द्वीप	72.85
बंगलादेश	470.97
बेल्जियम	4.23
लेनिन	0.23
ब्रिटेन	—
बोत्सवाना	1.83
कनाडा	88.54

1	2
कांगो गणराज्य	0.54
चीली	6.05
चीनी ताइपेई	43.11
चीन लोक० गण०	0.01
साइप्रस	12.41
चैकोशलोवाक	625.96
डेनमार्क	33.99
जिबूती	—
मिस्र का अरब गणराज्य	168.21
इथोपिया	49.25
फीनलैण्ड	28.99
फ्रांस	120.66
जर्मन संघीय गणराज्य	556.36
घाना	11.26
यूनान	108.77
हांगकांग	611.00
हंगरी	120.55
इंडोनेशिया	137.57
ईरान	—
ईराक	388.97
आयरलैंड	2.70
इजराइल	3.53
इटली	97.16
आईवरी कोस्ट	5.52
जापान	301.01
जोरडन	10.13
केनिया	105.62
कोरिया डी०पी० गण०	40.01
कोरिया आर०पी०	10.42

1	2
कुवेत	41.30
साइबेरिया	0.60
लीबिया	3.07
मलागासी आर० पी०	—
मलावी	—
मलेशिया	139.89
मालदीव	13.86
माली	0.05
मालीया	0.68
मारीशस	1.43
म्यानमार	—
मैक्सिको	0.22
मोरोक्को	13.79
नेपाल	121.04
नीदर लैण्ड	582.59
न्यू हेब्रीडीस	—
न्यूजीलैंड	6.26
निकारागुआ	—
नाइजीरिया	228.22
नार्वे	5.88
ओमान	145.76
पाकिस्तान	21.50
फिलीपीन्स	1.60
पोलैण्ड	573.00
पुर्तगाल	0.30
कतर	27.88
रियूनियन	0.58
रोमानिया	—
सऊदी अरब	22.61

1	2
सिंगापुर	5970.95
सोलेमन द्वीप समूह	—
स्पेन	70.57
श्रीलंका	61.24
सूडान	79.19
स्वीडन	81.83
स्विटजरलैण्ड	108.69
सीरिया	5.71
तंजानिया गणराज्य	9.07
थाईलैण्ड	49.68
टोगो	0.03
ट्यूनिसिया	2.37
तुर्की	3.18
युगान्डा	3.92
संयुक्त अरब अमीरात	555.12
यू० के०	393.30
यू० एस० ए०	2157.50
यू० एस० एस० आर०	33811.91
वियतनाम गण०	127.05
यमन गणराज्य	37.65
यूगोस्लाविया	174.49
जाम्बिया	196.94
जिम्बाब्वे	37.43
वर्ष 1990-91	
अफगानिस्तान	0.54
अल्जीरिया	0.01
अर्जेन्टीना	0.50
आस्ट्रेलिया	139.02
आस्ट्रीया	85.04

1	2
बहरीन द्वीप समूह	34.52
बंगलादेश	244.92
बेल्जियम	28.42
बेनिन	5.66
भूटान	1.60
बोत्सवाना	0.96
कनाडा	108.89
क्रीमी गणराज्य	4.12
चिली	12.36
चाइनिज थाईपे	78.04
चीन पी० आर० पी०	38.31
साइप्रस	2.55
चैकोसलोवाकिया	390.91
डेनमार्क	36.23
जिबूती	0.88
मिस्र का अरब गणराज्य	71.91
इथोपिया	184.19
फिनलैंड	3.84
फ्रांस	206.95
जर्मन फेड० गणराज्य	730.86
घाना	27.27
यूनान	9.51
हांगकांग	913.12
हंगरी	62.40
इंडोनेशिया	276.78
ईरान	19.08
इराक	134.00
आयरलैंड	7.63
इज़राइल	3.56

1	2
इटली	155.66
आइवरी कोस्ट	4.66
जापान	123.67
जोर्डन	3.96
केन्या	171.89
डी०पी० आर०पी० कोरिया	1.33
कोरिया गण०	14.92
कुवैत	50.03
लाइबेरिया	1.35
लीबिया	1.99
मालागासी गण०	3.21
मलावी	1.60
मलेशिया	229.84
मालदीप	87.75
माली	0.19
माल्टा	0.32
मारिशस	483.63
म्यांमार	1.38
मैक्सिको	2.30
मोरक्को	10.21
नेपाल	63.20
नीदरलैंड	1566.61
न्यू हैब्रेडीस	6.10
न्यूजीलैंड	33.01
निकारागुआ	0.86
नाइजीरिया	449.12
नार्वे	6.66
ओमान	147.45
पाकिस्तान	58.78
फिलिपिन्स	90.15

1	2
पोलैंड	154.08
पुर्तगाल	6.95
कतार	50.10
रियूनियन	0.31
रोमानिया	0.03
साऊदी अरब	44.93
सिंगापुर	6513.71
सोलोमन द्वीप	3.85
स्पेन	159.29
श्रीलंका	58.24
सूडान	0.21
स्वीडन	169.31
स्विटजरलैंड	73.66
सीरिया	13.68
तन्जानिया गण०	35.22
थाइलैंड	89.98
टोगो	8.79
ट्यूनिशिया	2.74
टर्की	511.66
उगान्डा	41.34
संयुक्त अरब अमीरात	431.30
ब्रिटेन	1715.44
संयुक्त राज्य अमेरिका	2460.64
सोवियत संघ	21111.76
वियतनाम सो० गण०	17.90
यमन गण०	4.32
यूगोस्लाविया	100.29
जाम्बिया	175.13
जिम्बाब्वे	107.44

1	2
वर्ष : 1991-92	
अफगानिस्तान	5.81
अल्जीरिया	0.01
अर्जेन्टीना	14.18
आस्ट्रेलिया	230.75
आस्ट्रिया	667.11
बहरीन द्वीप समूह	79.95
बंगलादेश	651.11
बेल्जियम	123.57
बेनिन	0.99
बोत्सवाना	2.66
ब्राजील	121.25
ब्रूनी	3.30
कैमरुन	14.32
कनाडा	174.55
केनरी द्वीप समूह	1.29
कैफरी आर० इ० पी०	9.30
चैनल द्वीप समूह	4.58
चिली	352.87
चाइनिज थाईपे	214.44
चीन गणराज्य पी० आर० पी०]	59.12
कोलम्बिया	0.35
कांगो पी० आर० पी०	1.23
साइप्रस	282.78
चेकोसलोवाकिया	5.33
डेनमार्क	64.42
जिबूती	1.27

1	2
मिस्र का अरब गणराज्य	276.48
इथोपिया	169.27
फिनलैंड	10.76
फ्रांस	331.01
जर्मन फेड गणराज्य	1188.03
घाना	124.22
यूनान	42.55
गिनी	0.99
होन्डूरस	4.26
हांगकांग	2144.45
हंगरी	5.47
आइसलैंड	0.16
इन्डोनेशिया	300.41
ईरान	47.93
आयरलैंड	9.77
इजराइल	9.66
इटली	277.60
आइवरी कोस्ट	12.41
जापान	145.34
जोर्डन	63.87
कंबोडिया लो० गण०	0.99
केनिया	180.09
कोरिया डी० पी० आर०	0.01
कोरिया आर० पी०	16.42
कुवैत	53.28
लेबनान	156.39
मलेशिया गणराज्य	0.76
मालवी	0.141
मलेशिया	1248.11

1	2
मालदीव	3.87
माली	37.85
मार्टिनिक	2.61
मारीशस	281.33
मैक्सिको	2.00
मोरक्को	17.96
मोजाम्बिक	17.92
नामीबिया	2.43
नेपाल	328.23
नीदरलैंड	381.06
न्यूजीलैंड	11.62
नाइजर	1.74
नाइजीरिया	693.43
नार्वे	38.88
ओमान	487.35
पाकिस्तान	50.57
फिलीपीन्स	15.29
पोलैंड	6.64
पुर्तगाल	46.83
कतार	30.81
रियूनियन	0.97
रूमानिया	0.05
रुआन्डा	0.42
सऊदी अरब	241.37
सेनेगल	0.40
सिचेल्स	42.40
सिंगापुर	4593.81
स्पेन	412.12

1	2
श्रीलंका	153.15
सूडान	7.78
सूरीनाम	0.99
स्वाजीलैंड	0.23
स्वीडन	255.38
स्विट्जरलैंड	274.17
सीरिया	11.87
तंजानिया गण०	47.95
थाइलैंड	141.47
टोगो	8.33
टोंगा	0.05
त्रिनिडाड	1.26
टर्की	80.68
यूगांडा	22.18
स० अरब अमीरात	1653.92
ब्रिटेन	4116.79
स० रा० अमरीका	4793.64
उरुग्वे	0 03
सोवियत संघ	31623.86
वियतनाम सोमा० रिप०	294.94
यमन रिप०	51.07
यूगोसलाविया	1.27
जायरे गणराज्य	10.31
जाम्बिया	392.05
जिम्बाब्वे	32.11

(निर्यात आंकड़े का स्रोत : महानिदेशक, वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी, कलकत्ता)

गोआ को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित करना

1675. श्री राम कापसे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ सरकार ने रोनक सिंह समिति द्वारा 200 वर्ग कि० मी० के बारे में दिए गए सुझाव के स्थान पर सम्पूर्ण गोआ को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) रोनक सिंह समिति ने भी सुझाव दिया है कि पूरे गोवा को मुक्त बन्दरगाह होना चाहिए। उसके लिए कितनी भूमि की जरूरत है और उसकी उपलब्धता ही केवल ऐसे कारण हैं जिन पर विचार किया जाना है। मुक्त बन्दरगाह से सम्बन्धित अन्य कानूनी, संवैधानिक, वित्तीय तथा नीतिगत के मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाना है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को बंद करना

1676. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितनी औद्योगिक इकाइयां बन्द पड़ी हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) ये इकाइयां कब से बन्द पड़ी हैं;

(ग) इन इकाइयों के बन्द होने के कारण कितने कर्मचारी और श्रमिक बेरोजगार हो गए; और

(घ) इन इकाइयों को पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कागज मिलों को उत्पाद शुल्क में रियायत

1677. श्री चिन्मयानन्द स्वामी :
डा० गुणवंत राम भाऊ सरोदे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में कागज मिलों को उत्पाद शुल्क में रियायत देने के लिए कतिपय शर्तें रखी हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) कागज पर

उत्पाद शुल्क की रियायती दरें, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 5क (1) के अंतर्गत जारी सामान्य अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ये रियायतें समग्र देश में समान रूप से लागू हैं और उस राज्य पर निर्भर नहीं करती हैं जिसमें कागज की मिलें स्थित हैं। तथापि, अपवादात्मक स्वरूप की परिस्थितियों में, प्रत्येक मामले में धारा 5क (2) के अंतर्गत छूट प्रदायी आदेश जारी किए जा रहे हैं। ऐसे छूट प्रदायी आदेश केवल विनिर्दिष्ट विनिर्माताओं पर लागू होते हैं।

[अनुवाद]

इंटिग्रेटिड गाइडिड मिसाइल डवेलपमेंट कार्यक्रम

1678. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :**
प्रो० के० वी० थामस :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री महेश कनोडिया :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंटिग्रेटिड गाइडिड मिसाइल डवलपमेंट कार्यक्रम कब शुरू किया गया था;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित किए गए मिसाइल तन्त्रों का ब्योरा क्या है और प्रत्येक मिसाइल तंत्र की मारक क्षमता कितनी है;

(ग) प्रत्येक मिसाइल तंत्र के अंतर्गत मिसाइल छोड़ने के सम्बन्ध में अभी तक के सफल और असफल प्रयासों का ब्योरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक मिसाइल तंत्र को सशस्त्र बलों में कब तक शामिल किया जाएगा ?

रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम, जुलाई, 1983 में स्वीकृत किया गया था।

(ख) निम्नलिखित प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का विकास एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है :

पृथ्वी—यह सतह से सतह पर 150 कि० मी० की दूरी तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, जिसकी मारक दूरी को कुछ तरह के युद्ध शीर्षों के मामलों में 250 कि० मी० तक बढ़ाया जा सकता है।

त्रिशूल —यह सतह से आकाश में 9 कि० मी० की दूरी तक मार करने वाला छोटी दूरी का प्रक्षेपास्त्र है।

आकाश—यह सतह से आकाश में 25 कि० मी० की दूरी तक मार करने वाला मध्यम दूरी का प्रक्षेपास्त्र है।

नाग यह 4 कि०मी० की दूरी तक मार करने वाला तीसरी पीढ़ी का टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है।

इस कार्यक्रम में "अग्नि" का विकास भी शामिल है, जो कि एक पुनः प्रवेश प्रौद्योगिकी प्रदर्शक परियोजना है।

(ग) विकास परीक्षणों के भाग के रूप में विभिन्न प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों के कई बार उड़ान परीक्षण किए गए, जिनमें भिन्न-भिन्न रूप में सफलता मिली, जो इस प्रकार है :

पृथ्वी —10 उड़ानें

त्रिशूल —20 उड़ानें

आकाश— 4 उड़ानें

नाग —11 उड़ानें

कुछ उड़ानों में नई उप-प्रणालियां भी शामिल हैं। यदि प्रक्षेपास्त्रों की उड़ान में कुछ विचलन पाया जाता है तो अगली श्रेणी की उड़ानों में सुधार कर लिया जाता है।

(घ) बार-बार के प्रदर्शनों के उत्तम आंकड़ों को देखते हुए आशा है कि "पृथ्वी" और "त्रिशूल" प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों को 1993-94 में सशस्त्र सेनाओं में शामिल कर लिया जाएगा। "आकाश" और "नाग" के विकास का कार्य 1995 तक पूरा हो जाने की आशा है और उसके बाद ही उन दोनों प्रक्षेपास्त्रों को सेनाओं में उपयोग के लिए शामिल किए जाने की संभावना है।

मादक पदार्थों की तस्करी

1679 **श्री राम सिंह कस्वां** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वापक औषध नियन्त्रण ब्यूरो ने पाकिस्तान सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिये एक बड़ा अभियान चलाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1992 तथा 1993 में अब तक जब्त किये गये विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों का मूल्य क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) आसूचना एकत्र करने तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच आसूचना के आदान-प्रदान करने की व्यवस्था को कारगर बनाया गया है। विभिन्न एजेंसियों के प्रवर्तन अधिकारियों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुछ प्रवर्तन एजेंसियों को उपकरण भी दिये गये हैं ताकि सीमा क्षेत्रों पर गतिशीलता तथा संचार सुविधाओं को बढ़ाया जा सके। 21-22 दिसम्बर, 1992 को सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों, जिनका क्षेत्राधिकार भारत-पाक सीमा पर है, की एक अन्तर एजेंसी बैठक स्वापक नियन्त्रण ब्यूरो द्वारा दिल्ली में आयोजित की गई जहां कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच आसूचना के आदान-प्रदान पर जोर दिया गया तथा रूपात्मकता तैयार की गई।

(ग) स्वापक औषध जो प्रायः अनिर्धारित रसायन मात्रा तथा मिश्रण के होते है तथा जिन्हें नष्ट किया जाना होता है, का सही मूल्यांकन सम्भव नहीं है।

नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध

1680. **श्री सी० श्रीनिवासन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सभी स्तरों पर विभिन्न विभागों में नई नियुक्तियों/बहालियों पर रोक लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सरकारी व्यय को कम करने के लिये अन्य क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सरकारी नौकरियों में भर्ती पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी किसी तरह के सामान्य आदेश जारी करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) सरकारी खर्चे को नियन्त्रित करना एक सतत प्रक्रिया है। खर्चे में किफायत बरतने अथवा फिजूल के खर्चे से बचने हेतु विशिष्ट उपाय किये जाने के बारे में समय-समय पर अनुदेश जारी किये जाते हैं। सरकार द्वारा पहले से ही किये गये उपायों में ये उपाय शामिल हैं—प्रथम श्रेणी की हवाई यात्रा करने पर रोक, दौरे पर होने के दौरान होटल के कमरों के सेट में ठहरने पर रोक, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये जाने में हवाई यात्रा तथा ए० सी० सी० प्रथम श्रेणी से यात्रा करने पर रोक, घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय—दोनों तरह की यात्राओं पर 20% की समग्र कटौती; पेट्रोल/डीजल की खपत/व्यय में कटौती; समयोपरि भत्ते के व्यय पर प्रतिबन्ध तथा 10% टेलीफोन लाइनें वापस करना, सम्मेलनों/सेमिनारों/कार्यशालाओं, मनोरंजनों (उसमें मध्याह्न/रात्रि भोज शामिल हैं), वाहनों की खरीद, सजावटी रोशनियों पर प्रतिबन्ध तथा बिजली की खपत आदि के व्यय में कटौती करना।

गैर सरकारी भविष्य निधि, सेवानिवृत्त और उपदान निधियों में संशोधन

1681. **श्रीमती भावना चिखलिया :**
डा० रमेश चन्द्र तोमर :
श्री रति लाल वर्मा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न गैर सनकारी भविष्य निधि, सेवानिवृत्त और उपदान निधियों की निवेश पद्धति में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) भविष्य निधि, अधिवर्षिता और उपदान निधियों के लिये निवेश पद्धति 1 अप्रैल, 1993 से संशोधित की गई है। भारत सरकार की विशेष जमा योजना में अब किये जाने वाले निवेश 85 प्रतिशत से कम करके 70 प्रतिशत कर दिया गया है। इस कटौती के परिणामस्वरूप 15 प्रतिशत प्राप्त उपलब्धि को बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं के बाण्डों/प्रतिभूतियों में निवेश

किया जा सकता है। राज्य सरकार की प्रतिभूतियों केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा गारंटीशुदा प्रतिभूतियों में निवेश 15 प्रतिशत ही रहेगा।

(ग) संशोधित पद्धति से निधियों को अपनी आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी ताकि 1-4-93 से अंशदाताओं को वर्ष के आरम्भ में अन्य शेषों के स्थान पर, जैसा कि वर्तमान में है, मासिक चालू शेषों के आधार पर ब्याज अदा किया जा सके।

केरल में बैंकों का ऋण-जमा अनुपात

1682. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में बैंकों में ऋण-जमा अनुपात सभी अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों की तुलना में बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) सितम्बर, 1992 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार केरल और सभी अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात नीचे दिया गया है :

राज्य	ऋण जमा अनुपात %
केरल	49.5
आंध्र प्रदेश	78.9
कर्नाटक	80.6
तमिलनाडु	88.7
लक्षद्वीप	7.7
पाण्डिचेरी	43.7
अखिल भारत	58.6

(ख) और (ग) किसी क्षेत्र विशेष में ऋण संवितरण आर्थिक कार्यकलाप, उद्यमवृत्ति, कच्चे माल की उपलब्धता और अन्य आधारभूत सुविधाओं, निवेश के अवसर और उस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति जैसे विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है। तथापि, बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह सुनिश्चित करने का परामर्श दिया गया है कि ऋण संवितरण में विभिन्न राज्यों के बीच अत्यधिक क्षेत्रीय असमानताओं को कम किया जाये और विभिन्न क्षेत्रों में सभी उत्पादक और पहचान किये गये अर्थक्षम प्रस्तावों के लिये ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिये कदम उठाये जाएं।

[हिन्दी]

भारतीय सेना के अस्पतालों में विदेशी सैनिकों तथा सैन्य अधिकारियों का उपचार

1683. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश-वार कितने विदेशी सैनिक तथा सैन्य अधिकारी सेना के अस्पतालों में उपचार के लिये भारत आये थे; और

(ख) उन पर, वर्ष-वार कितनी धन-राशि खर्च की गई ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :

वर्ष	अधिकारियों की संख्या	खर्च की गई राशि
1991	46	33,587
1992	39	30,107

विदेशों में रोजगार के अवसर

1684. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेरोजगार व्यक्तियों को सहायतार्थ विकसित देशों में तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में रोजगार तथा स्व-रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है अथवा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के विशेषज्ञों की कोई समिति गठित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) विदेशों में रोजगार के लिये व्यक्तियों को बाहर भेजने का कार्य करने के लिये उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत श्रम मन्त्रालय द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किये जाते हैं। बेरोजगार भारतीय कर्मकारों को विदेशों में नौकरी देने के लिये कोई भी योजना, मंत्रालय के अधीन ना ही चल रही है/ना ही विचाराधीन है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रीमियम शेयर इशूज के मुक्त बाजार मूल्य निर्धारण

1685. श्री सोमजीभाई डामोर :

श्री राजवीर सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रीमियम इशूज के बारे में पूंजी बाजार में मुक्त बाजार मूल्य निर्धारण सम्बन्धी सरकार की नीतियों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने प्रीमियम इशूज के बाजार मूल्य के सम्बन्ध में कोई सीमाएं निर्धारित की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उचित सीमाओं के भीतर कम्पनियों के इक्विटी शेयर के इशूज मूल्य की सीमा निर्धारित करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) . (क) से (घ) उदारीकृत और मुक्त मूल्य वातावरण के अन्तर्गत यह निर्गमकर्त्ता पर छोड़ दिया जाता है कि वह लीड मैनेजर के परामर्श से निर्गम का मूल्य निर्णय करें। अतः प्रीमियम पर किसी प्रकार की उच्चतम सीमा लगाना सम्भव नहीं है। लेकिन, निर्गमकर्त्ताओं में उनके इशूज के अधिक मूल्य निर्धारण की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिये सेबी यह अपेक्षा करती है कि निर्गमकर्त्ता प्रलेख में वह प्रीमियम शामिल करें, जिसे कि पूर्ववर्ती पूजी निर्गम नियंत्रक के फार्मूले के अनुसार तय किया गया हो, कि कौन मूल्य, निवेशकों को स्वयं के लिये मूल्य-निर्धारण के औचित्य के विषय में निर्णय लेने हेतु एक मार्गदर्शक का काम करेगा।

केन्द्रीय सड़क निधि

1686. **श्री पी० सी० थामस :**
श्री सूर्य नारायण यादव :
श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर :
श्री अन्ना जोशी :
श्री संतोष कुमार गंगवार :
श्री कोडीकुन्नील सुरेश :
श्री हरिन पाठक :
श्री अनादि चरण दास :

क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 1992-93 के लिये केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत धनराशि की मांग करने के लिए भेजे गए संशोधित प्राक्कलनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य की स्वीकृत की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) वर्ष 1992-93 में राज्य सरकारों से केन्द्रीय सड़क निधि के तहत कोई संशोधित अनुमान प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के तहत अनुमोदित स्कीमों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

(लाख रु०)

क्रम सं०	राज्य का नाम	अनुमोदित स्कीमों की संख्या	अनुमानित लागत	अनुमोदित राशि सी०आर०एफ० के तहत	अनुमोदित राशि राज्य योजना के तहत	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7
			1991-92			
1.	आन्ध्र प्रदेश	3	1321.40	681.40	—*	*640.00 लाख रु० ई एंड आई स्कीम में से पूरे किए जाने हैं।
2.	असम	2	108.12	108.12	—	
3.	बिहार	1	220.00	219.17	0.83	
4.	गुजरात	2	199.325	154.71	44.615	
5.	हरियाणा	2	220.00	220.00	—	
6.	जम्मू एवं कश्मीर	1	80.00	80.00	—	
7.	कर्नाटक	6	270.00	270.00	—	
8.	मध्य प्रदेश	5	215.00	215.00	—	
9.	महाराष्ट्र	42	1770.16	1057.64	712.52	
10.	मेघालय	1	200.00	75.10	124.90	
11.	मिजोरम	3	84.50	56.29	28.21	
12.	उड़ीसा	2	97.90	70.06	27.84	
13.	तमिलनाडु	1	250.00	250.00	—	
14.	त्रिपुरा	1	64.00	25.66	38.34	
15.	पश्चिम बंगाल	1	286.61	166.25	120.36	
	कुल :	73	5387.015	3649.40	1097.615	
			1992-93			
1.	गोवा	1	97.40	70.62	26.78	
2.	हिमाचल प्रदेश	1	43.00	30.49	12.51	

1	2	3	4	5	6	7
3.	सिक्किम	1	86.85	39.17	47.68	
4.	तमिलनाडु	8	343.76	343.76	—	
5.	नागालैंड	1	60.00	53.81	6.19	
6.	उड़ीसा	·1	1109.38	75.65	1033.73	
7.	जम्मू एवं कश्मीर	1	67.50	37.98	29.52	
8.	गुजरात	4	365.00	292.80	*27 20	*45.00 लाख रु० जी आई डी सी द्वारा वहन किए जाने हैं।
	कुल :	18	2172.89	944.28	1183.61	

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए धन

1687. श्री माणिक राव होडल्या गावीत :
श्री नवल किशोर राय :
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :
श्री नीतीश कुमार :
श्री हरिन पाठक :
श्री स्वामी सुरेशानन्द :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान राज्यवार वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव, विकास और मरम्मत के लिये कितनी राशि आबंटित की गई और कितनी जारी की गई; और

(ख) 1993-94 के लिये उक्त कार्य हेतु राज्य-वार कितनी राशि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ग) वर्ष 1992-93 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए आवंटित की गई निधियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। वर्ष 1993-94 के लिए आवंटन को अन्तिम रूप, मंत्रालय की अनुदान-मांग अनुमोदित हो जाने के बाद दिया जाएगा।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास	राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव और मरम्मत
		(लाख रु०)	
1.	आन्ध्र प्रदेश	2800.00	1249.44
2.	अरुणाचल प्रदेश	50.00	35.41
3.	असम	1275.00	956.19
4.	बिहार	1350.00	1055.66
5.	चंडीगढ़	25.00	15.48
6.	दिल्ली	700.00	157.63
7.	गोवा	850.00	168.96
8.	गुजरात	4600.00	851.37
9.	हरियाणा	1020.00	336.01
10.	हिमाचल प्रदेश	1150.00	449.88
11.	जम्मू और कश्मीर	50.09	135.73
12.	कर्नाटक	1850.00	105.00
13.	केरल	1400.00	587.82
14.	मध्य प्रदेश	1800.00	213.25
15.	महाराष्ट्र	3250.00	1417.54
16.	मणिपुर	250.00	70.19
17.	मेघालय	350.00	160.27
18.	नागालैंड	50.00	3.50
19.	उड़ीसा	1375.00	738.02
20.	पांडिचेरी	50.00	5.78
21.	पंजाब	2750.00	616.28
22.	राजस्थान	2800.00	1091.02
23.	तमिलनाडु	1600.00	1134.69
24.	उत्तर प्रदेश	5125.00	1374.96
25.	पश्चिम बंगाल	2200.00	1071.51

दिल्ली में यमुना नदी पर पुल

1688. **श्री सत्यदेव सिंह :**

डा० रमेश चन्द्र तोमर :

क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निकट भविष्य में दिल्ली में यमुना नदी पर सड़क सम्पर्क के लिए कितने पुलों के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) क्या शहरी कला आयोग द्वारा इन पुलों के निर्माण को स्वीकृति दी जा चुकी है; और

(ग) यदि हां, तो इनके निर्माण के लिए समयबद्ध कार्यक्रम सहित इनकी कुल लागत क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार दिल्ली में यमुना नदी पर सड़क सम्पर्क बनाने के लिए तीन पुलों के निर्माण का प्रस्ताव है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

सोने का आयात

1690. **श्री सुधीर गिरि :**

श्री अशोक आनन्दराव देशमुख :

श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :

श्री पूर्णचन्द्र मलिक :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1992 से फरवरी, 1992 तक माहवार कितना सोना आयात किया गया;

(ख) पिछले छह माह में अनिवासी भारतीयों ने कितना सोना आयात किया;

(ग) इस पर कितना सीमा शुल्क प्राप्त हुआ; और

(घ) इस आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) 1992-93 के बजट में घोषित आयात-निर्यात नीति के अन्तर्गत आयातित सोने की मात्रा और इस मद में मार्च, 1992 से फरवरी, 1993 तक माहवार वसूले गए सीमा शुल्क का विवरण इस प्रकार है :

माह	मात्रा (किलोग्राम में)	शुल्क (लाख रुपए में)
1	2	3
मार्च	123.33	55.44
अप्रैल	3227.24	1440.33

1	2	3
मई	8668.07	1916.07
जून	8926.80	1963.37
जुलाई	9226.48	2029.64
अगस्त	12244.06	2693.55
सितम्बर	10484.88	2307.53
अक्तूबर	12549.60	2759.90
नवम्बर	14740.05	3242.71
दिसम्बर	11954.01	2627.78
जनवरी	16677.24	3667.75
फरवरी	12616.76	2773.84
कुल योग	121438.52	27477.91

अनिवासी भारतीयों द्वारा आयातित सोने के अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) सोने की उपरोक्त मात्रा को आयात करने के लिए सरकारी कोष से कोई भी धनराशि खर्च नहीं की गई है।

डी० टी० सी० बसों में बिना टिकट यात्रा

1691. **श्री प्रभूदयाल कठेरिया** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : डी०टी०सी० बसों में कितने व्यक्ति बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए और गत एक वर्ष के दौरान उनसे कितनी राशि वसूल की गई ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : पिछले वर्ष (अर्थात् 1-1-92 से 31-12-92 तक) 4,05,569 व्यक्ति दि०प०नि० की बसों में बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए। उनसे 80,81,556 रु० की राशि वसूल की गई।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को प्राप्त शिकायतें

1692. **श्री बलराज पासी** :

श्री राम कापसे :

श्री मोहन रावले :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) को निवेशकों द्वारा कम्पनियों के विरुद्ध 1992 के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) निवेशकों के हितों की रक्षा करने और भविष्य में ऐसी शिकायतों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए दोषी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को निवेशकों से कम्पनियों के विरुद्ध वर्ष 1992 के दौरान कुल 3,25,115 शिकायतें प्राप्त हुईं।

(ख) यह सूचित किया गया है कि उक्त शिकायतों में से 50,855 शिकायतों का कंपनियों द्वारा निराकरण कर दिया गया है। इसके अलावा, कुछ कंपनियां नियमित रूप से, "सेबी" को अपनी की गई कार्रवाई से अवगत कराए बिना, निवेशकों को शिकायतों का समाधान कर रही हैं। 'सेबी' सम्बद्ध कंपनियों और कंपनी कार्य विभाग जो कंपनी अधिनियम, 1956 को लागू कर रहा है, के साथ मामले पर विचार करके शिकायतों पर कार्रवाई कर रहा है। निवेशकों के हितों की रक्षा के उपाय के तौर पर, 'सेबी' जिन कंपनियों का निष्पादन शिकायतों के निराकरण के सम्बन्ध में संतोषजनक नहीं है, उन्हें स्टाक एक्सचेंजों से पूंजी निर्गमों के लिए उनकी पेशगी निकालने के लिए "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" जारी करने से रोक लगा रहा है। 'सेबी' ने 20 कंपनियों को चेतावनी पत्र भी जारी किया है जिसमें कहा गया है कि यदि सम्बद्ध कंपनी लम्बित शिकायतों का समाधान शीघ्रता से करने में असफल रहती है तो स्टाक एक्सचेंजों को सलाह दी जाएगी कि वे उनकी प्रतिभूतियों को सूची से निकाल दें।

जाली मुद्रा

1693. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को 1 अप्रैल, 1989 से अब तक जाली डालरों और पाउंड के भुगतान के कितने मामलों की जानकारी मिली है; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जीवन बीमा निगम द्वारा सहायता राशि

1694. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** :
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में जीवन बीमा निगम द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमिहीन श्रमिकों और अन्य व्यक्तियों को राज्य-वार कितनी ऋण सहायता प्रदान की गई;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए ; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में किन परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई और वर्ष 1993-94 के दौरान राज्य-वार किन परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल

1695. **श्री वीर सिंह महतो** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लड़कियों के लिए अब तक कितने सैनिक स्कूल खोले गए हैं;

(ख) क्या सरकार के पास ऐसे कुछ और स्कूल खोलने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो ये स्कूल किन-किन स्थानों पर और कब तक खोले जाएंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस समय देश में लड़कियों के लिए कोई सैनिक स्कूल नहीं है।

(ख) और (ग) लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने की कोई योजना नहीं है।

(घ) सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के माध्यम से सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए लड़कों को तैयार करते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में लड़कियों की भरती नहीं किया जाता।

[अनुवाद]

उल्फा के भूतपूर्व सदस्यों का आर्थिक पुनर्वास

1696. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने उल्फा के भूतपूर्व सदस्यों का आर्थिक पुनर्वास करने हेतु कोई योजनाएं तैयार की हैं अथवा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पंजाब और कश्मीर के भूतपूर्व आतंकवादियों के लिए भी इस प्रकार की योजनाएं बनाई जायेंगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि आत्मसमर्पण करने वाले उल्फा के लोगों के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई "विशेष मार्जिन मनी योजना" के अन्तर्गत उनसे प्राप्त ऋण प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं। योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर विचार किया जाता है :

(एक) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार किसी उद्योग में निवेश की जाने वाली राशि 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

(दो) राज्य सरकार 50,000 रुपये की अधिकतम सीमा के साथ योजना के 25% तक की मार्जिन राशि प्रदान करेगी।

(तीन) प्रत्येक मामलों में प्रस्ताव की अर्थक्षमता के आधार पर मंजूरियां की जाएंगी।

(चार) योजना के अन्तर्गत सभी मामलों को असम सरकार की गारंटी (मूलधन और ब्याज) दोनों सहित उपलब्ध होगी।

(पांच) किसी दूसरी संपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर नहीं दिया जाएगा।

(छः) बैंक द्वारा निर्धारित की गई सामान्य ब्याज दरें वसूल की जाएंगी और राज्य सरकार हिताधिकारियों को ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी।

(सात) भारतीय स्टेट बैंक की सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत बैंक की शाखायें इस श्रेणी के उधारकर्ताओं को ऋण देगी।

(ग) और (घ) जहां तक पंजाब राज्य का सम्बन्ध है भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि राज्य सरकार की विशेष रोजगार कार्यक्रमों नामक योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है। इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(एक) अन्य लोगों के साथ-साथ जोधपुर की हवालात में रखे गए और जेलों से रिहा किए जा रहे युवाओं सहित लक्ष्य समूह, पंजाब के अधिवासी जो 18 से 45 वर्ष की आयु समूह के बेरोजगार युवा हों।

(दो) योजना में एक लाख से अधिक निवेश नहीं होना चाहिए।

(तीन) राज्य सरकार सामान्य श्रेणी के लिए 10,000 रुपये की सीमा तक 10% तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 15,000 रुपये की सीमा तक की शर्त पर 15% तक की सब्सिडी प्रदान करेगी

(चार) बैंक ऋण से सृजित परिसंपत्तियों पर पहले चार्ज बैंक का होगा और राज्य सरकार का इन परिसंपत्तियों पर कोई चार्ज नहीं होगा। बैंकों की अपेक्षाओं के अनुसार तीसरी पार्टी की गारंटी संपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त की जाएगी।

(पांच) जिलाधिकारी अपेक्षित सामान्य मार्जिन और राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए अपनी निधियों को लगाएगा।

(छः) सामान्य ब्याज दरें वसूल की जायेंगी।

भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की गई है।

गोपालपुर पत्तन

1697. **श्री लोकनाथ चौधरी :** क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने गोपालपुर पत्तन को प्रमुख पत्तन घोषित करने हेतु केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (**श्री जगदीश टाईटलर**) : (क जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षित बेरोजगार युवक

1698. **श्री नारायण सिंह चौधरी :**

श्री हाराधन राय :

श्री मंजय लाल :

श्री अरविन्द तुलशीराम काम्बले :

क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और 31-12-1992 को विभिन्न रोजगार केन्द्रों में श्रेणीवार और राज्य-वार कितने बेरोजगार युवकों का पंजीकरण किया गया था;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ऐसे कितने युवकों को रोजगार दिया गया; और

(ग) 1993-94 और 1994-95 के दौरान और अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाएंगे ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1990, 1991 और जून, 1992 के अन्त में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वालों, यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, की राज्यवार एवं श्रेणीवार संख्या (अद्यतन उपलब्ध) और 31 दिसम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार कुल नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों को दर्शाने वाला एक विवरण-1 संलग्न है।

(ख) पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्तियों की राज्यवार संख्या विवरण-II में संलग्न है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार पर विशेष बल दिया गया है। योजना में रोजगार सृजन की गति को बढ़ाने के लिए सापेक्षिक रूप से उच्च रोजगार सम्भाव्यता वाले सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा क्षेत्रों की तीव्रतर वृद्धि सहित आर्थिक विकास की उच्च दर की आवश्यकता पर बल दिया गया है। भौगोलिक तथा फसलवार विविधीकृत कृषीय विकास, बंजर भूमि तथा वानिकी का विकास, ग्रामीण-गैर-फार्म क्षेत्र तथा ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं का विकास, लघु तथा विकेन्द्रीकृत विनिर्माण की तीव्रतर वृद्धि तथा आवास का विस्तार योजना में परिकल्पित रोजगारोन्मुख विकास नीति के मूल तत्व हैं। परिकल्पित विभिन्न उपायों से शिक्षित बेरोजगारों को भी लाभ प्राप्त होने की आशा है।

विवरण-1

देश के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वालों की संख्या:

(हजारों में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	दिसंबर, 90 की स्थिति के अनुसार चालू रजिस्टर			दिसंबर, 91 की स्थिति के अनुसार चालू रजिस्टर			जून, 92 की स्थिति के अनुसार चालू रजिस्टर			दिसंबर 92 की स्थिति के अनुसार चालू रजि० योग
	योग	अ०जा०	अ०ज०जा०	योग	अ०जा०	अ०ज०जा०	योग	अ०जा०	अ०ज०जा०	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
राज्य										
1. आंध्र प्रदेश	3005.9	338.9	76.3	3208.7	378.3	79.8	3296.9	402.0	81.5	3330.9
2. अरुणाचल प्रदेश	5.0	उ०न०	उ०न०	5.1	उ०न०	उ०न०	5.4	उ०न०	उ०न०	5.3
3. *असम	1039.9	59.7	99.8	1332.5	72.7	130.2	1347.3	74.5	140.3	1355.1
4. बिहार	3393.7	366.7	201.5	3574.9	387.3	216.1	3597.0	380.0	223.9	3486.8
5. गोवा	92.3	1.1	×	101.9	1.1	×	102.6	1.1	×	108.2
6. गुजरात	952.7	159.4	80.7	982.3	165.7	87.2	987.3	169.4	90.2	1027.0
7. हरियाणा	596.1	101.7	×	667.3	111.0	×	632.6	104.9	×	653.7
8. हिमाचल प्रदेश	441.9	79.1	13.8	464.4	81.4	14.1	470.9	83.9	14.3	472.4
9. जम्मू और कश्मीर	112.2	7.2	×	136.5	7.1	0.1	138.2	7.0	0.2	130.7
10. कर्नाटक	1314.4	142.6	14.9	1456.5	161.4	19.2	1475.8	165.3	21.8	1501.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. केरल	3426.7	307.7	16.5	3722.5	330.9	17.7	3898.3	320.0	17.5	3826.1
12. मध्य प्रदेश	2067.2	251.7	172.1	1990.9	252.4	164.0	1996.7	263.2	171.6	1982.5
13. महाराष्ट्र	3041.9	469.7	97.7	3159.3	494.0	103.0	3247.3	505.3	106.5	3320.7
14. मणिपुर	195.4	1.1	44.9	196.8	1.4	49.2	200.6	1.5	50.5	212.9
15. मेघालय	22.8	0.2	15.7	24.0	0.2	16.1	24.7	0.2	16.1	24.9
16. मिजोरम	36.2	—	36.1	37.0	—	37.0	36.4	—	36.4	36.3
17. नागालैंड	19.9	1.6	18.7	23.0	1.6	19.7	22.9	1.2	20.3	20.6
18. उड़ीसा	863.1	104.0	67.7	903.7	112.5	69.1	907.2	113.5	70.8	896.9
19. पंजाब	656.0	174.8	×	751.4	203.1	×	739.2	205.1	×	721.5
20. राजस्थान	904.3	130.7	61.6	892.6	128.7	59.3	891.8	128.2	57.1	864.7
21. सिक्किम*										
22. तमिलनाडु	3209.1	648.0	12.5	3456.1	709.6	14.8	3665.7	737.8	14.8	3736.7
23. त्रिपुरा	158.9	10.3	11.5	168.4	10.3	11.5	175.3	10.8	12.4	179.7
24. उत्तर प्रदेश	3099.5	538.9	9.8	2767.9	512.0	10.0	2682.5	504.4	10.7	2534.7
25. पश्चिमी बंगाल	4831.1	403.0	79.6	5073.5	423.5	82.4	5169.3	429.7	80.5	5091.2
संघ शासित प्रदेश										
26. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	16.2	—	0.7	17.5	—	0.7	17.2	—	0.7	17.0

27. चंडीगढ़	156.7	40.8	0.1	160.1	41.7	0.1	160.9	42.2	0.1	161.9
28. दादर और नगर हवेली	2.2	0.2	0.9	2.5	0.2	0.9	2.5	0.2	0.9	2.9
29. दिल्ली	843.3	105.2	10.1	890.9	122.7	13.3	904.4	128.6	14.7	905.5
30. दमन और दीव	**	**	**	2.1	0.1	0.2	2.4	0.2	0.3	2.5
31. लक्षद्वीप	5.6	—	5.6	6.3	—	5.7	6.5	—	6.4	6.9
32. पांडिचेरी	121.8	9.4	0.1	125.3	9.5	0.1	125.1	9.5	0.1	130.4
योग	34631.8	4453.5	1148.9	36299.7	4720.1	1221.6	36931.1	4789.3	1260.6	36758.4

टिप्पणी : 1. *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. **आंकड़े नहीं रखे जाते।

3. ×पचास से कम आंकड़े।

4. हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

5. — शून्य

6. उ०न० उपलब्ध नहीं।

विवरण-II

देश के रोजगार कार्यालयों द्वारा की गई नियुक्तियों की संख्या

(हजारों में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	वर्षों के दौरान की गई नियुक्तियां		
	1990	1991	1992
1	2	3	4
राज्य			
1. आंध्र प्रदेश	18.3	15.4	19.1
2. अरुणाचल प्रदेश	—	×	×
3. असम	4.8	4.0	2.7
4. बिहार	16.1	13.0	13.3
5. गोवा	0.8	0.8	1.0
6. गुजरात	16.2	16.2	24.9
7. हरियाणा	7.1	7.3	3.6
8. हिमाचल प्रदेश	6.1	3.8	5.3
9. जम्मू और कश्मीर	0.5	0.7	0.3
10. कर्नाटक	8.2	14.1	10.5
11. केरल	15.4	16.1	15.6
12. मध्य प्रदेश	21.3	14.9	13.1
13. महाराष्ट्र	27.9	29.6	26.9
14. मणिपुर	0.3	0.1	0.1
15. मेघालय	0.6	0.5	0.3
16. मिजोरम	1.0	0.8	0.5
17. नागालैंड	0.4	0.2	0.3
18. उड़ीसा	12.3	7.6	7.1
19. पंजाब	4.8	6.4	5.1
20. राजस्थान	7.6	11.1	12.6

1	2	3	4
21. सिक्किम*			
22. तमिलनाडु	40.2	38.6	30.2
23. त्रिपुरा	0.8	0.4	0.9
24. उत्तर प्रदेश	19.0	17.4	18.9
25. पश्चिम बंगाल	9.1	9.7	7.4
संघ शासित प्रदेश			
26. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.7	0.5	0.6
27. चंडीगढ़	1.3	1.3	1.1
28. दादर और नगर हवेली	—	0.1	0.1
28. दिल्ली	23.4	20.0	16.8
29. दमन और दीव	×	×	×
31. लक्षद्वीप	0.2	0.1	0.1
32. पांडिचेरी	0.3	0.3	0.3
योग	264.5	253.0	238.7

टिप्पणी :—1. *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. ×पचास से कम आंकड़े।

3. **आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

4. यह हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

5. शून्य।

ब्याज का भुगतान और सरकारी खर्च

1699. श्री नवल किशोर राय :

डा० चिन्ता मोहन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्षों के दौरान देश की ब्याज की देनदारी लगातार बढ़ती जा रही है जैसाकि 18 जनवरी, 1993 के 'पॉयनियर' समाचार-पत्र में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त वर्षों के दौरान सरकार के प्रशासनिक और गैर-योजना व्यय में भी लगातार वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान हुए प्रशासनिक व्यय तथा गैर-योजना व्यय का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कम से कम समय में ब्याज की देनदारी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार के वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 संशोधित अनुमान के लिए ब्याज की अदायगी क्रमश: 21,498 करोड़ रुपये, 26,563 करोड़ रुपये और 32,500 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) संविधान के अनुच्छेद 150 के अन्तर्गत निर्धारित लेखा-वर्गीकरण में प्रशासनिक व्यय नामक कोई शीर्ष नहीं है। उस वर्गीकरण में लेन-देन "सामान्य सेवाएं", "सामाजिक सेवाएं" और "आर्थिक सेवाओं" के अधीन दर्ज किये जाते हैं। सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ शीर्षों में इन क्षेत्रों के अन्तर्गत (i) राज्य के अंग, (ii) आय और व्यय पर करों का संग्रहण (iii) संपत्ति और पूंजी लेन-देनों पर करों का संग्रहण, (iv) वस्तुओं और सेवाओं पर कर-संग्रहण, (v) प्रशासनिक सेवाओं को दर्ज किया जाता है। इसके अलावा "सामाजिक सेवाएं" और "आर्थिक सेवाएं" क्षेत्रों में शीर्षों में सचिवालय व्यय दर्ज किया जाता है। इन शीर्षों के अन्तर्गत वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 संशोधित अनुमान में व्यय क्रमश: 3905 करोड़ रुपये, 4083 करोड़ रुपये और 4738 करोड़ रुपए है। इन वर्षों में आयोजना-भिन्न व्यय की राशि क्रमश: 75,941 करोड़ रुपये, 79,136 करोड़ रुपये और 87,753 करोड़ रुपये है।

(ङ) जैसा कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है अधिक ब्याज भार सरकार के ऋण के बढ़ते हुए आकार के कारण है, जिससे स्वत: वर्षानुवर्ष होने वाला बड़ा राजकोषीय घाटा परिलक्षित होता है। लेकिन राजकोषीय घाटे में कमी से और इस प्रकार सरकार के उधारों में कमी होने से इस मद में वृद्धि के 1995-96 तक तेजी से कम हो जाने की संभावना है।

बैटरी बसें

1700. **श्री एच० डी० देवगौडा :**

श्री नीतीश कुमार :

डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अब तक बैटरी से चलने वाली कितनी बसों की खरीद की गई है और इस समय इनमें से कितनी बसें चल रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने दिल्ली में बैटरी से चलने वाली बसों के बेड़े को निजी पार्टियों के हाथ बेचने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन बसों के परिचालन के कारण कुल कितना घाटा हुआ ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) सरकार द्वारा बैटरी से चलने वाली अब तक 112 बसें खरीदी गई हैं। इनमें से इस समय 40 बसें प्रचालन कर रही हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इन बसों के प्रचालन के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान हुआ घाटा निम्न प्रकार है :

वर्ष	राशि (लाख रु०)
1989-90	66.75
1990-91	44.37
1991-92	78.49
कुल :	189.61

[हिन्दी]

शुष्क पत्तन

1701. श्रीमती शीला गौतम : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में शुष्क पत्तनों की स्थापना के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ऐसे शुष्क पत्तन सुविधा प्रदान कर दी गई है; और

(ग) चालू वर्ष में ऐसे शुष्क पत्तन स्थापित करने के लिए किन स्थानों का चयन किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) साधारणतः शुष्क पत्तन का अर्थ है : पोतभार का भंडारण, सीमा-शुल्क निपटारा, भराई/खाली करना, बैंकिंग, स्टीमर एजेंट, फ्रेट-फारवर्ड इत्यादि की सेवाएं जैसी सुविधाओं की व्यवस्था। भारत में ये सुविधाएं विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए इनलैंड कण्टेनर डिपो (आई० सी० डी०) तथा कण्टेनर फ्रेट-स्टेशनों (सी० एफ० एस०) पर दी जा रही हैं।

(ख) जिन स्थानों पर इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशनों की स्थापना की गई है उनको दर्शाने वाला एक विवरण-1 संलग्न है।

(ग) जब कभी भी आई० पी० डी० और सी० एफ० एस० के लिए प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, सरकार उन्हें स्वीकृति देती है। हाल ही में स्वीकृत किए गए कंटेनर फ्रेट स्टेशनों के नामों को दर्शाने वाला एक विवरण-2 संलग्न है।

विवरण-1

इनलैंड कंटेनर डिपो

1. लुधियाना	पंजाब
2. प्रगति मैदान	नई दिल्ली

3. गुंटूर	आंध्र प्रदेश
4. अनापरती	आंध्र प्रदेश
5. हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
6. गुवाहाटी	असम
7. बंगलौर	कर्नाटक
8. पानीपत	हरियाणा
9. मुरादाबाद	उत्तर प्रदेश
10. अहमदाबाद	गुजरात
11. पुणे	महाराष्ट्र
12. वाडीबंदर, बंबई में बंदरगाह के बगल में कंटेनर टर्मिनल	महाराष्ट्र
13. कोयम्बटूर	तमिलनाडु
14. टोंडी आरपेट, मद्रास में बंदरगाह के बगल में कंटेनर टर्मीनल	तमिलनाडु

कंटेनर फ्रेट स्टेशन

1. पटपड़गंज	दिल्ली
2. रोपापुरम, मद्रास (निर्यात के लिए)	तमिलनाडु
3. तिरुवेत्तिपुर, मद्रास (फिलहाल निर्यात के लिए)	तमिलनाडु
4. जे० एन० पी० टी० बंदरगाह	महाराष्ट्र
5. कालमबोली, नई बंबई	महाराष्ट्र
6. भाण्डुप, बम्बई	महाराष्ट्र
7. पुणे	महाराष्ट्र
8. मुलुन्द, बम्बई	महाराष्ट्र
9. हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
10. अहमदाबाद	गुजरात
11. लुधियाना	पंजाब
12. जालंधर	पंजाब
13. अमृतसर (फिलहाल निर्यात के लिए)	पंजाब
14. जयपुर	राजस्थान
15. शालीमार, कलकत्ता	पश्चिम बंगाल

विवरण-2

1. कांडे, कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
2. न्हावा सेवा	महाराष्ट्र
3. टुटीकोरीन	तमिलनाडु
4. टुटीकोरीन	तमिलनाडु
5. कांडला	गुजरात
6. सूरत (निर्यात के लिए)	गुजरात
7. बड़ौदा	गुजरात
8. कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
9. द्रोणगिरी नोड, न्यू बम्बई	महाराष्ट्र
10. दिल्ली	दिल्ली
11. जोधपुर (निर्यात)	राजस्थान

[अनुवाद]

रोमानिया के साथ व्यापार

1702. **डा० परशुराम गंगवार : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोमानिया के साथ दुर्लभ मुद्रा में व्यापार हेतु किए गए करार का ब्यौरा क्या है; और

(ख) यह कब तक शुरू किया जाएगा ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) भारत गणराज्य की सरकार रोमानिया सरकार के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग के करार पर नई दिल्ली में 23 फरवरी, 1993 को हस्ताक्षर किए गये । इस करार की प्रमुख बातें नीचे दी गई हैं :

(1) यह करार अन्तिम रूप से पहली अप्रैल, 1993 को प्रभावी होगा क्योंकि दोनों पक्षों की ओर से इसका औपचारिक अनुमोदन बाकी है । इसमें पारस्परिक सहमति से संशोधन किया जा सकेगा;

(2) दोनों पक्ष अनेक आर्थिक क्रियाकलापों के मामले में द्विपक्षीय व्यापार और सहयोग को बढ़ाने के लिए उपाय करेंगे;

(3) दोनों देश एक-दूसरे को "मोस्ट फेवर्ड नेशन" अर्थात् सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का व्यवहार देंगे;

(4) सभी द्विपक्षीय वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक सौदे, जब तक निश्चित रूप से अन्यथा सहमति न हो तब तक, पूरी तरह परिवर्तनीय मुद्राओं में किए जाएंगे ।

(5) माल और सेवाओं में व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अन्य व्यापारी सहयोग तरीकों के आधार पर भी किया जा सकेगा—उदाहरण के लिए काउंटर ट्रेड अर्थात् प्रति-व्यापार ।

(6) व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से प्रतियोगी शर्तों पर किया जाएगा और दोनों पक्ष दूसरे पक्ष के माल की अनुचित प्रतियोगिता से बचाने के लिए उपाय करेंगे।

(7) दिनांक 31 मार्च, 1993 के पहले होने वाले सभी संविदा और करारों के आधार पर होने वाले सभी भुगतान अभी तक की भांति ही अपरिवर्तनीय भारतीय रुपये में किये जाते रहेंगे। रोमानिया के खाते में व्यापार के आधार पर जमा रुपयों की राशि का रोमानिया भारत से ऐसे माल और सेवाओं के आयात के लिए प्रयोग करेगा जिनके आयात की अनुमति हो।

(8) दोनों पक्ष, आवश्यकता के अनुसार, करार पर अमल करने के लिए एक-दूसरे से परामर्श करेंगे।

(9) भारत-रोमानिया संयुक्त आयोग इस करार के अमल की निश्चित अवधि पर समीक्षा करेगा और इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सिफारिशें करेगा।

(10) यह करार तब तक अनिश्चित काल के लिए प्रभावी रहेगा जब तक कि किसी भी एक पक्ष की ओर से छह महीने का नोटिस देकर इसे समाप्त नहीं कर दिया जाए।

अनिवासी भारतीय के निवेश पर प्रतिभूति घोटाले का प्रभाव

1703 **श्रीमुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान भारत में अनिवासी भारतीय के निवेश पर प्रतिभूति घोटाले का क्या प्रभाव पड़ा; और

(ख) और अधिक अनिवासी भारतीयों को देश में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) विदेशी निवेश के परिवेश का निर्धारण घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिति के नीतिगत ढांचे के अवबोधनों और नीति की दशा, विश्व अर्थव्यवस्था की स्थिति और देश की राजनीतिक परिस्थितियों से अनेक कारणों से किया जाता है। घोटाले की जांच हेतु सरकार द्वारा किये गये दृढ़ प्रयासों और स्टाट बाजार के घोटाले में लिप्त तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के प्रयासों के साथ-साथ स्टाक बाजार में सुधार हेतु किये जाने वाले सतत् प्रयासों से अनिवासी भारतीय निवेशकों के मस्तिष्क में विश्वास पैदा हुआ है।

(ख) हाल ही में गत दिनों सरकार द्वारा जिन विभिन्न उपायों की घोषणा की गई है उनसे आवास और जमीन-जायदाद विकास में अनिवासी भारतीय निवेश को अनुमति देना, निर्यातोन्मुख इकाइयों/स्टार ट्रेडिंग हाउसेज में पूर्ण प्रत्यावर्तन लाभों सहित 100 प्रतिशत निवेश की अनुमति देना शामिल है। उदारीकरण की प्रक्रिया एक सतत् प्रक्रिया है और भविष्य में यह जारी रहेगी।

सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं की भर्ती

1704 **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सशस्त्र सेनाओं को महिलाओं को भर्ती करने के निर्देश दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो सेना के तीनों अंगों द्वारा महिलाओं को भर्ती करने हेतु अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय सेना और वायु सेना में क्रमशः 25 और 30 महिला कैडेट प्रशिक्षण ले रही है, जिसके सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर उन्हें सेना में कमीशन प्रदान किया जायेगा। नौसेना में भी 22 महिला अधिकारियों को भर्ती किया गया है, और वे इस समय व्यावसायिक प्रशिक्षण ले रही हैं।

बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थों के आयात के कारण वित्तीय घाटा

1705. **श्री राम विलास पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान पैट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते हुए आयात के कारण देश के भुगतान सन्तुलन पर समग्र रूप से क्या प्रभाव पड़ा है और इसके परिणामस्वरूप कुल कितना वित्तीय घाटा होने की सम्भावना है; और

(ख) इस स्थिति से निपटने हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) वर्ष 1992-93 में पैट्रोलियम आयातों पर अनुमानित व्यय 6.2 अरब अमरीकी डालर का है। 1992-93 के दौरान भुगतान सन्तुलन के चालू खाते का घाटा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानुमानित, लगभग 7 अरब अमेरिकी डालर का है। पैट्रोलियम उत्पादों का आयात सरकारी बजट के माध्यम से स्वीकृत नहीं होता है। इसलिए, सरकार के वित्तीय घाटे पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है।

(ख) भुगतानसंतुलन की स्थिति को सुधारने और चालू खाते के घाटे को कम करने के लिए जो कदम उठाये गए हैं उनमें व्यापार खाते में पूर्ण रूपान्तरणीयता, उदारीकृत व्यापार नीति प्रणाली वित्तीय विवेक के समनुरूप द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों प्रान्तों से पूंजीगत प्राप्तियां बढ़ाना तथा सीधे विदेशी निवेश आकर्षित करना शामिल है।

स्वैच्छिक सेवा-निवृत्त मांगने वालों को आय कर में छूट

1706. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मद्रास पत्तन न्यास के उन कर्मचारियों को, जो स्वेच्छा से सेवा-निवृत्त हुए थे, को आय कर से छूट प्रदान करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक लिए जाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) सरकार मामले पर विचार कर रही है।

गुजरात में वाणिज्यिक बैंकों की नई शाखाएं खोलना

1707. **श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1992-93 के दौरान तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों की कुछ और नई शाखाएं खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों का चयन किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक शाखाएं खोलने के लिए कोई राज्यवार अथवा वर्षवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं। नयी शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत, जिन बैंकों ने संशोधित पूंजी पर्याप्तता मानक तथा विवेकपूर्ण लेखा मानकों को प्राप्त कर लिया है, उन्हें नवीन शाखाएं स्थापित करने की स्वतन्त्रता दी जाएगी। नयी नीति के अन्तर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक ने गुजरात में वाणिज्यिक बैंकों को उनकी शाखाएं खोलने के लिए 54 ग्रामीण केन्द्रों, 69 शहरी/महानगरीय/पत्तन केन्द्रों को आबंटित किया है। इन केन्द्रों की अवस्थिति संलग्न विवरण में दी गई हैं। जहां तक अर्ध-शहरी केन्द्रों का प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने भिन्न-भिन्न अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को इन केन्द्रों में उनकी शाखाएं खोलने के लिए विनिर्दिष्ट कोटा आबंटित किया है। किसी राज्य के लिए इस प्रकार कोई कोटा नियत नहीं किया गया है।

विवरण

क्र०सं०	केन्द्र/स्थान	क्र०सं०	केन्द्र/स्थान
	जिला : अहमदाबाद	18.	अमेदाबाद (सोमेश्वर काम्प्लेक्स)
1.	वस्त्रपुर	19.	अहमदाबाद
2.	सहकार निकेतन सोसाइटी रोड सोमपुरी के पास	20.	अहमदाबाद
			जिला : भरूच
3.	न्यू क्लाथ मार्केट	21.	भरूच (डांडी बाजार)
4.	सरदार पटेल नगर मार्ग	22.	भरूच (कोटोपोरा दरवाजा वार्ड 8)
5.	एम० आई० लाइब्रेरी के पास	23.	भरूच (अम्बिका नगर)
6.	प्रीतम नगर अखेदर	24.	अंकलेश्वर
7.	आश्रम रोड		**जिला : भावनगर**
8.	वाता औद्योगिक क्षेत्र फेज II	25.	भावनगर
9.	इण्डिया कालोनी के पीछे या नरोट-नरोधा हाइवे	26.	भद्रावल
		27.	हानोई
10.	दक्षिणी सोसाइटी	28.	मालापाड़ा
11.	नगरपालिका औद्योगिक क्षेत्र, पोटाला	29.	पिथवाडी
12.	परिमल क्रासिंग एलिस ब्रिज	30.	कनपार
13.	असर्व नूतन मिल्स	31.	छमारदी
14.	एल०एम०टी० टाकीज के पास		**जिला : जामनगर**
15.	अमेदाबाद	32.	हर्षदपुर
16.	अमेदाबाद (एन०आर०आई० शाखा)	33.	दारेद
17.	अमेदाबाद	34.	सनोसरी

क्र०सं०	केन्द्र/स्थान
35.	वाद पंचसर्ग
36.	ईश्वरिग
37.	सामंग
38.	ध्रेबर
39.	नन्दाना
40.	भोसात
41.	समौर
	जिला : जूनागढ़
42.	जूनागढ़ (वनथाली दरवाजा)
43.	पोरबन्दर (मधावनी कालेज)
44.	पोरबन्दर (राजमहल रोड)
45.	पोरबन्दर (सुभाष नगर)
46.	पोरबन्दर
47.	विरावल (जी०आई०डी०सी० औद्योगिक क्षेत्र)
48.	जामवाला
49.	सोनवार
50.	जरागी
51.	बेदिया
52.	अलीधरा
53.	छोडवादी
	जिला : खेड़ा
54.	नाडियाड (पी०आई०जी० रोड)
55.	नाडियाड (कापड़वंग रोड)
56.	दोडवा
57.	आनंद
58.	सिमरवा
59.	सरखेज
60.	फिनव

क्र०सं०	केन्द्र/स्थान
61.	जयसेन
	जिला : राजकोट
62.	राजकोट (सौराष्ट्रा—कुच स्टाक एक्सचेंज)
63.	डा० याज्ञिक रोड
64.	राजकोट (विवेकानन्द चौक)
65.	राजकोट (आजी इण्डस्ट्रियल एरिया, जी० आई०डी०सी० काम्प्लैक्स)
66.	राजकोट (निर्मल रोड)
67.	राजकोट (विश्वेश्वर महादेव मार्वी रोड, वार्ड नं० 7)
68.	राजकोट
69.	राजकोट (शिवनगर गांदाल रोड)
70.	राजकोट
71.	सुरत (विशाल नगर)
72.	सुरत (मोना भगाई)
73.	सुरत (रिंग रोड)
74.	सुरत (दभोली)
75.	सुरत (अश्वीणी कुमार रोड)
76.	सुरत (कापोद्रा)
77.	सुरत (नवसारी बाजार)
78.	सुरत (उमरा जकाल नाका आठवा लाइन)
79.	सुरत (भतार रोड)
80.	सुरत (तुम्भल आन सुरत बरदोली रोड)
81.	सुरत (माता वाडी, लम्बे हनुमान रोड)
82.	सुरत (सहारा दरवाजा)
83.	सुरत (बेलगांव टावर रंग रोड)
84.	अफवा

क्र०सं०	केन्द्र/स्थान	क्र०सं०	केन्द्र/स्थान
85.	गोजी	107.	हिंदियाना
86.	मासमा	108.	रामपुर
87.	भाटपोर		जिला : अमरोली
88.	मोटा वर्चा	109.	मोटा मचियाला
	जिला : वड़ोदरा	110.	किचा
89.	वड़ोदरा लाल बाग	111.	पिपालवा
90.	वड़ोदरा (आर० एस० वत रोड)	112.	धारेश्वर
91.	वड़ोदरा (जांबाली रोड)	113.	मोता : रिंगानियाला
92.	वड़ोदरा (सयाजी गंज)	114.	मलशराम
93.	वड़ोदरा (वाघोडिया रोड)	115.	कादवासन
94.	वड़ोदरा (आंगन टावर मणिकालपुर)	116.	चारखा
95.	वड़ोदरा (नई डिलक्स सोसाइटी)	117.	भलवान
96.	वड़ोदरा (सुभानपुर)		जिला : गांधीनगर
97.	वड़ोदरा (नई सीमा रोड)	118.	गांधीनगर
98.	वड़ोदरा		जिला : मेहसाना
99.	वड़ोदरा	119.	ऊंझा स्टेशन रोड
100.	वड़ोदरा (गोत्री गायत्री नगर)		जिला : पांच महल्स
101.	वड़ोदरा	120.	सेना दरीगाएन०ए० गारद
	जिला : वलसाव	121.	चावड़ी फाई एन० ए० मुवा
102.	नरवारी (घेलखाड़ी रोड)	122.	बाकर
103.	नारवारी (छापरा रोड)	123.	दाहोद
104.	नारवारी (महाराणी शांता देवी रोड)	124.	रंजीत नगर
	जिला : कुच		जिला : सुरेन्द्र नगर
105.	कांद्रा	125.	वधवां सिटी (डी० आई० डी० सी०)
	जिला : बरीवरा	126.	सुरेन्द्र नगर (जितान रोड)
106.	बमगनाम		

फेरा कम्पनियां

1708. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय चल रहीं "फेरा" कम्पनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इन कम्पनियों द्वारा अर्जित लाभ का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29(1) के संशोधन से फेरा कम्पनी की संकल्पना अब समाप्त हो गई है। सभी भारतीय कम्पनियां इस बात का लिहाज किए बिना कि उनमें विदेशी इक्विटी है या नहीं, के साथ समान बरताव किया जाता है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड

1709. **प्रो० रीता वर्मा** : क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ दक्षिण कोरियाई फर्मों ने जलपोत निर्माण सुविधाओं का आधुनिकीकरण करने हेतु हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कर्नाटक की सड़कों/पुलों के सुधार के लिए विश्व बैंक की सहायता

†1710 **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा** :

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :

क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने हाल के तूफान में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों और पुलों के सुधार हेतु विश्व बैंक की सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितनी सहायता प्राप्त हुई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की सहायता

1711. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** :

श्री संदीपान भगवान थोरात :

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने देश की परियोजनाओं को आर्थिक सहायता देने में गहरी रुचि दिखाई है;

(ख) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से देश में अपने निवेश की कुल राशि और इक्विटी अनुपात बढ़ाने को कहा है जितनी राशि का उसने आश्वासन दिया था;

(ग) यदि हां, तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के कार्यपालक वाइस प्रेजीडेंट के हाल के दौरे के दौरान उनके द्वारा दिए गए आश्वासन यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है;

(घ) उन विशेष परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने रुचि दिखाई है;

(ङ) देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के वर्तमान में परियोजनावार कितनी धनराशि का निवेश किया है और अगले पांच वर्षों में कितना निवेश किये जाने का अनुमान है;

(च) सर्वाधिक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के वाईस प्रेजीडेंट ने अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और विस्तार की दिशा में भारत सरकार की नीतियों और सुधार सम्बन्धी उपायों की प्रशंसा की । इस संदर्भ में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा भारत में किए जाने वाले निवेश के स्तर, जो दक्षिण एशिया में पहले ही सर्वाधिक है, को और अधिक बढ़ाने में रुचि दिखाई ।

(घ) अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने आधारभूत ढांचे और उद्योग क्षेत्रों, विशेषकर विद्युत क्षेत्र में विशेष रुचि दिखाई है ।

(ङ) भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा किए गए निवेश का मौजूदा स्तर 6410 लाख अमरीकी डालर है जिनमें से 1030 लाख अमरीकी डालर की राशि इक्विटी के रूप में है । अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा इस्पात, विद्युत, वस्त्रोद्योग, आधारभूत ढांचा तथा इंजीनियरी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए धन प्रदान किया गया है । भविष्य में वित्तपोषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा बहुत-सी परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है तथा आगामी पांच वर्षों की सहायता राशि की संभावित मात्रा परियोजनाओं के मूल्यांकन तथा सफलता की गति पर निर्भर करेगी ।

(च) अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का विचार छोटे पैमाने की बहुत-सी कंपनियों को सहायता देने का है तथा क्षेत्रों के मामले में निगम विद्युत तथा हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों में निजी निवेश को आकर्षित करने की आशा रखता है । संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देने पर भी विचार किया जा रहा है ।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

1712. **डा. रमेश चन्द्र तोमर :**
श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1990-91, 1991-92 और 1992-93 (28-2-1993 तक) के दौरान

उत्तर प्रदेश से प्राप्त राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास की 269 योजनाएं और उन पर की गई कार्यवाही के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

श्रेणी	प्राप्त	संस्वीकृत	बगैर संस्वीकृत किए संशोधन के लिए लौटाई गई	जांच/स्पष्टीकरण के अधीन
सड़क सुधार कार्य	40	25	13	2
पुल निर्माण कार्य	19	10	8	1
प्रत्येक 25 लाख रु० से कम लागत के कार्यों सहित विविध कार्य	210	107	99	4
जोड़	269	142	120	7

[अनुवाद]

कैन्टोनमेंट बोर्ड

1713. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष में सरकार को कैन्टोनमेंट बोर्ड की कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

छावनी बोर्डों के प्रशासन से सम्बन्धित कुछ सुझाव समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं। उनमें से कुछ-एक ये हैं :

(1) उस अवधि को बढ़ाना जिसके लिए भूमि और भवनों का कर-निर्धारण वैध रहता है।

(2) छावनी क्षेत्रों में लागू एफ०एस०आई० प्रतिबन्धों में ढील, जिससे निर्माण कार्य बढ़ाया जा सके।

(3) छावनी बोर्डों को वित्तीय सहायता में बढ़ोत्तरी।

2. सरकार ऐसे सभी सुझावों पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेती है। ऊपर (1) में दिए गए सुझाव को स्वीकार करना व्यवहार्य नहीं माना गया, क्योंकि ऐसा करने से छावनियों के लगान मूल्यों में बढ़ोत्तरी करने के वैध अधिकार से वे वंचित हो जाएंगे। ऊपर (2) में दिए गए सुझाव के अनुसरण में, वर्तमान एफ० एस० आई० विनियमों के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी गई

है। संसाधनों में कमी के कारण, वित्तीय सहायता के स्तर में बढ़ोत्तरी करने के लिए ऊपर (3) में दिए गए सुझावों को स्वीकार करना सम्भव नहीं हो पाया है।

[अनुवाद]

बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालय

1714. **श्री राजेश कुमार** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का क्षेत्रीय कार्यालय बिहार में है;

(ख) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का क्षेत्रीय कार्यालय गया (बिहार) में स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 30-9-92 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार बिहार में निम्नलिखित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालय थे :

क्र०सं०	बैंक का नाम	केन्द्र
1.	भारतीय स्टेट बैंक	भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, रांची
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	पटना
3.	बेंक आफ बड़ौदा	मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्व सिंहभूम
4.	इलाहाबाद बैंक	भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची
5.	बैंक आफ इण्डिया	भागलपुर, धनबाद, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, मुजफ्फरपुर, सिंहभूम, पटना, सीवान
6.	केनरा बैंक	पटना (मण्डल कार्यालय)
7.	इण्डियन बैंक	पटना
8.	सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया	दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, मोतीहारी (पूर्व चंपारन), पूर्णिया, रांची, सहरसा, सीवान
9.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	पटना, रांची
10.	पंजाब नेशनल बैंक	आरा, दरभंगा, गया (बी), गया (ए), मुजफ्फरपुर, पटना (ए), पटना (बी), रांची
11.	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	कटिहार, पटना (उत्तर बिहार), रांची (दक्षिण बिहार)
12.	यूको बैंक	भागलपुर (मंडलीय कार्यालय), पटना (मंडलीय कार्यालय) रांची (मंडलीय कार्यालय)
13.	सिंडिकेट बैंक	पटना मंडल कार्यालय
14.	न्यू बैंक आफ इण्डिया	पटना

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, नई उदारीकृत नीति के अन्तर्गत, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अंचल/क्षेत्रीय कार्यालयों सहित नियन्त्रक कार्यालय भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना नहीं खुलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को गया में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आंध्र प्रदेश में प्रशिक्षण संस्थान खोलना

1715. **श्री के० वी० आर० चौधरी : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में सशस्त्र बल कर्मियों और पूर्व सैनिकों के लिए नए प्रशिक्षण संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ये संस्थान कहां-कहां खोले जाएंगे; और

(ग) ये संस्थान कब तक खोले जाएंगे ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) नौसेना का आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में एक जल-स्थलीय युद्ध प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव है बशर्ते इसके लिए संसाधन उपलब्ध हो जाएं। इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए कोई समय सीमा बताना सम्भव नहीं है।

स्वापक औषधियों की तस्करी

1716. **श्री हरि सिंह चावड़ा : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों से हथियारों तथा स्वापक औषधियों की तस्करी के कितने मामलों का पता लगाया गया;

(ख) उनसे जब्त की गई स्वापक औषधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में कितने मामले दर्ज किए गए; और

(घ) जब्त की गई स्वापक औषधियों के निपटान का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, गुजरात पुलिस द्वारा कच्छ-पाक सीमा पर हथियारों की तस्करी का एक मामला पता चला है जबकि स्वापक की तस्करी के छः मामले इस अवधि के दौरन पंजीकृत किए गए।

स्वापक मामले	1990—2
	1991—3
	1992—1

(ख) वर्ष 1990 में, कच्छ जिला ढोबराना गांव मुससमा में 2 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई। वर्ष 1991 में, खावड़ा में 281 ग्राम हेरोइन जब्त की गई जबकि मेघपुर, तलखपाट, कच्छ जिले में 18 किलोग्राम चरस जब्त की गई। वर्ष 1992 में कच्छ जिले में भूज पुलिस द्वारा 255.345 किलोग्राम एस० डब्लू० ए० मूल हशीश जब्त की गई।

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस सम्बन्ध में पंजीकृत किए गए मामलों की संख्या 6 (छः) है।

(घ) स्वापक औषध एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न औपचारिकताओं के लम्बित रहने के कारण उपर्युक्त अवधि के दौरान जब्त किए गए नशीले पदार्थों का निपटान नहीं किया गया है।

कॉफी उत्पादकों के लिए ऋण माफी की योजना

1717. **श्री वी० धनंजय कुमार** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कॉफी उत्पादकों को कुल कितनी धनराशि का विकास ऋण स्वीकृत किया गया;

(ख) क्या कॉफी बोर्ड ने कॉफी उत्पादकों के ऋण को तथा दण्डात्मक ब्याज भी माफ करने की सिफारिश की है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के काफी उत्पादकों को स्वीकृत किए गए ऋण की मात्रा निम्नानुसार है

वर्ष	कर्नाटक	केरल	तमिलनाडु
	(लाख रु० में)		
1989-90	445.49	65.11	22.56
1990-91	302.05	34.49	37.49
1991-92	305.70	16.99	21.30

(ख) और (ग) काफी बोर्ड ने प्रति उत्पादक 10,000 रुपए के ऋण को माफ करने तथा उन पर बचे हुए बकाया ऋण को तीन किस्तों में बिना दण्डात्मक ब्याज के भुगतान करने की अनुमति देने की सिफारिश की है। सरकार द्वारा इस प्रस्ताव का अभी तक अनुमोदन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

ब्याज दर ढांचा

1718. **श्री नीतीश कुमार :**
डा० चिन्ता मोहन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंकों के कार्यकरण में सुधार तथा प्राथमिकता क्षेत्र को पुन: परिभाषित करने और रियायती दरों पर ऋण दिया जाना कम करने के सम्बन्ध में नरसिंहम समिति की सिफारिशों को लागू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार प्राथमिकता क्षेत्र को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण के लिए तीन-स्तरीय ब्याज दर ढांचा शुरू करने पर विचार कर रही है जैसा कि 21 नवम्बर, 1992 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) नरसिंहम समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार वित्तीय क्षेत्र में विस्तृत सुधार करने में लगी है। ये बैंकिंग प्रणाली की कार्यनिष्पादन क्षमता और स्वास्थ्य में सुधार के उपायों से सम्बन्धित हैं, जिनमें वाणिज्यिक बैंकों के लिए ऋण की बेहतर उपलब्धता, पूंजी बाजार में सुधार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का पुनर्पूंजीकरण और पूंजी पर्याप्तता की अपेक्षाओं से संबंधित मानदंडों का प्रगामी अंगीकरण शामिल हैं। ये सभी मामले सरकार के विचाराधीन हैं।

(घ) और (ङ) अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, मुद्रा स्फीति की दर, बैंकों द्वारा संसाधन जुटाने की लागत इत्यादि जैसी बहुत-सी बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रिजर्व बैंक उधार दर ढांचा निर्धारित करता है। बैंकों के उधार दर ढांचे को ऋण के आकार से जोड़ते हुए इसे 22 सितम्बर, 1990 से युक्तियुक्त बनाया गया था और क्षेत्र विशेष ब्याज दर निर्धारण को समाप्त कर दिया गया था। संशोधित ढांचे में अल्पावधि और दीर्घावधि ऋण सीमाओं के बीच अन्तर को भी समाप्त कर दिया गया। तथापि, कृषि, लघु उद्योग और 2 गाड़ियों वाले सड़क परिवहन परिचालकों के लिए 25,000 रु० से अधिक के सावधि ऋणों के मामले में रियायती दरें लागू हैं। बैंक ऋणों की लागू वर्तमान ब्याज दरें निम्नानुसार हैं :

ऋण का आकार	ब्याज की दर	प्रतिवर्ष प्रतिशत
	कृषि, लघु उद्योग और सड़क परिवहन परिचालक को सावधि ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्र
(क) 7,500 रु० तक और उसके सहित	11.5	11.5
(ख) 7,500 रु० से अधिक और 25,000 रु० तक	13.5	13.5
(ग) 25,000 रु० से अधिक और 2 लाख रु० तक	15.0	16.5
(घ) 2 लाख रु० से अधिक	15.0 (न्यूनतम)	17.0 (अधिकतम)

[अनुवाद]

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में संशोधन

1719. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के कार्यक्षेत्र से उन एककों को जो अपने कर्मचारियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, अलग करने के लिए इसमें सशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) कर्मचारी राज्य बीमा योजना में न केवल चिकित्सा देख-रेख बल्कि रुग्णता, प्रसूति तथा रोजगार के दौरान लगी चोट जैसी आकस्मिकताओं में नकद लाभों की भी व्यवस्था है। अतः, मात्र बेहतर चिकित्सा देख-रेख के आधार पर किसी इकाई को अलग करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में संशोधन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सरदार सरोवर परियोजना के लिए अनिवासी भारतीय बाण्ड

1720. **डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिसम्बर, 1990 में सरदार सरोवर परियोजना के लिए अनिवासी भारतीय बाण्ड जारी करने के लिये स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त बाण्ड का नाम क्या है और उसकी शर्तें क्या हैं; और

(ग) इन बाण्डों को जारी करने के लिए सरकार ने क्या समय निर्धारित किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उड़ीसा में मंजूर किए गए ऋण

1721. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान वर्ष-वार उड़ीसा में कार्यरत राष्ट्रीयकृत बैंकों में कितनी धनराशि जमा की गई और इन बैंकों द्वारा कितनी धनराशि के ऋण मंजूर किए गए;

(ख) क्या ऋणों के रूप में जो धनराशि वितरित की गई, वह लक्ष्यों के अनुरूप थी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ऋणों की धनराशि में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) मार्च, 1991, मार्च, 1992 और सितम्बर, 1992 (नवीनतम उपलब्ध) के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल जमा राशियां (अन्तर बैंक जमा राशियों को छोड़कर) और बकाया ऋण निम्नलिखित हैं :

	(करोड़ रुपए)	
	जमा राशियां	ऋण
मार्च, 1991	1447	1011
मार्च, 1992	1572	1094
सितम्बर, 1992 (नवीनतम उपलब्ध)	1676	1094

(ख) बैंकों द्वारा ऋण संवितरणों या किसी निर्धारित ऋण-जमा अनुपात के रख-रखाव के लिए कोई राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। बहरहाल, अखिल भारत आधार पर सम्पूर्ण रूप से बैंक के लिए ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं में 60% के ऋण-जमा अनुपात के स्तर को प्राप्त किया जाना हैं।

(ग) उक्त (क) को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

बाम्बे पोर्ट ट्रस्ट पर मत्स्य नौकाएं

1722. **श्री सुधीर सावन्त** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई पत्तन न्यास के अन्तर्गत कितनी मत्स्य नौकाएं घाट का उपयोग कर रही हैं; और

(ख) मुम्बई पत्तन न्यास के मछुआरों/सहकारी संस्थाओं को क्या सुविधाएं प्रदान की हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) बम्बई पत्तन न्यास के अधीन फेरी व्हार्फ में प्रयोग के लिए 1260 फिशिंग वैसल्स पंजीकृत हैं जबकि ससून गोदी में प्रयोग के लिए 1100 फिशिंग वैसल्स पंजीकृत हैं। मछलियों को भूतल पर उतारने, उनकी नीलामी करने, ताजा पानी आदि के लिए सामान्य प्रयोक्ता सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, मछुआरा सहकारी समितियों को मत्स्य जहाजों को ईंधन की आपूर्ति करने के लिए आउट लैट प्रचालित करने की अनुमति दी गई है।

अमरीका स्थित बीमा तथा वित्तीय सेवाओं का भारत में प्रवेश

1723. **श्री गुरूदास कामत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका स्थित बीमा तथा वित्तीय सेवाएं भारतीय बाजार में प्रवेश कर गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में प्रवेश हेतु इन सेवाओं को अनुमति दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान में खानों के श्रमिकों को मजदूरी

1724. श्री भेरू लाल मीणा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों की खानों में काम करने वाले जनजातीय श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित मजदूरी की तुलना में कम मजदूरी दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गये हैं;

(ग) 1989, 1990 और 1991 के दौरान कितनी खानों का निरीक्षण किया गया और कम मजदूरी देने के सम्बन्ध से कितने दावे किये गये;

(घ) क्या इन खानों में अन्य श्रमिक कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए भी उक्त अवधि के दौरान इनका निरीक्षण किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

निर्यात के लिए राज्यों में मंत्रालय

1725. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को निर्यात के लिए मंत्रालय बनाने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वाणिज्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को हाल ही में ऐसा सुझाव दिया है कि निर्यात की देखरेख सम्बन्धी मामले एक ऐसे मंत्री को सौंपे जाएं जिनके पास अलग से एक निर्यात संवर्धन विभाग हो। ऐसा समझा जाता है कि इससे निर्यातक समुदाय के लिए अनुकूल परिस्थिति बनेगी और निर्यात सम्बन्धी मामलों पर ध्यान देने में सहायता मिलेगी।

(ख) राज्य सरकारों से प्रत्युत्तरों की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

आयकर की वसूली के लिए सम्पत्ति की कुर्की

1726. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में आयकर के रूप में एक लाख से अधिक बकाया राशि की वसूली के लिए कितने लोगों की सम्पत्ति की कुर्की कर दी गई है तथा कितने व्यक्तियों पर अभियोग चलाया जा रहा है; और

(ख) 1992 के दौरान तथा 1993 में अब तक कितनी धनराशि की वसूली की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा

1727. डा० सुधीर राय : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) कर्मकारों के लिए विद्यमान सामाजिक सुरक्षा-योजनाओं का दायरा बढ़ाये जाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है जिससे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को इसकी परिधि में लाया जा सके।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य पदार्थों का निर्यात

1728. डा० देवी प्रसाद पाल :

श्री गुरुदास कामत :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय खाद्य पदार्थों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विपणनणीय अधिशेष के रूप में इन मदों की पहचान की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में खाद्यान्नों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ङ) जी, हां। इस समय अनेक खाद्य मदों का निर्यात किया जा रहा है। इनमें शामिल हैं : चावल, मसाले, काजू गिरी, फल तथा सब्जियां, संसाधित खाद्य पदार्थ, मांस तथा मांस उत्पाद और चीनी। सरकार की नीति निर्यातों को इस प्रकार बढ़ावा देने की है कि उत्पादकर्ताओं को परिवर्धित बाजार का लाभ मिले लेकिन जहां तक आम खपत की मदों का सम्बन्ध है उसमें कोई कमी नहीं आए। खाद्यान्न के निर्यात पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। गेहूं का निर्यात सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सीमाओं के अध्यधीन जारी रखने की अनुमति दी जायेगी। बासमती चावल तथा बहुत बढ़िया किस्म के गैर बासमती चावल मुक्त रूप से निर्यातों की भी समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली न्यूनतम निर्यात कीमत के अध्यधीन अनुमति जारी रखी जायेगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 को चार लेनों का बनाना

1729. **डा० बसन्त पवार** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नासिक-मुम्बई राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4) दो-चार लेनों का बनाने के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों में निर्यात संवर्धन क्षेत्र

1730. **डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने निर्यात संवर्धन क्षेत्र हैं;

(ख) इन क्षेत्रों के कार्यों और गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान देश में और अधिक निर्यात सवर्धन क्षेत्र बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) कांडला (गुजरात), सांताक्रुज (महाराष्ट्र), फाल्टा (पश्चिम बंगाल), कोचीन (केरल), मद्रास (तमिलनाडु) तथा नोएडा (उत्तर प्रदेश) में 6 निर्यात संसाधन क्षेत्र प्रचालन में हैं। विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) में सातवां ई०पी०जैड० कार्यान्वयानाधीन है।

(ख) निर्यात संसाधन क्षेत्र निर्यात-उत्पादन के लिए एककों की स्थापना करने के लिए अपेक्षित अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं के साथ अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी, शुल्क मुक्त वातावरण प्रदान करते हैं।

(ग) चालू वर्ष के दौरान सरकार का किसी अन्य निर्यात संसाधन क्षेत्र का विकास करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मुक्त पत्तन सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति

1731. **श्री संदीपान भगवान थोरात** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुक्त पत्तन के सम्बन्ध में गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो मुक्त पत्तन के सम्बन्ध में समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) परामर्शदात्री समिति ने गोवा में एक मुक्त पत्तन के अवस्थापन की सिफारिश की है। तमिलनाडु में तूतीकोरन को पूर्व तट पर इसके मुक्त पत्तन के लिए उपयुक्त स्थल के रूप में सुझाया गया है। रिपोर्ट पर अन्त:मंत्रालयी और अन्त:सरकारी स्तर पर विचार-विमर्श प्रगति पर है लेकिन इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए इस समय कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

कर्नाटक में लिफ्ट सिंचाई के लिए "नाबार्ड" से सहायता

1732. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के कावेरी और कृष्णा लिफ्ट सिंचाई निगमों द्वारा कितनी सिंचाई योजनायें नाबार्ड को स्वीकृति हेतु भेजी गई हैं;

(ख) प्रत्येक योजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या "नाबार्ड" ने किसी योजना को स्वीकृति दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कृष्णा और कावेरी लिफ्ट सिंचाई निगम, कर्नाटक से प्राप्त लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के ब्यौरे तथा नाबार्ड द्वारा मंजूर की गई योजनाएं और उसमें अर्न्तग्रस्त राशि निम्नलिखित है :

(लाख रुपये)

निगम का नाम	नाबार्ड को प्राप्त योजनाओं की संख्या	नाबार्ड द्वारा मंजूर योजनाओं की संख्या	योजनाओं की लागत	बैंक ऋणों की राशि	नाबार्ड द्वारा पुर्नवित्त की राशि
कृष्णा बेसिन लिफ्ट सिंचाई निगम	12	8	819.98	617.59	458.94
कावेरी बेसिन लिफ्ट सिंचाई निगम	30	22	566.13	425.94	327.68

नई परियोजनाओं के लिए वित्तीय संस्थानों की नई वित्तीय वचनबद्धता

1733. **श्री जी० माडे गौडा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार परियोजना निर्यातकों की नकदी की स्थिति में सुधार के मामले में उनकी समस्याओं को कम करने और उनकी नई परियोजनाओं के लिए वित्तीय संस्थानों से नई वित्तीय वचनबद्धता प्राप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) देश में प्रमुख परियोजना निर्यातक लीबिया और इराक में बहुत अधिक बकाया राशि होने की वजह से नकदी की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इन परियोजना निर्यातकों को नकदी की समस्याओं में सुधार लाने की दृष्टि से सरकार विभिन्न स्तरों पर लगातार पहल करती रही है जिससे कि इन दोनों देशों से रुकी हुई धनराशि की वापसी सुनिश्चित हो सके। सरकार को हाल ही में तेल की खरीदारी के जरिए लगभग 10 मिलियन लीबियाई दिनार की स्वदेश वापसी में सफलता मिली है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा इराक पर लगाये गए आर्थिक प्रतिबन्धों की वजह से इराक में रुकी हुई धन राशि की प्रक्रिया अगस्त, 1990 के बाद आस्थगित भुगतान करार के माध्यम से जारी नहीं रखी जा सकी, जिससे कि बाद में परियोजना निर्यातकों की नकदी की समस्याएं और गंभीर हो गई। इस अप्रत्याशित स्थिति का सामना करने के लिए निर्यातकों की नकदी की समस्या में सुधार लाने हेतु तत्काल समाधान की सिफारिश करने के लिए एक कार्यदल गठित किया गया था। कार्यदल की सिफारिशों को सचिवों की समिति ने सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है, बशर्ते कि बजटीय सहायता उपलब्ध हो, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ई०सी०जी०सी० द्वारा किये जाने वाले नकद भुगतान की वह राशि भी शामिल है जो भारत-इराक आस्थगित भुगतान करार के तहत 31-3-92 को बकाया हो गई थी। ई० सी० जी० सी० ने तदनुसार दावों की जांच पड़ताल की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।

[**हिन्दी**]

चीनी का निर्यात

1734. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान कितनी मात्रा में चीनी का निर्यात किया गया;

(ख) क्या यह निर्यात, चीनी की उत्पादन-लागत से भी कम दर पर किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान निर्यात के कारण वर्षवार कितना घाटा हुआ;

(घ) क्या यह निर्यात अपरिहार्य था; और

(ङ) कम दरों पर चीनी का निर्यात करने के लिए क्या कारण हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान निर्यात की गई चीनी की मात्रा नीचे दी गई है :

	मात्रा
1991-92	5.07 लाख एम० टी०
1992-93	3.21 लाख एम० टी०

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

औद्योगिक और वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड में लम्बित मामले

1735. **श्री अनादि चरण दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक और वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा उड़ीसा में जनवरी, 1992 से जनवरी, 1993 तक की अवधि के दौरान कितने रुग्ण औद्योगिक एककों के मामले आरम्भ किये गये; और

(ख) इस बोर्ड द्वारा अब तक निपटाये गये मामलों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) ने सूचित किया है कि उनके पास जनवरी, 1992 से जनवरी, 1993 तक की अवधि के दौरान उड़ीसा की 5 रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां पंजीकृत की गई थीं। इन 5 कम्पनियों की सूची निम्नलिखित है :

1. ईस्ट कोस्ट फर्टीलाइजर्स एंड कैमिकल्स लि०
2. जी० एस० बी० सिरेमिक्स लि०
3. कुन्टिल कम्यूनिकेशन लि०
4. उड़ीसा ड्रग एंड केमिकल्स लि०
5. ईपिट्रोन लि०

इनमें से एक मामले को, तदुपरान्त दावा योग्य न होने के कारण रद्द कर दिया था। शेष चार मामलों पर औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है और वे जांच के विविध चरणों में हैं।

अफीम का निर्यात

1736. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी अफीम का निर्यात किया गया तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान निर्यात की गई अफीम (रस और निरसारण) की मात्रा और मूल्य को दर्शाने वाले आंकड़े निम्नलिखित हैं :

वर्ष	मात्रा (मी० टन)	मूल्य (लाख रुपये)
1989-90	256*	1420**
1990-91	475	2693
1991-92	376	3321

(*) (**)—अनन्तिम

स्रोत—डी० जी० सी० आई० एंड एस० कलकत्ता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा राज्यों को सहायता

1737. **श्री ए० वेंकटेश नायक :**
डा० कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक में प्रत्येक राज्य को आवास निर्माण और मरम्मत के लिए कितना धन दिया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : मकानों के निर्माण तथा उनकी मरम्मत के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को प्रत्यक्ष रूप में उधार नहीं देता है। तथापि राष्ट्रीय आवास बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, आवास वित्त संस्थानों और राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी आवास वित्त समितियों को उनके द्वारा संवितरित पात्र ऋणों के बारे में पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है। अन्य के साथ-साथ, अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों और राज्य स्तरीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक ने 1989 से एक योजना शुरू की है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आवास बैंक की अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए पुनर्वित्त योजना भी है, जिसके तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से संवितरित पात्र आवास ऋणों के सम्बन्ध में प्रायोजक वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से पुनर्वित्त उपलब्ध कराया जाता है। राज्य स्तरीय विकास बैंकों द्वारा उनके पात्र आवास ऋणों के सम्बन्ध में जारी किए गए विशेष ग्रामीण आवास डिबेंचरों (एस० आर० एच० टी०) सहित पात्र प्राथमिक ऋणदाताओं के माध्यम से राष्ट्रीय आवास बैंक की पुनर्वित्त योजना के तहत पिछले तीन वर्षों में संवितरण का ब्यौरा जैसाकि राष्ट्रीय आवास बैंक ने रिपोर्ट किया है, इस प्रकार है :

जुलाई-जून	धनराशि (करोड़ रुपये में)
1990-91	392.24
1991-92	674.14
1992-93 (जनवरी, 93 तक)	246.42

राष्ट्रीय आवास बैंक ने यह भी सूचित किया है कि वर्तमान सूचना प्रणाली से उपर्युक्त सूचना का राज्यवार ब्यौरा प्राप्त नहीं होता है।

[अनुवाद]

आयात के उदारीकरण से निर्यात पर प्रभाव

1738. **श्री प्रकाश वी० पाटील** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वस्तुओं के आयात से उदारीकरण का निर्यात में वृद्धि की गति पर कोई प्रभाव पड़ा है;

(ख) आयात के उदारीकरण के कारण जिन उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई है उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अभी भी आयात का विकल्प प्राप्त करने की नीति का अनुसरण कर रही है; और

(घ) उन उत्पादों का ब्यौरा क्या है जिनका आयात उपयुक्त विकल्प प्राप्त करने में मिली सफलता के कारण कम कर दिया गया है या बन्द कर दिया गया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) निर्यात अनेक कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि निर्यात के लिए बेशी की उपलब्धता कृषि जन्य उत्पाद, औद्योगिक उत्पाद, ऋण की उपलब्धता, मुद्रा स्फीति की दर, घरेलू मांग, घरेलू नीतियां तथा विश्व स्तरीय कारक जैसे कि विश्व व्यापार वातावरण, हमारे व्यापार भागीदार देशों में आर्थिक वातावरण, हमारे उत्पादों की बाहरी मांग इत्यादि। तथापि, यह कहा जा सकता है पूर्ण रूप से नियन्त्रित निर्यात-आयात क्षेत्र की तुलना में क्रियाविधियों इत्यादि के सरलीकरण के रूप में नियन्त्रण-मुक्त वातावरण से निर्यात में और ज्यादा वृद्धि होती है।

(ख) वे मुख्य मदें जिनके निर्यात में अप्रैल-नवम्बर, 1992 में पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में, डालर के रूप में वृद्धि हुई, उनमें इन्जीनियरी सामान, इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्प्यूटर साफ्टवेयर, रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद, चमड़ा एवं चमड़े का सामान, वस्त्र, खेल-कूद का सामान, हस्तशिल्प, कालीन, पेट्रोलियम उत्पाद इत्यादि शामिल हैं।

(ग) एक्सिम नीति—1992-97 का उद्देश्य अन्य बातों के अलावा सक्षम एवं अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धात्मक आयात प्रतिस्थापन एवं विदेशी व्यापार के नियन्त्रण-मुक्त ढांचे के तहत स्वावलम्बन प्राप्त करना है।

(घ) वास्तविक आयात पर आयात प्रतिस्थापन का प्रमाण महसूस करने समय लगता है। तथापि, वे मुख्य मदें जिनके आयात में अप्रैल-नवम्बर, 1992 में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में डालर के रूप में गिरावट आई, उनमें अखबारी कागज, मशीन के औजार, उर्वरक (कच्चा), खाद्य तेल, कृत्रिम रेजीन इत्यादि शामिल हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले कारखाने

1739. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली क्षेत्र के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत सम्मिलित किए जाने वाले कारखानों तथा संस्थानों का पता लगाने हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत कारखानों/प्रतिष्ठानों को शामिल करने के उद्देश्य से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा सतत आधार पर सर्वेक्षण आयोजित किए जाते हैं। इन सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप पिछले तीन वर्षों के दौरान 3345 प्रतिष्ठानों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम की परिधि में शामिल किया गया था।

चुनिंदा निर्यात उत्पादों के लिए योजना

1740. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनिन्दा उत्पादों को एक विशेष नीतिगत महत्व देने हेतु कोई विशिष्ट योजना तैयार की गई है ताकि अल्प समय में उनके निर्यात में वृद्धि की जा सके;

(ख) यदि हां, तो उन उत्पादों का ब्यौरा क्या है जिन्हें इसके लिए चुना गया है;

(ग) क्या इस योजना को व्यापार बोर्ड के पास भेजा गया है ताकि इन उत्पादों को विशेष महत्व दिया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो बोर्ड ने क्या निर्णय लिया है; और

(ङ) इस प्रस्तावित योजना को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) 34 अत्यन्त महत्वपूर्ण उत्पादों को मध्यम अवधि में मात्रा या मूल्य के रूप में प्रतिवर्ष 30% की वृद्धि प्राप्त करने की उनकी क्षमता के आधार पर विदेशों में विशेष थ्रस्ट के लिए अभिज्ञात किया गया है।

(ख) यह उत्पाद हैं --मत्स्य पालन, कृषि रसायन, आटो संघटक, साईकल और उनके पुर्जे, सीमेंट, सम्पूर्ण वाहन, भेषज और औषध, रंग और मध्यवर्ती, विद्युत शक्ति उत्पादन और वितरण उपस्कर, पुष्पोत्पादन, जूते-चप्पल, ताजे फल, स्वर्ण आभूषण, ग्रेनाइट, हैंडटूल्स, अंतर्दहन, इंजन और उनके पुर्जे, औद्योगिक कास्टिंग्स और फोरजिंग्स, टमाटर पेस्ट उत्पाद, उष्ण कटिबंधीय फलों का रस, लुगदी और सान्द्रण, परिरक्षित कुकरमुत्ता, सिलेसिलाए परिधान, चावल, सॉफ्टवेयर पैकेजेज, सिस्टम सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, कम्प्यूटर एडिड डिजाइन/कम्प्यूटर एडिड विनिर्माण, मसाले, चीनी, सीरा, इथाइल अल्कोहल सहित अल्कोहल, चीनी मशीनरी, सिन्थेटिक तथा मानव निर्मित वस्त्र और टायर।

(ग) अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम अपनाने के बाद व्यापार बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कार्यक्रम को पहले ही कार्यान्वित किया जा रहा है और जब कभी कोई निर्णय लिया जाता है तो उसकी अधिसूचना जारी की जाती है।

संगठित क्षेत्र हेतु वेतन बोर्ड

1741. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न संगठित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक वेतन बोर्ड गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय श्रम आयोग भी गठित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) समाचार पत्र और समाचार एजेंसी के कर्मचारियों के लिए एक वेतन बोर्ड गठित करने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन है।

(ग) और (घ) सितम्बर, 1992 में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन में विचार-विमर्श के दौरान अन्य बातों में राष्ट्रीय श्रम आयोग के गठन का सुझाव दिया गया था। सुझाव सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्ति

1742. श्री ललित उरांव : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992 में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए विदेशियों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) गिरफ्तार व्यक्ति किन-किन देशों के हैं तथा उनसे जब्त किए गए सामान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) तस्करी को रोकने के लिए सरकार कौन-कौन से कदम उठा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस०बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वर्ष 1992 के दौरान सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबन्धों के अन्तर्गत 125 विदेशी राष्ट्रिक गिरफ्तार किए गए थे। राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) तस्करी-रोधी अभियान को तेज कर दिया गया है। तस्करी-रोधी कार्यालयों को जलयानों, वाहनों और आग्नेयास्त्रों आदि से लैस कर दिया गया है। एक्स-रे असबाब मशीनों, धातु खोजी यंत्रों, रात्रि में उपयोग में लाई जाने वाली दूरबीनों आदि जैसे अत्याधुनिक उपस्करों का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है। जहां पर आवश्यक समझा गया हो, एक दूरसंचार नेटवर्क की भी व्यवस्था की गई है। तस्करी की रोकथाम तथा उसका पता लगाने के कार्य में लगी सभी एजेंसियों के बीच घनिष्ठ तालमेल रखा जा रहा है।

अफीम की खेती

1743. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में अफीम की खेती के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) राज्य में कृषि क्षेत्र में हुई कमी का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) गत तीन वर्षों के

दौरान मध्य प्रदेश राज्य में पोस्त की खेती के अन्तर्गत लाइसेंस शुदा क्षेत्र में कमी होती गई है, जैसा कि नीचे दिया गया है :

वर्ष	लाइसेंस शुदा क्षेत्र
1990-91	7067 हैक्टेयर
1991-92	6947 हैक्टेयर
1992-93	6857 हैक्टेयर

कुछेक देशों द्वारा ओपिएट कच्ची सामग्री का अधिक उत्पादन करने और साथ ही ओपिएट के वैकल्पिक स्रोत अर्थात् पोस्त-भूसो का सांद्रण बनाये जाने से भारत में अफीम का भंडार एकत्रित हो गया था। अफीम के इन भंडारों को कम करने और इसे आगे न बढ़ने देने के उद्देश्य से भारत को इन वर्षों के दौरान उत्तरोत्तर रूप से देश में पोस्त की खेती के अंतर्गत लाइसेंस शुदा क्षेत्र में कमी करनी पड़ी थी।

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करना

1744. **श्री एन०जे० राठवा** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कौन-कौन से राष्ट्रीय राजमार्गों पर पिछले तीन वर्षों से चौड़ा करने, दोहरीकरण तथा चार लेनों वाला बनाने का कार्य चल रहा है;

(ख) अब तक कितना कार्य पूरा हुआ है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) 1990-91 से 1992-93 के दौरान, गुजरात में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल 177.850 कि० मी० में चार लेन बनाने सम्बन्धी 34 कार्य चल रहे थे जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र० सं०	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	कार्यों की संख्या	कुल किलोमीटर
1.	रा० रा०-8	21	118.630
2.	रा० रा०-8क	6	26.050
3.	रा० रा०-8ख	1	6.100
4.	रा० रा०-8ग	5	26.450
5.	अहमदाबाद के समीप रा० रा०-8 और रा० रा० 8क को जोड़ने वाली संपर्क सड़क	1	6.720

राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-15 पर कुल 51.200 कि० मी० में दो लेन बनाने का कार्य प्रगति पर है।

(ख) लगभग 73.245 कि०मी० में चार लेनें बनाने के 7 कार्य पूरे कर लिए गए हैं।

(ग) शेष कार्य इस समय प्रगति के विभिन्न स्तरों पर हैं और पर्याप्त निधियां उपलब्ध होने की स्थिति में इन्हें तीन वर्षों में पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को ऋण

1745. **श्री खेलन राम जांगड़े** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गत दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को ऋण वितरित करने में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बरती जा रही किन्हीं अनियमितताओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) वाणिज्यिक बैंकों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को ऋण देने के निर्देशों सहित भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। अ० जा०/अ० ज० जा० हिताधिकारियों को ऋण का प्रवाह बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को आदेश दिया है कि अ० जा०/अ० ज० जा० के कमजोर वर्गों सहित बैंकों के कुल अग्रिमों का 10 प्रतिशत कमजोर वर्गों के लिए होना चाहिए। इस सन्दर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि अ० जा०/अ० ज० जा० हिताधिकारियों के लिए बैंकों द्वारा स्वीकार्य उपयुक्त योजनाओं को तैयार करने के लिए विशेष प्रयत्न किया जाना चाहिए। तद्नुसार, पहचान किये गये हिताधिकारियों के आर्थिक उत्थान हेतु अर्थक्षम योजनाएं चलाने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए वाणिज्यिक बैंक सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। उपर्युक्त के साथ-साथ बैंक उत्पादक कार्यों के लिए समाज के कमजोर वर्गों को ऋण देकर उनकी सहायता के लिए अपनी योजनाएं भी तैयार करते हैं। अ० जा०/अ० ज० जा० हिताधिकारियों को ऋण सहायता देने के मामले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य-निष्पादन की सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवधिक रूप से पुनरीक्षा की जाती है और यदि किसी प्रकार की कमियां हैं तो उनका पता लगाने के लिए उपयुक्त कदम उठाये जाते हैं।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मध्य प्रदेश में प्राथमिकता क्षेत्र, कमजोर वर्गों और अ० जा०/अ० ज० जा० को संवितरित राशि में लगातार वृद्धि होती रही है जैसाकि निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

खाते लाख में
(रु० करोड़ में)

	प्राथमिकता क्षेत्र		कमजोर वर्ग		अ० जा०/अ० ज० जा०	
	खाता	राशि	खाता	राशि	खाता	राशि
वर्ष 1989-90 (जुलाई-जून) के दौरान संवितरण	3.94	443.98	2.33	113.48	1.18	55.79
1990-91 (जुलाई-जून)	4.12	537.32	2.39	110.04	1.31	60.78

सहायता देने के लिए बैंक शाखाएं सीधे आवेदकों से या राज्य द्वारा प्रायोजित एजेंसियों के माध्यम से आवेदन प्राप्त करते हैं जान-बूझकर की गई उपेक्षाओं, निर्देशों की अवहेलना, सूचित किसी प्रकार के कदाचार इत्यादि के लिए निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार बैंक अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। विभिन्न प्रकार के आरोपों के लिए जिन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है या की जाती है, उनकी संख्या की जानकारी आंकड़ा सूचना प्रणाली में प्राप्त नहीं होती है।

"गैट" में संशोधन करने पर वार्ता

1746. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "गैट" में संशोधन करने पर हुई अन्तर्राष्ट्रीय वार्ता इस समय कहां तक पहुंची है;

(ख) 1992 के दौरान इस वार्ता में कितनी प्रगति हुई; और

(ग) चालू वर्ष में वार्ता के लिए क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के उरुग्वे दौर को यू० एस० ए० और ई० ई० सी० के बीच मतभेदों के कारण अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। दिसम्बर में गाट के महानिदेशक द्वारा समझौता प्रस्ताव प्रस्तुत करके मतभेदों को सुलझाने के प्रयास सफल नहीं हुए। यद्यपि नवम्बर, 1992 में कृषि के महत्वपूर्ण मामले पर सहमति होने में यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यू० एस० ए० द्वारा प्रगति होने की सूचना मिली थी किन्तु उसके बाद जल्दी ही फिर से मतभेद हो गये थे।

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच नवम्बर, 1992 में कृषि के महत्वपूर्ण मामले पर सहमति की घोषणा होते ही दिसम्बर में जेनेवा में समझौता सम्बन्धी कार्रवाई की गई। भारत को अपनी महत्वपूर्ण चिंताओं को उठाने का अवसर मिला और इन चिंताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए परिवर्तनों और समझौता करने के लिए प्रयत्न किए। यू० एस० ने डंकल प्रस्तावों में कुछ मूल परिवर्तनों की मांग की और यह वार्ताएं अधिक सफल नहीं हुई।

(ग) चालू वर्ष के दौरान वार्ताओं के लिए किसी कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई है।

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

1747. **श्री काशीराम राणा** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1992-93 और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए कुछ योजनाओं को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं के अन्तर्गत कुल कितने किलोमीटर लम्बाई में सड़कों का विकास किया जाएगा और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) वर्ष 1992-93 के दौरान गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए निम्नलिखित आठ स्कीमें (सभी रा० रा० 8 पर) अनुमोदित की गई है :

क्र० सं०	कार्य का नाम	स्कीम का नाम	स्वीकृत लागत
1.	39.4 कि० मी० डामर डालना	2	654.38
2.	5 कि० मी० में सड़क को सुधारना	3	46.26
3.	11.6 कि०मी० में मौजूदा दो लेनों को चार लेन बनाना	1	820.82
4.	0.39 कि०मी० में आर० ओ०बी० के लिए पहुंच मार्ग पर खम्भे एवं पाइप रेलिंग तथा नालियां	1	6.92
5.	47 कि० मी० में सुदृढ़ीकरण के लिए विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन सम्बन्धी सर्वेक्षण एवं जांच	1	14.95
	योग	8	1544.95

(ग) उपर्युक्त स्कीमों के अन्तर्गत लगभग 57 कि० मी० लम्बी सड़क को विकसित किए जाने की संभावना है जिसके लिए चालू वर्ष के दौरान 12.70 लाख रु० की राशि निर्धारित की गई है।

[हिन्दी]

प्रत्यक्ष करों की वसूली

1748. श्री राम लखन सिंह यादव :
श्री छेदी पासवान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्यक्ष कर की वसूली के लिए क्षेत्र-वार लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के लिए क्षेत्र-वार जितना लक्ष्य निर्धारित किया गया और इस सम्बन्ध में कितनी सफलता प्राप्त हुई; और

(ग) सरकार ने लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। प्रत्यक्ष कर की वसूली के लिए लक्ष्य मुख्य आयकर आयुक्तों के भिन्न-भिन्न प्रभारों के लिए नियत किए जाते हैं।

(ख) विगत तीन वित्त वर्षों के दौरान निगम कर तथा आय कर के लिए मुख्य आयुक्तों के क्षेत्र-वार नियत किए गये लक्ष्य तथा उनकी वसूली दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) अधिकाधिक वसूली करने तथा लक्ष्य को अधिक से अधिक प्राप्त करने के निमित्त आवश्यक प्रशासनिक, कानूनी तथा अन्य उपाय निरन्तर किये जाते हैं।

विवरण

(करोड़ रु० में)

मुख्य आयकर आयुक्त का क्षेत्र	निगम कर						आय कर					
	1989-90		1990-91		1991-92		1989-90		1990-91		1991-92	
	लक्ष्य	वसूली	लक्ष्य	वसूली	लक्ष्य	वसूली	लक्ष्य	वसूली	लक्ष्य	वसूली	लक्ष्य	वसूली
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
बम्बई	1803	1737	2660	2084	3100	3227	1146	1145	1298	1186	1668	1480
दिल्ली	722	618	944	811	1050	1040	487	494	539	578	797	729
कलकत्ता	556	523	760	621	910	885	272	291	326	329	477	426
मद्रास	205	246	374	266	375	477	344	384	435	449	607	585
अहमदाबाद	122	114	174	62	97	136	391	405	458	406	548	559
पुणे	93	83	128	115	151	155	337	338	376	376	495	487
चंडीगढ़	93	120	147	133	158	198	277	249	304	302	396	367
बंगलौर	164	114	166	96	122	136	260	270	296	290	387	358
कानपुर	746	463	91	100	247	260	131	153	175	171	235	211
पटना	53	53	81	59	81	79	220	241	269	271	357	328

हैदराबाद	71	97	142	120	104	116	194	197	231	222	283	266
कोचीन	43	30	46	75	54	77	116	114	133	139	185	181
लखनऊ	12	15	20	16	22	25	139	161	163	175	193	216
भोपाल	15	17	26	30	21	27	157	157	178	158	211	213
जयपुर	2	19	18	38	42	49	96	105	122	112	149	143

[अनुवाद]

खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा उर्वरक वितरण

1749. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम का विचार अन्य राज्य संगठनों के सहयोग से अपने विद्यमान गोदामों से नए गोदाम खोलकर उर्वरक के घरेलू वितरण के नये क्षेत्र में प्रवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसकी बाजार योजना तथा इसके द्वारा फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा अन्य सरकारी, गैर-सरकारी और सहकारी क्षेत्र के संगठनों के साथ समझौते का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) एम० एम० टी० सी० ने घरेलू विपणन को प्रयोग के तौर पर कुछ चुनिन्दा जिलों में आयातित डी० ए० पी० से शुरू करने का सिद्धान्त रूप में निश्चय किया है। इस कार्य से सम्बन्धित विभिन्न प्रचालनों के रखरखाव के लिए प्रशिक्षित कर्मियों को तैनात करने की व्यवस्था की जा रही है। स्वदेशी डी० ए० पी० की खरीद के लिए भी बातचीत चल रही है परन्तु किसी संगठन द्वारा किसी करार को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

बोको सोनापहाड़ सड़क का निर्माण

1750. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर परिषद ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 को जोड़ने वाली बोको सोनापहाड़ सड़क के निर्माण हेतु कोई परियोजना भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पूंजी निवेश सम्बन्धी कार्यकलाप

1751. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिभूति घोटाले का भंडाफोड़ होने के बाद पूंजी निवेश सम्बन्धी कार्यकलापों में सामान्यतः गतिरोध आ गया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं और सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों द्वारा वर्ष 1992 के प्रत्येक महीने के दौरान अनुमानतः कितनी धनराशि का कारोबार किया गया और पिछले वर्ष की इसी अवधि के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) सरकार ने पूंजी निवेश सम्बन्धी कार्यकलापों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, नहीं .

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होते ।

(ग) निवेश कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाये हैं :

(1) शेयर दलालों, मर्चेन्ट बैंकरों, पोर्टफोलियो प्रबन्धकों और म्यूचुअल फंडों सहित विभिन्न बाजार-बिचौलियों के परिचालनों को नियंत्रित करने वाले भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत तैयार किए गए नियमों और विनियमों को अधिसूचित करना;

(2) शेयरों के परोक्ष लेन-देन को रोकने सम्बन्धी नियमों और विनियमों को अधिसूचित करना; और

(3) पारदर्शी लेन-देन परम्परा सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रानिक निक्षेपी और निकासी प्रणाली स्थापित करने की व्यवस्था करना ।

[अनुवाद]

पूंजीगत माल के आयात के रूप में प्रोत्साहन

1752. **श्री हरिन पाठक** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूंजीगत माल के आयात पर कर और सीमा शुल्क में कर प्रोत्साहन देने के बारे में सरकार द्वारा किसी मुश्त योजना की पेशकश की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) वर्ष 1993-94 के बजट में 28-2-93 से पूंजीगत माल पर आयात शुल्क नीचे दिए गये अनुसार फिर से निर्धारित किया गया है :

परियोजनाओं तथा सामान्य मशीनरी पर आयात शुल्क को 55% से घटाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है । तथापि, कोयला खनन और पेट्रोलियम परिशोधन के क्षेत्रों में परियोजनाओं पर आयात शुल्क को घटा कर 25% कर दिया गया है जबकि यह पहले 30% की दर पर लगाया जाता था । विद्युत परियोजनाओं पर आयात शुल्क को घटाकर 20% कर दिया गया है और इस दर को उस मशीनरी पर भी लागू किया गया है, जो विद्युत संयंत्रों के आधुनिकीकरण और नवीकरण करने के लिए अपेक्षित हो । यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि आयातित मशीनरी पर अपेक्षाकृत कम शुल्कों के कारण घरेलू पूंजीगत-माल-उद्योग को कोई हानि न पहुंचे, सामान्य मशीनरी के संघटकों पर आयात शुल्क को घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है जबकि पहले 40 प्रतिशत अथवा 35 प्रतिशत की दर लगाई जाती थी । तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे संघटकों का निर्माण करने वाले घरेलू उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, कांडयट के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की पूर्ण सुविधा के साथ ऐसे संघटकों पर 10% की दर पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क भी लगाया गया है ।

इससे पूर्व विभिन्न किस्म के मशीनों-औजारों सहित बहुत से अन्य पूंजीगत माल पर 60%-110% की सीमा में शुल्क की बिभिन्न दरें लागू थी। ऐसे उपकरण भी थे जिन पर 40% से लेकर 110% तक शुल्क की भिन्न-भिन्न दरें लागू थीं। इस शुल्क ढांचे के तीन शुल्क दर स्तर अर्थात् 40%, 60% और 80% निर्धारित करके इसे युक्तिसंगत बना दिया गया है। इस यौक्तिकीकरण द्वारा शुल्क में सामान्यतया 20 से 30 प्रतिशत के बीच कमी की गयी है।

मुम्बई नगर निगम को सहायता

1753. **श्री प्रफुल पटेल** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई नगर निगम ने मुम्बई शहर के विकास के लिए आठवीं योजना के शेष वर्षों में मुम्बई नगर निगम को बाजार से लिए गये ऋण में से प्रति वर्ष 50 करोड़ रुपये अतिरिक्त आबंटित करने के सम्बन्ध में हाल ही में वित्त मंत्री को अवगत कराया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मुम्बई की विशिष्ट समस्याओं को देखते हुए मुम्बई नगर निगम को अतिरिक्त सहायता देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) 8वीं योजना के दौरान राज्यों को आबंटन हेतु बाजार ऋण, अन्य बातों के साथ-साथ राजकोषीय घाटे तथा बैंकों के सांविधिक नकदी अनुपात को कम करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करने के बाद तय किया गया था। उपलब्ध समग्र निधियों में से महाराष्ट्र को 8वीं योजना के दौरान 1594.95 करोड़ रुपये तथा 1992-93 के लिए 315.80 करोड़ के बाजार ऋण आबंटित किये गये हैं। आबंटित राशि का सेक्टरवार तथा एजेन्सीवार वितरण सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है इसलिए, यह महाराष्ट्र सरकार के ऊपर है कि बम्बई नगर निगम के लिए अधिक बाजार ऋण आबंटित करे।

इराक से बकाया धनराशि की वसूली

1754. **श्री सनत कुमार मंडल** :

श्री नवल किशोर राय :

श्री नीतीश कुमार :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय कम्पनियों और अन्य निर्यातकों द्वारा इराक में निष्पादित परियोजनाओं के लिए बैंकों में अवरुद्ध बकाया धनराशि को वसूलने के लिए कोई प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का निर्यात करने वाली इकाइयों और बैंकों को उस धनराशि को वापस लाने हेतु कोई वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक हल निकालने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय स्तर पर दायर मामलों की गई वार्ताओं का क्या परिणाम निकला;

(ङ) क्या सरकार ने इराक और खाड़ी के अन्य देशों में भारतीय निर्माण कम्पनियों को काम दिलाने के लिए भी कोई कदम उठाये हैं;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इराक से बकाया धनराशि को प्राप्त करने के सम्बन्ध में दीर्घकालीन निपटान योजना तैयार न करने के क्या कारण हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) जी, हां, सरकार ने जनवरी, 1991 में भारतीय निर्माण कम्पनियों की इराक पर देय धनराशि के बदले में इराक द्वारा भारत को तेल देने की सम्भावनाओं के बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् समिति के साथ यह मामला उठाया है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् समिति का प्रत्युत्तर अनुकूल नहीं था।

(ग) और (घ) जिन भारतीय निर्माण कम्पनियों ने इराक में परियोजनाएं शुरू की थीं उन पर एक्जिम बैंक/भारतीय बैंकों का 772 करोड़ रुपये का ऋण बकाया है और जो भारत इराक सरकार से सरकार आस्थगित भुगतान करार के अन्तर्गत आता है। इन ऋणों को डी० पी० ए० के अन्तर्गत इराक से कच्चे तेल के आयात से प्राप्त भुगतान से निपटाया जा रहा था। खाड़ी संकट शुरू होने और इराक पर संयुक्त राष्ट्र व्यापार प्रतिबन्ध लगाने के कारण कच्चे तेल का आयात नहीं किया जा सका और अगस्त, 1990 से डी० पी० ए० के अन्तर्गत कोई भुगतान नहीं प्राप्त किया जा सका। इराक से और आगे भुगतान वसूल करने की व्यवस्था का जायजा इराक से यू० एन० व्यापार प्रतिबन्ध उठा लेने के बाद ही किया जा सकता है।

(ङ) से (छ) इराक से विदेशी परियोजनाएं प्राप्त करने और उन पर चर्चा करना इराक से यू० एन० व्यापार प्रतिबन्ध हटाये जाने के बाद ही संभव होगा। जहां तक दूसरे देशों को परियोजना निर्यात का सम्बन्ध है, भारतीय निर्माण कम्पनियों को उपयुक्त निर्यात प्रस्ताव पर सरकार का उचित समर्थन प्राप्त हो रहा है।

इराक से वसूली के लिए दीर्घावधि निपटान योजना को इराक पर से यू० एन० व्यापार प्रतिबन्ध हटाए जाने के बाद ही तैयार किया जा सकता है।

[हिन्दी]

भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड के क्षेत्राधिकार में भारतीय यूनिट ट्रस्ट

1755. **श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय यूनिट ट्रस्ट को भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड के क्षेत्राधिकार में लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार

अहमद) : (क) और (ख) सरकार भारतीय यूनिट ट्रस्ट के म्यूचुअल फंड के संचालन से सम्बन्धित मामले को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) अधिनियम के दायरे में लाने की जांच कर रही है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

हुगली नदी का पुल का निर्माण

1756. **श्री चित्त बसु :**
श्री बीर सिंह महतो :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच हुगली नदी पर बनने वाले प्रस्तावित तीसरे पुल के सम्बन्ध में तकनीकी सम्भाव्यता अध्ययन पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत और स्पेन के बीच व्यापार करार

1757. **श्रीमती विभू कुमारी देवी :**
श्री अर्जुन चरण सेठी :
डा० कृपासिन्धु भोई :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्पेन के प्रधान मंत्री के हाल के दौरों के दौरान भारत और स्पेन के बीच किसी व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और स्पेन के साथ किये जाने वाले व्यापार के लिए किन-किन मदों को बढ़ावा दिया जायेगा; और

(ग) इस समझौते का दोनों देशों के व्यापार सम्बन्ध पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को चार लेनों वाला बनाना

1758. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1993-94 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 के बड़ोदरा-महाराष्ट्र सीमा खण्ड को चौड़ा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने सहित उनका विकास करना एक सतत प्रक्रिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-8 के बड़ोदरा-महाराष्ट्र सीमा खंड की 277 कि० मी० लम्बाई में से 61 कि० मी० में पहले ही चार लेन बना दी गई हैं और अन्य 50 कि० मी० लम्बाई में यह कार्य विभिन्न स्तरों पर चल रहा है। अभी यह नहीं बताया जा सकता कि वर्ष 1993-94 में किसी अन्य शेष खण्ड में चार लेन बनाने का कार्य शुरू किया जाएगा क्योंकि वह समग्र प्राथमिकताओं और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर होगा। इस खंड को चौड़ा करने के लिए निर्धारित निधियों की स्थिति वर्ष 1993-94 के लिए अनुदान मांगों के अनुमोदित हो जाने के बाद मालूम होगी।

[हिन्दी]

आभूषणों, रत्नों तथा हीरे का निर्यात

1759. **श्री केशरी लाल** :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान रत्नों, आभूषणों और हीरों का रुपये और अमरीकी डालर में कितने मूल्य का निर्यात किया गया;

(ख) क्या 1992-93 के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में इनके निर्यात में कमी आई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) किन-किन देशों को इनका निर्यात किया गया और देशवार उनसे कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई;

(घ) क्या सरकार ने विदेशों को निर्यात किए गए इन वस्तुओं के मूल्य में कोई परिवर्तन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो वस्तुवार इसका क्या कारण है; और

(च) निर्यात बाजार में इन वस्तुओं के निर्यात की संभावित क्षमता का उपयोग करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) एक विवरण-I संलग्न है।

(ख) हालांकि इस क्षेत्र में कुछ खास मदों के निर्यात में गिरावट मुख्यतया अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में मन्दी के कारण रही है लेकिन वर्ष 1992-93 के लिए निर्धारित लक्ष्य का लगभग 75% भाग की लक्ष्य प्राप्ति जनवरी, 1993 के अन्त तक कर ली गई है।

(ग) एक विवरण-II संलग्न है।

(घ) जी; नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सरकार ने मूल्यवान धातुओं और अन्य कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात के लिए आयात-निर्यात नीति के तहत सुविधाएं प्रदान की हैं जो निर्यात दायित्व के साथ पहले अथवा आर० ई० पी० आधार पर निर्यात के बाद दी जाती हैं। विदेशी प्रदर्शनियों में सहभागिता और व्यापार प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित किया जाता है। सरकार शिल्पियों को रत्न तराशी/ पालिश कार्य और आभूषण विनिर्माण में प्रशिक्षण सुविधाएं भी प्रदान करती है। सरकार ने भारतीय निर्यात की उत्पाद रूपरेखा का विविधीकरण करने के लिए प्लेटिनियम आभूषणों के निर्यात हेतु दिनांक 23-10-1992 से एक इस तरह की नीति अधिसूचित की है जो स्वर्ण तथा चांदी के आभूषणों के लिए उपलब्ध पैटर्न पर आधारित है।

विवरण-I

(क) रत्न तथा आभूषणों (हीरों, रत्नों और उनके आभूषणों सहित) के मद-वार निर्यात के अप्रैल-जनवरी, 1991 92 की अवधि तथा अप्रैल-जनवरी, 1992-93 की अवधि के लिए तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए जा रहे हैं—

(मूल्य करोड़ रु०)
(अमरीकी डालर मिलियन में)

	अप्रैल-जनवरी, 1993 (अनन्तिम)		अप्रैल-जनवरी, 1992 (अनन्तिम)	
	रुपये	अमरीकी डालर	रुपये	अमरीकी डालर
हीरे	6030.38	2124.48	4744.98	1965.81
रंगीन रत्न	186.93	65.87	208.59	87.72
मोती	7.96	2.80	7.80	3.20
स्वर्ण आभूषण	618.01	217.85	579.28	238.01
सोने से इतर आभूषण (सिंथेटिक पत्थरों, फैशन/ वेशभूषा आभूषणों सहित)	21.03	7.40	23.42	9.69
योग :	6864.31	2418.40	5564.07	2304.43

(स्रोत : रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद)

विवरण-II

अप्रैल-नवम्बर, 1992 की अवधि के दौरान मुख्य-मुख्य गंतव्यों को प्रमुख मदों के निर्यात के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रु० में)*

देश	हीरे	देश	स्वर्ण आभूषण	देश	रंगीन रत्न
सं० रा० अमरीका	1833.01	यू० ए० ई०	125.71	सं० रा० अमरीका	44.24
हांगकांग	833.91	सं०रा०अमरीका	106.73	हांगकांग	41.89
जापान	820.89	ब्रिटेन	70.73	थाईलैंड	26.67
बेल्जियम	755.62	कुवैत	15.82	जर्मनी	17.58
थाइलैंड	129.23	स० अरब	8.58	जापान	16.52
सिंगापुर	93.94	हांगकांग	8.20	स्विस	15.18
स्विस	77.74	जर्मनी	4.14	—	—
जर्मनी	58.20	बहरीन	3.62	फ्रांस	12.09
ब्रिटेन	36.59	इंडोनेशिया	2.23	ब्रिटेन	3 34

*टिप्पणी : स्वर्ण आभूषणों के देशवार निर्यात में सीप्ज, बम्बई से होने वाले निर्यात के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

[अनुवाद]

डी० टी० सी० बसों द्वारा प्रदूषण

1760. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों के दौरान निर्धारित मानकों से अधिक प्रदूषण फैलाने वाली **कितनी डी० टी० सी० बसों/सरकारी वाहनों का पता लगाया गया; और**

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए **क्या कदम** उठाये गए हैं कि सभी सरकारी वाहन सड़क पर आने से पहले प्रदूषण-निरोधी मानकों के अनुरूप हों ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) ऐसे वाहनों की संख्या 540 है।

(ख) केन्द्र सरकार ने पैट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए अधिकतम धुआं छोड़ने

के मानकों का निर्धारण करते हुए अधिसूचना जारी की है। इन मानकों को वर्ष 1995 से और अधिक कड़ा बनाया जाएगा जिसके लिए मसौदा अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई है। केन्द्र सरकार ने वाहनों द्वारा धुआं छोड़ने को नियन्त्रित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी है :

(i) प्रवर्तन के लिए उपकरणों की खरीद और आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था करके मूलभूत संरचना को मजबूत करना;

(ii) वाहनों की जांच करने और अनुकूलन करने के लिए पैट्रोल पम्पों और निजी वर्कशापों को प्राधिकृत करना;

(iii) प्रदूषण को रोकने के लिए अन्य राज्यों के वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाना।

(iv) लोक जागरण अभियान शुरू करना।

(v) जांच सम्बन्धी कार्यों का समन्वय करने के लिए 3 या 4 समीपस्थ राज्यों को मिलाकर अन्तर्राज्यीय समिति बनाना।

(vi) बड़े शहरों में क्षेत्र समितियां गठित करना जिनमें वर्कशाप, पुलिस विभाग, और अन्य ऐसे व्यक्ति शामिल हों जो अपने क्षेत्रों में वाहनों पर निगरानी रख सकें।

(vii) अधिक लदान की प्रवेश स्थलों पर जांच करने के लिए प्रवर्तन दल गठित करना।

(viii) वाहनों के प्रदूषण स्तरों की जांच करने के लिए राज्य परिवहन उपक्रमों की वर्कशापों में उपकरण सुलभ कराना; और

(ix) शहर की सीमाओं से बाहर की बस्तियों में परिवहन कार्यों का स्थानांतरण।

उपर्युक्त दिशा निर्देश सरकारी वाहनों सहित सभी वाहनों पर लागू हैं।

बैंकों में धोखाधड़ी

1761. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 दिसम्बर, 1989 से 31 दिसम्बर, 1992 तक सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक बैंकों द्वारा धोखाधड़ी के मामले सम्बन्धी (सिविल और आपराधिक) कितनी शिकायतें दर्ज कराई गईं और प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि की धोखाधड़ी की गई है;

(ख) कितने मामले निपटाये जा चुके हैं और अब तक कितनी धनराशि वसूल की गई है; और

(ग) लम्बित मामलों की धनराशि को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) 1989, 1990 और 1991 में प्रत्येक वर्ष के दौरान धोखाधड़ियों, इसमें अन्तर्ग्रस्त रकमों, निर्णित/निपटायी गई शिकायतों की संख्या और वसूल की गई रकमों के सम्बन्ध में प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के बैंक द्वारा दर्ज की गई शिकायतों (सिविल और अपराधिक) की संख्या के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई अद्यतन उपलब्ध सूचना क्रमश: विवरण I, II और III में दी गई है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक 10,000 रुपयों से अधिक के धोखाधड़ी सम्बन्धित मामलों की निगरानी तब तक करता है जब तक अलग मामलों अर्थात् वसूली, कर्मचारियों से सम्बन्धी कार्रवाई, पुलिस/सी० बी० आई० जांच और बीमा कवरों के तहत दावों आदि के सभी पैरामीटरों पर कार्रवाई संतोषजनक रूप से समाप्त नहीं हो जाती है। सम्बद्ध बैंक सभी आवश्यक उपाय अर्थात् सिविल मुकदमे दायर करना, धोखाधड़ियों में अन्तर्ग्रस्त पाये गये स्टाफ सदस्यों से वसूली और उनके द्वारा ली गई पॉलिसियों के अनुसार बीमा कम्पनियों के पास दावे भी दर्ज करते हैं।

विवरण-1

क्र० सं०	बैंक का नाम	शिकायतों (सिविल और आपराधिक) की सं०	अन्तर्ग्रस्त राशि (लाखों में)	समाप्त और निपटाई गई शिकायतों की सं०	वसूली गई राशि (लाखों में)
1	2	3	4	5	6
1.	इलाहाबाद बैंक	22	100.37	5	8.79
2.	आंध्रा बैंक	26	201.12	21	83.27
3.	बैंक आफ बड़ौदा	65	63.14	17	9.56
4.	बैंक आफ इंडिया	5	12.50	उ०न०	1.90
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	2	1.05	1	0.39
6.	केनरा बैंक	78	324.83	17	0.67
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	33	592.70	उ०उ०	उ० न०
8.	कार्पोरेशन बैंक	14	35.82	7	1.00
9.	देना बैंक	5	46.56	उ०न०	उ०न०
10.	इंडियन बैंक	37	उ०न०	5	0.49
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	16	17.90	2	1.57
12.	न्यू बैंक आफ इंडिया	15	722.98	3	18.19
13.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	15	16.34	3	2.16
14.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	2	2.34	1	0.80
15.	पंजाब नेशनल बैंक	10	308.46	1	1.24
16.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	10	183.83	2	0.15
17.	भारतीय स्टेट बैंक	25	450.20	6	0.10
18.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	29	43.51	20	17.59

1	2	3	4	5	6
19.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	4	0.85	3	0.11
20.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	9	2.95	2	उ०न०
21.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	7	3.36	उ०न०	उ०न०
22.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	5	24.68	उ०न०	3.08
23.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	14	17.49	5	0.13
24.	सिंडिकेट बैंक	57	3.31	उ०न०	उ०न०
25.	यूको बैंक	12	3.51	4	उ०न०
26.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	4	17.03	उ०न०	उ०न०
27.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	19	6.80	2	1.02
28.	विजया बैंक	1	0.89	उ०न०	उ०न०

उ०न० : उपलब्ध नहीं।

टिप्पणी : कॉलम (3) और (4) में दिये आंकड़े वर्ष के दौरान की गई धोखाधड़ियों से ही सम्बन्धित हों, ये आवश्यक नहीं है, बल्कि इसमें पिछली अवधि में हुई धोखाधड़ियों से सम्बन्धित वसूली भी शामिल है।

विवरण-II

क्रम सं०	बैंक का नाम	शिकायतों (सिविल और आपराधिक) की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि (रु० लाख में)	समाप्त की गई/निपटाई गई शिकायतों की संख्या	वसूल की गई राशि (रुपये लाख में)
1	2	3	4	5	6
1.	इलाहाबाद बैंक	12	5.25	1	—
2.	आंध्रा बैंक	24	138.43	12	10.07
3.	बैंक आफ बड़ौदा	38	114.80	16	34.09
4.	बैंक आफ इण्डिया	5	143.49	उ०न०	0.45
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०
6.	केनरा बैंक	97	2410.12	13	7.87

1	2	3	4	5	6
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	39	125.14	उ०न०	उ०न०
8.	कारपोरेशन बैंक	10	37.63	2	0.02
9.	देना बैंक	2	6.97	उ०न०	उ०न०
10.	इण्डियन बैंक	33	उ०न०	7	1.46
11.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	11	4.00	2	0.40
12.	न्यू बैंक आफ इण्डिया	26	504.30	1	0.45
13.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	10	20.99	3	3.00
14.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	1	16.77	उ०न०	उ०न०
15.	पंजाब नेशनल बैंक	5	68.91	उ०न०	1.30
16.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	14	17.60	4	0.11
17.	भारतीय स्टेट बैंक	14	312.99	1	उ०न०
18.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	16	29.34	3	0.32
19.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	21	62.84	20	50.13
20.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	7	2.64	उ०न०	0.37
21.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	9	33.50	3	0.24
22.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	6	21.79	उ०न०	1.50
23.	स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर	11	34.68	2	0.34
24.	सिंडीकेट बैंक	80	8.34	उ०न०	उ०न०
25.	यूको बैंक	19	119.84	6	उ०न०
26.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	2	158.26	उ०न०	उ०न०
27.	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	45	25.89	1	5.79
28.	विजया बैंक	5	162.60	उ०न०	उ०न०

उ०न०: उपलब्ध नहीं।

टिप्पणी : (3) और (4) में दिये आंकड़े वर्ष के दौरान की गई धोखाधड़ियों से ही संबंधित हों ये आवश्यक नहीं है, बल्कि इसमें पिछली अवधि में हुई धोखाधड़ियों से संबंधित वसूली भी शामिल है।

विवरण-III

क्रम सं०	बैंक का नाम	शिकायतों की संख्या (सिविल और आपराधिक)	अन्तर्ग्रस्त राशि (लाखों में)	समाप्त की गई और निपटाई गई शिकायतों की संख्या	वसूल की गई राशि (लाखों में)
1	2	3	4	5	6
1.	इलाहाबाद बैंक	26	33.51	उ०न०	0.31
2.	आंध्रा बैंक	13	70.22	6	3.55
3.	बैंक आफ बड़ौदा	43	196.80	2	19.98
4.	बैंक आफ इण्डिया	3	471.03	उ०न०	0.57
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	2	0.67	उ०न०	उ०न०
6.	केनरा बैंक	51	775.75	5	0.08
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०
8.	कार्पोरेशन बैंक	6	4.15	1	उ०न०
9.	देना बैंक	उ०न०	उ०न०	उ०न	उ०न०
10.	इन्डियन बैंक	55	उ०न०	10	1.59
11	इण्डियन ओवरसीज बैंक	15	28.80	1	0.57
12.	न्यू बैंक आफ इण्डिया	21	585.59	10	17.66
13.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०
14.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	3	373.76	उ०न०	उ०न०
15.	पंजाब नेशनल बैंक	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०
16.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	14	597.55	1	0.01
17.	भारतीय स्टेट बैंक	3	35.51	1	1.94
18.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	14	12.67	2	1.08
19.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	8	32.06	4	16.59
20.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	6	48.18	उ०न०	उ०न०
21.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०

1	2	3	4	5	6
22.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	8	110.15	उ०न०	1.38
23.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	10	8.73	1	0.03
24.	सिंडिकेट बैंक	84	19.66	उ०न०	उ०न०
25.	यूको बैंक	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०
26.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०
27.	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	23	138.58	1	104.81
28.	विजया बैंक	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०

उ०न० : उपलब्ध नहीं

टिप्पणी : कालम (3) और (4) में दिये गये आंकड़े वर्ष के दौरान की गई धोखाधड़ियों से ही सम्बन्धित हों ये आवश्यक नहीं है उसमें पिछली अवधि में हुई धोखाधड़ियों से सम्बन्धित वसूली भी शामिल है।

[हिन्दी]

विद्युत चालित बसें

1762. श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा अन्य राज्यों में विद्युत चालित बसें चलाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) सरकार सेकेन्डरी बैटरियों पर आधारित बैटरी चालित वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहन दे रही है। बैटरी द्वारा चालित वाहनों की खरीद के लिए सरकार, सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/निजी क्षेत्र के पंजीकृत संगठनों को, यात्री माडल वाहन के लिए एक लाख रु० तथा औद्योगिक माडल के लिए 50,000 रु० की आर्थिक सहायता दे रही है। बैटरी वाहन खरीदने वाले संगठनों के लिए प्रथम वर्ष में ही बैटरी वाहनों के लिए 100% की दर से मूल्य ह्रास की अनुमति है।

[अनुवाद]

जलयानों की भार वहन क्षमता

1763. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन० सी० ए० ई० आर०) द्वारा अभी हाल ही में किये गये अध्ययन से इस बात का पता चला है कि देश के जलयानों की व्यापारिक माल की भार वहन क्षमता विश्व औसत क्षमता से काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में देश के जलयानों की व्यापारिक माल की भार वहन क्षमता में वृद्धि करने के लिये कोई ठोस कदम उठाने पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी हां। नौवहन टन भार के संबंध में व्यापारिक माल की भार वहन क्षमता प्रति 1000 टन पर है।

(ख) ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

	वर्ष 1990	
	भारत	विश्व
1. धारित नौवहन टन भार (मिलियन जी० आर० टी०)	6.48	423.63
2. ढोया गया ट्रेड (मिलियन)	103.4	3975
3. ट्रेड के प्रति 1000 टन पर धारित टन भार	62.7	106.7

(ग) और (घ) सरकार ने भारतीय नौवहन टन भार को सुधारने के लिये विभिन्न कदम उठाये हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

1. अब निम्नलिखित के लिये स्वत: अनुमोदन दिया जाता है :

   (i) क्रूड टैंकरों और ओ० एस० वी० एस० को छोड़कर निजी जहाज मालिक कम्पनियों द्वारा सभी श्रेणियों के जहाजों की खरीद।

   (ii) भारत में अथवा विदेश में किसी कम्पनी को आगे व्यापार/स्क्रैपिंग के लिये जहाजों की बिक्री।

   (iii) किसी भारतीय शिपयार्ड से जहाज की खरीद, और

   (iv) प्रतिस्थापन टन भार के लिये खरीद।

2. नौवहन कम्पनियों को अपने जहाजों की बिक्री से प्राप्त राशि अपने पास रखने और नई खरीद के लिए उनका उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

3. विदेशी नौवहन कम्पनियों को भारतीय जहाज टाइम चार्टर आउट करने की स्वतन्त्रता।

4. बेयर बोट चार्टर-कम-डिमाइज पद्धति द्वारा वैसल्स की खरीद।

5. जहाजों की मरम्मत के लिये तिमाही ब्लाक एलोकेशन स्कीम को पूर्णत: समाप्त कर दिया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक किसी मूल्य सीमा के बगैर आवश्यकता आधारित मूल्यांकन

माल के लिए जहाज/मरम्मत ड्राई डाकिंग तथा हिस्से-पुर्जों के लिये विदेशी मुद्रा जारी करता है।

6 उर्वरक और पैट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई के भाड़ा-प्रभारों का भुगतान, अब अन्य जिन्सों की तरह परिवर्तनीय मुद्रा में करने की अनुमति है।

[हिन्दी]

फिल्मी सितारों के नाम बकाया आयकर

1764. श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री ललित उरांव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फिल्मी कलाकारों के नाम क्या हैं जिन पर 31 दिसम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार आयकर की अधिकतम धनराशि बकाया थी;

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान प्रत्येक कलाकार पर कितनी धनराशि बकाया थी और इनमें से प्रत्येक व्यक्ति ने कितनी धनराशि जमा की; और

(ग) सरकार इन व्यक्तियों से बकाया धनराशि वसूल करने के लिये क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग)

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	नाम	दिनांक 31-12-92 की स्थिति के अनुसार मांग (रु०)	दिनांक 1-4-92 से 31-12-92 तक वसूली/घटौती (रु०)	वसूली के लिए उठाए गए कदम
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती आर० जयप्रदा	169.13	35.03	अचल संपत्तियां—कर वसूली अधिकारी द्वारा एक आवास, एक थियेटर तथा एक शापिंग काम्प्लेक्स की कुर्की की गई। सम्पत्तियों की बिक्री करने के लिये उनके आरक्षित मूल्य को निर्धारित करने हेतु उपाय किए जा रहे हैं। बैंक के सभी

1	2	3	4	5
				लेखों की भी कुर्की की गई है।
2.	सुश्री ए० श्रीदेवी	40.23	48.66	27.52 लाख रुपए की अविवादास्पद मांग की वसूल करने के लिये वसूली संबंधी उपाय किए जा रहे हैं। 12.71 लाख रुपए की विवादास्पद मांग की वसूली को आयकर आयुक्त द्वारा रोक दिया गया है। दिनांक 1-4-1992 की स्थिति के अनुसार मांग की राशि 88.89 लाख रु० थी।
3.	श्री राजेश खन्ना	36.77	1.90	वार्षिकी पालिसियां वसूली हेतु कुर्की के लिये रखी गई हैं।
4.	सी० सुहासिनी मणिरत्नम	28 35	—	कर वसूली अधिकारी वसूली करने के लिये उपाय कर रहे हैं तथा जनवरी, 1993 में 2.16 लाख रु० की धनराशि की वसूली पहले ही कर ली गई है।
5.	जी० सावित्री (स्वर्गीय) (कानूनी उत्तराधिकारी सतीश)	21.70	—	कर-निर्धारिती की मृत्यु हो गई है तथा कानूनी उत्तराधिकारियों को नियमित मांग का भुगतान करने के लिये दिनांक 25 फरवरी, 1993 तक का समय दिया गया है।
6.	श्री जी० एस० आर० कृष्णमूर्ति	19.28	0.60	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा मंजूर की गई किश्त-योजना के अनुसार वसूलियां की जा रही हैं।
7.	श्री राज बब्बर	18.07	1.75	कर-वसूली अधिकारी मांग

1	2	3	4	5
				की राशि वसूल करने के लिए उपाय कर रहे हैं।
8.	श्री किशोर कुमार गांगुली	17.00	—	—यथोक्त—
9.	श्री गोविन्द आहूजा उर्फ कृष्ण	16.31	—	कर-वसूली अधिकारी ने मांग की राशि को वसूल करने के लिये पहले ही अचल सम्पत्तियों की कुर्की कर दी है।
10.	जी० माधवी	15.33	0.50	यह मामला समझौता आयोग के पास विचाराधीन है।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण

1765. **श्री लोकनाथ चौधरी :**
श्री जी० माडे गौडा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वर्ष 1992 के दौरान वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत ऋण मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत 1993 की प्रथम तिमाही में देश को कितनी धनराशि प्राप्त करने का अधिकार है; और

(घ) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर इस धनराशि का उपयोग करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर बोर्ड द्वारा 31 अक्तूबर, 1991 को वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत 16560 लाख एस० डी० आर० की राशि अनुमोदित की गई। 18 फरवरी, 1993 तक हमने 14250 लाख एस०डी०आर० की राशि पहले ही आहरित कर ली है। 2310 लाख एस० डी० आर० की राशि शेष है जिसे मई, 1993 में निकालना तय हुआ है।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण परियोजनाबद्ध नहीं होते।

संसदीय समिति की सिफारिशें

1766. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों संबंधी संसदीय समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक और सहायक बैंकों को संसदीय समिति के अधिकार क्षेत्र में लाए जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) सरकारी उपक्रमों पर समिति ने अपनी 8वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और उसके अनुषंगी बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं जैसे कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक और भारतीय यूनिट ट्रस्ट को उनकी समीक्षा के दायरे के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये।

(ग) समिति की सिफारिशो की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

बागवानी फसलों का उत्पादन और उनके उत्पादों का निर्यात

1767. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने बागवानी फसलों और फलों, फूलों, सब्जियों, मसालों जैसे उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिये कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि, हां, तो तत्सम्बन्धी वस्तुवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को इस योजना में शामिल करने की कोई सम्भावना है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में समितियां भी स्थापित की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) बागवानी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने 1,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से एक व्यापक योजना तैयार की है। योजना-वार लागत को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये नीति वातावरण बनाने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं। इन कदमों में अन्य बातों के अलावा बागवानी के लिए जरूरी पूंजीगत मालों पर कम सीमा शुल्क लगाना एकीकृत विनिमय दर की शुरुआत आयात-निर्यात नीति 1992-97 में कृषि जन्य क्रियाकलाप को उत्पादक क्रियाकलाप के रूप में परिभाषित करना इत्यादि शामिल हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा ऐसी कोई समितियां स्थापित नहीं की गई हैं।

विवरण

क्रम सं०	कम्पनी/संगठन/योजनावार विस्तृत विवरण	परिव्यय (करोड़ रु० में)
1.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के कार्यक्रम	200.00
2.	नारियल विकास बोर्ड के कार्यक्रम	100.00
3.	मसालों का एकीकृत विकास	150.00
4.	काजू गिरी का एकीकृत विकास	30.00
5.	उष्ण कटिबन्धीय, शुष्क क्षेत्र तथा शीतोष्ण फलों का एकीकृत विकास	85.00
6.	छिड़काव, घास-पात, पालीग्रीन हाइसेज इत्यादि सहित कृषि में प्लास्टिक का उपयोग	250.00
7.	सब्जियों का उत्पादन तथा सब्जियों के बीज के उत्पादन को बढ़ावा	15.00
8.	कोकोआ का विकास	3.00
9.	सुपारी का विकास	5.00
10.	कुकुरमुत्ता का विकास	10.00
11.	कन्द-मूल फसलों का विकास	2.50
12.	पुष्पोत्पादन का विकास	10.00
13.	सुगंधित तथा दवाइयों से सम्बन्धित पौधों का विकास	5.00
14.	पान की पत्ती का विकास	2.00
15.	निर्यात बढ़ाने का कार्यक्रम	132.50
	कुल :	1000.00

[अनुवाद]

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा म्यूचुअल फंडों को स्वीकृति

1768. **डा० परशुराम गंगवार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक ने अब तक कितने म्यूचुअल फंडों को स्वीकृति दी है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) 1993 के दौरान म्यूचुअल फंडों द्वारा जनता के लिए कितने शेयर जारी किए जाएंगे तथा इनकी धनराशि कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र के पांच बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से म्यूचुअल

फंड प्रारम्भ किये हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सिद्धान्त रूप में बड़ौदा बैंक और वैश्य बैंक को भी म्यूचुअल फंड आरम्भ करने के लिए अनुमति दे दी है।

(ख) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत म्यूचुअल फंडों द्वारा सार्वजनिक अंशदान के लिए पेशकश की जाने के लिए यूनिटों की कुल संख्या के बारे में कोई विशिष्ट सीमा निर्धारित नहीं है। साथ ही, अंशदानों की अधिकतम राशि की उच्च सीमा भी निर्धारित नहीं है।

औषधियों की लागत पर पेटेन्ट्स

1769. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पाद पेटेन्टों के विश्लेषण, निर्धारण और प्रदर्शन का औषधों के मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कोई आंकड़े एकत्र किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत-अमरीका संयुक्त व्यापार परिषद् (जे० बी० सी०) ने इन आंकड़ों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो संयुक्त व्यापार परिषद द्वारा इस पर विशेष रूप से औषध पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में व्यक्त मत क्या है; और

(ङ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) 1. भारत-संयुक्त राज्य, संयुक्त व्यापार परिषद् के दिसम्बर, 1992 में विचार-विमर्शों के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि आंकड़े एकत्र किए जाएंगे, और सामान्यत: दवाइयों को वापस पर उत्पाद पेटेन्टों के प्रभाव का निर्धारण और प्रदर्शन करने के लिए विश्लेषण किया जाएगा।

2. उत्पाद पेटेन्टों में शामिल दवाइयों की कीमत पेटेन्टों में शामिल नहीं की गई दवाइयों की अपेक्षा ऊंची है जिसका कारण पेटेन्ट प्रणाली के अंतर्गत दिए गए विशेष अधिकार हैं। तथापि पेटेन्ट प्रणाली से उत्पन्न होने वाली उच्च कीमतों को ठीक-ठीक बताना सम्भव नहीं है क्योंकि यह विभिन्न कारकों जैसे गैर-पेटेन्ट वाली वैकल्पिक औषधियों की उपलब्धता, दवाई की मांग के स्वरूप तथा मोल, इसके विनिर्माण में निहित प्रौद्योगिकी, कीमत नियंत्रण व्यवस्था आदि पर निर्भर करता है। जहां तक दवाइयों की कीमतों पर सामान्य प्रभाव का सम्बन्ध है, यह कहा जा सकता है कि देश के कुल उत्पादन का लगभग 10 में 15% अन्य देशों में दिए गए उत्पाद पेटेन्टों में शामिल है।

3. सरकार ने संयुक्त व्यापार परिषद् के विचार-विमर्शों को ध्यान में रखा है।

संगठित तथा असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना

1770. **श्री आर्क फर्नान्डीज** :
श्री डी० वेंकटेश्वर राव :
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के लिए पेंशन योजना को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में प्रमुख बैंकों की योजनायें

1771. **श्री अन्ना जोशी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992 के दौरान महाराष्ट्र में प्रमुख बैंकों द्वारा कितनी योजनायें तैयार की गई हैं;

(ख) बैंकों और विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा पुणे में इन योजनाओं के लिए कितनी ऋण राशि उपलब्ध कराई गई; और

(ग) पुणे में इन परियोजनाओं के अन्तर्गत कितने कृषकों और लघु उद्योगों को ऋण प्राप्त हुआ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) बैंक, केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकार की एजेन्सियों द्वारा पहचान किए गए व्यक्ति/व्यक्तियों के समूहों को ऋण प्रदान करते हैं। प्रत्येक जिले में अग्रणी बैंक जिला ऋण योजना तैयार करता है और इसे कार्यान्वित करने के लिए अन्य बैंकों के साथ समन्वय करता है। महाराष्ट्र राज्य में वर्ष 1991-92 के दौरान कार्यान्वित की गई कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं ये हैं : समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०), शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने की योजना (एस० ई० ई० यू० वाई०), शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम (एस० ई० पी० यू० पी०), शहरी व्यष्टि उद्यम योजना (एस० यू० एम० ई०), रोजगार संवर्धन कार्यक्रम (ई०पी०पी०) और लोक शाहिर अन्नाभाई साठे विकास निगम, महात्मा फुले पिछड़ी जाति विकास निगम और विमुक्त जाति एवं जनजाति विकास निगम की योजनाएं, विशेष संघटक योजना (एस० सी० पी०) और बायो गैस योजनाएं आदि।

ऊपर उल्लिखित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1991-92 के दौरान पुणे जिले में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए ऋण निम्नानुसार हैं :

		खाते	राशि (लाख रु०)
1	2	3	4
1.	आई० आर० डी० पी०	9063	507.53
2.	एस० ई० ई० यू० वाई	264	49.67
3.	एस० ई० पी० यू० पी०	212	8.58

1	2	3	4
4.	एस० यू० एम० ई०	161	12.90
5.	ई० पी० पी०	23	18.48
6.	लोक शाहिर अन्ना भाई विकास निगम	564	18.15
7.	महात्मा फुले पिछड़ी जाति विकास निगम	1245	47.21
8.	विमुक्त जाति और जन जाति विकास निगम	131	2.86
9.	विशेष संघटक योजना	—	359.00
10.	बायो गैस	1197	50.11

(ग) वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए तरीके के अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होगी। तथा पुणे जिले में वर्ष 1991-92 के दौरान वार्षिक ऋण योजना (फसल ऋण संवितरणों सहित) के अंतर्गत कृषि और लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा प्राप्त किए गए ऋण निम्नानुसार हैं :

	खातों की संख्या	राशि (लाख रुपये में)
कृषि	103677	9133.29
लघु उद्योग	1473	1747.86

रबड़ का उत्पादन और आयात

1772. **श्री सी०पी० मुदालगि रियप्पा :**
श्री के०एच० मुनियप्पा :
श्री ए० चार्ल्स :
श्री पी०सी० थामस :

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस वर्ष प्राकृतिक रबड़ की मांग और आपूर्ति में कोई अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान रबड़ का अनुमानित उत्पादन और इसकी खपत क्या है;

(ग) क्या सरकार का 1993-94 के दौरान प्राकृतिक रबड़ का आयात करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो उसमें कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी और कितनी मात्रा में रबड़ का आयात करने का विचार है;

(ङ) किस दर पर यह आयात किया जायेगा और इस समय रबड़ का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य कितना है;

(च) क्या केन्द्र सरकार को रबड़ बोर्ड से रबड़ के छोटे उत्पादको के हित की रक्षा करने के सम्बन्ध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) वर्ष 1992-93 के दौरान प्राकृतिक रबड़ का संशोधित अनुमानित उत्पादन तथा खपत क्रमशः 395,000 मी० टन तथा 414,000 मी० टन है। तथापि पिछले वर्ष के आगे बढ़ाए गए स्टाक तथा निर्यात हकदारी के विरुद्ध विनिर्माताओं द्वारा किए गए आयात को साथ मिलाकर चालू वर्ष के दौरान रबड़ की मांग और आपूर्ति के बीच कोई घाटा नहीं है।

(ग) से (ङ) जी हां, वर्ष 1993-94 के दौरान रबड़ का उपभोग करने वाले उद्योग की मांग और आपूर्ति के लिए प्राकृतिक रबड़ की 10,000 मी० टन मात्रा का आयात करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। इस आयात में अंतनिर्वाहित विदेशी मुद्रा की राशि खरीद के लिए संविदा की तारीख से अंतर्निहित बाजार में प्राकृतिक रबड़ की कीमत पर निर्भर करेगी।

1 मार्च, 1993 को मलेशिया बाजार में आर० एस० एस० ग्रेड की रबड़ (जो सामान्यतः आयातित है) की कीमत निम्नानुसार है :

	यू० एस० डालर	843.8	प्रति मी० टन पोटपर्यंत शुल्क*
	यू० एस० डालर	50.00	प्रति मी० टन भाड़ा और सर्वेक्षण प्रभार
जोड़ :	यू० एस० डालर	893.8	प्रति मी० टन सी० एंड एफ०

* रायटर की रिपोर्ट के अनुसार

(च) और (छ) सरकार को प्राकृतिक रबड़ की बैंच मार्क कीमत को संशोधित करने के लिए रबड़ बोर्ड से सुझाव प्राप्त हुए हैं। प्राकृतिक रबड़ (आर० एस० ए० 4 ग्रेड) की बैंच मार्क कीमत की 5 जनवरी, 1993 को घोषणा की गई थी चूंकि स्थानीय बाजार में कीमतें हाल ही में घोषित बैंच मार्क कीमत से अधिक चल रही है, अतः किसी भी सरकारी एजेन्सी द्वारा प्राकृतिक रबड़ खरीदे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा आय

1773. **श्री राजे कुमार शर्मा** :
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों से सरकार की विदेशी मुद्रा आय में कमी हो रही है;

(ख) यदि हा, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) किन-किन स्रोतों से विदेशी मुद्रा अर्जित की जा रही है;

(घ) विदेशी मुद्रा भंडार निर्माण में प्रत्येक स्रोत का अंशदान कितना है; और

(ङ) 31 जनवरी, 1993 तक विदेशी मुद्रा भंडार कितना था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश द्वारा विदेशी मुद्रा का अर्जन वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यातों तथा पूंजीगत लेन-देनों के माध्यम से किया जाता है।

(घ) विदेशी मुद्रा भंडार से भुगतान संतुलन की स्थिति परिलक्षित होती है। किसी एक समय में भंडार का स्तर विदेशी क्षेत्र में किए गए बहुत-से लेन-देनों का निवल परिमाण होता है। इसलिये भंडार में हुई वृद्धि में अलग-अलग मदों का अंशदान निर्धारित करना संभव नहीं है।

(ङ) 31-1-93 की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार (सोने और विशेष अधिकारों को छोड़कर) 13,688 करोड़ रुपये का था।

[अनुवाद]

निर्यात संवर्धन हेतु भारत व्यापार संवर्धन संगठन

1774. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत व्यापार संवर्धन संगठन ने निर्यात संवर्धन हेतु उपाय सुझाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन पर क्या कार्यवाही की है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) निर्यात संवर्धन के लिए भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आई० टी० पी० ओ०) द्वारा कोई खास उपाय नहीं सुझाए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रुग्ण लघु उद्योग एककों के लिए वित्तीय सहायता

1775. **श्री हरि सिंह चावड़ा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा गत दो वर्षों के दौरान रुग्ण लघु उद्योग एककों को पुनः चालू करने हेतु गुजरात को कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उपर्युक्त एककों के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) . (क) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने सूचित किया है कि पिछले दो वर्षों में (अर्थात 1900-91 और 1991-92) गुजरात राज्य वित्तीय निगम (जी० एस० एफ० सी०) और गुजरात औद्योगिक निवेश निगम (जी० आई० सी०) ने मिलकर गुजरात राज्य में लघु उद्योग क्षेत्र की 13 इकाइयों को 349 लाख रुपये की पुनरुद्धार राशि मंजूर की गई थी। लघु क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए अपनी पुनर्वित्त योजना के अन्तर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने इस अवधि के दौरान गुजरात राज्य में दो इकाइयों को 33.60 लाख रुपये की सहायता मंजूर की है।

(ख) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने सूचित किया है कि इस प्रकार की सहायता के लिए किसी भी प्रकार की राशि का लक्ष्य निर्धारित करना संभव नहीं है। फिर भी, लघु उद्योग क्षेत्र की

संभावित रूप से अर्थक्षम रुग्ण इकाइयों को अलग-अलग मामले के आधार पर आवश्यकता पर आधारित पुनरुद्धार सहायता दी जाती है। 1992-93 के चालू वर्ष के दौरान गुजरात की राज्य स्तरीय दो वित्तीय संस्थाओं द्वारा 24.75 लाख रुपये का संवितरण किया गया है और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा अपनी पुनर्वित्त योजना के अन्तर्गत अब तक 13.20 लाख रुपये का संवितरण किया गया है।

गैर-सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक मजदूरों के लिए पेंशन योजना

1776. **डा. खुशीराम कुंपरोमल जेस्वाणी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी क्षेत्र औद्योगिक मजदूरों के लिए पेंशन योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने निजी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदाताओं के लिए उपयुक्त पेंशन योजना लागू करने की सिफारिश की थी। प्रस्तावित योजना में अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्ति होने, स्थायी रूप से पूर्ण अपंगता, मृत्यु, इत्यादि की अवस्था में पेंशन की अदायगी की व्यवस्था है। बोर्ड की सिफारिशों पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है।

उड़ीसा में केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हुआ लाभ तथा घाटा

1777. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रतिवर्ष हुए औसत लाभ तथा घाटे का ब्योरा क्या है; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में इन बैंकों को घाटा न हो, क्या कदम उठाये गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) प्राप्त सूचना के अनुसार 1988-89, 1989-90 और 1990-91 (अद्यतन उपलब्ध) तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष लाभ अर्जित करने वाले केन्द्रीय सहकारी बैंकों का औसत लाभ और घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सहकारी बैंकों का औसत घाटा नीचे दिया गया है :

(लाख रुपये)

	लाभ	घाटा
1988-89	14.6	79.0
1989-90	4.5	21.9
1990-91	21.2	20.0

उड़ीसा के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में गत 3 वर्षों के अर्थात् 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के आंकड़े नीचे दिए गये हैं :

(लाख रुपये)

	लाभ	घाटा
1989-90	18.27	100.55
1990-91	53.12	119.80
1991-92	27.32	250.41

(ख) केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा उठाये गये घाटों के अनेक कारण हैं, जैसे निम्न कारोबार, टर्न-ओवर, उच्च प्रबन्ध लागत, प्रचालनों पर कम मार्जिन, ऋण पोर्टफोलियो में विविधीकरण की कमी, यथोचित रूप से निधियों की व्यवस्था में असफलता तथा कम वसूली। केन्द्रीय सहकारी बैंक राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है तथा राज्य के सम्बन्धित विधान द्वारा नियंत्रित होते हैं : केन्द्रीय सहकारी बैंकों के निरीक्षण राज्य सरकार द्वारा किये जाते हैं तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) भी उनका सांविधिक निरीक्षण करता है तथा उपचारात्मक उपायों का सुझाव देता है। जहां तक सहकारी ऋण संस्थानों की खराब वसूली का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों से मीडिया तथा विस्तार तंत्र द्वारा उधारदात्री संस्थाओं की रकमों की वापसी अदायगी के महत्व का प्रचार करने के लिए कहा गया था। बैंकों को भी परामर्श दिया गया है कि वे अपने प्रबन्धन की लागत को उचित स्तर तक ही सीमित रखें।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादनों की नाबार्ड तथा भारत सरकार द्वारा नियमित अंतरालों में मानीटरिंग की जाती है। वित्तीय प्रणाली पर समिति, जिसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं, ने सिफारिश की थी कि लाभप्रदता करने के लिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सभी प्रकार के क्रियाकलापों में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, यद्यपि उनका विशेष ध्यान लक्ष्यगत समूह पर ही रहना चाहिए। सितम्बर, 1992 में नाबार्ड ने सलाह दी है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने विशेक से गैर-लक्ष्य समूहों का अपनी वृद्धिशील उधार के 40% तक का वित्तपोषण कर सकते हैं। सभी 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सम्बन्ध में बकाया पूंजी भी 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दी है। एक भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करने का प्रस्ताव भी किया गया है।

जम्मू-कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम

1778. **श्री गुरुदास कामत** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान लगाई गई समस्त पूंजी समाप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस राज्य के लोगों को पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में निजी प्रचालकों ने उदारता से स्टेज कैरियर परमिट प्रदान करने के उपबन्ध दिये गये हैं। केन्द्र सरकार ने यात्रा करने वाली जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जम्मू तथा कश्मीर सरकार सहित राज्य सरकारों को निजी प्रचालकों को उदारता-पूर्वक परमिट प्रदान करने के लिए पहले ही पत्र लिखे हैं।

[हिन्दी]

आयात-निर्यात पर सीमा शुल्क

1779. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992–93 के दौरान आयात-निर्यात से सीमा शुल्क के रूप में कितनी राशि प्राप्त की गयी; और

(ख) न्यायालयों में आयात-निर्यात पर सीमा शुल्क वसूल करने सम्बन्धी कुल कितने मामले लम्बित हैं तथा इनकी कुल राशि कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) अप्रैल-दिसम्बर, 1992 को अवधि के दौरान निर्यातों और आयातों पर सीमा शुल्क के रूप में वसूल की गई कुल राशि 17809.61 करोड़ रुपये है।

(ख) 31 दिसम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय में आयात-निर्यात से सम्बन्धित सीमा शुल्क की वसूली के अनिर्णीत मामलों की संख्या तथा उनमें ग्रस्त कुल राशि के बारे में सूचना नीचे दिये गये अनुसार है :

मामलों की संख्या	—	10992
ग्रस्त राशि	—	432.05 करोड़ रुपये।

[अनुवाद]

ट्रांसचार्ट विंग सर्विसेज

1780. **डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम :** क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जलयान और फेंटी कार्गो को किराये पर लेने के लिए "ट्रांसचार्ट विंग सर्विसेज" की सेवाओं का उपयोग करने वाली सभी भारतीय कम्पनियों से शुल्क वसूल करने का है;

(ख) यदि हां, तो शुल्क के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कब तक प्रभावी होगा ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने, ट्रांसचार्ट द्वारा ट्रैम्प आधार पर भारतीय नौवहन कम्पनियों ने किराये पर लिए गए भारतीय जहाजों के सम्बन्ध में दिनांक 1 फरवरी, 1993 से भाड़ा/समुक्त

भाड़ा और विलम्ब शुल्क (यदि कोई हो) के 1 प्रतिशत की दर से "चार्टरिंग सेवा प्रभार" लगाने का निर्णय लिया है।

प्रसंस्कृत काजू का निर्यात

1781. श्री संदीपान भगवान थोरात : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रसंस्कृत काजू गिरी के निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो प्रसंस्कृत काजू गिरी का गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष, राज्य-वार, कितना उत्पादन हुआ और कितना निर्यात किया गया;

(ग) क्या काजू उद्योग को किसी गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या कदम उठाये गये/उठाने का विचार है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान काजू गिरी का निर्यात निम्नलिखित है :

वर्ष	मात्रा (एम० टी०)	मूल्य (करोड़ रुपये)
1989-90	45807	365.07
1990-91	49812	441.40
1991-92	64692	668.45

(स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय कलकत्ता)

गिरी के निर्यात के राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) काजू उद्योग को जिन अत्यधिक गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वे निम्नलिखित हैं :

(i) स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त नहीं है और उद्योग को पर्याप्त मात्रा में आयात का सहारा लेना पड़ता है; और

(ii) उत्पादकता का निम्न-स्तर।

इसलिए कृषि मंत्रालय ने भारत में काजू के एकीकृत विकास के लिए एक कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्र-विस्तार, बेहतर रोपण-सामग्री का वितरण, कीट नियंत्रण, उदिभज्ज-कृषि को लोकप्रिय बनाने जैसे उपाय किये गए हैं। कृषि मंत्रालय ने 8वीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान इस योजना के लिए 30 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की है।

सारावती पुल

1782. श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हन्नोवर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर स्थित साराबती पुल जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो इस पुल की दशा सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी निधि दी जाएगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) कर्नाटक में रा० रा० 17 पर हन्नोवर के निकट साराबती पुल में कुछ विकृतियां देखी गई हैं जिनके कारण इस समय पुल पर केवल हल्के वाहनों को चलने की अनुमति दी जा रही है।

(ख) जांच-पड़ताल करने तथा निवारक उपायों का सुझाव देने का कार्य परामर्शदाताओं को सौंपा गया है।

(ग) चूंकि मरम्मत योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, इसलिए मरम्मत कार्य के लिए जारी की जाने वाली संभावित निधियों की अभी जानकारी नहीं दी जा सकती।

पत्तनों का निजीकरण

1783. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई पत्तन की एक अर्ध गैर-सरकारी पार्टी को देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) इस समय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में कम मात्रा में ऋण दिया जाना

1784. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित जिनिंग एण्ड प्रेसिंग मिलों पर कम मात्रा में ऋण देने की नीति लागू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका देश के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर आंध्र प्रदेश में कपास की खरीद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) बैंकों द्वारा जिनिंग और प्रेसिंग मिलों को अग्रिम देने के कार्य का नियन्त्रण, संवेदनशील वस्तुओं पर लागू चयनात्मक ऋण नियन्त्रण (एस० सी० एस०) के प्रावधानों के द्वारा नियन्त्रित होता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उचित ऋण संवितरण प्राप्त करने और साथ ही बैंक ऋणों की सहायता से संवेदनशील वस्तुओं की धारिता संबंधी सट्टेबाजी को रोकने के लिये चयनात्मक ऋण नियन्त्रण ऋण नियन्त्रण तन्त्र है। चयनात्मक ऋण नियन्त्रण उपाय के तहत, ऐसे एककों को दी गई ऋण सुविधाएं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी चयनात्मक ऋण

नियन्त्रण निर्देशों के अनुसार इन पर आधारित होगी : न्यूनतम मार्जिन, ब्याज दर, ऋण का स्तर आदि। जिनिंग और प्रेसिंग मिलों के लिए रूई और कपास की आपूर्ति की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से, और उसके द्वारा आंध्र प्रदेश सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रूई उत्पादकों को राहत प्रदान करने के लिए रूई और कपास की मार्जिन अपेक्षा जो 60% थी, 19-1-1993 से कम करके 45% कर दी गई है और भण्डारण रसीद से इस वस्तु के लिए मार्जिन को उसी तारीख से 45% से कम करके 30% कर दिया गया है।

शहरों का दर्जा बढ़ाना

1785. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से शहरों का दर्जा बढ़ाने के सम्बन्ध में अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे जो अभ्यावेदन मिले हैं उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य में उन शहरों का ब्यौरा क्या है, जिनका अब तक दर्जा बढ़ाया गया है;

(घ) उन अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है जो अभी भी केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे अभ्यावेदनों पर कब तक अन्तिम निर्णय ले लिया जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ) उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पांडिचेरी और गोवा जैसे विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शहरों/कस्बों का दर्जा बढ़ाने के लिये माननीय संसद सदस्यों, कर्मचारी एसोसिएशनों और राज्य सरकारों को मिलाकर भिन्न-भिन्न जगहों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

मकान किराया भत्ते/नगर प्रतिपूर्ति भत्ते के प्रयोजन के लिये शहरों का दर्जा बढ़ाने/पुनर्वर्गीकरण करने का कार्य दस वर्षीय जनगणना के आधार पर शहरों/कस्बों के अन्तिम जनसंख्या आंकड़ों में दी गई जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। वर्ष 1991 की जनगणना के अन्तिम जनसंख्या आंकड़े अब प्राप्त हो गए हैं और इस प्रयोजन के लिए निर्धारित मानदण्ड के अनुसार जहां कहीं आवश्यक है, शहरों का दर्जा बढ़ाने/पुनर्वर्गीकरण करने सम्बन्धी कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

राज्य व्यापार निगम का कार्य निष्पादन

1786. **श्री प्रकाश वी पाटील** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम के वर्तमान कारोबार की क्या स्थिति है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इसका सफलतापूर्वक कार्यनिष्पादन क्या रहा ; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उदार आर्थिक नीति को ध्यान में रखते हुए राज्य व्यापार निगम की क्या नीति है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) पिछले तीन वर्षों तथा अप्रैल, 1992-जनवरी, 1993 के दौरान स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन का कुल कारोबार नीचे दिया गया है :

(करोड़ रु०)

	1989-90	1990-91	1991-92	अप्रैल, 1992-जनवरी, 1993
निर्यात	752	369	625	308
आयात	1070	1332	610	293
आंतरिक	33	55	80	129
जोड़	1855	1756	1315	730

(ख) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के संदर्भ में अपने निगमित उद्देश्यों को पुनः परिभाषित किया है और निर्यात तथा आयात दोनों के गैर-सरणीकृत व्यापार के विकास पर अत्यधिक बल दे रहा है।

व्यापार सुधार

1787. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार व्यापार सुधारों का दूसरा चरण शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो अन्तिम रूप दिए गए/परिकल्पित बुनियादी सुधारों, और मूल ढांचे में विकृति, नकारात्मक सूची में काट-छांट और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और इस बारे में बनाई गई निर्गम नीति का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) सुधार एक सतत प्रक्रिया है। जुलाई-अगस्त, 1991 में शुरू किए गए और एक्जिम नीति 1992-97 में समेकित किए गए संरचनात्मक सुधारों का उद्देश्य विदेश व्यापार के नियन्त्रण-मुक्त ढांचे के तहत भारत की निर्यात क्षमताओं और आत्म-निर्भरता को बढ़ाना है। सुधारों में निषेधात्मक सूची की छंटाई सहित मात्रात्मक, लाइसेंस संबंधी और अन्य नियन्त्रणों को धीरे-धीरे समाप्त करना, निर्यात से जुड़े आयात की व्यवस्था, अत्यधिक महत्व के उत्पादों सहित पूंजीगत वस्तुओं तथा कच्ची सामग्री पर आयात लाइसेंस तथा आयात शुल्कों में कमी करना, निर्यात प्रोत्साहनों को सुदृढ़ करना, व्यापार लेखे पर एकीकृत विनिमय दर शुरू करना और नीतियों तथा क्रियाविधियों को सरल और कारगर बनाकर क्रियाविधि संबंधी बाधाओं को दूर करना शामिल है।

आतंकवाद को पाकिस्तान की सहायता

1788. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :
श्री रवि राय :
श्री जार्ज फर्नान्डीज :
श्री मोहन रावले :
श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान की गुप्तचर सेवा ने संयुक्त अरब अमीरात और मुम्बई में कार्यरत अपने सूत्रों के जरिये भारत के लिये भारी मात्रा में स्वचालित अस्त्र-शस्त्रों की खेप जलयानों से भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में इन बुरी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) माननीय सदस्य का आशय संभवत: उन कुछेक प्रेस रिपोर्टों से है जिनमें यह बताया गया था कि पाकिस्तान की आंतरिक आसूचना सेवा के पश्चिमी तट पर विशेष रूप से मुम्बई तथा उसके आसपास चोरी-छिपे हथियार उतारकर कुछेक तस्करी करने वाले गिरोहों की मदद से भारत में हथियारों की तस्करी की है। तथापि, उपलब्ध रिपोर्टों से इस तरह आग्नेयास्त्र उतारने की किसी घटना का पता नहीं चलता है।

(ग) सरकार ने क्षेत्रीय कार्यालयों को सतर्क कर दिया है और इस तरह की तस्करी की रोकथाम और उसका पता लगाने के कार्य में लगी सभी एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ तालमेल रखा जा रहा है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को आयकर में छूट

1789. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :**
श्री के० एच० मुनियप्पा :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को आयकर में छूट दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस छूट को कब बन्द किया गया था;

(घ) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को आयकर में छूट देने की मांग की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हां। आई० डी० बी० आई० अधिनियम, 1964 की धारा 35 के आधार पर मैसर्स आई० डी० बी० आई० को कर-निर्धारण वर्ष 1991-92 तक आयकर की अदायगी से छूट प्राप्त थी।

(ग) यह छूट कर-निर्धारण वर्ष 1992-93 से वापस ले ली गई है।

(घ) आई० डी० बी० आई० से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण/मरम्मत

1790. **श्री शिवराज सिंह चौहान :**
श्री एन० जे० राठवा :

क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों, विशेष रूप से मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय जल मार्गों पर निर्माण/मरम्मत किए जाने वाले पुलों की संख्या कितनी है; और

(ख) इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) आठवीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में 52.70 करोड़ रु० की लागत के 10 बड़े पुलों और 11.79 करोड़ रु० की लागत के 32 छोटे पुलों सहित, विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 460 करोड़ रुपए की लागत के 75 बड़े पुलों और 150 करोड़ रुपए की लागत के 353 छोटे पुलों का निर्माण शुरू करने का प्रस्ताव है। 8वीं योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 38.00 करोड़ रु० की लागत से छः बड़े पुलों की मरम्मत करने/मजबूत बनाने का भी प्रस्ताव है :

तथापि, वर्ष 1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश की परियोजनाओं समेत विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की जानकारी संसद द्वारा अनुदान मांगों का अनुमोदन किए जाने के बाद ही दी जा सकती है।

(ख) इस परियोजना के लिए कोई निधियां निर्धारित नहीं की गई हैं और यह यह योजना आयोग द्वारा वर्ष प्रति वर्ष किए जाने वाले निर्णयों के आबंटन पर निर्भर करेगा।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पद

1791. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय/विभाग/उपक्रमों में दिसम्बर, 1992 तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों में से कितने पद रिक्त थे और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) इन पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

बाल श्रमिक

1792. **श्रीमती शीला गौतम** :
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री राजेश कुमार :
श्री कोडीकुन्नील सुरेश :
श्री संदीपान भगवान थोरात :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री प्रबीन डेका :

क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने बाल श्रमिक सम्बन्धी कानून को लागू कराने के पर्याप्त कदम उठाए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) संगठित क्षेत्र उद्योग में कार्यरत बाल श्रमिकों की अनुमानित संख्या कितनी है; और

(घ) इन बच्चों को राहत और पुनर्वास पैकिज प्रदान करने के लिए तैयार की गई समयबद्ध कार्ययोजना क्या है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) बाल श्रम कानूनों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न राज्य सरकारों ने संगत अधिनियमों के अन्तर्गत सक्षम प्रवर्तन प्राधिकारियों को अधिसूचित किया है। इन प्राधिकारियों को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वे कार्यस्थलों का नियमित निरीक्षण करें और कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन की सूचना मिलने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन दायर करें।

(ग) 1981 की जनगणना के अनुसार विनिर्माण, निर्माण और परिवहन क्षेत्र तथा व्यापार एवं अन्य सेवाओं में 16.5 लाख बालक नियोजित थे।

(घ) बाल श्रमिक पद्धति उत्पन्न करने वाली परिस्थिति की सामाजिक आर्थिक जटिलताओं के कारण इन बालकों को राहत और पुनर्वास पैकेज उपलब्ध कराने के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार करना कठिन है।

सीमा-शुल्क विभाग द्वारा छापे मारना

1793. **श्री ललित उरांव** : क्या वित्त मन्त्री 31 जुलाई, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3728 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ बड़ी निर्यातोन्मुख कम्पनियों के परिसरों पर मारे गये छापों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित कर ली है;

(ख) यदि हां, तो कम्पनी-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) अपेक्षित सूचना सदन के पटल पर कब तक रखी जाएगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

निर्यातोन्मुखी एकक का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	छापा मारने का वर्ष	लगाए गए कथित मूल्य अवमूल्यांकन/उल्लंघन की राशि
1	2	3	4
1. मै० थेमिस कैमिकल्ज	गुजरात	1991	लगभग 6.36 लाख रुपए
2. मै० नासा कान्टीनेन्टल एक्सपोर्टस लि०, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	1992	लगभग 25 लाख रुपए

1	2	3	4
3. मै० आर्यन फाइन फैब० लि०, राजपुर-कादी—जिला मेहसाना	गुजरात	1992	लगभग 29.03 लाख रुपए
4. मै० प्राइम होम कम्प्यूटर (प्रा०) लि०, ओखला	दिल्ली	1992	लगभग 39.68 लाख रुपए
5. मै० बम्बई आर्ट ज्वैलर्स, फाल्टा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन	पश्चिमी बंगाल	1992	3.5 किलोग्राम सोना कम पाया गया था।

[अनुवाद]

जहाजों की खरीद के लिए विदेशी नौवहन कम्पनियों द्वारा धन दिया जाना

1794. श्री जार्ज फर्नान्डीज :
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को जहाज खरीदने के लिए कई विदेशी जहाजरानी कम्पनियों ने धन देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात व्यापार

1795. श्री अन्ना जोशी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 6 माह के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा कुल कितनी धनराशि का निर्यात किया गया;

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में यह वृद्धि कितनी है;

(ग) निगम द्वारा किन-किन देशों को निर्यात किया जा रहा है; और

(घ) नए बाजारों में प्रवेश हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) एस० टी० सी० ने पिछले छह महीनों (अगस्त, 1992 –जनवरी, 1993) के दौरान 211 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात किया।

(ख) और (ग) एस० टी० सी० का निर्यात पिछले छह महीनों में पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए निर्यात (322 करोड़ रुपये मूल्य) की तुलना में कम हुआ है और यह गिरावट सरणीकृत निर्यात में कमी किए जाने के कारण आई।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एस० टी० सी० द्वारा निर्यात इन प्रमुख देशों को किया जा रहा है—सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, जर्मनी, सं० रा० अमरीका, ब्रिटेन, स्वीडन, कोस्टारिका, चाइना,

कोलम्बिया, यमन, दुबई, जापान, मास्को, मालदीव, इटली, ईरान, पाकिस्तान, कोरिया, फिलीपीन, ताइवान, मिस्र तथा कुवैत ।

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान एस० टी० सी० अनेक नए बाजारों में प्रवेश करने में सफल रहा है। ये बाजार हैं : हल्के इंजीनियरी मदों के लिए जिंबाब्वे, सीरिया, तंजानिया, अण्डों के लिए बहरीन, रसगुल्लों के लिए सिंगापुर, चमड़ा परिधानों के लिए स्पेन, अमिट स्याही के लिए घाना, सूटकेसों/प्लास्कों के लिए फ्रांस, सिगरेटों/सुगन्धियों के लिए रूस, आभूषणों के लिए जर्मनी, पैकेट बन्द चाय के लिए स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल, बल्क दवाइयों/औषधि उत्पादों के लिए वियतनाम और दाना लासा भोजन के लिए इण्डोनेशिया/सिंगापुर ।

विदेशों में संयुक्त उद्यमों के लिए अनुमति

1796. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीकों को अब विदेशों में संयुक्त उद्यम लगाने के लिए अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार के संयुक्त उद्यमों के लिए स्वीकृत विदेशी मुद्रा की राशि भी बढ़ाई गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) विदेशों में पूंजी निवेश सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांतों में संयुक्त उद्यमों में भारतीय इक्विटी भागीदारी की किसी प्रकार की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है ।

(घ) प्रश्न नही उठता ।

[हिन्दी]

अफीम का उत्पादन

1797. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफीम की घरेलू वार्षिक खपत कितनी है;

(ख) इसका प्रयोग किन-किन प्रयोजनों हेतु किया जाता है;

(ग) 1993-94 के दौरान अफीम के उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्य जितना है; और

(घ) पोस्त की खेती हेतु पहचाने गए क्षेत्र कौन-कौन से हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) वर्ष 1992-93 के दौरान, ओपिएट अल्कालायड, अफीम केक, पाउडर के निर्माण तथा अफीम के पंजीकृत व्यसनियों के लिए राज्य सरकारों को जारी करने के लिए देश में लगभग 107 मीटरी टन अफीम की आवश्यकता होती है। विनिमय के आधार पर अफीम के निर्यात के बदले कोडीन

फॉस्फेट तथा नार्कोटीन बी० पी० का आयात करने के लिए, 140 मीटरी टन और अधिक अफीम की आवश्यकता होती है।

(ग) पोस्त फसल वर्ष 1993-94 के लिए अफीम के स्वदेशी उत्पादन के सम्बन्ध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में उन अधिसूचित क्षेत्रों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है, जहां फसल वर्ष 1992-93 के दौरान अफीम-पोस्त की खेती की अनुमति दी गई है।

विवरण

मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में उन अधिसूचित क्षेत्रों के ब्यौरे दर्शाने वाली सूची जहां फसल-वर्ष के दौरान अफीम पोस्त की खेती करने की अनुमति दी गई है।

क्र०सं०	जिले का नाम	विस्तार तहसील/परगना
1	2	3
	मध्य प्रदेश राज्य	
1.	मंदसौर	नीमच, मंदसौर, मनता, भानपुरा, जावड़, मल्हारगढ़, सीतामऊ और गरोठ।
2.	रतलाम	रतलाम, सैलाना, जोरा और अलोत।
3.	झाबुआ	पेटलावाड।
4.	उज्जैन	खवंरोड और माहिदपुर।
5.	राजगढ़	जीरापुर।
6.	शाजापुर	सुसनेर, आगार, नलखेड़ा और बरोड।
7.	ग्वालियर	ग्वालियर।
	राजस्थान राज्य	
1.	कोटा	रामगंज मंडी, संगोद, लाडपुरा।
2.	बरान	बरान, छाबरा, छिपाब रोड, अतरू।
3.	बूंदी	बूंदी।
4.	झालवाड़	झालारपाटन, खानपुर, अकलेरा, पाच पहाड़, पिरावा और गंगधार।
5.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़, भडेतर, डूंगला, वेगुन, निंबाहेरा, छोटी

1	2	3
		सदरी, बड़ी सादड़ी, प्रतापगढ़, अरनोद, गंगरार, कापासन और रशमी।
6.	उदयपुर	वल्लभ नगर, मावीली, धरियावाड़ और उदयपुर।
7.	भीलवाड़ा	मंडलगढ़, कोटरी और जहाजपुर।
8.	बांसवाड़ा	घाटोल (चित्तौड़गढ़ जिले की प्रतापगढ़ तहसील का सीमावर्ती केवल सेमलिया ग्राम)
	उत्तर प्रदेश राज्य	
1.	फैजाबाद	मांगालसी (तहसील फैजाबाद) खण्डासा, रथ और आचार्य नरेन्द्र देव विश्वविद्यालय, कुमारगंज (तहसील बीकापुर)।
2.	माऊ	नायपुर और घोसी (तहसील घोसी)।
3.	गाजीपुर	जमानिया (तहसील जमानिया)।
4.	बाराबंकी	सुरजापुर, रूदौली, मावाई, बसोधी और दरियाबाद (तहसील राम स्नेही घाट), प्रतापगंज, सतहरिख, नवाबगंज और देवा (तहसील नवाबगज), बद्दुसराय, फतेहपुर, हैदरगढ़, राम नगर और कुर्शी (तहसील फतेहपुर), सिदौर और सुबेहा (तहसील हैदरगढ़)।
5.	लखनऊ	मोहनलाल गंज, राष्ट्रीय वनस्पति अनुंसंधान उद्यान और सैंट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ मैडिसिनल एण्ड एरोमैट्रिक प्लांट, लखनऊ (तहसील मोहनलाल गंज)।
6.	रायबरेली	कुम्हरावन (तहसील महाराजगज)।
7.	शाहजहांपुर	जलालाबाद और कान्ठ (तहसील जलालाबाद), तिलहर, कटरा और खेड़ा बझेरा (तहसील तिलहर)।
8.	बरेली	बरेली, सिरौली (उत्तरी) (तहसील बरेली), सनेही, ओनला, सिरौली (दक्षिणी) और बलिया (तहसील ओनला) फरीदपुर (तहसील फरीदपुर), इसापुर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली का फार्म।
9.	बदायूं	बदायूं और उझानी (तहसील बदायूं), सलेमपुर, उसैंट (तहसील दातागंज), सतासी, बिसौली और इस्लामनगर (तहसील बिसौली), सहसवान और कोट (तहसील सहसवान)।

[अनुवाद]

निर्यात ऋण लागत

1798. **डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्यात ऋण लागत को कम करके विश्व के स्तर तक लाने का है जो 6 से 9 प्रतिशत तक है; और

(ख) क्या सरकार का निर्यात हेतु कच्चे माल के आयात पर शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने तथा सीमा शुल्क और ब्याज दरों में कमी करके पूंजी लागत को कम करने का भी विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद : (क) बैंक पहले से ही रियायती ब्याज दरों पर निर्यात ऋण उपलब्ध कराते रहे हैं, जो कि अन्य प्रकार के ऋणों की तुलना में लगभग 4 प्रतिशतांक कम है। इसके अतिरिक्त, रुपया-निर्यात ऋण पर ब्याज दरें हाल ही से पहली मार्च, 1993 से समान रूप से एक प्रतिशतांक कम की गई हैं। डालर मूल्यवर्गित निर्यात ऋण अब 6.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध है जो अन्तर्राष्ट्रीय दरों के अनुकूल है।

(ख) सरकार, निर्यात लाइसेंसों की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत निर्यात उत्पादन के प्रयोजन के लिए आवश्यक कच्चे माल संघटकों, मध्यवर्तियों, उपभोज्य वस्तुओं, हिस्से पुर्जों, अतिरिक्त पुर्जों और पैकिंग सामग्री के शुल्क-मुक्त आयातों की पहले ही अनुमति दे चुकी है। निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (वस्तु) योजना के अधीन 15 प्रतिशत की रियायती दर पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात की भी अनुमति दी गई है। इसके अलावा, 1993-94 के लिए केन्द्रीय सरकार के बजट में यह प्रस्ताव किया गया है कि परियोजनाओं और आम मशीनरी पर आयात शुल्क 55 प्रतिशत से कम करके 35 प्रतिशत किया जायेगा और निर्यात प्रतिबल क्षेत्रों जैसे वस्त्रोद्योग, चमड़ा, समुद्री उत्पादों, हीरे और जवाहरातों आदि निर्दिष्ट पूंजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क को 40 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत किया जाएगा।

2 लाख रुपये से अधिक के बैंक अग्रिमों पर ब्याज दर को भी पहली मार्च, 1993 से 18 प्रतिशत (न्यूनतम) से कम करके 17 प्रतिशत (न्यूनतम) कर दिया गया है।

कर्नाटक में फालतू "रक्षा भूमि"

1799. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में स्थान-वार कुल कितनी फालतू रक्षा भूमि उपलब्ध है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार और नगर पालिकाओं को फालतू रक्षा भूमि बाजार मूल्य पर बेचकर आवास परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) इस भूमि को बेचने से कितनी राशि प्राप्त होगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कर्नाटक राज्य के बेलरी नामक स्थान में, 182.59 एकड़ भूमि अस्थायी और पर रक्षा आवश्यकताओं से फालतू पाई गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रसंस्कृत पदार्थों के सम्बन्ध में "एक्स्ट्रीम फोकस ग्रुप" की रिपोर्ट

1800. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के सम्बन्ध में "एक्स्ट्रीम फोकस ग्रुप" की रिपोर्ट मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या-क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक विवरण-पत्र संलग्न है जिसमें मुख्य-मुख्य सिफारिशें और उन पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई दर्शाई गई हैं।

विवरण

सिफारिशें	की गई कार्रवाई
1	2
1. रुपये की आंशिक परिवर्तनीयता का लाभ जारी रखा जाए।	सरकार ने व्यापार खाते पर एकीकृत विनिमय-दर की घोषणा कर दी है।
2. नाबार्ड उद्यान उत्पादों के लिए अपेक्षतया कम ब्याज दरों पर वित्त उपलब्ध कराये।	बैंकों को नाबार्ड को निवेश पुनर्वित्त की सहायता राशि जो वर्ष 1992-93 में 2300 करोड़ रु० की रही थी वह वर्ष 1993-94 के दौरान 22% से बढ़ाकर 2800 करोड़ रु० की हो जायेगी। इनके अलावा, नाबार्ड 100% निर्यात अभिमुख कृषि परियोजनाओं के मामलों में 2 लाख रु० से अधिक राशि के ऋणों के लिए 10% की रियायती ब्याज-दर प्रदान करता है।
3. एपीडा को विदेशों में सामान्य प्रचार के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई जाएं।	एपीडा का कुल परिव्यय जो वर्ष 1992-93 में 1.9 करोड़ रु० रहा उसे 1993-94 में बढ़ाकर 6.23 करोड़ रु० कर दिया गया है।
4. एपीडा क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करे और व्यापार मेलों में सहभागिता करे।	इसे क्रियान्वित किया जा रहा है।

1	2
5. जो एकक अपने उत्पादन का 45% हिस्सा निर्यात करते हैं उन्हें विद्युत टैरिफ दरों में 25% की छूट प्रदान की जाए।	सरकार का उद्देश्य यह है कि निर्यात के लिए एक नीति-वातावरण तैयार किया जाये न कि राज्य विद्युत बोर्डों पर बोझ डालते हुए उपदान योजनाएं लागू की जाएं। अतः यह प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य नहीं है।
6. रेफ्रिजरेटेड वैनों और उन पर उपदान अधिक उपलब्धता हो।	कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के जरिए एक ऐसी योजना क्रियान्वित की जा रही है जिसके तहत निर्यात हेतु उद्यान-उत्पादों सहित कृषि मदों को लाने-ले जाने के लिए रेफ्रिजरेटेड वैन प्राप्त करने पर उपदान दिया जायेगा।
7. शिपिंग कार्पोरेशन दरों में 40% तक की कटौती करे।	सरकार का यह उद्देश्य है कि उद्यान उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए एक नीति-वातावरण बनाया जाये और शिपिंग कारपोरेशन पर बोझ डालते हुए उपदान योजना लागू करना नहीं है। अतः यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता।
8. लदान-पूर्व और लदान-पश्चात ऋण पर ब्याज की दर 9% से अधिक न हो।	वित्त मंत्री जी ने रुपया निर्यात ऋण पर एक प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है।
9. वाणिज्य मंत्रालय को चाहिए कि वह विशेष रूप से ई०ई०सी देशों से रियायती शुल्कों पर कोटा-आबंटन प्राप्त करें।	औद्योगिक दृष्टि से विकसित देश विकासशील देशों से आयातित लगभग सभी विनिर्मित तथा अर्द्ध-विनिर्मित औद्योगिक उत्पादों और कुछ चुनिन्दा कृषि उत्पादों पर टैरिफ अधिमान प्रदान करते हैं। हाल ही में हमने आर्थिक समुदाय से अनुरोध किया है कि वह कृषिजन्य तथा औद्योगिक उत्पादों को, विशेषकर प्रसंस्कृत सब्जियों तथा फलों को शामिल करते हुए अपनी योजना में सुधार करे।

बाल श्रमिक

1801. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के तत्वावधान में बाल श्रमिक उन्मूलन हेतु एक कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा देश को कोई धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू की गई परियोजनाओं/योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी ने 31 दिसम्बर, 1993 तक की अवधि के लिए भारत में बाल श्रम उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आई० पी० ई० सी०) के लिए 2.25 मिलियन अमेरीकी डालर (लगभग 26.97 करोड़ रुपये के बराबर) निश्चित किये हैं।

(घ) अब तक आई० पी० ई० सी० के अन्तर्गत देश भर में लगभग 9,600 कामकाजी बच्चों को शामिल करने वाले तीस कार्यवाही कार्यक्रमों को स्वीकृति दी गई है। उद्योगों में (15 कार्यक्रम), कृषि क्षेत्र में (3) और अनौपचारिक और सेवा क्षेत्रों में कार्य करने वाले बच्चों के लिए (12) पर ध्यान देने के लिए इन्हें केन्द्रित किया गया है। कामकाजी बच्चों के माता-पिताओं और सामान्य रूप से समुदाय के लिए जागरूकता पैदा करने के अतिरिक्त कार्यक्रमों में कल्याणकारी गतिविधियों जैसे अनौपचारिक शिक्षा, पोषणाहार सहायता, स्वास्थ्य जांच और व्यावसायिक प्रशिक्षण, पर ध्यान दिया जाता है।

[हिन्दी]

सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक की नई शाखायें

1802. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में केन्द्रीय सहकारी बैंक की नई शाखायें खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो इन शाखाओं को कहां-कहां खोले जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) केन्द्रीय सहकारी बैंक राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में होते हैं और वे राज्य के संबद्ध सहकारी कानून से नियंत्रित होते हैं। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसे कि सहकारी समितियों पर लागू है) की धारा 21 (1) (ख) के अनुसरण में केन्द्रीय सहकारी बैंकों को परिचालन के अपने क्षेत्र के अन्तर्गत नई शाखायें खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अपने परिचालन क्षेत्र के अन्दर-अन्दर शाखायें खोलने के लिए संबद्ध राज्य के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से अनुमति प्राप्त करनी होती है।

बिहार और उड़ीसा के लिए स्वीकृत ऋण

1803. **श्री ललित उरांव** :
डा० कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार और उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों द्वारा 1990-91, 1991-92 और 1992-93 में (31 दिसम्बर, 1992 तक) स्वीकृत और बांटे गये ऋण का संस्था-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार

महमद) : बिहार और उड़ीसा में वर्ष 1990-91 और 1991-92 (अद्यतन उपलब्ध) के दौरान सरकारी क्षेत्र में वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर और संवितरित किये गये ऋण का संस्था-वार विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(करोड़ रुपये)

क्रम सं०	वित्तीय संस्था का नाम	1990-91				1991-92			
		उड़ीसा		बिहार		उड़ीसा		बिहार	
		मंजूर	संवितरण	मंजूर	संवितरण	मंजूर	संवितरण	मंजूर	संवितरण
1.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	110.0	129.5	56.1	42.8	108.2	137.51	315.	123.7
2.	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	47.4	62.6	24.0	5.5	40.4	42.3	6.4	12.7
3.	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	50.7	45.5	44.4	43.5	56.2	42.6	47.0	33.6
4.	भारतीय औद्योगिक पुर्ननिर्माण बैंक	—	1.2	1.7	5.7	0.5	—	2.4	5.5
5.	भारतीय जीवन बीमा निगम	6.5	5.5	0.8	5.5	4.9	12.6	57.1	82.8
6.	भारतीय यूनिट ट्रस्ट	7.6	12.3	1.9	2.7	10.1	6.3	1.9	2.3
7.	भारतीय साधारण बीमा निगम	9.0	—	—	0.9	—	3.7	21.5	8.7
8.	राज्य वित्त निगम	49.7	49.7	23.2	27.5	49.4	50.8	27.6	22.4
9.	राज्य औद्योगिक विकास नियम	16.1	16.5	20.5	17.7	13.4	11.5	28.2	9.7

[अनुवाद]

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पेंशन का वितरण

1804. **श्री अन्ना जोशी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक की कुछ शाखाओं द्वारा पेंशनधारियों को पेंशन का वितरण कार्य दिवसों को 14.30 बजे के बाद ही किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इन शाखाओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सामान्य कार्य के घंटों के दौरान पेंशन का वितरण करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पोर्टफोलियो मैनेजरों का वर्गीकरण

1805. **श्री गुरुदास कामत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पोर्टफोलियो मैनेजरों को अपने ग्राहकों की राशि को बट्टागत हुन्डियों, बदली बिल व्यवस्था और ऋण देने सम्बन्धी कार्यों में लगाने पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं से सम्बन्धित बैंकों को दिये गये उनके अनुदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि फोर्टफोलियो निधियों का उपयोग मांग मुद्रा/नोटिस मुद्रा, अन्तर बैंक सावधि जमा राशियों और बिल भुनायी बाजारों और निगमित निकायों को उधार देने/रखने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं किया है।

(घ) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 की मरम्मत

1806. **श्री शिवराज सिंह चौहान :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओबेदुल्ला और टेंडखेड़ा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 यातायात के लिए उपयुक्त नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग के इस खंड की मरम्मत और विकास के लिए धन आवंटित करने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) ओबेदुल्ला गंज और टेंडखेड़ा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-12 यातायात योग्य स्थिति में है। तथापि, बारिश के मौसम के दौरान कुछ ऐसे खंडों से यातायात में बाधा पहुंचती है जहां सड़क इकहरी लेन की एवं काली मिट्टी की है।

(ख) रा० रा०-11 के ओबेदुल्ला गंज—टेंडखेड़ा खंड में 319.03 लाख रु० की लागत से मार्ग को चौड़ा करने सम्बन्धी कार्य को मिलाकर छः परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। इसके अतिरिक्त

655.90 लाख रु० की लागत से मार्ग को चौड़ा करने सम्बन्धी दो परियोजनाएं मंजूर की गई हैं जिनमें इस भाग का एक हिस्सा तथा रा० रा०-12 के साथ लगते खंड शामिल हैं। वर्ष 1992-93 के दौरान मध्य प्रदेश में प्रश्नगत खंग सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए 1213.25 लाख रु० की राशि जारी की जा चुकी है।

[अनुवाद]

दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापार

1807. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका को हमारा निर्यात बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में किन क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अफ्रीका के साथ कितने परिमाण में व्यापार होने का अनुमान है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) अभी दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापार पर प्रतिबंध है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

मलेशिया से पाम आयल का आयात

1808. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में पाम आयल के आयात के लिए मलेशिया के साथ किसी समझौते को अन्तिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अब तक कुल कितनी मात्रा में इसका आयात किया गया है तथा इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) अगस्त, 1992 में, मलेशिया के प्रारंभिक उद्योग मंत्री तथा तत्कालीन वाणिज्य मंत्री के बीच एक "सहमत कार्यवृत्त" पर हस्ताक्षर किये गये थे जिसमें दो वर्षों की अवधि के लिए भारत द्वारा मलेशिया से पाम आयल के आयात करने की व्यवस्था की गई है।

(ख) सहमत कार्यवृत्त में खाद्य तेल की मांग-सप्लाई को ध्यान में रखते हुए दो वर्षों के लिए मलेशिया से एक वर्ष में पाम-आयल की कम से कम 3 लाख मी० टन की मात्रा की खरीद की व्यवस्था की गई। सहमत कार्यवृत्त में साक्ष्य लेखा-तंत्र (एवीडेंस अकाउंट मकेनिज्म) को पुनः सक्रिय करने की भी व्यवस्था की गई जिसके अन्तर्गत मलेशिया भारतीय पार्टियों को परियोजनाएं देगा।

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा अब तक लगभग

39.66 करोड़ रु० के सी० आई० एफ० मूल्य के 30,000 मी० टन पामोलिन का आयात किया गया है।

[हिन्दी]

रूस के उप-प्रधान मंत्री की भारत यात्रा

1809. **श्री राम कापसे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के उप-प्रधान मंत्री ने जनवरी, 1993 में भारत की यात्रा की थी और भारतीय नेताओं के साथ वार्ताएं की थीं;

(ख) यदि हां, तो वार्ताओं में कौन-कौन से द्विपक्षीय मुद्दे उठाये गए और उनके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) इन निष्कर्षों पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा०अबरार अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह यात्रा रूस के राष्ट्रपति श्री येलत्सिन की दिनांक 27-29 जनवरी, 1993 तक भारत की यात्रा के लिए तैयारी के सम्बन्ध में थी। रुपया-रूबल विनिमय दर के मामले पर भी विचार-विमर्श हुआ। रूस के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान रुपया-रूबल विनिमय दर और भूतपूर्व सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ को भारत के रूबल में मूल्यवर्गित की वापसी अदायगी के लिए इसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में एक करार सम्पन्न किया गया.

[अनुवाद]

12.00 मध्याह्न

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, हिन्दुस्तान उर्वरक निगम की उर्वरक प्रोत्साहन और कृषि अनुसंधान डिवीजन को प्रबन्धकों द्वारा 1 अप्रैल, 1993 से बन्द किया जा रहा है और निगम के अध्यक्ष (चेयरमैन) तथा प्रबन्ध निदेशक ने असम, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में कार्यरत लगभग 1200 कर्मचारियों, जिनमें 700 वैज्ञानिक भी शामिल हैं, की छंटनी के लिए 1-3-93 को उर्वरक तथा रसायन मन्त्री को एक नोट भेजा है। यह ऐसे समय किया जा रहा है जबकि उर्वरक मूल्य निर्धारण सम्बन्धी संयुक्त समिति ने सरकार से पुरजोर आग्रह किया है कि वह उर्वरकों के वैज्ञानिक तथा बेहतर उपयोग के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए विशेष योजनाएं तैयार करे और आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराए। ऐसे समय में एक प्रमुख संस्थान को बन्द किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यह रुग्ण इकाई थी। यह कुछ विदेशी परियोजनाओं की सहायता से अपने आप चल रही थीं। ऐसा नहीं है कि इसमें सरकार पर कोई अधिक वित्तीय बोझ पड़ेगा।

इसके बावजूद, इसे बन्द करने का निर्णय लिया गया है। क्या सरकार यह चाहती है कि आगे से उर्वरकों पर हमारा सारा अनुसन्धान तथा कृषि पद्धतियों पर हमारा अनुसंधान विदेशों में ब्रिटेन, जर्मनी में हो, यहां पर नहीं ? हम जानना चाहते हैं कि इस संस्थान को क्यों बन्द किया जा रहा है।

इसके साथ ही, जबकि मन्त्री महोदय यहां मौजूद हैं, मैं जानना चाहती हूं कि राष्ट्रीय महत्व के इस संस्थान को बचाने के लिए क्या सरकारी स्तर पर निम्नलिखित के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाएगी। पहले, क्या सरकार ओ० डी० ए० द्वारा संस्तुत कृषि व्यवस्था पर प्रस्तावित सहायता प्राप्त परियोजना की मंजूरी के मामले को ब्रिटिश सरकार के सम्मुख उठाएगी, इसके साथ ही क्या इस संस्था को कृषि मन्त्रालय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियन्त्रण में रखा जाएगा ताकि वह भारत के ग्रामीण विकास योजना के तहत विभिन्न कृषि परियोजनाओं को लागू कर सके।

मैं मन्त्री महोदय का उत्तर चाहती हूं

अध्यक्ष महोदय : कुमारी ममता बनर्जी।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मन्त्री महोदय इस समस्या से अवगत हैं। वह इस पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बगैर बोला कोई भी शब्द कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं होगा।

(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : कुमारी ममता बनर्जी।

(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बगैर कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

(**व्यवधान**)

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझती हूं कि वित्त मंत्रालय को इस मामले पर गौर करना चाहिये। (**व्यवधान**) हमें अन्य मुद्दे उठाने चाहिए। वित्त मन्त्री इस पर गौर करेंगे। (**व्यवधान**)

कृपया मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने दें। मैं पहले ही आपके मुद्दे का समर्थन कर चुकी हूं।

अध्यक्ष महोदय, बंगला समाचारपत्र आजकल में यह रिपोर्ट छपी है कि पश्चिम बंगाल में रघुनाथगंज में पांच आदिवासी लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। (**व्यवधान**)

आप क्यों हंस रहे हैं? आपको हंसना नहीं चाहिये। (**व्यवधान**)

पिछली बार भी माल्दा जिले में मानिक चाक में 12 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था।

पश्चिम बंगाल में बिराटी में भी आठ से दस महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और इस बार पांच महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। वे छोटी लड़कियां हैं।

यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। आदिवासी लड़कियों को कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं है।

मैं संसदीय कार्य मन्त्री के माध्यम से गृह मन्त्री से अनुरोध करती हूं कि कि मामले की जांच

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

की जाए और सभा को तथ्यों से अवगत कराया जाए और देश भर में महिलाओं के हितों की रक्षा की जाए।

मैं चाहती हूं कि इस घटना के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री सूरज मंडल बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके पास इस घटना की जानकारी नहीं है। यह घटना एक विशेष स्थान पर हुई है। इस मुद्दे पर देश के किसी अन्य स्थान से आए किसी सदस्य द्वारा अपने विचार व्यक्त करना गलत होगा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप सरकार से कुछ जानकारी चाहते हैं तो आपको 20 दिन का नोटिस देना होगा और उसे मंत्री को भेजना होगा और फिर जानकारी प्राप्त होगी। यहां पर आप मन्त्रियों को नोटिस दिए बगैर ही मुद्दे उठा रहे हैं और फिर उत्तर की भी अपेक्षा रखते हैं। ऐसा ही हो रहा है।

मैं सर्वप्रथम तो यह कहता हूं कि जिन सदस्यों को मैंने इस समय विशेष रूप से अनुमति दी उनके वक्तव्यों के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं होगा।

दूसरे, मैं चाहता हूं कि आप शून्यकाल शुरू करने के लिए मेरे कक्ष में न आएं क्योंकि शून्यकाल तो वास्तव में मेरे कक्ष में ही शुरू हो रहा है। रोजाना कम से कम 20 सदस्य मुझसे तर्क करते रहते हैं कि शून्यकाल को शुरू करें। यह मेरे लिए बहुत कठिन है।

मैं अनुरोध कर रहा हूं और सविनय निवेदन कर रहा हूं। आप किसी भी मुद्दे पर मुझसे कक्ष में मिल सकते हैं लेकिन शून्यकाल के लिए नहीं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल (गोड्डा) : महोदय, महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन का और इस सरकार का ध्यान एक बहुत ही गम्भीर मामले की तरफ ले जाना चाहता हूं। 30 अगस्त को गृह मन्त्री के साथ झारखंड आंदोलन के बारे में हमारी वार्ता हुई थी और गृह मन्त्री जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि पन्द्रह दिन के अन्दर झारखंड समस्या के समाधान के लिए स्पष्ट रूप से नीतिगत घोषणा की जाएगी, लेकिन उस समझौते के बाद छह महीने हो गए हैं और छह महीनों में केन्द्र सरकार ने झारखंड आंदोलन के बारे में अपनी कोई स्पष्ट नीति की घोषणा नहीं की जिसके कारण फिर से हम लोगों को झारखंड आंदोलन के कार्यों को शुरू करना पड़ रहा है और 15 मार्च से आर्थिक नाकेबन्दी करने का कार्यक्रम है। उसमें 14 राजनीतिक दल शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी भी है और जनता दल भी है, आई०पी०एफ० के उस इलाके के सारे राजनीतिक दल हैं। संयुक्त रूप से उसमें 14 राजनीतिक दल हैं। किसी का मोरल सपोर्ट भी है लेकिन कुल मिलाकर 14 ग्रुपों ने आर्थिक नाकेबन्दी की घोषणा की है। आज इस सदन और सरकार को हम लोग इसलिए बताना चाहते हैं ताकि वह यह न कहे कि वार्ता में हम लोगों से कोई गलती हुई है। सरकार ने हमें आमन्त्रित किया तो हम लोग उसमें जाकर बैठे और एक समझौता हुआ, लेकिन उसकी वायदा-खिलाफी सरकार की तरफ से हुई है जबकि हम लोगों की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है।

आज इस देश के अन्दर लोग समझते हैं कि हम चूंकि गांधी की नीति के अनुरूप आंदोलन करते आ रहे है, धरना दे रहे हैं, पिकेटिंग कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, इसलिए उसको उतना महत्व नहीं दिया जाता है।

केन्द्र सरकार ने 1989 में एक सी० ओ० जे० एम० कमेटी बनाई थी और उस कमेटी की रिपोर्ट इसी हाउस में 30 अगस्त, 1992 को ले हुई थी लेकिन पिछले छह महीनों के दरम्यान उस कमेटी की रिकमैण्डेशन्स पर कोई विचार नहीं हुआ। इससे सरकार की कोई नीति स्पष्ट नहीं होती है। उस क्षेत्र में जितने राजनैतिक और सामाजिक लोग हैं, आज उनके मन में मजबूर होकर विचार आ रहा है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार इस मामले में कोई फैसला करने के लिए तैयार नहीं हैं। सरकार ने बोडो समस्या पर फैसला लिया, पंजाब की समस्या पर फैसला लिया, इससे लोगों के मन में धारणा प्रबल हो गई और लोग मानते हैं कि जब तक किसी आंदोलन में हिंसा का सहारा न लिया जाए, उस समय तक केन्द्र सरकार उसको महत्व नहीं देती है। हम चूंकि गांधीवादी नीतियों का सहारा लेकर चल रहे हैं, इसलिए उसे महत्व नहीं दिया जाता है।

इसलिये मैं सदन को और इस देश की जनता को बताना चाहता हूं कि केन्द्र की सरकार ने जिन परिस्थितियों में 30 अगस्त को झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ समझौता किया था और कहा था

12.11 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

कि 15 दिन के अन्दर हम झारखंड समस्या का समाधान करते हुए नीतिगत घोषणा करेंगे, वैसा उसने किन परिस्थितियों में नहीं किया। उसी का परिणाम है कि आज हम लोगों को मजबूर होकर बन्दी और आर्थिक नाकेबन्दी की घोषणा आगामी 15 मार्च मे करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करे और देश की जनता को जानकारी दे, विश्वास में ले। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे सम्मुख सदस्यों के नाम हैं। मैं एक-एक करके बुलाऊंगा। अब मैं श्री रामप्रसाद सिंह को बोलने के लिए कहता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं होगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान सासाराम-चौसा और बलिया सड़क की ओर खींचना चाहता हूं जो कि लगभग 250 किलोमीटर लम्बी सड़क है। यह अढ़ाई सौ किलोमीटर लम्बी सड़क व्यावसायिक, आवागमन और ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से बड़ी उपयोगी है लेकिन खेद है कि इतनी लम्बी सड़क को अभी तक राष्ट्रीय

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

राजमार्ग के रूप में बदला नहीं गया है जबकि यह सड़क एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ती है और खासकर बिहार राज्य के माइन्स, कोयला वगैरह क्षेत्र से उत्तर प्रदेश के बलिया आदि जगहों को सामान ले जाने के लिये प्रयोग में लाई जाती है। अब मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस सड़क को राष्ट्रीय उच्च पथ में बदलने की कृपा की जाए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। हमें सभा में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। सभा में कुछ सदस्य आए हैं और बोलने के लिए अपने नाम दिए हैं। उनके नाम मेरे सामने हैं। मैं आपको एक-एक करके ही बुला सकता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय . मेरे पास कुछ नाम हैं। मैं उन्हें एक-एक करके बुलाऊंगा। हर सदस्य को अवसर मिलेगा। हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा। मैं पहले ही श्री राम प्रसाद सिंह को बुला चुका हूं। आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। मेरे विचार से हम जिस बुनियादी रीति और परम्परा का अनुसरण करते हैं वह यह है···कृपया मुझे बोलने दें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय तक तो हम समाप्त कर चुके होते। इससे कोई फायदा नहीं होगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। कृपया मुझे बोलने दें।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जो अपनी शिकायतें व्यक्त करना चाहते हैं·· इसका क्या उद्देश्य है ?

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको भी जरूर चांस मिलेगा साहब। राम प्रसाद जी आप बोलिए···

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप शून्यकाल में अपनी शिकायतों को व्यक्त करना चाहेंगे या

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

शून्य काल को 1 बजे तक खींचना चाहते हैं। कृपया मेरी बात सुनिए। जिन्होंने 10 बजे से पहले कार्यालय को अपने नाम दिए हैं मैं 1 बजने में 10 मिनट तक एक-एक करके उन्हें बुलाऊंगा, सिंह जी, आगे आइए और अपनी बात कहिए।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे नियम से हटने के लिए बाध्य मत करिए। अगर मैं नियम से हट गया तो मैं किसी भी सदस्य को सन्तुष्ट नहीं कर पाऊंगा। वे कार्यालय में आए हैं और उन्होंने नोटिस दिये हैं, यहां पर उनके नाम हैं और मैं 1 बजने में 10 मिनट तक उन्हें एक-एक करके बुलाऊंगा। जिन लोगों के नाम यहां पर हैं उन्हें अवसर मिलेगा। आप यह ध्यान में रखें।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि, (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कल कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत आपत्ति की थी। उन्होंने कहा कि कार्यालय आने और नोटिस देने के बावजूद उनके नाम नहीं बोले गए। जब कुछ सदस्य, जिन्होंने अपने हाथ उठाए उन्हें अवसर दिया गया। यह भेदभाव है। इसलिए हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। मैं श्री सिंह को बुला रहा हूं।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको सभा में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए।

(व्यवधान)*

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, आपने यह बहुत स्पष्ट कर दिया है कि आप एक-एक करके सदस्यों के नाम पुकारेंगे (व्यवधान) यह सही नहीं है। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : प्रधान मंत्री कहां हैं ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि सरकार इस मामले में आज बयान दे।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस सम्माननीय सभा के परिपक्व राजनीतिज्ञों से अन्तिम अपील कर रहा हूं। हमने अब तक दस मिनट व्यर्थ गवां दिए हैं। बात यह है कि अगर कोई माननीय सदस्य सभा के अन्दर कोई मुद्दा उठाना चाहता है तो नियमानुसार उसे नोटिस कार्यालय में आकर किसी विशेष मुद्दे को उठाने के लिए नोटिस देना चाहिए। जब उनके नाम कार्य सूची में आयेंगे तब ही किसी

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सदस्य विशेष को सभा में मुद्दा उठाने के लिए कहा जाएगा। कल बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात पर गंभीर आपत्ति की थी कि उनके द्वारा यहां आकर किसी मुद्दे को उठाने के लिए नोटिस दिए जाने के बावजूद उनके नाम नहीं पुकारे जा रहे हैं जबकि जो सदस्य नोटिस नहीं देते हैं उनका नाम पुकारा जाता है। यह कड़ी आपत्ति अनेक सदस्यों ने उठाई।

आज के लिए जिन सदस्यों ने नोटिस दिया हुआ है, उनकी सूची मेरे सामने है और मैं एक-एक करके उनका नाम पुकारूंगा। एक-एक करके वे एक या डेढ़ मिनट के लिए अपना मुद्दा उठा सकते हैं तथा 1 बजने में दस मिनट पहले शून्य काल समाप्त हो जायेगा। कृपया इस बात को दिमाग में रखिए। कृपया अनुकम्पा करें, और अब मैं श्री सिंह का नाम पुकार रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : इस तरह से सदन नहीं चलेगा कि हमारी बात रिकार्ड न हो और दूसरों की बात रिकार्ड हो। यह परम्परा ठीक नहीं है।···(व्यवधान)

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : ···(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। आप नोटिस देकर ही किसी मुद्दे को उठा सकते हैं। अगर आप नोटिस नहीं देते तो मैं आपको किसी मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : तीसरे वेतन आयोग ने एस० एस० ए० तथा फोरमैन के पदों के वेतनमानों में बहुत-सी विसंगतियां छोड़ दी हैं। इन्हें भारत सरकार ने वर्ष 1974 में स्वीकार कर लिया था। सरकार ने जस्टिस पुरी की अध्यक्षता में विशेषज्ञ वर्गीकरण समिति गठित की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट 1979 में दे दी थी; परन्तु सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया था। सयुक्त परामर्शदात्री तंत्र में मतभेद पैदा हो गए थे तथा 22 सितम्बर, 1982 को उन्हें रिकार्ड किया गया था तथा मामले को मध्यस्थता बोर्ड को सुपुर्द कर दिया था। जस्टिस एम० एल० जैन की अध्यक्षता में मध्यस्थता बोर्ड स्थापित किया गया था तथा बोर्ड ने 12 अगस्त, 1985 को एस० एम० ए० के पक्ष में निर्णय किया। सांईटिफिक वर्करज एसोसिएशन ने 1986 में 'कैट' की मुख्य पीठ के समक्ष यह मुद्दा उठाया। 'कैट' की मुख्य पीठ ने अगस्त, 1989 में एस० एस० ए० के पक्ष में निर्णय दिया। सरकार ने उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय में एस० एल० पी० दायर कर दी। 1989 में उच्चतम न्यायालय ने एम० एस० ए० के पक्ष में अन्तिम निर्णय दिया।

महोदय, मैं रक्षा मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि वे मामले पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से गौर करें और इस मामले का अन्तिम रूप से समाधान करें। धन्यवाद। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके आपका नाम पुकारूंगा। श्री राम नाईक।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : हम प्रधान मंत्री महोदय से वक्तव्य चाहते हैं। यह कोई छोटा-मोटा मामला नहीं है।···(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय (इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमार-मंगलम) : उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्यवश मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि क्या कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित किया गया है, क्या नहीं। हम पिछले चार दिनों से इस मुद्दे पर वाद-विवाद सुन रहे हैं। मैंने एक नाम सुना है, गॉयबैल्स जिसमें एक सिद्धांत की बात कही गई है कि अगर कोई झूठ सौ बार बोला जाये तो वह सच बन जाता है। मुझे याद है कि श्री जसवन्त सिंह ने कहा था कि संयुक्त संसदीय समिति मामले पर गौर करेगी। हम किसी भी जांच के लिए तैयार हैं तथा मुझे यह सूचना मिली है कि सब समाचार तथ्यपूर्ण नहीं हैं। हम किसी भी जांच के लिये तैयार हैं। संयुक्त संसदीय समिति भी इस मामले की जांच कर सकती है। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। आपको जांच करवाने का अधिकार है। उन्हें जांच कर लेने दीजिए, परन्तु इस प्रकार 'गॉयबैल्स' के सिद्धांत को अपनाने की क्या आवश्यकता है ? क्या वे इतने बेचैन हैं कि जांच भी पूरी नहीं होने देना चाहते हैं ? यह तो एक झूठ को बार-बार बोल कर उसे सत्य प्रमाणित करने की चेष्टा करने की बात है **(व्यवधान)**। यह केवल एक राजनैतिक नाटक है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : इसका आप कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप लिख कर जवाब लाएं। **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : चार दिन नहीं, 40 दिन तक यह मामला चलेगा। **(व्यवधान)**

12.30 म० प०

[अनुवाद]

(इस समय श्री राम विलास पासवान तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।)

(व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : क्या आपने मेरा जवाब सुना है। आपने नहीं सुना। आपकी वास्तविकता को जानने की कोई रुचि नहीं है। वास्तव में जो सत्य है उसे आप जानना नहीं चाहते। **(व्यवधान)**

श्री तरित वरण तोपदार (बैरकपुर) : महोदय, वे पहले के अपने शब्द वापस लें। **(व्यवधान)**

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : 'वापस लेने' से आपका क्या तात्पर्य है ? महोदय, यह वास्तविकता है कि यह प्रत्येक बात एक नाटक है। **(व्यवधान)**

श्री तरित वरण तोपदार : महोदय, उन्होंने उत्तरदायित्वपूर्ण उत्तर नहीं दिया। **(व्यवधान)**

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, हम अपना उत्तरदायित्व समझते हैं। वे सदन के बीचों-बीच खड़े हैं और उत्तरदायित्व की बात कर रहे हैं। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। यह वास्तविकता है। **(व्यवधान)**

वे जवाब सुनना नहीं चाहते हैं। वे केवल नाटक कर रहे हैं। मैंने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है लेकिन वे मेरी बात सुनने में रुचि नहीं रखते हैं। **(व्यवधान)**

महोदय, श्री जेना कह रहे हैं कि वे मेरी बात नहीं सुनेंगे। (**व्यवधान**)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : आप अपना वक्तव्य वापस लीजिए। (**व्यवधान**)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : कौन-सा वक्तव्य (**व्यवधान**)। यह असंसदीय नहीं है। "राजनैतिक ड्रामा" असंसदीय शब्द नहीं है (**व्यवधान**) यह असंसदीय नहीं है। 'राजनैतिक ड्रामा' एक संसदीय शब्द है। मैं यह साबित कर सकता हूं कि इस शब्द का प्रयोग लाखों बार हो चुका है, क्योंकि आपको सच्चाई चुभती है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। (**व्यवधान**)

महोदय, आप देख रहे हैं कि उन्होंने संसद को सार्वजनिक सभा स्थल बना दिया है। वे ऐसी चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते जिसमें सच्चाई को सामने लाया जा सके। दुर्भाग्य की बात यह है कि संसद के वरिष्ठ सदस्यों ने यह तरीका अपनाने का निर्णय लिया है। (**व्यवधान**) मैंने यह स्पष्ट किया है कि यह मामला बार बार उठाया जा चुका है; हमने यह कहा है कि यह वास्तविकता नहीं है और इस सम्बन्ध में जो रिपोर्ट आ रही हैं वे आधारहीन हैं। श्री प्रभाकर राव ने भी इसका खंडन किया है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने यह भी कहा है कि संयुक्त संसदीय समिति बड़ी खुशी से इस मामले की जांच कर सकती है। उन्हें यह पता चलेगा कि यह वास्तविकता नहीं है। मेरे विचार में वे जानते हैं कि यह रिपोर्ट सच्ची नहीं है। इसलिए उन्होंने यह तरीका अपनाया है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय, क्या कुछ क्षणों के लिए मैं आपका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर सकता हूं। (**व्यवधान**) मैं उन्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने यहां पर कहा है कि यह समाचार वास्तविकता पर आधारित नहीं है। प्रधान मन्त्री महोदय के बेटे इसमें संलिप्त नहीं हैं। उन्होंने इसका खंडन भी किया है। फिर भी यदि वे इसकी जांच करवाना चाहते हैं तो संयुक्त संसदीय समिति मामले की जांच कर सकती है। इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु भगवान के लिए इस संसदीय मंच को अपने राजनैतिक नाटक के लिए प्रयोग में न लाएं। (**व्यवधान**)

———

12.37 म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

वर्ष 1991-92 के छावनी बोर्डों के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : श्री शरद पवार की ओर से मैं वर्ष 1991-92 के छावनी बोर्डों के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 3506/93**]

रबड़ अधिनियम, 1947 तथा काफी अधिनियम, 1942 के अन्तर्गत अधिसूचना

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : श्री प्रणव मुखर्जी की ओर से मैं ये पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 25 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि०

549, जो 5 दिसम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 30 मई, 1991 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 358 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 3507/93]

(2) कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) कॉफी (दूसरा संशोधन) नियम, 1992, जो 13 नवम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि 865(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कॉफी (तीसरा संशोधन) नियम, 1992, जो 2 जनवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 6 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 3508/93]

(3) (एक) इण्डियन इन्स्टिट्यूट आफ पैकेजिंग, मुम्बई के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ पैकेजिंग, मुम्बई के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल०टी० 3509/93]

(5) (एक) प्लास्टिक एण्ड लिनोल्यूम्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्लास्टिक एण्ड लिनोल्यूम्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 3510/93]

(7) (एक) बेसिक केमिकल्स, फार्मास्युटिकल्स एण्ड कास्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बेसिक केमिकल्स, फार्मास्युटिकल्स एण्ड कास्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउ-

सिल, मुम्बई के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्यक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 3511/93]

(9) (एक) केमिकल्स एंड एल्लाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कलकत्ता के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केमिकल्स एंड एल्लाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कलकत्ता के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 3512/93]

(11) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 1991-92 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 3513/93]

शिक्षु अधिनियम, 1961 तथा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत अधिसूचना इत्यादि

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं ये पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 2 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या का० आ० नि० 2961, जो 28 नवम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके अन्तर्गत उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ तकनीकी (व्यावसायिक) शिक्षुओं के लिये अभिहित व्यवसायों के रूप में कतिपय विषय क्षेत्र विनिर्दिष्ट किये गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 3514/93]

(2) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1992 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी परिवार पेंशन (दूसरा संशोधन) योजना, 1992, जो 28 नवंबर, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 535 में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल०टी० 3515/93]

(3) कन्वेंशन संख्या 163 तथा सिफारिश संख्या 173 पर की गई कार्यवाही या की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 74वें सत्र (मेरिटाइम)—जिनेवा (सितम्बर-अक्तूबर, 1987) में स्वीकृत किया गया था, के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा कन्वेशन और सिफारिश का मूल पाठ।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल०टी० 3516/93]

(4) कन्वेंशन संख्या 164 पर की गई कार्यवाही या की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 74वें सत्र (मेरिटाइम)-जिनेवा (सितम्बर-अक्तूबर, 1987) में स्वीकृत किया गया था, के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा कन्वेंशन और सिफारिश का मूल पाठ।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल०टी० 3517/93]

(5) नाविकों के लिये सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) से संबंधित कन्वेंशन संख्या 165 पर की गई कार्यवाही या की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (1987) के 74वें सत्र (मेरिटाइम) में स्वीकार किया गया था, के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा कन्वेंशन और सिफारिश का मूल पाठ।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल०टी० 3518/93]

(6) कन्वेंशन संख्या 166 और सिफारिश संख्या 174 पर की गई कार्यवाही और की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही, जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (सितंबर-अक्तूबर, 1987) के सामान्य सम्मेलन के 74वें सत्र (मेरिटाइम) द्वारा स्वीकृत किया गया था, के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा कन्वेंशन और सिफारिश का मूल पाठ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 3519/93]

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं श्री जगदीश टाईटलर की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा०का०नि० 807(अ), जो 13 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा पारादीप पत्तन न्यास (विभागाध्यक्ष) विनियम, 1991 के शुद्धि-पत्र का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा०का०नि० 837(अ), जो 30 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा मारमुगाव पत्तन कर्मचारी अधिवार्षिता तथा सेवा निवृत्ति की आयु (पहला संशोधन) विनियम, 1991 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा०का०नि० 879(अ), जो 17 नवम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के पश्चात् अंशदायी बाहरी और आंतरिक चिकित्सा सुविधा) विनियम, 1991 का अनुमोदन किया गया है।

(2) (एक) बम्बई डॉक श्रम बोर्ड के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बम्बई डॉक श्रम बोर्ड के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3521/93]

(4) (एक) कलकत्ता डॉक श्रम बोर्ड के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलकत्ता डॉक श्रम बोर्ड के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3522/93]

(6) (एक) राष्ट्रीय पत्तन प्रबन्ध संस्थान, मद्रास के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पत्तन प्रबन्ध संस्थान, मद्रास के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3523/93]

(8) (एक) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35 की उपधारा (3) के के अन्तर्गत दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के लेखापरीक्षित लेखाओं पर सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3524/93]

(12) महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास के वर्ष 1991-92 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3525/93]

राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 (ईंधन तथा परमाणु खनिजों के लिए

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : मैं राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 (ईंधन तथा परमाणु खनिजों के लिये) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3526/93]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) कानूनी आदेश संख्या 930(अ) जो 28 दिसम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन

के लिये विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का०आ० 931(अ) जो 28 दिसम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिये विनिमय की संशोधित दरों के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० 941(अ) और सा०का०नि० 942(अ) जो 24 दिसम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अमोनिया और साइक्लोहेक्जन को, जब उनका केप्रोलेक्टम के विनिर्माण के लिये भारत में आयात किया जाये, उस पर उदग्रहणीय उतने सीमा शुल्क से जितना मूल्य के 40 प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक की छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 43(अ) जो 2 फरवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अर्जेंटिना, ब्राजील, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य अथवा संयुक्त राज्य अमरीका से उद्भूत होने वाले पालीविनायल क्लोराइड रेजिन की विनिर्दिष्ट श्रेणियों पर जब उनका भारत में आयात अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दरों के आधार पर किया गया हो, डंपिंग रोधी शुल्क अधिरोपित करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का०आ० 53(अ) जो 28 जनवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो इटालियन लिरा को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को इटालियन लिरा में संपरिवर्तित करने के लिये विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक ब्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का०आ० 83(अ) जो 29 जनवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिये विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का०आ० 84(अ) जो 29 जनवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशीय मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशीय मुद्राओं में संपरिर्तन के लिये विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा०का०नि० 71(अ) जो 17 फरवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 137/90-सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) यात्री सामान (दूसरा संशोधन) नियम, 1993 जो 17 फरवरी, 1993 के

भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 72(अ) में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) पर्यटक यात्री सामान (संशोधन) नियम, 1993 जो 17 फरवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 73(अ) में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) आवास का अन्तरण (दूसरा संशोधन) नियम, 1993 जो 17 फरवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 74(अ) में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 3527/93]

(2) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) डाकघर आवर्ती जमा (संशोधन) नियम, 1992 जो 11 दिसम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 918(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) डाक घर आवर्ती जमा (संशोधन) नियम, 1993 जो 1 फरवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 42(अ) में प्रकाशित हुये थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 3528/93]

(3) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वाणिज्यिक बैंकर) नियम, 1992 जो 22 दिसम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का० नि० 937(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम प्रबंधक) नियम, 1993 जो 7 जनवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 4(अ) में प्रकाशित हुये थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1993 जो 20 जनवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ नं० एलके/एसईबीआई/चार/93 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 3529/93]

(4) धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उपधारा (4) के अन्तर्गत धन-कर (संशोधन) नियम, 1993, जो 8 फरवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 94(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 3530/93]

12.38 म० प०

सभा का कार्य

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि 9 मार्च, 1993 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जायेगा :

1. आज की कार्यसूची से आगे ले जाये गये सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. निम्नलिखित अध्यादेशों के निरनुमोदन के लिए संकल्पों पर विचार तथा इन अध्यादेशों के स्थान पर विधेयकों पर विचार करना तथा उन्हें पारित करना :

   (क) वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन अध्यादेश, 1993

   (ख) औद्योगिक वित्त निगम (कार्य का अन्तरण और निरस्त) अध्यादेश, 1993

   (ग) भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1993

   (घ) दन्त चिकित्सक (संशोधन) अध्यादेश, 1993

   (ङ) तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन अध्यादेश, 1993

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित को अगले सप्ताह की कार्यवाही में शामिल करने का अनुरोध करता हूं :

1. राजनीति में धर्म के दुरुपयोग को रोकने तथा धर्म को राजनीति से अलग करने के लिए आवश्यक कानून अधिनियमित करने की आवश्यकता।

2. उड़ीसा में भयानक सूखे की स्थिति, जिसके कारण भुखमरी फैल रही है, पर चर्चा।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषय को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाये।

(1) पूर्व रेलवे के अन्तर्गत बख्त्यारपुर-राजगीर रेलवे लाइन को निजी हाथों में देने तथा इस लाइन को समाप्त करने की योजना को त्यागकर इसका विस्तार गया तक किया जाए।

(2) नालंदा जिला में भयंकर पेयजल संकट को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान करे।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भोगेन्द्र झा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री झा द्वारा किये गये निवेदन को बाद में लिया जा सकता है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : निवेदन बाद में एक-एक करके लिये जा सकते हैं ।

अब सभा 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है ।

12.41 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

2.05 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.05 म० प० परः पुनः समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[**हिन्दी**]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आप नहीं आये थे तो तो हम लोगों ने प्रधान मंत्री के सम्बन्ध में इस सवाल को उठाया था कि प्रधान मंत्री के लड़के का नाम बार-बार अखबारों में आ रहा है । आपने कल नेता विरोधी दल और शरद यादव जी को अनुमति दी थी तो उन्होंने इसको यहां रखा था । हम लोगों ने कोई आरोप नहीं लगाया है कि उनके लड़के ने लिया है या नहीं लिया है । लेकिन अखबारों में इस तरह के समाचार आ रहे हैं । देश की सर्वोच्च ताकत है जो प्रधान मंत्री का पद है, साथ देश की गरिमा के लिए भी उचित नहीं है । इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करेंगे कि सरकार स्टेटमेंट दे, अगर आज नहीं दे सकती तो जब सदन पुनः बैठेगा तब दे । यह बहुत गम्भीर मामला है । बाहर जिस तरह के समाचार आ रहे हैं उससे पूरे देश की छवि खराब हो रही है । आप सरकार को निर्देश दें ।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को इस पर स्टेटमेंट देना चाहिए ।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : कोई कैफियत तो सरकार को देनी चाहिए ।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सरकार दिमाग नहीं बना सके तो आप ही उनको निर्देश दे दें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं जो कह रहा हूं उसको थोड़ा शांति से सुन लीजिए । उसके बाद मैं सरकार को और आपको भी कहूंगा । मैं दो-तीन चीजें इस सन्दर्भ में आपके समक्ष लाना चाहता हूं । इसलिए नहीं कि यह एक मुद्दा है, इसलिए कि बार-बार इस प्रकार के मुद्दे आयें तो किस प्रकार से डील किया जाये । मैं आपसे विनती करता हूं कि मैं जो कह रहा हूं थोड़ा शांति से सुन लें, बीच में न बोलें ।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : बाद में बोलेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी पहले नहीं बोले तो उनका नाम आचार्य जी नहीं है । रूल नम्बर 353 कहता है :

[अनुवाद]

"किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप

का आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को इसकी पर्याप्त अग्रिम सूचना न दे दी हो······"

मैं दोहरा रहा हूं, "अध्यक्ष को पर्याप्त अग्रिम सूचना"

आगे :

"तथा सम्बन्धित मंत्री को भी पर्याप्त अग्रिम सूचना न दे दी हो जिसे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच कर सके; परन्तु अध्यक्ष किसी भी समय किसी सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा यदि उसकी राय हो कि ऐसा आरोप की गरिमा के विरुद्ध है या ऐसा आरोप लगाने से कोई लोक-हित सिद्ध नहीं होता।"

मैं 'कौल और शकधर' में दिये गये नियम पढ़ रहा हूं। इसमें कहा गया है :

"नियम के अनुसार किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायेगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित मंत्री को भी इसकी पूर्व सूचना न दे दी हो ताकि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच कर सकें। तथापि अध्यक्ष किसी भी समय किसी सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा यदि उसकी राय हो कि ऐसा आरोप सभा की गरिमा के विरुद्ध है या ऐसा आरोप लगाने से कोई लोक-हित सिद्ध नहीं होता।"

इसमें कुछ पहली बात को ही दोहराया गया है लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे मामले आने से पहले अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है।

आगे इस प्रकार है :

"किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक विवरण अथवा अभियोगात्मक आरोप संसदीय वाद-विवाद और मर्यादा से नियमों के विरुद्ध था, स्थिति तब और भी विषम हो जाती थी जब इस प्रकार के आरोप ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध लगाये गये जो सभा के सम्मुख अपनी सुरक्षा करने की स्थिति में नहीं थे।"

जिस व्यक्ति के विरुद्ध आप आरोप लगा रहे हैं, वह इस सभा का सदस्य नहीं है।

"सभा को ऐसा मंच नहीं बनाया जाना चाहिए जहां लोगों के आचरण और चरित्र को बदनाम किया जाये क्योंकि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध सभा में, जिसे ऐसा करने का विशेषाधिकार है, आरोप लगाये गये, उसके पास इसका कोई हल नहीं है। लोगों के मान की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक था कि सदस्य स्वयं पर अंकुश रखे और जहां जनहित में ऐसा करना बहुत आवश्यक हो, ऐसे मामलों में ही आरोप लगाये। ऐसे मामलों में भी यह आवश्यक था कि सम्बन्धित मंत्री को मामले की जांच-पड़ताल के लिए उचित अवसर दिया जाना चाहिए तथा यदि आवश्यक हो तो सम्बन्धित व्यक्ति की ओर से सुरक्षा में पक्ष रखें।

किसी सदस्य को आरोप लगाते समय सावधान रहना चाहिए। उसे इस बात से संतुष्ट उसे होना चाहिए कि आरोप का स्रोत विश्वसनीय है तथा तथ्यों पर आधारित है। वास्तव में मामले की प्रथम दृष्टया जांच-पड़ताल करने की आवश्यकता है।"

मैं दुहरा रहा हूं,

"उसे अध्यक्ष या मंत्री को लिखने से पहले और इससे भी अधिक सभा में बोलने से पहले मामलों की प्रथम दृष्टया जांच-पड़ताल करने की आवश्यकता है। समाचार पत्र में आये

समाचार के आधार पर आरोप से सम्बन्धित नोटिस की अनुमति नहीं है जब तक सदस्य अध्यक्ष को इसे सभा-पटल पर रखने के पर्याप्त सबूत नहीं मिलते। साधारण-सा प्रमाण नहीं बल्कि ठोस प्रमाण होना चाहिए कि आरोप कुछ तथ्यों पर आधारित है। सदस्य को आरोपों के सम्बन्ध में जो वह किसी व्यक्ति अथवा अन्य किसी सदस्य के विरुद्ध लगाना चाहता है, सभाध्यक्ष को नोटिस में संक्षिप्त ब्यौरा देने की आवश्यकता है ताकि सभाध्यक्ष की पहले ही जांच कर सके।"

ये निर्णय दिये गये हैं :

"सदस्य को सभा में कोई आरोप लगाने से पहले भली प्रकार जांच-पड़ताल करके यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आरोप लगाने के लिए ठोस आधार है। सदस्य को आरोप लगाने के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए।"

यह आवश्यक नहीं है कि उसे स्वीकृति प्राप्त करनी है लेकिन यह आवश्यक है कि उन्हें यह दिखाना पड़ेगा कि उन्होंने प्रामाणिक जांच-पड़ताल की है और केवल यही नहीं कि वह समाचार पत्र में छपी खबरों पर ही निर्भर रहे बल्कि जांच-पड़ताल करनी पड़ेगी तथा यही नहीं, उन्हें ये आरोप लगाने के लिए जिम्मेदारी लेनी होगी।

अत: सदस्य को केवल जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि आरोप को प्रमाणित करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

अत: यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आरोप ठोस, प्रमाणित और जांचे हुए तथ्यों के आधार पर केवल तभी लगाने चाहिए जब उनके समर्थन में प्रभाणीकृत करने के लिए ठोस और पर्याप्त सबूत मौजूद हो।

तत्पश्चात् ऐसे मामलों में आरोप लगाने वाले सदस्यों को उन्हें प्रमाणित करने की चुनौती दी जाती है।

पुन: मैं दो या तीन पंक्तियां पढ़ूंगा और फिर इसे समाप्त करूंगा।

"सदस्य को केवल प्रैस रिपोर्टों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए।"

मैं बार-बार यही दुहरा रहा हूं कि प्रेस आदरणीय है और हम उनकी कद्र करना चाहेंगे, लेकिन केवल यही पर्याप्त नहीं है कि प्रेस में छपा है।

"सदस्य को जो कुछ वह कह रहा है उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और उसके पास उसे प्रमाणित करने के लिए प्रमाण होना चाहिए। केवल तभी उसे अनुमति दी जायेगी।"

यह नियम है।

"सदस्यों को सभा में आरोप लगाते समय केवल प्रेस-रिपोर्टों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए और अगर उन्हें किसी मंत्री अथवा सदस्य अथवा किसी अन्य विशिष्ट व्यक्ति की आलोचना करनी हो तो उन्हें इस नियम के अधीन नोटिस सभा पटल पर रखने से पूर्व पूरी जांच-पड़ताल करनी चाहिए और तथ्यों की यथार्थता के विषय में निश्चित होना चाहिए।"

"सभाध्यक्ष किसी सदस्य को किसी मंत्री के विरुद्ध समाचार-पत्र में लगाये गये मान-हानिकारक और अपराधारोक आरोपों को, यह कहते हुए कि जब तक सदस्य उन्हें प्रथम दृष्टया संतुष्ट नहीं कर देता उद्धृत करने की अनुमति नहीं देगा।"

यहां पर यों मैंने ये सारे उद्धरण दिये, वह इसलिए कि इसमें एक विशिष्ट व्यक्ति को शामिल किया गया और एक विशिष्ट व्यक्ति के रिश्तेदार के विरुद्ध कुछ लिखा गया है। जैसा कि मैंने कल भी

कहा कि अगर आप यह मामला सभा के सम्मुख उठा रहे हैं तो सभा में किसी भी व्यक्ति के लिए वही सिद्धान्त लागू किये जा सकते हैं। और मेरा विश्वास कीजिए कि बहुत से सदस्यों के विरुद्ध मेरे नोटिस में बहुत-सी बातें लाई गई हैं लेकिन उन्हें सभा के सामने नहीं लाया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर उन्हें सभा के समक्ष लाया जाता तो हम केवल उसके सिवाय और कुछ न कर पाते।

अब, अगर आपके पास सूचना है, अगर आपने जांच-पड़ताल की है, अगर आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, अगर आपने अध्यक्ष को नोटिस देकर अनुमति ली है, जिस व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं उसे नोटिस दिया है तथा जो सभा के समक्ष उपस्थित हो सकता है तो फिर आपको यहां आकर वह सब कहने का प्रत्येक अधिकार है।

लेकिन अगर आप उसे नहीं मान रहे हैं तो याद रखिए कि इसे इस सभा के किसी भी सदस्य के विरुद्ध प्रयुक्त किया जा सकता है।

इतना कुछ कहने के उपरांत मैं संसदीय कार्य मंत्री से जानना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर वह क्या करना चाहेंगे। क्या वह तैयार है ? तैयार नहीं हैं। लेकिन मैं यह आपके नोटिस में ला रहा हूं और कल आप यह न कहियेगा कि......

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : हमने ऐलिगेशन नहीं लगाया है, अध्यक्ष जी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह पर्याप्त नहीं है। केवल इसी पर निर्भर रहना काफी नहीं है। यह किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध हो सकता है। यह किसी भी सदस्य के विरुद्ध हो सकता है। उसे याद रखिए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : हम तो केवल पोजीशन को स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं।

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : इस स्थिति को इतना स्पष्ट करने के लिए मैं आपका आभारी हूं। हम आप द्वारा बताई गई प्रक्रिया का पालन करने के लिए तैयार हैं। और मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध आपने आरोप लगाये हैं वह इस सभा के लिए अपरिचित है; वह इस सभा का सदस्य नहीं है और न ही उसे यहां आने और अपने बचाव में कुछ कहने का अवसर दिया गया है।

जहां तक विशिष्ट व्यक्तियों के साथ उसके सम्बन्धों का सवाल है, हम सभी प्रकार की जानकारी, जी आपको हमसे चाहिए, देने के लिए तैयार हैं। और सारे मामले पर बारीकी से चर्चा की जा सकती है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, कुछ भी छिपाने के लिए नहीं है। लेकिन हम आप द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया का पालन करना चाहेंगे और आपसे तथा सभा के साथ इस मामले पर पूर्ण सहयोग करेंगे। अतः इस पर अगर कोई और निर्देश आप देना चाहें तो मैं उसका पालन करना चाहूंगा।

पुनः मैं यह कहना चाहूंगा कि इस सदन में जो कुछ भी कहा गया है अथवा नोटिस दिये गये हैं, वे केवल प्रेस रिपोर्टों पर आधारित हैं और जैसा कि आपने ठीक ही कहा है कि प्रेस रिपोर्टों के

आधार पर ऐसे आरोप लगाना केवल उचित ही नहीं है बल्कि सभा के नियमों और अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के भी विरुद्ध है । अतः मैं चाहूंगा कि उचित प्रक्रिया का पालन किया जाये और इस मामले पर पूर्ण जानकारी, जो भी हमारे पास है, हम देना चाहेंगे । अगर प्रक्रिया का पालन किया जाता है तो हम आप पर निर्भर हैं और आपके निर्देश का पालन करना चाहेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में समाचार पत्र में कुछ छपा है, यह समाचार पत्र में स्पष्ट किया गया है । अब सदस्य महोदय उसे जब-तब सभा में उठा रहे हैं । जो कुछ भी बाहर दिया जाता है और वह आपको मिल जाता है तो आप इसे सभा के समक्ष ले आते हैं । मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति अथवा अन्य अधिकार विशिष्ट व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उस जानकारी के लिए जिम्मेदार होगा । क्योंकि वह जानकारी उस व्यक्ति से मिल रही है जो यहां सदस्य नहीं है और जिससे हम न ही कोई प्रश्न पूछ सकते हैं और इस प्रकार की जानकारी ले सकते हों । जो कुछ भी आपको प्राप्त होता हो, उसे हमें दीजिए । मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस प्रकार की चीज को दुबारा न दोहरायें, यह इस प्रकार का हथियार है जिसे किसी के भी विरुद्ध प्रयुक्त किया जा सकता है ।

श्री वी० धनंजय कुमार बोलेंगे ।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मेरा नाम ऐसे समय पुकारा गया था जब सभा अगले सप्ताह की कार्यवाही निर्धारित करने के लिए स्थगित हो रही थी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता । मैं उसे ठीक कर लूंगा । आप अपनी बात कह चुके हैं ।

श्री भोगेन्द्र झा : अगले सप्ताह की कार्यवाही के लिए मेरा नाम पुकारा गया था ।

सभा का कार्य—जारी

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : महोदय, कृपया निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाये :

1, कर्नाटक को केन्द्रीय सड़क निधि से मादीकेरी—गलीबीदू—सुब्रह्मण्य्या और विशेषकर सकलेशपुर—पुष्पगिरी—सुब्रह्मण्य्या सड़कें पूरी करने के लिये धनराशि का आबंटन करने की आवश्यकता ।

2. मंगलौर में एक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता ।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मेरा अनुरोध है कि निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाये :

1. धर्म को राजनीति से अलग करने तथा राजनीति में धर्म का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए आवश्यक विधान बनाने की आवश्यकता ।

2. उड़ीसा में अकाल की विकट स्थिति में भुखमरी से हुई मौतों पर चर्चा ।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित प्रस्ताव सम्मिलित करें :

(1) अतिरिक्त विभागीय डाक कर्मचारियों का विभाग में विभागीकरण किये जाने हेतु कार्यवाही कर सबूर कमेटी की संस्तुति लागू की जाये ।

(2) ग्राम्य विकास अभिकरणों में कार्यरत कर्मचारियों, जो केन्द्र के कार्यक्रमों का प्रांतों में संचालन करते हैं, की सेवा शर्तों को सुनिश्चित कर पूरे देश में एकरूपता लाई जाये ।

[अनुवाद]

श्री भोगेंद्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाये :

(1) बिहार में सूखे की स्थिति के कारण उत्पन्न हुई भुखमरी की स्थिति को कम करने के लिए तत्काल राहत के उपाय किये जाने की आवश्यकता ।

(2) पश्चिम कोशी नहर को केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजना बनाने और इसे शीघ्र पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता ।

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाये :

(1) देश में अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों, विशेषकर मध्य प्रदेश में संरक्षा के विशेष उपाय किए जाएं । शाजापुर जिले की शाजापुर तहसील के गांव माधोपुर खेड़ा के अनुसूचित जाति के परिवारों की सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाए ।

(2) मध्य प्रदेश में रेल सेवा सुविधा का विस्तार कर उज्जैन-इन्दौर के बीच तथा इन्दौर-भोपाल के बीच लिंक एक्सप्रेस रेल सेवा डी० एम० यू० शीघ्र प्रारम्भ की जाये ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाये :

(1) उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद के देवरी रपटा तथा एरच घाट पुल का निर्माण समयबद्ध कार्यक्रम के अन्दर पूरा करने के लिए निर्माण कार्य शुरू किया जाये ।

(2) उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में विद्युत आपूर्ति की परेशानी को समाप्त करने के लिए महरौनी में 32 के० वी० का सब-स्टेशन तथा पाली से थालाबेहट तक तथा ललितपुर से महरौनी तक तार बिछाने का कार्य तुरन्त शुरू किया जाये ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाये :

(1) जयपुर स्थित दूरदर्शन केन्द्र को और शक्तिशाली बनाया जाये जिससे कि जयपुर केन्द्र द्वारा प्रसारित कार्यक्रम सम्पूर्ण राजस्थान में देखे जा सकें।

(2) जयपुर एयरोड्रोम को अन्तर्राष्ट्रीय एयरड्रोम का स्वरूप देने व सब प्रकार की सुविधायें देने के लिए और अधिक धनराशि उपलब्ध कराई जाये।

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाये :

(1) देश में राजनीनिक, आर्थिक, शैक्षिक और धर्म के सामाजिक स्तर, भाषाई और जातीय अल्पसंख्यकों पर चर्चा।

(2) देश में साम्प्रदायिक स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा विशेष रूप से अयोध्या घटना के बाद हुए उपद्रवों के सन्दर्भ में।

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया नीचे दिये गये मुद्दों को अगले सप्ताह की कार्यक्रम-पत्रिका में सम्मिलित करने की कृपा करें :

(1) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा।

(2) मुम्बई से रत्नागिरि के बीच वायुदूत सेवा को शीघ्र चालू किया जाए।

— — — —

[अनुवाद]

2.24 म० प०

प्रतिभूतियों और बैंकिंग लेन-देन में हुई अनियमितताओं की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम प्रतिभूतियों और बैंकिंग लेन-देन में हुई अनियमितताओं की जांच करने सम्बन्धी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव पर विचार शुरू करते हैं।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। मैं श्री राम निवास मिर्धा जो कि हमारी संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं, द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे संकल्प का विरोध करना चाहता हूं।

मैं जिन कारणों से इस प्रस्ताव का विरोध करना चाहता हूं और व्यवस्था के जिस प्रश्न पर बल देना चाहता हूं वह आपको बताने से पहले मुझे स्पष्टीकरण देना चाहिए ताकि कोई गलतफहमी न रह जाये। श्री मिर्धा संयुक्त संसदीय समिति की कार्यवाही को आश्चर्यजनक ढंग से और सौहार्दपूर्ण तरीके से चला रहे हैं। उनके नेतृत्व में समिति ने नई ऊंचाइयों को छुआ है कि संयुक्त संसदीय समिति को कैसे काम करना चाहिए विशेष रूप से उस समय जबकि प्रतिभूति घोटाले के बारे में जांच चल रही है। हम यह देख चुके हैं कि पहले की समितियां कैसे काम रही थी।

इस प्रस्ताव का विरोध करके मेरा मतलब श्री मिर्धा का अनादर करने का नहीं है। मैं आपके ध्यान में नियम 254(3) लाना चाहता हूं जो उस सम्बन्ध में है कि स्थान रिक्त होने पर क्या किया जाना चाहिए। नियम 254(3) का पाठ इस प्रकार है :

"समिति में आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति, यथास्थिति, प्रस्ताव किये जाने पर सभा द्वारा नियुक्ति अथवा निर्वाचन से अथवा अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशन से की जायेगी, और ऐसी रिक्तता की पूर्ति के लिए नियुक्त या निर्वाचित या नामनिर्देशित कोई सदस्य उस कालावधि तक पद धारण करेगा जिसके लिए वह सदस्य, जिसके स्थान पर वह नियुक्त, निर्वाचित या नामनिर्देशित हुआ है, सामान्यतया पद धारण करता।"

दो स्थान रिक्त हो गए हैं। अब उन्हें भरा जाता है। इस बात के विशिष्ट संकेत नहीं हैं कि रिक्त स्थानों को कैसे भरा जाना है। परन्तु कौल और शकधर ने मार्गनिर्देश दिए हैं कि संयुक्त समितियों में रिक्त स्थानों को कैसे भरा जाता है।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : समिति कैसे गठित की गई थी ? कृपया हमें इस सम्बन्ध में बताएं।

श्री राम नाईक : समिति 6 अगस्त को गठित की गई थी। उसकी कार्यवाही भी मेरे पास है। सदन में एक संकल्प पारित करके समिति गठित की गई थी।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : क्या इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए कोई नियमित नोटिस दिया गया है ? क्या व्यवस्था के एक प्रश्न के माध्यम से इसका विरोध किया जा सकता है ? वह ऐसा कैसे कर सकते हैं ?

श्री राम नाईक : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे अपनी बात पूरी करने दो।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं उपाध्यक्ष महोदय को सम्बोधित कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या वह प्रश्न कानून के अनुसार है या नहीं जो कि श्री राम नाईक उठा रहे हैं। हमें उनकी बात सुननी चाहिए।

श्री राम नाईक : यह समिति इस सदन द्वारा 6 अगस्त, 1992 को मनोनीत की गई थी इसके लिए संसदीय कार्य मंत्री ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उस समय श्री गुलाम नबी आजाद संसदीय कार्य मंत्री थे। कार्यवाही वृत्तान्त मेरे पास है। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है कि संशोधन प्रस्तुत किया गया था और तदनन्तर इसे स्वीकार किया गया था और समिति नियुक्त की गई थी।

कौल और शकधर के पृष्ठ 661 पर यह कहा गया है :

"समितियों में तात्कालिक रिक्त स्थानों को भरना : तात्कालिक रिक्त स्थान को भरने के लिए आमतौर पर वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जैसी उसके लिए मूल नियुक्ति के समय अपनाई जाती है।"

अतः इस समिति की नियुक्ति में क्या मूल प्रक्रिया अपनाई गई थी ? संसदीय कार्य मंत्री एक प्रस्ताव लाये थे और इस सदन ने उसे स्वीकृत किया था। अतः यदि कोई भी रिक्त स्थान भरा जाना

है तो उसे एक संकल्प या प्रस्ताव के माध्यम से भरा जाना चाहिए और यह प्रस्ताव या संकल्प संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

मैं यह स्पष्ट करूंगा कि मैं यह क्यों कर रहा हूं। क्योंकि स्थान रिक्त कांग्रेस पार्टी के सदस्य के कारण हुआ है। श्रीमती वासवा राजेश्वरी और श्री पी० एम० सईद ने भी बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने समिति से त्यागपत्र दे दिया है क्योंकि वे लोग मंत्री बन गए हैं। इस बारे में कोई विवाद नहीं है।

इन दो रिक्त स्थानों के सम्बन्ध में सदन में मतैक्य होना चाहिए। मतैक्य तभी हो सकता है जब संसदीय कार्य मंत्री महोदय सभी विपक्षी दलों से परामर्श करें। अन्यथा संख्या के आधार पर हम इसमें से एक सीट ले सकते हैं। क्योंकि यदि इस पर मतदान होना है तो हम उसमें से एक सीट ले सकते हैं। हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि यह उचित नहीं होगा। साथ ही यह भी नितान्त आवश्यक है कि संसदीय कार्य मंत्री नियमों का पालन करें जो आम सहमति हुई उसका पालन करे और वह सहमति उस संकल्प में स्पष्ट हो जिसे उस समय प्रस्तुत और सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया था। अब उस प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है। इसका पालन किया जाना चाहिए, अतः इस प्रश्न पर मैं इस प्रस्ताव का विरोध करना चाहता हूं। यदि उस प्रक्रिया को अपनाया जाता तो बहुत ही उचित होता।।

केवल नियमों की ही नहीं बल्कि शिष्टता की भी यही मांग है कि परस्पर परामर्श हो और उस परस्पर परामर्श से दो सदस्य, कांग्रेस पार्टी जिसको भी भेजना चाहे, समिति में आ सकें। उस शिष्टता को बनाये नहीं रखा गया है और यह एक बहुत ही बुरा पूर्वोदाहरण होगा। जबकि सदन एक मत हो सकता है। अन्य दलों के साथ परामर्श न करना, केवल एक संकल्प ले आना और वह भी अध्यक्ष के माध्यम से अध्यक्ष को एक अजीब स्थिति में रखना है। हमारा मतलब उनका अनादर करना नहीं है। परन्तु कौल और शकधर के नियमों, व्यवहार और प्रक्रिया को अवश्य अपनाया जाना चाहिए। अतः मैं आपसे नियमों के आधार पर निर्णय लेने का आग्रह करता हूं। उन बातों के आधार पर निर्णय लेने का आग्रह करता हूं जो कि कौल और शकधर ने कही हैं, रिक्त स्थान को भरने के सम्बन्ध में नियम स्पष्ट नहीं है। इसमें केवल इतना ही कहा गया है कि इसे संकल्प प्रस्तुत करके किया जाना है। अब यह काम किसको करना चाहिए? कौल और शकधर ने कहा है कि इसे उसी प्रक्रिया द्वारा किया जाना चाहिए जो प्रक्रिया समिति नियुक्त करते समय अपनायी गयी थी। अतः यह मेरी टिप्पणियां हैं। मैं एक बार फिर इस प्रस्ताव का विनम्रतापूर्वक विरोध करता हूं परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि मैं संयुक्त संसदीय समिति के सभापति का यह संकल्प प्रस्तुत करने के लिए अनादर करता हूं।···(व्यवधान)···

श्री सैयद शाहबुद्दीन : हम मद संख्या 9 पर चर्चा पूरी किए बिना मद संख्या 10 पर आ गये हैं क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री ने अगली निर्धारित कार्य सूची में कुछ जोड़ने के लिए सभा में दिये गये अनेक सुझावों के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैंने माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों को नोट कर लिया है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पवन कुमार बंसल।

···(व्यवधान)···

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम नाईक ने उचित प्रश्न उठाया है । यदि कोई माननीय सदस्य इसमें भाग लेना चाहता है तो वह इसमें भाग ले सकता है । यह कानूनी प्रश्न है । हमें यह सुनना चाहिए ।

···(व्यवधान)···

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : सदन के सभी पक्षों को भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए केवल एक या दो पक्षों को नहीं ।···(व्यवधान)···

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि श्री राम नाईक ने आपत्ति की है । इसके मूल प्रस्तावक संसदीय कार्य मंत्री हैं । अब श्री राम निवास मिर्धा इस प्रस्ताव को प्रस्तुत कर रहे है । उन्होंने यह प्रश्न उठाया है कि क्या श्री मिर्धा इस प्रस्ताव को लाने के लिए सक्षम हैं या नहीं । यदि कोई माननीय सदस्य इस पर प्रकाश डालना चाहता है तो वह इसमें भाग ले सकता है ।

···(व्यवधान)···

श्री पवन कुमार बंसल : श्री राम नाईक का सम्मान करते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने जो कुछ कहा है उसमें कुछ विरोधाभास है । मैं इस सन्दर्भ में पहली बात यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस सम्बन्ध में प्रथाओं का उल्लेख किया और उन्होंने संसदीय समितियों में तत्कालिक रिक्त स्थानों को भरने के सम्बन्ध में बहुत स्पष्ट बात कही कि इसमें मूल प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए । इस मामले में मूल प्रक्रिया यह थी कि इस समिति के गठन के लिए सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ था । इस समिति का गठन लोक सभा में अनेक राजनीतिक दलों की संख्या को ध्यान में रखकर किया गया था ।···(व्यवधान)··· यह बात सही है कि कांग्रेस पार्टी के दो सदस्यों को मंत्री परिषद् में शामिल किये जाने के कारण उन्होंने इस समिति से अपने स्थान रिक्त कर दिये हैं और हुआ यह है कि समिति के माननीय सभापति ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहा है । इसमें एक फर्क है जिसे हमें अवश्य याद रखना चाहिए कि जब मूल रूप से यह समिति गठित की गई थी उस समय समिति का कोई सदस्य नहीं था और इसे नए सिरे से शुरू किया गया था । हमने उस समय संसदीय कार्य मंत्री के अलावा किसी और व्यक्ति से यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने की उम्मीद नहीं कर सकते थे । अब एक स्थान रिक्त हो गया है । समिति के सभापति हैं और इस तरह का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की बात सभापति पर छोड़ दी जानी चाहिए क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि जब समिति एक बार काम करना शुरू कर देती है तो वह सम्बन्धित मंत्री इस मामले में संसदीय कार्य मंत्री और किसी भी अन्य मामले में उस मंत्रालय का काम देख रहे मंत्री के काम के बजाय सभापति का काम हो जाता है । अत: ऐसे में इस आपत्ति का कोई आधार नहीं है या यों कह लीजिए कि यदि इस स्थिति में सभा में सदस्य संख्या के आधार पर चुनाव होते हैं तो एक स्थान इस दल को या उस दल को मिल जाता यह प्रश्न नहीं है । यह केवल उन तात्कालिक रिक्त स्थानों को भरने का प्रश्न है जो किसी एक दल विशेष के सदस्यों द्वारा रिक्त किये गये हैं । हम क्या नजीर स्थापित करें । हमें यह प्रथा अपनानी चाहिए कि ये स्थान उसी पार्टी को प्राप्त होने चाहिए जिसके सदस्यों ने किसी भी कारण से यह स्थान खाली किये हैं । यदि किसी अन्य दल के किसी माननीय सदस्य द्वारा किसी भी कारण से सीट खाली की जाती है तो सभापति जिस दल का स्थान रिक्त करने वाला सदस्य था उसी दल से नया सदस्य लेने के लिए संकल्प अथवा प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा । अत: महोदय, इस मामले में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है और मैं नहीं समझता कि इस बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहिए । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब संसदीय कार्य मंत्री बोलेंगे ।

श्री अनिल बसु : महोदय, आप मुझे भी अनुमति दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : एक मिनट । हम संसदीय कार्य मंत्री की बात सुनें । आपकी भी बात सुनी जायेगी ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, क्या मैं यह कह सकता हूं कि श्री पवन कुमार बंसल ने जो बातें कही हैं उससे सारी स्थिति ठीक से स्पष्ट होती है । हम सर्वसम्मति चाहते हैं और हमें राजनैतिक दलों के साथ एकमत होने और उनसे परामर्श करने में कोई आपत्ति नहीं है । माननीय सदस्य जानते हैं कि सभा के समक्ष प्रस्तुत होने वाले सभी मामलों में हम विपक्षी दल के सदस्यों के साथ परामर्श करते हैं । अतः यहां पर भी किसी तरह का परामर्श करने में कोई आपत्ति नहीं थी । परन्तु ये नैमित्तिक रिक्तियां हैं । यह सही बताया गया है कि जब पूरी समिति को नियुक्त करना पड़ा था तब मूल प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था । परन्तु यह नैमित्तिक रिक्तियां हैं और समिति के सभापति को प्रस्ताव प्रस्तुत करने का पूरा अधिकार है । इस सभा का यह सामान्य आचरण रहा है कि जब रिक्तियां होती हैं तब समिति का सभापति, सभा के समक्ष प्रस्ताव रखता है और सामान्यतः उन दलों के सदस्यों को नियुक्त किया जाता है जिनके सदस्य समिति से त्यागपत्र दे देते हैं । यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि पहले परामर्श किया जाना चाहिए और सर्वसम्मति प्राप्त करनी चाहिए, तो हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है । हम उनसे परामर्श करेंगे क्योंकि यह एक वैधिक परामर्श है जिससे हमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है । परन्तु अब तक ऐसी प्रथा नहीं रही थी । महोदय, यदि आप निर्देश देंगे और यदि माननीय सदस्य ऐसा चाहते हैं तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अनिल बसु, आप वैधानिक मुद्दे पर कुछ कहना चाहते थे ।

श्री अनिल बसु : महोदय, जहां तक इस सभा की प्रथा और परम्परा का सम्बन्ध है, सामान्यतः समिति का सभापति नैमित्तिक रिक्तियां भरने के लिए संकल्प प्रस्तुत करता है और इस मामले में श्री राम निवास मिर्धा द्वारा संकल्प प्रस्तुत करना न्यायोचित है । मैं श्री बंसल जी के विचारों से पूर्ण रूप से सहमत हूं और मैं समझता हूं कि श्री राम नाईक द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकृत करना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले में श्री राम नाईक ने कानून का प्रश्न उठाया है कि संकल्प के मूल प्रस्तावकर्त्ता संसदीय कार्य मंत्री थे, इसलिए अब श्री मिर्धा जी को संकल्प प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है । श्री राम नाईक ने यह बताते हुए कोई नोटिस नहीं दिया है कि वह आपत्ति उठाने वाले हैं । दूसरी बात यह है कि क्या उनका व्यवस्था का प्रश्न वैधानिक बाध्यताओं को निभाने के बीच रुकावट हैं । मैं समझता हूं कि यह समय की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा । श्री मिर्धा जी समिति के सभापति है । अन्यथा, इस सभा के किसी अन्य सदस्य को भी संकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार है । इसलिए, मैं श्री राम नाईक द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न अस्वीकृत करता हूं । श्री राम नाईक द्वारा अपने मामले को सिद्ध करने के लिए सतत और निरन्तर प्रयास करने, कौल तथा शकधर व प्रक्रिया के नियमों की सहायता लेने के बावजूद श्री मिर्धा जी को संकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार है ।

श्री राम निवास मिर्धा (बाड़मेर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा प्रतिभूतियों और बैंक संव्यवहार में हुई अनियमितताओं की जांच करने सम्बन्धी संयुक्त समिति के लिए श्रीमती बासवा राजेश्वरी और श्री पी० एम० सईद के त्याग-पत्र से उत्पन्न हुई रिक्तियों में सर्वश्री एम० ओ० एच० फारुक और ए० चार्ल्स को नियुक्त करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा प्रतिभूतियों और बैंक संव्यवहार में हुई अनियमितताओं की जांच करने सम्बन्धी संयुक्त समिति के लिए श्रीमती बासवा राजेश्वरी और श्री पी० एम० सईद के त्याग-पत्र से उत्पन्न हुई रिक्तियों में सर्वश्री एम० ओ० फारूक और ए० चार्ल्स को नियुक्त करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

2.40 म० प०

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव —जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दिये गये धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेंगे। इसके लिए आवंटित कुल समय 12 घंटे था और हम ग्यारह घंटे व चौबीस मिनट ले चुके हैं। 36 मिनट बचे हुए हैं।

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करते हुए दिए गये अभिभाषण में आगामी वर्षों से संबंधित सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की विस्तृत झलक मिलती है। यह एक तरह से पूर्वगामी महीनों में सरकार द्वारा किए गये कार्य निष्पादन की रिपोर्ट भी है। इस तरह धन्यवाद प्रस्ताव पर की गई चर्चा से हमें मूल्यांकन करने, संवीक्षण करने, अपनी प्राथमिकताएं प्रस्तुत करने और कभी-कभी आलोचना करने और आरोप लगाने का अवसर मिलता है। संक्षेप में, यह चर्चा देश के बहुविध समस्याओं पर प्रकाश डालती है।

हम सब यह जानते हैं कि यह देश और इसकी जनता— इसका भूत और वर्तमान—जटिल एवं विविध प्रकार की असंख्य समस्याओं से ग्रस्त रही है। ये समस्यायें इतनी तीव्र हैं कि कभी-कभी ये दुविधा का रूप धारण करती है, कभी-कभी जटिल समस्या बन जाती है और कई बार ये पहली बन जाती हैं।

यहां तक कि निम्न स्तर के आलोचक जो एक छोटी-सी बात पर भी कांग्रेस और हमारी सरकार की आलोचना करते है जैसा कि चन्द्रशेखर जी, सोमनाथ जी और नीतीश जी भी— जो अब उपस्थित नहीं हैं परन्तु जो बेकार की लड़ाई में दक्ष हैं— इस बात को स्वीकार करेंगे कि भारत की अनगिनत समस्याओं के लिए त्वरित समाधान उपलब्ध नहीं है। कल्याणप्रद जादुई छड़ी न तो भा०ज०पा० के हाथों में है और न ही राष्ट्रीय मोर्चा, वामपंथियों और निस्सन्देह न कांग्रेस के और हमारे हाथों में है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें से कई समस्याओं का उद्भव पूर्व काल में ही हो चुका है। इनमें से कई समस्याओं का—भारतीय सभ्यता के विकास की प्रक्रिया में, मानव प्रवसन की ऐतिहासिक अवधारणा से, पूर्व के हजारों वर्षों के जीवन यापन की भारतीय पद्धति के मूल से, लम्बे समय से चलते आ रहे शोषण के विविध रूपों से—सम्बन्ध है। कई शताब्दियों से कतिपय प्रक्रियाएं चल रही हैं और प्रतिवाद बढ़ गया है और आज हम इस अवस्था पर पहुंच गए हैं कि हम अपने आपको कई प्रतिवादों से घिरा पाते हैं और आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि भगवान भी बीते हुए समय को बदल नहीं सकते।

प्रधान मंत्री ने जब उत्तरदायित्व संभाला था, यह कहा था और मैं उसे उद्धृत करता हूं:

"इस देश की समस्याएं इतनी जटिल हैं कि किसी एक दल अथवा एक दल की सरकार के लिए अपने बलबूते पर इनका समाधान करने का प्रयास करना कठिन है।"

वह क्षमा प्रार्थी नहीं रहे थे। वह पराजयवादी नहीं रहे थे। वह समझदार थे। वह व्यावहारिक रहे थे और गम्भीर रहे थे। वह सभा के इस ओर के मेरे मित्रों के सदृश नहीं थे जो कि आये दिन शालीनता को भंग कर रहे हैं और जो शेरलॉक होम्स के आधुनिक संस्करण है, जिनके सामने आप बस एक समस्या रखिए— राम मन्दिर अथवा मस्जिद की समस्या, मण्डल आयोग की समस्या अथवा निर्धनता की समस्या—आप किसी समस्या का नाम लीजिए और वे शेरलॉक होम्स की तरह, कहेंगे:

"डॉ० वाटसन, यह तो शुरूआत है।
यह, यह है और यह, यह है और यह उत्तर है।"

दुर्भाग्यवश एक लम्बे समय से समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है और यदि हमें मेधावी बनना है, यदि हम विवेकशील हैं, यदि हमारे कोई स्वार्थ प्रयोजन नहीं है, तो उद्देश्य की और समस्याओं से निपटने की एक सही, एकीकृत व निश्चित पद्धति की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश हम एक लम्बे समय से यह देख रहे हैं कि इस सभा में मुद्दे और कभी-कभी विभिन्न चर्चाओं में, संसद एक ऐसे संस्थान का रूप धारण करने लगी है जहां पर स्वार्थ टकराते हैं। यह केवल स्वार्थों का टकराना ही है और यहां समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है।

इस संबंध में मैं एडमन्ड बुर्के का उद्धरण देना चाहता हूं, जिन्होंने एक अलग समय एक अलग संदर्भ में कहा था कि:

"संसद विभिन्न और प्रतिकूल हितों वाले राजदूतों की कांग्रेस नहीं है, जिनकी रुचि एक-दूसरे के विरुद्ध एजेन्ट और अधिवक्ता रखने में है। अपितु, संसद एक राष्ट्र की विचारात्मक सभा है जहां स्थानीय उद्देश्य, स्थानीय पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण द्वारा मार्गदर्शन नहीं किया जाना चाहिए बल्कि आज विवेक से उत्पन्न सार्वजनिक अच्छाई के द्वारा मार्ग दर्शन किया जाना चाहिए।"

यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यह दृष्टिकोण उस ओर के सदस्यों के कार्यों में लगभग दिखाई नहीं देती है। समस्याओं का समाधान निकालने के लिए सहयोग देने की अपेक्षा हम लगभग हर दिन यह देखते रहे है कि समस्याओं को और जटिल बनाने और समस्याओं को उत्पन्न करने के प्रयास किये जा रहे हैं। उदाहरण के लिए इस राम मन्दिर—राम जन्म भूमि को लीजिए। इसके

बारे में हर कोई इतना कह रहा था कि अब यह बेकार है, इसका उल्लेख करना भी कठिन हो गया है। परन्तु दुर्भाग्यवश 6 दिसम्बर को एक घटना घटी थी, एक ऐसी घटना जिसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहता परन्तु खामोश रहना भी असम्भव है। मुझे इसके बारे में कुछ कहना है। 6 दिसम्बर को उन मुट्ठी भर लोगों ने—जो कि हर जगह झूठ बोल रहे थे, प्रेस में झूठ बोल रहे थे, सार्वजनिक सभाओं में झूठ बोल रहे थे, उच्चतम न्यायालय में झूठ बोल रहे थे और इस सभा में झूठ बोल रहे थे—इस देश की जनता के साथ, इस राष्ट्र के आचार के साथ, देश के मूल हितों के साथ विश्वासघात, धोखा व प्रवंचना की है तथा बड़े गोपनीय ढंग से, एक चोर की तरह उन्होंने एक ऐसा कार्य किया है जिसकी वजह से देश के विभिन्न समुदायों के बीच नफरत, विद्वेष तथा दुर्भावना पैदा हुई है। यह कह पाना बहुत कठिन है कि यह घाव कब भरेगा, और क्या वास्तव में यह घाव कभी भरेगा भी।

यद्यपि, महोदय मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छे-से-अच्छे व्यक्तियों में भी कुछ-न-कुछ बुराई होती है और बुरे-से-बुरे व्यक्तियों में भी कुछ-न-कुछ अच्छाई होती है, जैसे कि कुछ लोगों का इसमें विश्वास नहीं है। इसलिए मैं अपने व्यवहार में एक पक्षता नहीं लाना चाहता। मैं सर्वज्ञ व्यक्ति की तरह नहीं बनना चाहता जो धर्मोपदेश देता है। मैं समस्या की गहराई में जाना चाहूंगा और मैं समस्या की तर्कसंगत दलील देना चाहूंगा और मैं देश के सामने उपस्थित समस्या की जटिलता को मूल रूप से समझने के लिए सदन के सामने तर्क रखना चाहूंगा।

महोदय, आज हम जिस प्रश्न का सामना कर रहे हैं वह बहुत ही साधारण है। क्या हम बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों की इच्छाओं पर हावी होने की अनुमति दे सकते हैं: क्या हम ताकतवर लोगों को कमजोर लोगों पर हुकूमत चलाने की अनुमति दे सकते हैं। ये सब बुनियादी प्रश्न हैं और इन प्रश्नों पर देश का अस्तित्व निर्भर करता है। दुर्भाग्यवश जबकि भारत में सभी क्षेत्रों में लगभग सभी वर्गों के बीच पहचान की समस्या है। बहुसंख्यकों ने भी अब राजनैतिक कारणों के लिए अपने विचारों में स्वयं की पहचान को बनाये रखने की समस्या की शुरूआत कर दी है।

महोदय, 6 दिसम्बर की उस घटना को उन छः घंटों की, जब विवादित ढांचा गिराया जा रहा था, के बार में कुछ आलोचना की है। मैं इस बारे में बहुत नम्रता से उल्लेख करना चाहूंगा।

एक माननीय सदस्य : उन्हें एक घंटा मिला है। **(व्यवधान)**

श्री सिरिप वालिहा : आपने व्यवस्था के प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा की थी और आप मुझे भाषण नहीं देने दे रहे हैं। आप शुरू से ही समय के बारे में आपत्ति उठा रहे हैं।

महोदय, 6 दिसम्बर, 1992 को बहुत कुछ हुआ और प्रधानमन्त्री के विरुद्ध बहुत कुछ कहा गया। जब विवादित ढांचे को गिराया जा रहा था, तो उन छः घंटों को अनिश्चितता के घंटे कहा गया है। दुर्भाग्य से किसी ने भी इस समस्या का दूसरा पहलू नहीं देखा। किसी ने बुनियादी तथ्य को समझने की कोशिश नहीं की। उन छः घंटों के दौरान प्रधान मंत्री कुछ नई कार्यवाही कर सकते थे, जो वे वास्तव में शुरू में करना चाहते थे। जब उन्होंने इस देश के प्रधान मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था, तो उन्होंने एक राष्ट्रीय कार्यसूची बनाई थी जो सर्वसम्मति पर आधारित थी। इस देश की जनता द्वारा दिया गया जनादेश का परिणाम ही सर्वसम्मति था, जिस पर प्रधानमंत्री का पूरा विश्वास था, जिसकी पुनरीक्षा की गई थी, और उसी के अनुरूप कार्यवाही की जानी थी। केन्द्र राज्य सम्बन्धों तथा राज्य के अधिकारों के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना था।

उसमें मानव जीवन का प्रश्न था और निःसंदेह राजनैतिक पहलू भी था। दुर्भाग्य से, एक बार फिर हमें सब ओर से एक जैसा देखने को मिला तथा चारों तरफ भर्त्सना देखने को मिली। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दिलीप भाई संघानी (अमरेली) : सर, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि संविधान के आर्टीकल 100 में लिखा है :

[अनुवाद]

"यदि सभा की बैठक में किसी समय गणपूर्ति नहीं है, तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या बैठक को तब तक के लिए निलम्बित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती है।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी, मेरा मुद्दा यह है कि कोरम के बारे में कोई मेम्बर की जिम्मेदारी है कि नहीं। अगर कोई जिम्मेदारी है तो जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या चेयरमैन है उनकी बनती है लेकिन फिर भी इस हाउस में बार-बार जब किसी मेम्बर की ओर से याद दिलाया जाता है तब कोरम का मुद्दा उठता है। रूलिंग के मुताबिक संविधान के आर्टीकल को हम नजरअन्दाज नहीं कर सकते लेकिन फिर भी संविधान ने जो रूल्स बनाए हुए हैं तो उसके लिए मेम्बर को बोलने का अधिकार है। इसलिए मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं यह आपकी जिम्मेदारी है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : घण्टी बजाई जा रही है, अब कोरम है। माननीय सदस्य श्री चालिहा अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री किरिप चालिहा : दुर्भाग्यवश बार-बार यह देखने को मिला है कि एकतरफा व्यवहार किया जा रहा है। हमने देखा है कि प्रत्येक मामले में अपने स्वार्थ को ध्यान में रखकर भर्त्सना की गई है। विद्रोहात्मक पहलुओं के मुद्दों पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट के सम्बन्ध में कुछ समस्याओं को उठाया है। मंडल कमीशन का प्रश्न कहां से आ गया। मेरा विचार है कि कोई किसी के विरुद्ध प्रचार करने का प्रयास कर रहा है। सकारात्मक रवैया दिखाई नहीं देता है। इस सन्दर्भ में मैं कह सकता हूं कि इस देश में जातिवाद के प्रश्न पर बहुत से पहलू हैं। यह लम्बे अर्से से ऐतिहासिक शोषण का परिणाम है। लेकिन अब समय आ गया है कि आपको देश में जातिवाद का पुनः मूल्यांकन करना होगा। हिन्दू विश्व परिषद के कुछ लोगों ने जातीयता के मुद्दे को फिर से उठाया है। वे कह रहे थे हमें एक बार फिर से वर्ण प्रथा अपनानी चाहिये। 21वीं सदी में जाने के बजाय आप वर्ण प्रथा में जाना चाहते हैं। यह देखने का समय आ गया है कि समाज स्वयं समानता की ओर जा रहा है। लेकिन राजनीति राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति के आधार पर जातीयता की समस्या नहीं सुलझेगी। हमें सामाजिक बुराइयों की पहचान करनी होगी और देखना है कि सामाजिक बुराई समाप्त करके लोगों को सामाजिक न्याय देना है। यह केवल सामाजिक सामंजस्य से किया जा सकता है। प्रधान मन्त्री जी ने भी यही कहा है।

जातीय राजनीति के सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहूंगा। प्रत्येक व्यक्ति इस जाति की या उस जाति की बातें कर रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति उन लोगों की बात नहीं कर रहा है, जिन्होंने

बहुत पहले जातीयता का विरोध किया था और जिन्होंने विभिन्न जातियों के अन्तर्मिश्रण के बारे में कहा था और वे लोग जो ऊंची जाति के हैं और उन्होंने छोटी जाति में विवाह किया है तथा छोटी जाति के लोगों का, जिनका ऊंची जाति में विवाह हुआ है, का क्या हुआ। मेरे विचार से वो लोग हैं जिनके भविष्य पर ध्यान देना होगा। आपको उन्हें प्रोत्साहन देना होगा। यदि निम्न जातियों के लिए आरक्षण है, तो यह आरक्षण उन लोगों के बच्चों के लिये भी होना चाहिये जिन्होंने छोटी जाति/ऊंची जाति में विवाह, अन्तर्जातीय विवाह किया है। केवल तभी जातिवाद का बन्धन टूटेगा।

इसी प्रकार परिवार नियोजन, जनसंख्या वृद्धि भी एक मूल समस्या है। केवल समाचारपत्रों या टी० वी० पर विज्ञापन देने से कुछ नहीं होगा। प्रोत्साहन तथा हतोत्साहित करने वाली योजनाएं शुरू की जानी चाहिये। हमें राजनीति से ऊपर उठकर ठोस प्रयास करने होंगे। समूचे सदन को राजनीतिक विचारों से ऊपर उठना चाहिए और इसके लिये प्रयास करना चाहिये। दुर्भाग्य से वह भावना नहीं रह गई है। डा० मनमोहन सिंह को सफलता नहीं मिल सकती, जब तक कि जनसंख्या पर नियन्त्रण नहीं किया जाता। डा० मनमोहन सिंह के पिछले 20 महीनों के प्रयासों के कारण ही आज आर्थिक क्षेत्र में काफी उन्नति हुई है। लेकिन जब तक जनसंख्या पर नियन्त्रण नहीं किया जाता, तब तक क्या वे सफल हो पाएंगे। जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन हम कोई ठोस उपाय नहीं करते, केवल भाषण देते रहते हैं। वे जिम्मेदार लोग, जो जनसंख्या पैट्न पर नौकरियों के प्रतिनिधित्व के बारे में बातें करते हैं, क्या जनसंख्या पैट्न पर नौकरी दिलाने के बजाय जनसंख्या नियन्त्रण के लिए प्रयास नहीं कर सकते।

जहां तक बेरोजगारी की समस्या का प्रश्न है। निःसंदेह बहुत-सी रोजगार संबंधी योजनाएं लाई जा रही हैं तथा डा० मनमोहन सिंह जी ने विभिन्न योजनाओं के लिये बहुत-सा धन आबंटित किया है। मुझे उन्हें बधाई तथा धन्यवाद देना चाहिये। इसका दूसरा पहलू भ्रष्टाचार है, जो विभिन्न स्तरों पर हो रहा है। ऐसा केवल स्व नियोजन क्षेत्र के मामले में नहीं है बल्कि कल्याणकारी योजनाओं में भी है। जनता को कितना धन मिलता है और विधायकों तथा सांसदों की निरीक्षणात्मक भूमिका क्या है। हमारे पास कितने अधिकार तथा शक्तियां हैं तथा हम उनका कहां तक उपयोग करते हैं। हमें निरीक्षणात्मक अधिकारों का इस्तेमाल करने के तरीकों का पता लगाना होगा।

मुझे कहना होगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सकारात्मक टिप्पणी की गई है। हमें निष्पक्ष होना चाहिये। बुराई को ऐसे ही छोड़ देने के बजाय उसमें सुधार करना अच्छा रहेगा। निःसंदेह बी० जे० पी० ने राम जन्म भूमि का मुद्दा उठाया है, लेकिन अन्य बातों को छोड़ दिया है। तभी आज अनेक समस्याएं इकट्ठी हो गई हैं।

अब मैं पूर्वोत्तर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

3.00 म० प०

पूर्वोत्तर में विद्रोह की समस्या को सुलझाने में की गई प्रगति के बारे में किसी प्रकार का आत्मसंतोष नहीं किया जाना चाहिये।

मुझे विश्वास है कि मेरे मित्र श्री जगमीत सिंह बरार पंजाब के बारे में जानकारी देंगे। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि पंजाब तथा पूर्वोत्तर राज्यों में स्थिति सुधरी है। लेकिन हमें इस पर ही सन्तोष नहीं कर लेना चाहिये। यदि हम पंजाब तथा असम की स्थिति पर काबू पा लेते हैं, तो यह काफी बड़ी उपलब्धि होगी।

असम में, मैं महसूस करता हूं, जब तक आप समूचे पूर्वोत्तर की विद्रोह की समस्या को एक साथ नहीं लेते, तब तक उल्फा (यू० एल० एफ० ए०) और एन० एस० सी० एन० और अन्य संगठनों की विद्रोह की समस्याओं को एक साथ नहीं लेते, तब तक इसका उचित समाधान नहीं निकल सकता। श्री मणि शंकर अय्यर ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए उग्रवादियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने की अपील की थी।

मैं भी उग्रवादियों से निपटने के लिये हमेशा सख्त रवैया अपनाने के पक्ष में रहा हूं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि सख्त कार्यवाही ठीक तरह से की जानी चाहिये। असम में पिछले 16 महीनों से सेना है। लेकिन सैनिक कार्यवाही लगातार जारी नहीं रही। वे कुछ समय के लिये कार्यवाही करते हैं और अचानक कार्यवाही रोक देते हैं फिर वे शुरू करते हैं और फिर वे रोक देते हैं। राजनैतिक कारणों से असम काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वास्तव में, समाचार पत्रों की खबर को देखकर आपको आश्चर्य होता है कि राजनीतिक पार्टियां साम्प्रदायिक दंगों के लिये सेना को दोषी ठहरा रही हैं। क्या यह उचित होगा कि असम और सेना को इस प्रकार के विवाद में उलझाया जाये।

इसी तरह हमें सुरक्षात्मक उपाय करने चाहिये। हमें असम जैसे नाजुक राज्य में इस प्रकार की स्थिति के बारे में सतर्क रहना चाहिये। हमें देखना चाहिये कि राजनैतिक अधिकारों का तथा शक्ति का दुरुपयोग न हो। यह सच है कि उग्रवादियों को गिरफ्तार करना होगा और उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करनी होगी। लेकिन फिर भी हमें यह देखना होगा कि राजनैतिक अधिकारों और प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग न हो। इन मामलों में आपको दलगत नीति से ऊपर उठना होगा। एक पत्रकार ने कुछ लिखा था। उसे 'टाडा' के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने मुख्य मन्त्री को लिखा है तथा इसके बारे में उनको बताया है।

महोदय, हमें समझदारी से काम करना होगा। हमें देश के हितों का ध्यान रखना होगा और और ये छोटी-छोटी बातें, जो आज चारों तरफ फैली हुई हैं, उनकी अनदेखी करनी होगी। आज देश को ऊंचा उठाने की आवश्यकता है। हमें इसमें छोटापन नहीं दिखाना चाहिये। हमें कठोर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिये और देश के हितों के लिये अपने व्यक्तिगत स्वार्थों का त्याग करने की योग्यता होनी चाहिये। देश कई कठिनाइयों का सामना कर चुका है। लेकिन अभी कई समस्याओं पर काबू पाना है।

उदाहरण के तौर पर 'बोडो' समस्या के समाधान में हमने काफी प्रगति की है। अभी हाल ही में हमने 'बोडो' समझौता किया था। यह बहुत अच्छा हुआ है। मैं प्रधानमन्त्री को 'बोडो' आदिवासियों के साथ हुए समझौते के लिये धन्यवाद देता हूं। आदिवासियों को स्वायत्तता प्रदान की गई है। लेकिन यह सच नहीं है कि अब तक जिन आदिवासियों को कुछ स्वायत्तता दी गई है वे पूर्वोत्तर के ही हैं। केवल असम राज्य को बार-बार बांटा जा रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार व आंध्र प्रदेश के आदिवासियों का क्या हुआ। आपने उनके लिये कोई कदम क्यों नहीं उठाए हैं। आप असम को ही गिनी पिग की तरह इस्तेमाल क्यों करते हो। क्या लोग इसको सहन कर पाएंगे। आपको इस पर गम्भीरता से विचार करना होगा।

यद्यपि असम मुख्य धारा में है और यद्यपि मैं असम से हूं और पूर्णतया असमी हूं, मैं नहीं समझता कि मैं किसी भारतीय से कम हूं। संचार के आधुनिक चैनलों के बावजूद, इस देश में बहुत से तथ्यों की जानकारी नहीं है। कश्मीर में डोरास्वामी के अपहरण पर आपने खूब शोर मचाया।

श्री मदन लाल खुराना हर रोज खड़े होते हैं और बड़ी-बड़ी खबर सुनाते हैं। असम में एक अन्य अधिकारी उग्रवादियों की कैद में चार महीनों तक रहा। किसी ने भी इसके बारे में एक भी शब्द नहीं कहा है। वे इसके बारे में जानना भी नहीं चाहते। क्या लघु राष्ट्रिकों की समस्याओं को समझने के लिये आम सहमति जताने की जिम्मेदारी हमारी सरकार, हमारे देश के नेताओं और दूसरी ओर बैठे हुए हमारे साथियों की नहीं है? लघु राष्ट्रीयताएं प्रतिदिन बड़ी समस्याओं का सामना कर रही हैं। जब श्री सोमनाथ चटर्जी क्षेत्रीय असमानताओं की बात करते हैं, विदेशी मुद्रा के आगमन और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करते हैं, तो मुझे असम का भविष्य एक दु:स्वप्न की भांति लगता है। हमारे यहां कोई आधारभूत सुविधा नहीं है।

हमारे राज्य में अच्छी सड़कें भी नहीं हैं। यहां तक कि बाढ़ के दौरान मुख्य राष्ट्रीय राज-मार्ग भी दो-तीन जगहों से टूट गया है। क्या वहां कोई विदेशी पूंजी आयेगी? हमारे मार्क्सवादी साथी कहते हैं कि हमारे देश में विदेशी पूंजी आ रही है, और बहुतायत में आ रही है तथा हमारी आत्म-निर्भरता के लिए खतरा उत्पन्न कर रही है। असम के मामले में अगर आप उनको सभी प्रोत्साहन दें तो भी वे आगे नहीं आएंगे। फिर क्या फायदा है? इससे क्षेत्रीय असमानता को और बढ़ावा मिलेगा। कलकत्ता का विकास होगा; मुम्बई का विकास होगा; बंगलौर प्रगति करेगा लेकिन असम जैसा क्षेत्र पीछे की ओर सरकता जायेगा; यह भारतीय सभ्यता का कूड़ादान साबित होगा। ऐसे मौके पर मैं श्री मनमोहन सिंह को असम के लिए अपने बजट में पांच वर्ष तक कर से राहत की घोषणा करके, जो कम से कम एक अच्छा संकेत दिया है, उसके लिए धन्यवाद करता हूं। मुझे उसके लिये अवश्य ही धन्यवाद करना चाहिये। लेकिन और अधिक शीघ्र कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। उत्तर-पूर्व क्षेत्र के स्थानीय विकास के लिये तथा सही आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए और शीघ्र कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। उत्तर-पूर्व क्षेत्र दिल्ली से दूर है। दिल्ली से पृथक्करण की भावना है। अतः हमें यह देखना होगा कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को सिंगापुर, हांग-कांग जैसे स्थानों के साथ बेहतर ढंग से जोड़ा जा सकता है अथवा नहीं। हमें यह देखना होगा कि हम इसे औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र बना सकते हैं अथवा नहीं तथा क्या उससे कुछ लाभ अर्जित किया जा सकता है या नहीं, इन सभी सम्भावनाओं का हमें पता लगाना होगा।

महोदय, मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं पहले ही काफी समय ले चुका हूं। मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे उम्मीद है कि अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिये मुझे पुन: अवसर दिये जाएंगे। इन शब्दों के साथ, मैं राष्ट्रपति के अभि-भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं श्री दिग्विजय सिंह द्वारा पेश किये गए धन्य-वाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मानवेन्द्र शाह (टिहरी गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति महोदय ने धर्मनिरपेक्षता को होने वाले खतरे की ओर संकेत किया है। अब तक जितने भी वक्ता बोले हैं, सभी ने धर्म-निरपेक्षता के मामले का किसी न किसी प्रकार जिक्र किया है। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि उन्होंने जो रवैया अपनाया है, उसमें किसी को भी विजेता नहीं कहा जा सकता और स्वतन्त्रता के पश्चात् उन्होंने जो कार्य किये हैं, जो बहुतायत में हैं, उन्होंने इस राष्ट्र को क्षति ही पहुंचाई है। मैं उन विषयों पर विस्तार से प्रकाश नहीं डाल सकता। लेकिन उनमें से कुछेक को मैं उठाना चाहूंगा।

कांग्रेस के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य सभी धर्मों में समानता नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों

के धर्म को अहम् स्थान प्रदान करने से है। इसी विचार का पोषण होता है और इसे विशेषाधिकार का उल्लंघन भी नहीं माना जाता। इसका प्रमाण हमें आज तब मिलता है जब हम मुसलमानों में रूढ़िवादियों और हिन्दुत्व में रूढ़िवादिता पर प्रतिक्रिया को सिर उठाते हुए देखते हैं।

महोदय, आरक्षण में लगातार डा० अम्बेडकर द्वारा निर्धारित अवधि के पश्चात् भी विस्तार करना इस बात का सूचक है कि सरकार पिछड़े वर्गों और जनजातियों के जीवन-स्तर को सुधारने में असफल रही है। एकता के मूलाधार को खतरा उत्पन्न हुआ है तो केवल हमारी राजनीतिक पैंतरे-बाजी से। आज जबकि सदस्य आरक्षण को बढ़ाना चाह रहे हैं, यह कांग्रेस सरकार की असफलता का स्पष्ट संकेतक है। यह इस बात का सूचक है कि वे देश को संगठित रखने में असफल हुए हैं।

महोदय, कैंसर की भांति केन्द्र सरकार ने धीरे-धीरे संविधान द्वारा राज्यों को प्रदत्त उनकी शक्तियों और विषयों पर अधिकार कर लिया है। कमजोर पड़ते संघीय ढांचे ने अनेक राज्यों को उन्हें उनके अधिकार बनाये रखने के लिये विरोध जताने और आंदोलन करने के लिये मजबूर किया है। दुर्भाग्य मे सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। यह इस सभा से छिपा हुआ नहीं है कि अनेक राज्य तो संघ से बाहर होने पर भी विचार कर रहे हैं। यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है जो कांग्रेस सरकार के कमजोर अथवा गलत रवैये के कारण आ रही है।

यहां तक कि अब लोग न्यायिक व्यवस्था से भी उकता गए हैं। मैं न्यायाधीशों पर कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहूंगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हाल ही में न्यायाधीशों की नियुक्ति के तरीके के मामले के कारण लोगों का न्यायपालिका में विश्वास कम हुआ है। अन्य क्षेत्रों में भी सरकार द्वारा गलत और निरंकुश प्रयोग के मामले हमारे सामने मौजूद हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित चार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना है। इसका सबसे खराब उदाहरण हिमाचल प्रदेश का है। केवल उत्तर प्रदेश विधान सभा को निलम्बित रखना ही काफी होता। लेकिन वह कांग्रेस को नहीं भाया। अतः वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। लेकिन इसके विपरीत त्रिपुरा में, जहां कांग्रेस सत्ता में है, वे राष्ट्रपति शासन लागू करने में हिचक रहे हैं। यह दोगली नीति है जो पुनः कार्यकारिणी में विश्वास की भावना को चोट पहुंचा रही है।

दूसरा उदाहरण अभी हाल ही में राज्यपालों के हस्तांतरण का है। राज्यपालों को स्वतन्त्र होना चाहिये। उन्हें राष्ट्रपति को अपने विचार बताने के लिये निष्पक्ष और सत्यवादी होना चाहिये। लेकिन वह सरकार के अनुकूल नहीं हैं। वे तो केवल रबड़ की मोहर चाहते हैं।

वित्तीय घोटाले शिखर को छू रहे हैं और जिन महत्वपूर्ण व्यक्तियों का इसमें अहम् हाथ है, वह तब तक नहीं हो सकता था जब तक कि उन्हें राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलता। यह एक खतर-नाक वास्तविकता है। उदाहरण के लिए मुम्बई के भूमि गिरोह और राजस्थान के नशीली दवाओं के विक्रेताओं के गिरोह मजबूत होते जा रहे हैं। इसकी बहुत-सी शाखाएं हैं और यह एक खतरनाक चीज है जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जहां निर्णय लेने का सम्बन्ध है, वहां सरकार एक कदम आगे तो दो कदम पीछे रखती हुई प्रतीत होती है। मैं केवल एक उदाहरण दूंगा और वह है डंकल ड्राफ्ट का। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बहुत खतरनाक परिणाम होंगे। डंकल ड्राफ्ट कृषि के समर्थन मूल्य की सीमा बांधना चाहता है, कृषि को व्यापार एवं बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के साथ जोड़ना चाहता है और विशेष तौर पर बीज व्यापार में बहुराष्ट्रिकों के एकाधिकार को

प्रोत्साहन देना चाहता है। लेकिन सरकार ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई ऐसे विशेष सुझाव नहीं दिये हैं कि वे इसे किस प्रकार तय करने जा रहे हैं। सत्ता पक्ष के भीतर भी कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनका सरकार में विश्वास नहीं है और हाल ही में हुई किसान रैली का उन्होंने समर्थन किया है, जो वास्तव में किसान रैली नहीं थी बल्कि उनकी अपनी सरकार को को डंकल ड्राफ्ट का विरोध करने से सहमत करने के लिये उन पर दबाव डालने वाली राजनीतिक रैली थी। अगर कार्यकारिणी कोई निर्णय नहीं ले सकती, तो यह एक बहुत खतरनाक चीज है। लेकिन उससे भी बुरी बात यह है कि उसके लिये स्वयं उनकी पार्टी द्वारा, सत्ता पक्ष के उनके अपने व्यक्तियों द्वारा उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से मजबूर किया जाता है।

अतः, मैं अपने साथी सदस्य श्री दिग्विजय सिंह को बधाई देना चाहूंगा कि कम से कम उनमें यह स्वीकार करने का साहस तो है कि "आम आदमी का वर्तमान व्यवस्था से विश्वास उठ रहा है।" लेकिन इसकी वजह वह सब नहीं है, जो कुछ अभी हाल ही में गत दिनों हुआ, और न ही उसकी वजह विपक्षी दल है बल्कि इसकी वजह चार-पांच दशकों का कांग्रेस का शासन काल है। अतः, इस संदर्भ में मैं नहीं जानता कि मैं किस प्रकार सरकारी संकल्प का समर्थन करूं।

संक्षेप में, मैं पर्यावरण मुद्दे पर बोलना चाहता हूं। पर्यावरण का मामला बहुत विस्तृत है। और उसमें सबसे बड़ी समस्या अथवा सबसे अधिक विवादित मामला टिहरी बांध का है। गत वर्ष इसी अभिभाषण में मैंने टिहरी बांध से होने वाले नुकसान और खतरों को विस्तार से इस सभा में बताया था। मैं बहुत प्रसन्न था जब प्रधान मंत्री महोदय ने इस मामले में व्यक्तिगत रुचि दिखाई। लेकिन यह बहुत निराशाजनक बात है कि मामला अभी तक लटक रहा है। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। जो कुछ मैं कहना चाहता हूं उसका सार यही है कि हम पारिस्थितिकी को भुला दें, भूचालग्रस्त क्षेत्र को नजरअंदाज कर दें गंगा घाटी के लुप्त होने और वहां के निवासियों को भूला दें। लेकिन हम "धार्मिक पूजास्थल (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1991" को नहीं भुला सकते। खंड 4 और उपखंड 1 केवल व्यक्तियों पर ही नहीं, संस्थानों पर ही नहीं बल्कि सरकार पर भी समान रूप से लागू होता है। सरकार को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि वे ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे पूजा के स्थान की रक्षा न होती हो। विनाश मनुष्य द्वारा भी किया जा सकता है और प्राकृतिक स्थानों को नष्ट करके भी किया जा सकता है। टिहरी बांध के निर्माण से टिहरी शहर का पौराणिक स्वयम्भू सत्येश्वर महादेव विलीन हो जायेगा अथवा नष्ट हो जायेगा। यह भूमि कानून का उल्लंघन होगा।

अतः, मेरा इस सभा से तथा सरकार से अनुरोध है कि कानून का सम्मान करें और देखें कि इसका उल्लंघन न हो पाए। इसे केवल तभी सुरक्षित रखा जा सकता है जब इसके स्थान पर नदी के ऊपर बनने वाले बांध के प्रकार का बांध बनाया जाए। मुझे उम्मीद है कि इसका ध्यान रखा जायेगा और सरकार इस पर सकारात्मक रुख अपनायेगी।

[हिन्दी]

श्री जगमीत सिंह बरार (फरीदकोट) : माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, मैं 22 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण की पुरजोर हिमायत करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में यह जिक्र किया है कि इस देश का जो गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, उसको कलंकित करने के लिए 6 दिसम्बर की जो घटनाएं

हुई, अयोध्या में उस दिन जो दुखदायी काण्ड हुआ, मुझे यह कहते हुए अफसोस है और एक भारतवासी होने के नाते, एक हिन्दुस्तानी होने के नाते, मैं यह कहना चाहूंगा कि 1947 के बाद, अगर भारतवर्ष के सुनहरे इतिहास में, भारतवर्ष की महान परम्पराओं पर जिस तरह से प्रहार हुआ, जिस प्रकार संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई, हिन्दुस्तान के स्वच्छ वातावरण में जिस तरह जहर घोल दिया गया, हिन्दुस्तान की स्वच्छ सोच के ऊपर प्रहार किया गया, उस सम्बन्ध में बड़ी दृढ़ता से मेरा यह कहना और मानना है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कत्ल का जितना दोष नाथू राम गोडसे के ऊपर आया था, उससे भी बड़ा दोष, अयोध्या में 6 दिसम्बर को, भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने, मस्जिद को गिराकर, उससे भी बड़ा अपराध किया है, उससे भी बड़ा दोष कमिट किया है। (व्यवधान)

उस बात पर भी मैं आऊंगा। यह सब होने के बाद, डिप्टी स्पीकर साहब, इस देश के महान नेता, औनरेबल लीडर आफ द अपोजीशन··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभापतियों के पैनल के सम्बन्ध में एक बैठक है। मुझे भी उस बैठक में जाना है। सभा की अनुमति हो तो क्या मैं इस सभा के वरिष्ठ सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त को सभा की अध्यक्षता करने के लिए कह सकता हूं।

3.19 म०प०

(श्री इन्द्रजीत गुप्त पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री जगमीत सिंह बरार : मान्यवर, मेरा यह मानना है कि इतना सब कुछ होने के बाद, देश के इतने बड़े नेता का यह कहना कि इन घटनाओं के होने से हमें कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि वह एक विवादग्रस्त ढांचा था, जिसे उन्होंने गिरा दिया, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपका बस चले तो आप इस हाउस में यह कहने में भी शर्म न करें, जो कि हिन्दुस्तान के 85 करोड़ लोगों का सदन है, यह सदन पूरे देश की जनता की भावनाओं और उनके जजबातों को प्रतिबिम्बित करता है, प्रतिनिधित्व करता है, कि अब तो हरमन्दिर साहब, जामा मस्जिद और मक्का शरीफ भी विवादग्रस्त ढांचे हैं, अगर आपका बस चले तो आप और न जाने किस-किस चीज को विवादग्रस्त घोषित कर दें। (व्यवधान)

सूरत और बम्बई की घटनाओं के बाद, भारतीय जनता पार्टी, आर० एस० एस० और आप के सभी सहयोगी कातिलों की कतार में खड़े हो गए हैं, आपको यह बात जाननी चाहिए। और बरसों से अफरिक के महान शायर अलामा इकबाल जी ने कभी कहा था :

"मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना
हिन्दी हैं हम वतन है हिन्दोस्तां हमारा।"

उसको जितनी गहरी चोट और धक्का आपने पहुंचाया है, आने वाली पीढ़ियां और आने वाला इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा।

आपकी सत्ता की भूख में और उस कुर्सी से इस कुर्सी पर पहुंचने के लिए मुझे बहुत महान सूफी संत इसके अलावा फिलॉस्फर और मुस्लिम वर्ल्ड के बहुत आदर और सत्कार करने योग्य

माननीय ख्वाजा साहब निजामुद्दीन ने इस मौके पर जो कहा, उसकी याद आती है। फकीर निजामुद्दीन साहब ने कहा, जब ग्यासुद्दीन तुगलक अन्य इलाके फतेह करके दिल्ली आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं फकीर और निजामुद्दीन का जो स्थान है, उसको सबसे पहले तबाह करूंगा। किसी ने आकर फकीर साहब को खबर दी कि आप तो यहां बिना जात-पांत, मजहब और भाषा के बिना सबकी सेवा करते हैं और ग्यासुद्दीन आपकी धर्मशाला को तबाह करने के लिए आ रहा है। तीन किलो मीटर का फासला रह गया और ग्यासुद्दीन साहब को दिल्ली में एंटर करना था, माननीय फकीर साहब, निजामुद्दीन साहब को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कहा : हैनूज दिल्ली दूर अस्त, और वही बात हुई ग्यासुद्दीन के दिल्ली पहुंचने से पहले, उसके ऊपर छज्जा गिर गया और छज्जा गिरने से उसकी मौत हो गई।

आज जो आडवाणी जी और वाजपेयी जी को उस कुर्सी से उस कुर्सी पर, विपक्ष से सत्ता तक पहुंचने के लिए हिन्दुस्तान की अक्लीयतों की लाशों के ऊपर और हिन्दुस्तान के, गरीब अवाम, आदिवासी, हरिजनों की लाशों के ऊपर और बच्चों और औरतों की लाशों के ऊपर से गुजर कर पहुंचना होगा। आपने बच्चों और औरतों के बम्बई और सूरत में जो कत्ल किए हैं, उनकी लाशों के ऊपर से गुजर कर आप प्रधान मंत्री की इस कुर्सी पर पहुंच सकते हैं, वरना आपका इस कुर्सी पर पहुंचने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। (व्यवधान)

अब मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों की बातों पर आता हूं। घूमल साहब मेरे बड़े भाई हैं और मेरे साथ वाली स्टेट से आते हैं। राष्ट्रपति जी ने, सभापति जी, एक बहुत बड़ी बात कही है पंजाब के बारे में और उन्होंने कहा है :

[अनुवाद]

अलगाववादी और विघटनकारी ताकतों के विरुद्ध स्पष्ट संदेश भेजने का पूरा श्रेय इन साहसी लोगों को जाता है।

[हिन्दी]

मुझे इस बात का गौरव है कि 20 हजार आदमियों की जानें 12 वर्षों में जाने के बाद पंजाब में एक ठहराव आया है, हालांकि मैं उसको परमानेंट अमन नहीं मानता, मैं उसको तूफान के बाद का ठहराव मानता हूं, लेकिन माननीय सभापति जी 12 वर्ष के बाद सिसकियों और दुखों के इतिहास के बाद जो राष्ट्रपति जी ने पंजाब के लोगों को, बहादुर लोगों का रुतबा दिया है, उसे आज यहां कहते हुए मुझे कोई झिझक महसूस नहीं होती, जैसे 1947 के बाद वैस्ट बंगाल और पंजाब के लोगों ने बहुत सफर किया, उसी तरह पंजाब के 12 वर्षों के दुखांत में पंजाबी के एक महान शायर ने कहा है :

"सारे लोकी तुर गये लै के नाल कजा
गलियां हौके भरदीयां रौंदी फिरे हवा।"

कजा के बाद लोगों ने वहां से मायग्रेट किया। मेरे प्रदेश की हवा रो रही थी गलियां हौ के भर रही थीं, लेकिन वहां अमन आया है। फिर मुझे इकबाल साहब का वह तराना याद आता है, शिकवा में जो उन्होंने कहा :

"हम नवां मैं भी कोई गुल हूं कि खामोश रहूं
जुरंत आमोज मेरी ताबे सुखन है मुझको
शिकवा अल्लाह से भी खाकम बदहन है मुझको ।"

मुझे शिकवा है अपनी सरकार के ऊपर, मुझे शिकवा है अपनी हुकूमत के ऊपर कि नौ वर्ष बीत जाने के बाद, दिल्ली और दिल्ली के बाहर दस हजार सिखों का कत्ल होने के बाद, छः कमीशन्स बनने के बावजूद, दुबारा इस हाउस में आश्वासन देने के बाद देश की अकलियत और देश की बहादुर कौम को इंसाफ नहीं मिल पाया । इस इंसाफ के लिए, मुझे यह बात कहते हुए कोई शक नहीं हो रहा है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी देश की महान नेता का जब कत्ल हुआ तो बेअंत सिंह और केहर सिंह को फांसी लगा दी गई ।

कानून अपना समय लेता है ।

उसके बाद येरवाड़ा जेल, महाराष्ट्र में 9 अक्टूबर, 1992 को सुखजिन्दर सिंह और हरिन्दर सिंह जिन्दा को फांसी लगा दी गई । ठीक है,

कानून अपना समय लेता है ।

सभापति जी, आप इस देश की गियासत के बहुत सीनियर नेता (इन्द्रजीत गुप्त) हैं । आपके जरिये मेरा शिकवा है अपनी सरकार के ऊपर कि दस हजार लोगों का कत्ल करने के बाद जिन लोगों को पनिश किया जाना था, लोग आईडंनटीफाई हो गये लेकिन किसी इन्सान को फांसी तो क्या, सजा तक नहीं दी गई । इसके बावजूद वही लोग, जिनके ऊपर कत्ल के इल्जाम हो, वे कारों में हूटर लगाकर और ब्लैक कैट लेकर दिल्ली के बाजारों में घूमें और सरकार के ऊपर कोई असर न हो । मुझे गिला है, ऐज ए डेमोक्रेट एण्ड ऐज ए वर्कर आफ माई पार्टी में अपनी सरकार से इस बात का गिला करता हूं और मुझे यह करने का अधिकार है ।

मैं आपके जरिए यह बात जरूर कहूंगा कि पंजाब के बहादुर लोगों का जिक्र इस बात से हुआ । एक और तोहफा पंजाब को दिया गया है जिसका मैं जिक्र इस मौके पर जरूर करना चाहूंगा । इसके लिए मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर श्री शुक्ला को कोट करूंगा । हमारा (पानी का विवाद) वाटर डिस्प्यूट के ऊपर शुक्ला साहब के साथ मीटिंग हुई । पंजाब के एम० पीज० उनके पास गये । हमने कहा कि हमारे मुख्य मंत्री ने एक पत्र लिखा है और उस पत्र में कहा है कि पंजाब को यमुना वाटर में नहीं बुलाया गया हालांकि वेस्टर्न यमुना कैनाल पंजाब से गुजरती थी । इसके लिए आपने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है । शुक्ला साहब ने मुझे एक बात कही थी । अगर उस वक्त के मिनट्स रिकार्ड हुए होंगे तो वे सारे तथ्य सामने आ सकते हैं । शुक्ला साहब ने फरमाया कि आप यमुना वाटर के ऊपर जिद क्यों करते हैं । अगर आप यमुना वाटर की बात करेंगे तो रावी और व्यास के ऊपर हरियाणा अपना हक जमायेगा और राईपेरियन स्टेट होने के नाते आपको रावी और व्यास से हरियाणा की स्टेट को पानी देना पड़ेगा । हमने कहा, ठीक है, आप हमारा गिला रजिस्टर करिये लेकिन अगर आप यह कहते हैं कि नॉन-राईपेरियन स्टेट होने के नाते रावी और व्यास में शेयर हरियाणा को नहीं दिया जायेगा, इसलिए नहीं कि हरियाणा को हम पानी नहीं देना चाहते, हरियाणा के किसान हमारे भाई हैं । हरियाणा के किसानों की उतनी ही जरूरत हैं जितनी हमारी हैं ।

[अनुवाद]

आज देश में पंजाब ही एक राज्य है जहां पर पचहत्तर प्रतिशत पानी अन्य राज्यों को दिया

जाता है। यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल है। प्रो० गुरदर्शन सिंह ढिल्लन द्वारा लिखित "इण्डिया कॉमिट्स सूसाइड"।

[हिन्दी]

किसी स्टेट ने 75 प्रतिशत पानी अपने किसी दूसरे सूबों को दिया है। जो बहादुर होने की बात कही गई है, मैं इस मौके पर पानी की एक बात जो इण्डिया कामिट्स सूसाइड (प्रो० गुरदर्शन सिंह ढिल्लन द्वारा लिखित) जरूर कोट करना चाहूंगा जिससे एक बात स्पष्ट हो जाती है। इसमें कहा गया है कि जब 1966 में पंजाब का रीऑरगनाईजेशन हुआ।

[अनुवाद]

पंजाब को छोड़कर कोई भी राज्य ऐसा नहीं जिसे अपनी नदियों का सिंचाई और पनबिजली के लिए उपयोग करने का अधिकार नहीं है। अतः पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 78 से 80, जिनके द्वारा सारी शक्तिां केन्द्र को दी गई, को लागू करना संसद की विधायी शक्तियों के बाहर होने के कारण तथा उपर्युक्त संदर्भित संविधान के अनुच्छेद की उल्लघना होने के कारण, संविधान के अधिकारातीत है। इसके अतिरिक्त, ये धाराएं संविधान के समानता—अनुच्छेद 14 की उल्लंघना हैं क्योंकि ये धाराएं अधिनियम द्वारा हरियाणा को यमुना नदी के जल का एकमात्र अधिकार प्रदान करने के कारण दमनकारी हैं, यह धाराएं पंजाब की तीन नदियों के जल को केन्द्र द्वारा वितरण-योग्य ही नहीं बनाती, बल्कि उनका नियंत्रण भी केन्द्र सरकार में निहित करती है।

सभापति महोदय : श्री बरार, आप अगली बार अपनी बात पूरी कर सकते हैं क्योंकि हमें अन्य कार्य भी करने हैं।

[हिन्दी]

3.31 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 3 मार्च, 1993 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 3 मार्च, 1993 को सभा में प्रस्तुत किये गये और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.31 म० प०

[अनुवाद]

विनिवेश नीति की समीक्षा—जारी

सभापति महोदय : इससे पहले कि मैं श्री रूप चन्द्र पाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प को मतदान के लिए सभा में प्रस्तुत करूं, मैं सदस्यों को यह सूचित करूंगा कि 4 दिसम्बर, 1992 को जब संकल्प के प्रस्तुतकर्ता ने मत-विभाजन के लिए जोर दिया था और जब दीर्घाएं खाली हो गईं तो यह देखा गया कि सभा में कोरम नहीं था, अध्यक्ष महोदय ने सभा स्थगित कर दी और संकल्प पर निर्णय रुक गया।

अब मैं श्री रूप चन्द पाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

सभापति महोदय (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : प्रश्न यह है :

"यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में सरकार की अपरियोजन नीति की तुरन्त व्यापक समीक्षा करे।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ :

मत विभाजन संख्या-1

3.34 म० प०

पक्ष में

अब्दुल गफूर, श्री

आचार्य, श्री बसुदेव

चक्रवर्ती, प्रो० सुशान्त

जैना, श्री श्रीकान्त

*तारा सिंह, श्री (कुरुक्षेत्र)

पाल, श्री रूपचन्द

बर्मन, श्री उदधव

बसु, श्री अनिल

बसु, श्री चित्त

बाला, डा० असीम

मंजय लाल, श्री

मंडल, श्री सनत कुमार

---

* गलती से पक्ष में मतदान किया गया।

महतो, श्री बीर सिंह

मुखोपाध्याय, श्री अजय

मोल्लाह, श्री हन्नान

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

राम, श्री प्रेमचन्द

राय, श्री एम० रमन्ना

राय, श्री लाल बाबू

राय चौधरी, श्री सुदर्शन

सिंह, श्री प्रताप

विपक्ष में

अकबर पाशा, श्री बी०

अयूब खां, श्री

अहमद, श्री कमालुद्दीन

इन्द्रजीत, श्री

उपाध्याय, श्री स्वरूप

उम्बे, श्री लाईता

कालिया पेरूमल, श्री पी० पी०

कुमारमंगलम, श्री रंगराजन

कुली, श्री बालिन

कृष्ण कुमार, श्री एस०

केवल सिंह, श्री

कैनिथी, डा० विश्वानाथम

कोंताला, श्री रामकृष्ण

कौल, श्रीमती शीला

खां, श्री असलम शेर

खुर्शीद, श्री सलमान

गोगोई, श्री तरुण

गहलौत, श्री अशोक

गालिब, श्री गुरचरण सिंह

गोमांगो, श्री गिरिधर

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम

चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी०

चाक्को, श्री पी० सी०

चालिहा, श्री किरिप

चेन्नितला, श्री रमेश

चौधरी, श्री कमल

चौधरी, श्रीमती संतोष

जनार्दनन, श्री एम० आर० कादम्बूर

जांगड़े, श्री खेलन राम

जाफर शरीफ, श्री सी० के०

डेनिस, श्री एन०

तोपनो, कुमारी फ्रिडा

थामस, प्रो० के० वी०

थामस, श्री पी० सी०

थुंगन, श्री पी० के०

दावाहूर, श्री गुरुचरण सिंह

दिग्विजय सिंह, श्री

दिघे, श्री शरद

देव, श्री संतोष मोहन

नायक, श्री मृत्युंजय

नायक, श्री सुबास चन्द्र

नेताम, श्री अरविन्द

पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई

पटेल, श्री श्रवण कुमार

पांजा, श्री अजित

पाटील, श्री अन्वरी बसवराज

पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह

पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ

पालाचोला, श्री वी० आर० नायडू

प्रभु झांट्ये, श्री हरीश नारायण

बंसल, श्री पवन कुमार

बनर्जी, कुमारी ममता

बरार, श्री जगमीत सिंह

भाग्ये गोवर्धन, श्री

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भोंसले, श्री तेज सिंह राव

रथ, श्री रामचन्द्र

राही, श्री राम लाल

रेड्डी, श्री ए० वेंकट

रेड्डी, श्री एम० जी०

लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री

वर्मा, कु० विमला

वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण

विजयराघवन, श्री वी० एस०

शंकरानन्द, श्री बी०

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

सईद, श्री पी० एम०

सिंह, श्री मोतीलाल

सुखबंस कौर, श्रीमती

सोडी, श्री मानकूराम

हाण्डिक, श्री विजय कृष्ण

सभापति महोदय : *शुद्धि के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा :

पक्ष में : 21

विपक्ष में : 72

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हम इसके विरोध में सदन से बाहर जा रहे हैं ।

(तत्पश्चात् श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से उठकर बाहर चले गए)

[हिन्दी]

3.40 म० प०

उत्तरांचल और वनांचल नए राज्यों की स्थापना के बारे में संकल्प

श्री जगतवीर सिंह द्रोण (कानपुर) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव रखता हूं :

"यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों का पिछड़ापन दूर करने के लिये उत्तरांचल जिसमें उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र सम्मिलित हों, तथा वनांचल जिसमें बिहार के छोटानागपुर और संथाल परगना क्षेत्र सम्मिलित हों, के नाम से पुकारे जाने वाले दो नए राज्यों की स्थापना की जाए ।"

सभापति जी, यह प्रश्न सदन में आज निर्णय लेने के लिये प्रस्तुत किया है, लेकिन सदन के बाहर उत्तर प्रदेश में और बिहार प्रदेश में यह बड़ी चिन्ता का विषय बना हुआ है । इन पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों की उत्तर प्रदेश में और छोटा नागपुर, संथाल परगना क्षेत्र के सोलह जिले जो बिहार में आते हैं, यहां के रहने वाले लोगों के साथ स्वतन्त्रता प्राप्ति के 45 वर्षों के बाद भी जो विकास हुआ है, वह अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम है, नगण्य है । इस क्षेत्र के लोगों के बीच में एक ऐसा असन्तोष व्याप्त है, जिसकी अभिव्यक्ति वे समय-समय पर करते रहते हैं । उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल इलाके को यदि लिया जाये, जिसमें आठ जिले —उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, टेहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़ और पौड़ी गढ़वाल —आते हैं । इन आठ जिलों को मिलाकर उत्तरांचल नाम से प्रदेश बनाया जाना चाहिए । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भी यहां के निवासियों को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है, जो चिकित्सा की सुविधाएं नहीं मिली हैं । आज भी इस क्षेत्र के अनेक लोगों ने रेलगाड़ी को नहीं देखा है । ऐसे भी स्थान हैं, जहां पर पहुंचने में एक-दो महीने लग जाते हैं और आने-जाने का कोई साधन नहीं है । यहां पीने के पानी का कष्ट है । यहां शिक्षा प्राप्त

---

* **निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना मत दिया :**

पक्ष में श्री मुही राम सैकिया

विपक्ष में 1. कर्नल राव राम सिंह

2. श्री एस० बी० सिदनाल

3. श्री तारा सिंह

किये लोगों को नौकरियां मिलने का कष्ट है। उनको नौकरी की सुविधाएं नहीं हैं। यदि हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और इसके विस्तृत क्षेत्रफल को देखें, तो लगभग 14 करोड़ की जनसंख्या वाला यह प्रदेश, अपने देश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है। इतनी बड़ी जनसंख्या एक स्थान पर रह कर उनका समन्वित ढंग से पूरे क्षेत्र का, पूरे प्रांत का विकास नहीं हो सकता, ऐसा पिछले अनुभवों के आधार पर सिद्ध हो गया है, न्यायपूर्ण ढंग से प्रत्येक क्षेत्र के साथ न्याय नहीं हो पाता है। 63 जिले हैं, इन 63 जिलों को एक जगह के प्रशासन में लाना, सभापति जी आपको बहुत अनुभव है और आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि 14 करोड़ की जनसंख्या इतनी बड़ी जनसंख्या है कि इससे कम जनसंख्या के अनेक देश आपको विश्व में मिल जाएंगे। हमारे देश में पच्चीस प्रांत और यूनियन टैरेटरीज हैं। इस बात का प्रस्ताव पहले भी आता रहा था, लेकिन यहां के रहने वाले भोले-भाले लोग हैं, राष्ट्रभक्त हैं और अनुशासन में बंधे हुए हैं, उन्होंने इस बात को अनुशासित ढंग से देश के समक्ष सदा-सर्वदा रखा है। मुझे स्मरण आता है कि मेरे सहयोगी सांसद, महाराजा मानवेन्द्र शाह जी यहां हैं, 1957 में इसी सदन के अन्दर एक ऐसी समिति का निर्माण किया गया था। पंडित जवाहर लाल जी उस समय प्रधान मन्त्री थे, उन्होंने इस बात का पता लगाने के लिए कहा था और मानवेन्द्र साहब समिति में थे। इस बात का निष्कर्ष निकला था कि इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए, इस क्षेत्र के लोगों को अधिकार प्राप्त कराने के लिए, जो हमारा कर्त्तव्य है कि हम उनको सुविधाएं दें, सुख दें, जिससे उनका विकास हो सके, क्षेत्र का विकास हो सके किस तरह से लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान हो सकें और वह देश के लिए अपना योगदान प्रस्तुत कर सकें। मानवेन्द्र शाह जी की समिति ने भी यह निष्कर्ष निकाला था कि इन पर्वतीय

3.44 म० प०

(श्री तारा सिंह पीठासीन हुए)

क्षेत्रों के लिए एक अलग प्रांत की रचना की जानी चाहिए। श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के समय में भी पुनः एक बार ऐसा ही प्रयास हुआ, उस वक्त भी यह संस्तुति आई थी। ऐसे अनेक बार ऐसा ही प्रयास होते चले आ रहे हैं। मैं बड़े गर्व के साथ उत्तर प्रदेश के बारे में कह सकता हूं, जहां अन्य प्रदेशों में लोगों ने हिंसा का सहारा लिया है, हिंसात्मक आंदोलन किए हैं, सरकार के कामकाज को ठप्प किया है, वहीं पर इस पर्वतीय क्षेत्र की जनता ने अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया है और अपनी बात को अनुशासनबद्ध तरीके से इस देश के सामने रखा है। इस क्षेत्र का यदि विकास नहीं हुआ तो क्या हम अपने कर्त्तव्य को पूरा कर पाएंगे। क्या इस क्षेत्र में रहने वाले लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं। क्या उनका अधिकार नहीं बनता कि उनका भी सर्वांगीण विकास हो। क्या उनके बच्चों को भी रोजगार मिलने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। क्या उनके क्षेत्र का औद्योगिकीकरण नहीं होना चाहिए। क्या उनके क्षेत्र में भी जो सिंचाई के साधन हैं वे उपलब्ध नहीं होने चाहिए।

महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि इस क्षेत्र में लगभग 82 प्रतिशत जनता ग्रामीण अंचलों में रहती है लेकिन कृषि योग्य जमीन यहां पर केवल 13 प्रतिशत है और अब तक सरकार के द्वारा जो भी प्रयास यहां पर किए गए हैं वे कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। हमने हिल्स काडर की स्थापना की लेकिन जिस किसी भी अधिकारी की उस क्षेत्र में पोस्टिंग करते हैं वे किसी न किसी कारण से वहां जाने के लिए इनकार कर देता है। विद्यालयों में कोई पढ़ाने वाला नहीं। सरकारी नौकरियों में जिन लोगों की नियुक्तियां होती हैं वे वहां जाने से कोई न कोई बहाना करके कतराते

हैं और इसका परिणाम क्या हुआ है यह क्षेत्र अभी भी पिछड़ा क्षेत्र रह गया है। आपको आश्चर्य होगा कि इन आठ जिलों में से 6 जिले ऐसे हैं जो सरकारी अभिलेखों के आधार पर जीरो इंडस्ट्रीज क्षेत्र कहलाते हैं। इन आठ जिलों में यदि तराई का क्षेत्र जोड़ दिया जाए, जो खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और उस क्षेत्र में भी हमारे कुछ अन्य प्रदेशों से आए हुए लोगों ने यहां योगदान किया है और उस क्षेत्र की दशा को परिवर्तित किया है और वहां बहुत अच्छे सिंचाई के साधन हैं। लेकिन अन्य क्षेत्रों में इसकी तुलना की अपेक्षा केवल 13 प्रतिशत ऐसी भूमि है जहां 82 प्रतिशत रहने वाले लोग अपने जीवन का यापन करते हैं।

सभापति महोदय, यह कुछ ऐसी चिन्ता की बात है कि यदि इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ और यह विकास तभी सम्भव होगा जब यहां के इन आठों प्रांतों को मिला करके इस क्षेत्र को उत्तरांचल नाम से एक नए प्रदेश की रचना हम करें। एक स्वाभाविक व्यक्ति का दोष है कि वे अपने प्रभुत्व और वर्चस्व से किसी भी क्षेत्र को जाने नहीं देता। मैं समझता हूं कि आज तक इतने इस पर प्रयास हुए लेकिन प्रांत और केन्द्र में एक ही दल की सरकार होने के बाद भी इस समस्या का निराकरण हम नहीं कर पाए, जो जिसके अंकुश में है, प्रभुत्व में है वह उस प्रभुत्व में कमी नहीं होने देना चाहता। क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो इसकी ओर उसका ध्यान नहीं जाता। लेकिन पिछले दिनों जब उत्तर प्रदेश में मेरे दल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसने उन लोगों की मनोभावनाओं का सम्मान करते हुए विस्तार से एक रेजोल्यूशन केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजा था जिसे कुछ आपत्तियों के साथ, कि इसका आधार क्या है, यह बताएं उन्होंने प्रांतीय सरकार को वापस भेज दिया था। प्रांतीय सरकार ने उन आपत्तियों का सन्तोषजनक उत्तर देते हुए केन्द्र सरकार के पास भेज दिया है जो यहां पर विचाराधीन है। इसके पीछे एक और तर्क है कि अपने पर्वतीय क्षेत्रों की, यदि पौराणिक गाथाओं के आधार पर हम जाएं तो इसको केदार खंड के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र की एक अलग ही परम्परा है, एक अपनी संस्कृति है। इनके अपने जीवन मूल्य हैं और इन जीवन मूल्यों की रक्षा करने के लिए उन्हें प्रदेश स्तर पर अपना प्रदेश बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। आप देखिए पर्वतीय क्षेत्र पूरे देश में उत्तर में जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, अभी हमारे बन्धु असम के विषय में जिक्र कर रहे थे, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के सन्दर्भ में, असम को काट-काट कर 6 प्रांतों में कर दिया गया—असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। यह इसी दृष्टि से किया गया था कि वहां के लोगों ने उस आवाज को उठाया और उन्होंने इस बात को कहा कि उनका पूरा विकास हो, उनको विकास के पूरे अवसर मिलें।

महोदय, केवल उत्तर प्रदेश के ये 8 जिले हैं इनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, मैं इसी नाते इस संकल्प को इस सदन के सामने लाया हूं। राजनीति से ऊपर उठकर उस क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं उनको उनके अधिकार से हम अब तक वंचित करते रहे हैं। उनके साथ न्याय नहीं हुआ, उनका शोषण होता रहा। 82 प्रतिशत आबादी के लोग वहां पर हैं, जो गांव में रहते हैं, लेकिन वहां पर न कोई उद्योग, न खेती करने के लिए साधन हैं। उनको वहां से निकल कर बाहर नौकरी के लिए जाना पड़ता है और बाहर आकर हम सभी देखते हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्रों से आते हैं उनके पास शिक्षा है नहीं इसलिए कोई होटल में कार्य करता है, कोई किसी के घर में नौकरी करता है। इस नाते उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। एक स्वतन्त्र भारत में प्रत्येक नागरिक को हम समान अधिकार, समान अवसर विकास करने के देना चाहते हैं उसके लिए आवश्यक हो गया है कि इन आठ जिलों को मिला करके एक उत्तरांचल नाम से प्रदेश का गठन किया जाए।

हिमाचल प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से इन आठ जिलों का क्षेत्रफल है जहां लगभग साठ हजार वर्ग किलोमीटर है, और जनसंख्या साठ लाख है। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल इससे आधा है। लेकिन योजना का योजनागत व्यय 1985-90 में इस क्षेत्र के लिए किया गया तो हिमाचल प्रदेश को 2135 करोड़ रुपये, इन आठ जिलों के ऊपर प्रदेश शासन द्वारा खर्च किए गए, 1406 करोड़ रुपये जहां विसंगति है। 1990 में हिमाचल प्रदेश को योजना व्यय में 620 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे और उत्तर प्रदेश क्षेत्र को 310 करोड़ रुपये का आबंटन हुआ जिसके छह जिले जीरो इंडस्ट्रीज हों और एक ऐसा क्षेत्र जो हि० प्र० से दुगुना क्षेत्रफल रखता हो, जिसकी आबादी अधिक हो तो उस क्षेत्र के लोगों के लिए योजना गत व्यय में आधा है, अन्यायपूर्ण है तो उस क्षेत्र के लोगों का विकास नहीं हो सकता। सरकार को केवल इस पर बातचीत करके इस संकल्प को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। झारखंड या अन्य प्रदेशों में जहां लोगों ने हथियार उठा लिए हैं, हिंसा की है तो उनकी बातों को माना जाता है तो इस क्षेत्र के निरीह, सज्जन और देशभक्त लोगों को यहां से संदेश नहीं जाना चाहिए कि केन्द्र सरकार जब तक हम हिंसा पर उतारू नहीं होंगे, जब तक आंखें लाल नहीं करेंगे तब तक कोई बात नहीं करेगी। मेरा निवेदन है कि इस पर इस दृष्टिकोण से विचार होना चाहिए। जैसा कि मैं उल्लेख कर चुका हूं कि अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों की विशेष संस्कृति है, उनकी भौगोलिक स्थिति विभिन्न है और कोई भी प्रशासनिक कार्य या औद्योगिकरण करना होगा, सिंचाई साधन या अन्य विकास मार्ग खोजने होंगे तो वह मैदानी इलाकों से भिन्न होगा और लोगों की सहभागिता होगी तभी यह अधिक उपयुक्त गतिशील होगा, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है और इसका आधार बनता है। इसके लिए केवल दो घंटे का समय उपलब्ध कराया गया है और अन्य वक्ता भी होंगे तो मैं उनकी सहभागिता भी चाहता हूं इसलिए अधिक विस्तार में नहीं जा रहा हूं। मैं उत्तरांचल के विषय में पुनः आग्रह करते हुए यह कहना चाहता हूं कि सभी राजनीतिक दलों की मान्यताओं से ऊपर उठकर इस प्रदेश में रहने वाले लोगों के साथ न्याय हो और वे भी जीवन में अनुभव कर सकें। उनको भी इस देश के साथ जोड़ा है और इस देश की राजनीति में सक्रिय भागीदारी हो तो इस तरह का अवसर मिलना चाहिए। इस पर सभी सदस्यों से आग्रह है कि इन आठ जिलों को एक उत्तरांचल नाम से प्रदेश बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें।

दूसरी बात मैं बिहार प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं। वहां पर झारखंड के नाम से चर्चा में देखते हैं। वहां के लोगों ने हिंसात्मक आंदोलन किया। अगर उत्तर प्रदेश से वहां की तुलना कर करें तो उनमें बहुत अन्तर है। जब ऐसा सन्देश जाएगा तो जब तक हिंसा पर उतारू नहीं होंगे तब तक अधिकार नही मिलेगा। यहां पर श्री सूरज मंडल बैठे हुए हैं और मेरी बात की सहमति कर रहे हैं। आखिर इस देश में रहने वाले किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग या किसी भी जाति को समान विकास का अवसर देना चाहिए; ऐसा केन्द्र सरकार के नाते दायित्व बनता है। पिछले दिनों से चर्चा है कि एक झारखंड महासभा का निर्माण हुआ और समय-समय पर अनेक विकास प्राधिकरण 1971 से यह प्रारम्भ हो गया और जहां झारखंड महापरिषद के नाते एक प्रस्ताव आया जिसमें बातचीत की है कि इसमें चार प्रान्तों को छोड़कर के बिहार से सोलह जिले, तीन जिले वैस्ट बंगाल से, दो जिले मध्य प्रदेश से और शेष 25 जिलों में से उड़ीसा से लेकर एक झारखंड की बात करने का एक प्रयास चल रहा है।

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां-जहां ऐसे क्षेत्रों में अनेक प्रांतीय सरकारें सहभागिता करें वहां जटिलता सूरज मण्डलजी उतनी ही बढ़

जाती है। अभी पिछले दिनों कर्नाटक और तमिलनाडु जहां एक ही दल की सरकारें चल रही थीं या एक ही दल के समर्थन से चल रही थीं, लेकिन कावेरी नदी के जल के विभाजन के ऊपर इतना बड़ा विवाद हुआ है, ऐसी परिस्थितियां सर्वदा विद्यमान रहेंगी। इसलिए चार प्रदेशों से कुछ जिले निकालकर झारखंड का जो प्रस्ताव है यह व्यावहारिक नहीं है, यह देश के हित में नहीं है और उस क्षेत्र के लोगों के हित में भी नहीं रहेगा। क्योंकि समय-समय पर एक दूसरे से मत विरोध होने के साथ-साथ योजनाएं ठप हो जाएंगी, आगे नहीं बढ़ पायेंगी। इस बारे में मेरी पार्टी का सुविचारित मत है कि जो 16 जिले छोटा नागपुर और संथाल परगना के बीच में आते हैं, इन 16 जिलों की अपनी संस्कृति है, अपनी सोच है और अपनी भाषा है इनको मिलाकर वनांचल प्रदेश नाम के राज्य की रचना की जाए।

श्री सूरज मंडल (गोड्डा) : आप इतिहास बदल रहे हैं।

श्री अगत वीर सिंह द्रोण : आप इतिहास बनाइए, मैं बदलूंगा। आश्चर्य की बात है कि पूरे बिहार की जनसंख्या आठ करोड़ है, जहां तक मेरी जानकारी है। इन 16 जिलों की जनसंख्या दो करोड़ अड़तालीस लाख है। बिहार प्रदेश के राजस्व में इस क्षेत्र से 70 प्रतिशत हिस्सा आता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए 20 प्रतिशत ही व्यय किया जाता है। ऐसी विसंगति है तो क्या होगा। इस क्षेत्र में अनेक बड़े-बड़े औद्योगिक प्रकल्प हैं, मैका हैं, बोकारो स्टील प्लांट हैं, हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन है और भी हैं। उनके लिए वहां के क्षेत्रीय लोगों की भूमि ली गई है और उसको लेने के बाद बड़े-बड़े उद्योग पनप रहे हैं। प्रांत की सरकार को वहां से राजस्व प्राप्त हो रहा है, लेकिन जिनकी भूमि ली गई थी उनके अनेक ऐसे विवाद हैं जिससे उनको मुआवजा नहीं मिला। जब कोई उद्योग वहां आता है तो उस क्षेत्र के लोग इस आशा के साथ उसका स्वागत करते हैं कि उनको रोजगार के अनेक अवसर मिलेंगे, लेकिन रोजगार नहीं मिलता है। ऐसे रोजगार नहीं मिलता है तो वहां निराशा जागृत होती है, उस उद्योग के साथ उनका सहयोग प्राप्त नहीं होता। इतने बड़े-बड़े उद्योगों के रहने के बाद भी वहां के लोगों का विकास नहीं होता है। वहां पर सिंचाई की योजनाएं हैं, विद्युत की योजनाएं हैं, वहां से विद्युत पूरे देश को भेजी जाती है, उद्योगों को भेजी जाती है। मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं जिससे आपको मालूम होगा कि विद्युत उत्पादन करके उस क्षेत्र से बाहर कितनी भेजी जाती है। इतना राजस्व वह क्षेत्र देता है उसके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है इसका अंतर बातचीत से स्पष्ट हो जायेगा।

मैं बता चुका हूं कि राजस्व 70 प्रतिशत आता है और 20 प्रतिशत वहां व्यय होता है। बिहार प्रदेश में कृषि का सम्पूर्ण उत्पादन 1165.92 करोड़ है उसमें से केवल वनांचल का इससे इशारा मिलता है, संकेत मिलता है कि यहां पर सिंचाई योग्य भूमि कितनी है। इस 1165.92 करोड़ में से केवल 172.92 करोड़ वनांचल में उत्पन्न होता है। सम्पूर्ण बिहार में सिंचित भूमि जिससे सिंचाई के साधन हैं, 23.7 लाख हैक्टर है, वनांचल में केवल 1.94 लाख हेक्टर है। पूरे बिहार में 67463 गांव हैं, इस क्षेत्र में 28893 गांव हैं जिनको हम वनांचल प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं, वे इनमें आते हैं। इनमें जो विद्युतीकरण हुआ है, बिहार प्रांत में 43130 गांवों का विद्युतीकरण हुआ, लेकिन इस क्षेत्र के 28893 गांवों में से केवल 12160 गांवों को विद्युतीकरण हुआ है। यह भेदभाव वहां चल रहा है। जिनका वर्चस्व है, प्रभुत्व है वे कभी नहीं चाहेंगे कि जहां से इतना राजस्व प्राप्त होता है उनको अपने अंकुश से दूर रखें।

जबकि वहां से विद्युत बाहर भेजी जाती है। उनके मन में कभी यह नहीं आया कि जहां से हम उत्पादन कर रहे हैं, जिस मुर्गी से अंडा प्राप्त कर रहे हैं उस मुर्गी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें।

इन्हीं विसंगतियों के कारण जनाक्रोश बढ़ता है। देश यदि इस बात को स्वीकार नहीं करता तो वहां से कुछ हिंसात्मक कार्यवाही हो सकती है विघटनकारी तत्व ऐसे ही स्थानों पर सक्रिय हो जाते हैं, जो देश के और राष्ट्र के हित में नहीं होता।

ये कुछ आंकड़े थे जो मैंने आपके सामने रखे। इससे स्पष्ट है कि यहां के क्षेत्र के लोगों के साथ जब तक वह अलग प्रदेश नहीं बन जाएगा, जब तक उनकी राजनीतिक पहुंच नहीं होगी।

4.00 म० प०

राजनैतिक इकाई नहीं होगी, अपने क्षेत्र की समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से अधिक गंभीरता से सोच सकेंगे, उनके उपाय व्यावहारिक रूप से कर सकेंगे तब तक इस क्षेत्र के विकास का पिछड़ापन है, वह विद्यमान रहेगा। यद्यपि वर्तमान सरकार से मैं व्यक्तिगत रूप से कोई आशा नहीं रखता हूं चूंकि जैसा इनका व्यवहार रहा है क्योंकि 70 प्रतिशत प्राप्त करने वाले लोगों को केवल 20 प्रतिशत देना और उस पर लोग चिल्लाते रहें लेकिन इस सरकार ने कभी कोई बात नहीं सुनी जो व्यावहारिक प्रस्ताव रखा, उनके हिसाब से उसे मैं व्यावहारिक नहीं मानता हूं। उसमें चार प्रान्तों की सहभागिता है। इसलिए इस क्षेत्र के जो 16 जिले हैं, उनका सर्वांगीण विकास हो। यहां के लोगों को प्रशासन करने का अवसर मिले।

सभापति जी, इस क्षेत्र से 13 सांसद इस सदन में निर्वाचित प्रत्यक्ष रूप से होकर आये हैं···

श्री सूरज मंडल : सभापति जी, इन छोटे राज्यों के बारे में जो चर्चा हो रही है और गृह मंत्रालय से सम्बन्धित हैं, कम से कम 2-3 गृह मंत्री हैं लेकिन उप-मंत्री यहां बैठे हैं तो मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी यहां रहें तो अच्छा होता। चव्हाण साहब यहां होते···

सभापति महोदय : मंडल जी आप बैठ जाइये। द्रोण जी आप बोलिये···

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : सभापति जी, मैं कह रहा था कि इस क्षेत्र से अनेकों खनिज पदार्थ उत्पन्न करके देश को जाते हैं। पूरे देश के कोयले का उत्पादन का 46 प्रतिशत इस क्षेत्र से होता है। एक ऐसा उपयोगी क्षेत्र जो खनिज पदार्थों, खनिज सम्पदाओं से भरा-पूरा है, वहां के लोगों को अपने जीवन के लिए तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं और यदि बीमार हो जायें तो चिकित्सा सुविधा नहीं है। इस क्षेत्र में विद्यालयों का अभाव है, क्या हम उनके साथ न्याय कर रहे हैं? मैं इस सदन से आग्रह करता हूं कि इस संकल्प को स्वीकृति दें कि इस क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिए, उन लोगों को न्याय देने के लिए हम वहां पर 16 जिलों को मिलाकर वनांचल की स्थापना करें।

सभापति जी, श्री सूरज मंडल जी ने व्यवधान डाल दिया था और मैं बता रहा था कि इस सदन में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर 13 सांसद आते हैं। बिहार विधान सभा में इसी क्षेत्र से 81 सदस्य हैं···(व्यवधान)

मैंने तो 16 जिले मांगे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी और मेरी गणना में इसलिए अन्तर है। मेरी मान्यता तो इस क्षेत्र के 16 जिलों से है। हो सकता है कि अन्तर हो क्योंकि आपकी जानकारी ज्यादा है। सभापति जी, यहां जितने प्रतिनिधि आते हैं, जब उस क्षेत्र के लोग प्रश्न करते हैं, उनसे अपनी विपदाओं की गाथा कहते हैं कि आपको निर्वाचित करके आपको वोट देने के बाद

आपको प्रशासन में भेजा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए आपने क्या किया तो जवाब नहीं देते। अभी एक समिति विकास के लिए बनी है जो समय-समय पर होती रहती है लेकिन उसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों का कोई महत्व नहीं है, उनकी कोई राय नहीं है। वह केवल अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में है। रांची में उसका हेडक्वार्टर है और 1971 में विकास प्राधिकरण के नाम से बनी थी लेकिन बिलकुल असफलता की ओर ले गई है। मैं अधिक समय न लेते हुए, आग्रह करूंगा कि इन दोनों प्रान्तों के क्षेत्रफल का ध्यान रखते हुए, जनसंख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश के 8 जिलों और बिहार के 16 जिलों में रहने वाले लोगों हेतु क्रमशः उत्तरांचल और वनांचल बनाकर प्रशासन को अपने हाथ में लेने का प्रजातांत्रिक तरीके से अवसर प्रदान करेंगे।

सभापति जी, मैं पुनः एक बार आग्रह करूंगा कि अन्य व्यक्ति इसमें सहभागिता करें और केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करके मंत्री जी इस बात को सुनने के बाद अपना ठोस प्रस्ताव लायें। अभी समायाभाव के कारण यहां पर चर्चा हुई और यहां पर संकल्प हो गया तो देश के हित में होगा, आपके हित में होगा और मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से आग्रह कर रहा हूं सभापति जी के माध्यम से कि इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करके एक कोस योजना केन्द्र सरकार की ओर से लेकर आएं, तभी हम और आप इन दोनों क्षेत्रों के निवासियों के साथ न्याय कर सकेंगे, उनको उनके अधिकार प्राप्त करा सकेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों का पिछड़ापन दूर करने के लिए उत्तरांचल जिसमें उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र सम्मिलित हो तथा वनांचल जिसमें बिहार के छोटा नागपुर और संथाल परगना क्षेत्र सम्मिलित हों, के नाम से पुकारे जाने वाले दो नये राज्यों की स्थापना की जाये।" (1)

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी (गढ़वाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संकल्प के, अन्त में

"31 दिसम्बर, 1993 से पहले जोड़ा जाये।"

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति जी, चूंकि मुझे गाड़ी पकड़नी है इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे संक्षेप में अपनी राय प्रकट करने का अवसर दें।

सभापति जी, पहले तो मैं प्रस्तावक को धन्यवाद देता हूं कि दो नये राज्य बनाने की मांग उन्होंने की है जिसकी आवश्यकता है और इसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और इसलिए मैं चाहता था कि मैं अपनी राय प्रकट करके यहां से जाऊं। हमारे 90 करोड़ के देश में कुछ राज्य बढ़ जाएंगे तो मुश्किल नहीं आयेगी क्योंकि 37 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका में 51 राज्य हैं। हमारे देश को यह हिचक रहती है कि विशाल राज्य रहेगा तो अच्छा रहेगा लेकिन इससे विकास में बाधा होती है। यह जो उत्तरांचल राज्य का मामला है यह लोगों की इच्छा है, वहां की आवश्यकता है और उत्तर प्रदेश के विकास में इससे कोई बाधा नहीं पड़ेगी और इससे जो उत्तरांचल के जिले हैं उनका विकास तीव्र गति से होगा। इसलिए कोई कारण नहीं है कि इसका समर्थन न किया जाये। हमारे

मित्र ने कहा कि इस पर गंभीरता से विचार करें। गंभीरता के मायने यह होगा कि सारी योजना बीत जाये वह न करें। साहस करें कि इसको बना लिया जाये नहीं तो नये राज्य जो बने हैं, बहुत हिंसा और उपद्रव के बाद बने हैं। इस हिंसा की कोई जरूरत नहीं है। जैसे महाराष्ट्र के लिए हुआ, गुजरात के लिए हुआ, आंध्र प्रदेश के लिए हुआ, कोई जरूरत नहीं है कि हिंसा हो। यह आवश्यकता है।

वैसे ही अलग झारखंड की आवश्यकता है। वनांचल शब्द लोगों ने दिया है पर झारखंड ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पुराना नाम है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बचपन से हम लोग झारखंड ही सुनते थे। क्या जरूरत है कि आप एक नया नाम दे दें। जब लोगों की चेतना में है, अगल-बगल सभी लोगों की चेतना में है और उसका राष्ट्रीय इतिहास भी है, उस इतिहास में मैं नहीं जाऊंगा चूंकि मैंने समय छीनकर लिया है, तो मैं समझता हूं कि झारखंड जिसका नाम उन्होंने वनांचल दिया है, वह भी अलग राज्य बने।

एक आशंका होती है कि इससे बिहार का विकास अवरुद्ध हो जायेगा। मेरा विश्वास है कि बिहार के विकास में इससे तेजी आयेगी। चूंकि अभी बाकी बिहार के लोग केवल नौकरी के नाम पर उधर जाते हैं। स्वनियोजित उत्पादन उद्योग करते ही नहीं। नौकर बनने के लिए हमारा विद्वजन पागल हो रहा है, मालिक बनने को तैयार नहीं हैं। हमारे यहां कोयले और खनिज पदार्थ का भंडार है, हमारा हिमालय है जिसमें जल ऊर्जा है जिसका प्रयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। हरियाणा अलग हुआ तो पंजाब को बाधा नही हुई, पंजाब की भी प्रगति हुई, हरियाणा की भी प्रगति हुई। उसमें तेजी आई। मैं समझता हूं कि गलत रूप से कुछ राजनेता, कुछ नौकरशाह और कुछ माल इधर-उधर ले जाने वाले जो लोग हैं वह इसका विरोध करते हैं, अथवा यह आर्थिक हित में, देश के हित में है कि झारखंड अलग राज्य बने। गृह मंत्री ने एक समय में लगभग ऐसा कह दिया था। लगभग मैं इसलिए कह रहा हूं कि वचन-भंग सीधे कह दूं तो कठिन होता है। वचन-भंग के कुछ अर्थ होते हैं। जब 14 वर्ष के वनवास के लिए राम को कहा गया तो दशरथ ने कहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकूंगा तो राम ने कहा कि 14 वर्ष के बाद मिलन होगा पिताजी। कैकयी जी समझाने गई तो उन्होंने कहा कि 14 वर्ष के बाद। भरत भी गये, लेकिन उन्होंने कहा कि 14 वर्ष बाद। उसके बाद दशरथ मरण, लंका दहन, सीता हरण सब कुछ हुआ, लेकिन 14 वर्ष में एक दिन की भी कमी नहीं आने दी। इसीलिए मैंने उसमें लगभग शब्द का इस्तेमाल किया। वचन का मोल, किसी कागज से कम नहीं होना चाहिये। मेरा कथन यही है कि गृह मंत्री जी ने कह भी दिया था। वे भारत के गृह मंत्री हैं, अगर चव्हाण साहब के वचन की बात होती तो उसका उतना मूल्य नहीं होता, लेकिन भारत के गृह मंत्री के वचन का मूल्य होना चाहिए। उसमें कोई निराशा न हो।

वैसे ही, जो हमारे झारखंड के मित्र हैं, उनसे भी मेरा आग्रह होगा कि आर्थिक बहिष्कार के नाम पर, आर्थिक प्रतिबन्धों से झारखंड और देश दोनों का नुकसान होगा, वह करने की जरूरत नहीं है। मैं इतना जरूर चाहूंगा कि सभी इस पर एकमत हों कि झारखंड एक अलग राज्य बने जो उसके सांस्कृतिक, भाषा सम्बन्धी, नस्ल सम्बन्धी, सभी तरह के विकास के लिए आवश्यक है और जो शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है, उसमें कमी लाने के लिए यह जरूरी है। अलग राज्य होने से खत्म नहीं हो जाएगा जब तक पूंजीवादी व्यवस्था है, मगर कुछ कमी लाने के लिए, विकास की गति तेज करने के लिए, झारखंड भी अलग राज्य बने।

इन शब्दों के साथ, सदन में आये प्रस्ताव का मैं समर्थ करता हूं, अपनी ओर से, अपने दल की ओर से, और मैंने जो आपसे समय मांगा, उसके लिए धन्यवाद करते हुए, आपसे विदा लेता हूं।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : महोदय, भारत एक विशाल देश है और यह एक उप-महाद्वीप है। बार-बार नए राज्य बनाने की मांग की जाती रही है। मैं किसी नए राज्य के सृजन के विरुद्ध नहीं हूं लेकिन मुद्दा यह है कि ऐसी मांगें क्यों उठती हैं? नए राज्यों की स्थापना की मांगों के पीछे क्या कारण हैं? कल हमने झारखंड के बारे में सुना। आज हम उत्तरांचल के बारे में सुन रहे हैं। कोई पूर्वांचल की स्थापना की मांग कर रहा है। बंगाल राज्य में हम एक नए राज्य गोरखा-लैंड की स्थापना के सम्बन्ध में सुन रहे हैं। असम में भी हम एक नए राज्य की स्थापना के बारे में सुन रहे हैं। तो इन सबके पीछे कारण क्या हैं? हमें इस पहलू की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए।

ऐसी मांग उठने का मुख्य कारण है धार्मिक असन्तुलन और सरकार द्वारा उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की उपेक्षा। उन क्षेत्रों में किसी तरह के भी विकास कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मांगों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। यहां तक कि उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं पर भी वर्षों से बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। उन क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या एक उग्र रूप धारण कर रही है। उन क्षेत्रों के लोग गरीबी के कारण भूखे मर रहे हैं। उनकी समस्याएं दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हैं। उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है और उनकी समस्याओं से निपटने के लिए वहां कोई पर्याप्त साधन नहीं हैं। वे स्थानीय स्रोतों द्वारा अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, जो भी सरकार सत्ता में आती है, वह उनकी मांगों की उपेक्षा करती है। उन्हें उनकी मांगों की परवाह नहीं है। वह उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अतः नए राज्यों की मांग करने के मुख्य कारणों में से यह भी एक मुख्य कारण है।

दूसरे पहलू भी हैं, परन्तु मैं उनके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। सांस्कृतिक भिन्नताएं भी हैं। हमारी अनेक जातियां हैं और जातियों के मध्य भिन्नताएं है। भौगोलिक दशाओं में भी अन्तर है। आखिर भारत एक बड़ा देश है। यह एक उपमहाद्वीप है। हमारी विभिन्न भाषाएं और संस्कृतियां हैं। भौगोलिक अन्तर होने के बावजूद भी भारत में अनेकता में एकता है। हमें इस राष्ट्रीय अस्मिता में इन सभी उपजातियों को समायोजित करना है। हमारा देश केवल तभी एक रह सकता है। हमारा देश केवल तभी मजबूत होगा। हमारा देश केवल तभी आगे बढ़ सकता है। हमारा देश केवल तभी और अधिक विकसित हो सकता है। मैं निश्चित रूप से इस संकल्प को लाने वाले माननीय सदस्य की भावनाओं से सहमत हूं। उन्होंने उत्तरांचल क्षेत्र में लोगों की कठिनाइयों को ठीक ही इंगित किया है। मैं भूकम्प के बाद दो-तीन बार इन क्षेत्रों का दौरा कर चुका हूं। मैंने व्यक्तिगत रूप से पौड़ी गढ़वाल के इन क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों का दौरा किया है। माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह सौ प्रतिशत सही है। उस क्षेत्र के लोग बहुत ही बुरी हालत में रह रहे हैं। वहां पर कोई विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। सरकार इन क्षेत्रों की पूरी तरह से उपेक्षा कर रही है। वहां पर पीने के पानी की सुविधा नहीं है। इन क्षेत्रों में गरीब लोगों के लिये मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। स्वाभाविक है कि लोग उत्तेजित होंगे और वह एक पृथक राज्य की मांग करेंगे क्योंकि उनकी समस्याओं को नहीं सुना जाता है और उनकी शिकायतों पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है।

चूंकि इस संकल्प के प्रस्तावक ने ठीक ही इंगित किया है अतः उत्तर प्रदेश के उस पर्वतीय क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या बहुत ही गम्भीर है। बेरोजगारी की समस्या केवल वहीं पर नहीं है बल्कि

हर कहीं है, पूरे देश में है। यह एक बड़ी समस्या है। यह समस्या एक ऐसी स्थिति में आ रही है कि यह हमारे देश में एक विस्फोटक स्थिति बन जाएगी। परन्तु अन्य क्षेत्रों की तुलना में उत्तरांचल और वनांचल के लोगों की कठिनाइयां दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही हैं।

महोदय, कल दूसरे पक्ष के एक माननीय सदस्य उस क्षेत्र में भूकम्प के बाद किए जा रहे विकास और पुनर्वास कार्यों के बारे में बता रहे थे।

इन क्षेत्रों में लोग पूरी तरह भ्रम में हैं। उनकी पूरी तरह से उपेक्षा की गई है और इसी-लिए इस तरह की मांग की जा रही है। इसका मूल कारण इस क्षेत्र का कम विकास होने के साथ-साथ गरीबी भी है।

श्री सूरज मण्डल और श्री शिबू सोरेन दोनों मेरे मित्र हैं। वह लोग पिछले कई वर्षों से वनांचल/झारखंड क्षेत्रों की मांग कर रहे हैं। उस क्षेत्र में पर्याप्त ससाधन हैं। बिहार राज्य को उस क्षेत्र में अधिक राजस्व मिल रहा है। परन्तु दुर्भाग्य से यह क्षेत्र भी पूरी तरह से उपेक्षित है। इस क्षेत्र के लोग अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यद्यपि सारा राजस्व उस क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है फिर भी वहां पर कोई विकास कार्य नहीं किए जा रहे हैं। अत: इस राज्य के मेरे मित्र वर्षों से इसकी मांग कर रहे हैं। हमें इन सभी बातों को उनकी समग्रता में देखना होगा।

बंगाल के लोग गोरखालैंड की मांग कर रहे हैं। असम के लोग एक नया राज्य बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। अब यह वनांचल और उत्तरांचल का मामला है। कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में ही पूर्वांचल की भी मांग उठा रहे हैं।

अतः सरकार को इन सभी पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए। पहले कई आयोग थे। मैं इन सभी बातों के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। सरकार के पास विचार करने के लिए अनेक दृष्टि-कोण होंगे।

राज्य पुनर्गठन समिति ने 1954-55 में इस पहलू की जांच की थी और दक्षिण बिहार में एक पृथक राज्य बनाने की मांग 1954-55 में राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष उठाई गई थी। इस आयोग का विचार था कि दक्षिण बिहार को अलग करने से राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और यह दक्षिण बिहार के साथ-साथ उत्तर बिहार के लिए भी बहुत असुविधाजनक होगा और सम्बन्ध टूट जाएंगे। सरकार इस मांग को बार-बार ठुकराती रही है।

मेरा प्रस्ताव है कि हमें बहुत व्यवहारिक होना चाहिए। हमें इन क्षेत्रों के लोगों की मांगों और अन्य पहलुओं पर विचार करना होगा।

अत: केन्द्रीय सरकार के मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह केवल "इन्कार" न करें। मैं मानता हूं कि नया राज्य बनाना सरकार के लिए कठिन है। राज्य पुनर्गठन के समय अनेक कठिनाइयां उठ खड़ी होती हैं और सरकार को इन सभी कठिनाइयों को दूर करना होता है। परन्तु आपको इस पहलू को इस तरह से देखना होगा —जैसा कि मैंने अभी-अभी स्पष्ट किया —केन्द्र सरकार को इस पहलू पर अवश्य विचार करना चाहिए। इस संकल्प के प्रस्तावक ने उन सभी कठिनाइयों और समस्याओं का ठीक ही संकेत किया है जिनका उस क्षेत्र के लोग सामना कर रहे हैं। अत: मेरा केन्द्र सरकार से विनम्र निवेदन है कि आपको इस पहलू को समग्रता से देखना होगा क्योंकि जहां कहीं भी आतंक-वाद उत्पन्न होता है, जहां कहीं लोग बंदूक उठाते हैं सरकार उनकी चुनौतियों का सामना करने के

लिए आगे आती है। इस संकल्प के प्रस्तावक ने ठीक ही इंगित किया है कि वनांचल के साथ-साथ उत्तरांचल के लोग शांतिप्रिय लोग हैं। वह हथियार नहीं उठा रहे हैं, वह सरकार को चुनौती नहीं दे रहे हैं और वह कोई मुसीबत खड़ी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी कोई समस्या नहीं है। उनकी समस्या अभी भी बनी हुई है। उनकी समस्या का समाधान किया जाना है। अत: मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि सरकार को इन सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। इन सभी पहलुओं का अध्ययन करना चाहिए और इन सभी पहलुओं की जांच करने के लिए एक नया आयोग नियुक्त करना चाहिए ताकि जहां कहीं आवश्यक हो, क्योंकि अब हर कहीं से नई मांग आ रही है, हम सभी मांगों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। परन्तु यह यदि एक वास्तविक मांग हैं, बहुत आवश्यक है तो, सरकार को उसे स्वीकार करना ही होगा। हाल ही में बोड़ोलैण्ड और गोरखालैण्ड समस्या सामने आई। हमारी सरकार इन सभी समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रही है। मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि वह एक नया आयोग नियुक्त करे जो समस्या के पहलुओं की विस्तार से जांच करेगा तथा इन पहलूओं पर पूरी तरह से विचार करेगा और इस क्षेत्र के लोगों की वास्तविक मांगों को स्वीकार करेगा।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी : जब आप आयोग की बात कर रहे हैं तो क्या आपका मतलब अंग्रेजों की पद्धति में आयोग गठित करने से है कि जब आप कुछ न करना चाहें तो एक आयोग की नियुक्ति कर दें अथवा आपका मतलब है कि आप उसके बाद एक समयबद्ध कार्यक्रम का सुझाव देंगे?

श्री रमेश चेन्निथला : हां-हां, यह समयबद्ध होना चाहिए। सरकार आमतौर पर "इन्कार" कर रही है। सरकार का रवैया हमेशा नकारात्मक रहा है। अत: मैंने विनम्र निवेदन किया था कि आप इसके विस्तार में जाएं, आपको स्थिति को समग्रता को ध्यान में रखना होगा क्योंकि पूर्वांचल, उत्तरांचल, गोरखालैंड और झारखण्ड की मांग उठ रही है। मैं यह स्वीकार करता हूं और उनसे सहमत हूं कि कुछ मांगें बहुत वास्तविक हैं अत: विलंब से बचने के लिए मैं मानता हूं कि उसके लिए कोई समय सीमा होनी चाहिए। आयोग को उस समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देनी चाहिए तथा केन्द्र सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और मांग स्वीकार करनी चाहिए।

श्री प्रताप सिंह (बांका) : सभापति महोदय, मैं इस बात से इन्कार नहीं कर सकता हूं कि छोटे राज्य बनाने की इस मांग में कुछ अच्छाइयां हैं। विशिष्ट रूप से इस संकल्प में उल्लिखित दो विशेष राज्य जिनमें से एक बिहार में झारखण्ड राज्य है और दूसरा उत्तरांचल राज्य है, मुझे उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आकांक्षाओं से भी सहानुभूति है। मैं उनके दुखों को अच्छी तरह समझ सकता हूं। वह लोग कई वर्षों से उपेक्षित रहे हैं। यह क्षेत्र देश के अन्य भागों की तरह विकसित नहीं हुआ है। उन लोगों में निश्चित रूप से यह भावना है कि वह केवल आर्थिक रूप से विकसित नहीं हुए हैं बल्कि उनकी संस्कृति भी खतरे में है। परन्तु महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मुद्दा है। इसका निर्णय इतनी आसानी से और जल्दी से नहीं किया जाना चाहिए। महोदय, मैं निश्चित रूप से यह महसूस करता हूं और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इतने बड़े और मुख्य विषय पर दो घंटे की चर्चा बहुत कम है। यदि हम अन्ततः इस देश को असंख्य छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटने की बात कर रहे हैं तो इसकी प्रक्रिया एक ज्वालामुखी जैसी प्रक्रिया है जिसके अपने ही परम्परागत खतरे हैं, हमें दूसरे तथ्य के बारे में अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमें इस तरह के निर्णय लेने के पीछे जो प्रेरणाएं छुपी हुई हैं उन्हें देखना होगा। मैं एक तथ्य जानता हूं क्योंकि मैं उस क्षेत्र के नजदीक

कम रहने वाला हूं। झारखण्ड की मांग कोई नई नहीं है। यह मांग पिछले 45 वर्षों से की जा रही है और इस दौरान बिहार राज्य में जो भी अनेक सरकारें बनीं उन्होंने इस क्षेत्र के विकास की निश्चित रूप से उपेक्षा की। दुर्भाग्य से इस समय बातें सामने आ रही हैं और निश्चित रूप से इनसे यह संदेह पैदा होता है कि धारणाओं में अचानक बदलाव कैसे आ गया जिससे कांग्रेस (आई) सरकार इस देश को अनेक इकाइयों में विभाजित करने की इच्छुक हो गई है।

अतः मेरा निवेदन है कि हमें यह बात बिलकुल स्पष्ट करनी चाहिए कि कार्य के पीछे मंतव्य क्या है। मैं इस बात से सहमत हूं कि छोटे राज्यों का मतलब यह होगा कि राज्य की गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र जैसे विकास, सिंचाई, सांस्कृतिक विकास, शिक्षा तथा इसी तरह की अन्य बातों पर और अधिक एकाग्रता से ध्यान देना होगा। इस दृष्टि से यह निश्चित रूप से अपेक्षित है। परन्तु इसका मंतव्य बिलकुल स्पष्ट होना चाहिए। हमने झारखंड के लिए बिहार राज्य को अलग रखा हुआ है जिसके लिए मेरे मन में बहुत सहानुभूति और सम्मान है। परन्तु मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि झारखंड की मांग में केवल बिहार राज्य ही शामिल नहीं है। इस मांग से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों पर भी प्रभाव पड़ेगा।

इस समय मुझे कुछ संदेह हो रहा है क्योंकि हम अचानक केवल बिहार राज्य में ही झारखंड राज्य बनाने की मांग को आंशिक रूप से स्वीकृत करने का निर्णय लेने पर सहमत हो गये। स्थिति और कुछ राजनैतिक प्रेरणाओं से ठीक से नहीं निपटा जा रहा है—ये प्रेरणाएं केवल झारखंड से ही नहीं हैं, वहां के लोगों की मांगें और शिकायतें उचित हैं—परन्तु केन्द्र सरकार के लिए भी इस समय यह उचित नहीं है जिसने ऐसी मांग पर विचार करने का निर्णय लिया है।

महोदय, मैं पुरजोर से सिफारिश करता हूं कि हमें छोटे राज्यों की आवश्यकता है। परन्तु आपको चाहिए कि आप इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अधिक से अधिक समय अवश्य दें। हमें जनता को इस मुद्दे पर विचार करने के लिए और थोड़ा-सा वक्त देना चाहिए। जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी-अभी कहा है, पूर्वांचल राज्य के लिए मांग की जा रही है, और इस तरह से कई और मांगें उठ सकती हैं। हम हमेशा इस तरह के आन्दोलनों को चलते रहने नहीं दे सकते हैं और उस पर हमेशा निर्णय नहीं ले सकते हैं। हमको चाहिए कि हम हमेशा के लिए यह निर्णय लें कि इस देश में राज्यों की संस्थिति क्या होगी। हमें इस मुद्दे पर अधिक समय देना होगा और इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना होगा। मैं पूर्णतः झारखंड राज्य की स्थापना के पक्ष में हूं। परन्तु, यदि आप झारखंड राज्य देना चाहते हैं तो उसे समग्रता से, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश तथा अन्य क्षेत्रों के भागों के साथ दीजिए। यदि आप पूर्वांचल की मांग पर विचार करेंगे, तब उत्तर प्रदेश का एक भाग ले लिया जाएगा और शेष बिहार के साथ जोड़ दिया जायेगा। आपका, विशेषकर किसी एक राज्य के प्रति इस तरह का सौतेला व्यवहार नहीं कर सकते। इससे अलगाव की भावनाएं उत्पन्न होती हैं।

महोदय, मेरे आदरणीय साथी ने, जिन्होंने अब यह प्रस्ताव रखा था, कुछ बातों का जिक्र किया था कि भूमिगत संसाधन, खनिज सम्पदाओं आदि से प्राप्त बिहार के राजस्व आय का 70 प्रतिशत भाग इसी क्षेत्र से आता है। मैं उनकी बातों से पूर्णतः सहमत हूं। उनको उनके विकास के लिए 20 प्रतिशत मिल रहा है। यह बात भी सही है। मैंने आंकड़ों का अध्ययन नहीं किया है और मैं उनके आंकड़ों को स्वीकार करना चाहता हूं। परन्तु इसका दूसरा पहलू भी है। हमें याद रखना होगा कि तुलनात्मक रूप से यह क्षेत्र कम आबादी वाला क्षेत्र है। मांग पर विचार करते समय हमें यह देखना होगा कि राजस्व संसाधनों की कितनी मात्रा विकास के लिए खर्च की गई और इसका

मूल्यांकन प्रति व्यक्ति आधार पर करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस प्रकार का काम करना, राज्य सरकार के लिए अनुचित था अथवा उचित था। अतः इसका और अधिक गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है। मेरा यह विचार है कि इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, इतना कम समय, दो घन्टे की चर्चा पर्याप्त नहीं है। मैं यह अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की जाए ताकि हर एक सदस्य अपने विचार व्यक्त कर सके।

अब मेरे साथी ने एक और बात का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा समुचित रूप से उपलब्ध नहीं कराई गई है। वस्तुतः मेरा निर्वाचन क्षेत्र संथाल परगना में है। चकाई और आस-पास के क्षेत्र वास्तव में पहाड़ी क्षेत्र है। मूलतः इस ओर तथा बांका के साथ-साथ उस ओर, भौगोलिक दशाएं ऐसी हैं कि कोई भी प्रमुख पारंपरिक सिंचाई परियोजना—किसी बड़े स्रोत से, भूमि पर विभिन्न विषम आकृति की धाराओं द्वारा—जल को पहुंचाने में सफल सिद्ध नहीं हो सकता जो कि यथार्थतः असम्भव वह महंगा भी है। सिंचाई की समया का समाधान और अधिक संवेदनशील ढंग से करना होगा और कदाचित् गैर पारंपरिक ढंग से करना होगा। निस्संदेह, इस पर विचार करने का और निर्णय लेने का काम, विशेषज्ञों का है।

यद्यपि झारखंड राज्य की मांग के प्रति मेरी पूर्ण सहानुभूति है, मैं नहीं चाहता कि यह केवल बिहार के विषय में ही एकाकी निर्णय हो। मैं चाहता हूं कि सम्पूर्ण देश को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर विचार किया जाये। यह देश हमेशा के लिए यह निर्णय ले कि उसके कितने राज्य होंगे, किन राज्यों का विभाजन होगा और यह विभाजन किस तरह से होगा। जैसा कि मेरे साथी ने कहा है, यह काम समय-बद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत होना चाहिए ताकि जनता यह जान सके कि सरकार का यह नेक इरादा है कि इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो।

इन शब्दों के साथ, मैं इस समय इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं परन्तु मैं चाहता हूं हि इस विषय पर एक व्यापक नीति तैयार की जाये।

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल (गोड्डा) : सभापति जी, आज जो प्रस्ताव लाया गया है, छोटे राज्यों के बारे में माननीय सदस्य के द्वारा, मैं उस प्रस्ताव का समर्थन्न करता हूं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि देश की आजादी के बाद 1956 में स्टेट रीआर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया गया था। उसमें कुछ बिन्दु ऐसे सुझाए गए थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन किया जाए। उस समय बंगला भाषा के आधार पर बंगाल बना। पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक ही प्रांत थे लेकिन उड़िया भाषा के आधार पर उड़ीसा का निर्माण किया गया, गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात का निर्माण किया गया, असमी भाषा के आधार पर असम का निर्माण किया गया लेकिन जब झारखंड का सवाल एस० आर० सी० की रिपोर्ट में आया तब उसमें कहा गया कि झारखंड को इसलिए राज्य नहीं बनाया जाए क्योंकि उसमें विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग हैं, यह उसमें तर्क दिया गया है। यह पिछड़े क्षेत्रों के साथ अन्याय हुआ है। एस० आर० सी० में कंजरू साहब चेयरमैन थे और उस समय जब मांग करने की बात थी तो हम लोग छोटे थे लेकिन बुजुर्ग लोगों से सुनते हैं, आज भी हमारा डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर दुमका है, वाजपेयी जी दो-तीन बार वहां गए हैं। वहां एक दीवार पर लिखा हुआ है कि उस समय हमको बंगाल में मिलाने की बात हुई थी। उस समय दीवार में लिखा था कि हम बंगाल नहीं आएंगे, हमें अलग राज्य दिया जाए। वह आज भी

मिटा नहीं है। यह कहां का न्याय है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल एक झारखंड सेमीनार हो रहा था, उसमें ज्ञानी जी, भूतपूर्व राष्ट्रपति जी आए थे, उन्होंने कहा और अपने विचारों को उद्गार किया—जब इस तरह कोई कमीशन बने, तो किसी रिटायर्ड जुडिशियरी के जज को उसका चेयरमैन नहीं बनाना चाहिए। इसलिए कि उन लोगों को कागजी और आंकड़े की जानकारी होते हैं। व्यक्तिगत चीज की जानकारी नहीं होती है। आप आज कह रहे हैं कि राज्य बनना चाहिए, लेकिन देश कमजोर हो जाएगा। यह तरीका कहां का है। आज कोई आधार नहीं है राज्य बनाने का। राज्य बनाने का एक ही तर्क है—राजनीतिक। राजनीतिक लाभ और राजनीतिक हानि के लिए राज्यों का निर्माण किया गया है। जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय कितने राज्य थे—चौदह राज्य। आज हमारे पास 25 राज्य हैं। पूर्वांचल की बात अभी हमारे प्रताप सिंह जी कह रहे थे और रमेश चेन्नीतल्ला जी कह रहे थे, असम एक स्टेट से सात राज्य बने और उनको सेवन सीटर्स के नाम से जाना जाता है। मैं आपको पूछता हूं, उनकी आबादी कितनी है? किसी की छह लाख है, किसी की पांच लाख है, नागालैंड की पांच लाख से कम है, मिजोरम की छह लाख है, अरुणाचल की छह लाख है, 17 लाख मेघालय की और त्रिपुरा की 24 लाख। झारखंड राज्य की मांग के बारे में मैं आपको बताता हूं, 1971 की जनगणना में 16 जिले हैं और आबादी 1,94,00,400 है। 1912 से पहले बंगाल, उड़ीसा और बिहार एक ही राज्य था। बंगाल से बिहार क्यों अलग किया गया और 1934 में बिहार से उड़ीसा को क्यों अलग किया गया? पंजाब से हरियाणा और हिमाचल क्यों अलग किया गया है? छोटे राज्यों को बनाने के लिए देश के अन्दर और उदाहरण हैं।

सभापति जी, जिस तरह से आज हिन्दुस्तान में पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया है, उसी तरह से अन्य भागों की मांग हैं। हरियाणा आज विकास के मामले में, चाहे उद्योग हो, चाहे कृषि में हो, हिन्दुस्तान में आज हरियाणा का नाम एक नम्बर पर आता है। बड़े राज्यों में से छोटे राज्यों को यदि बना दिया जाए तो मैं समझता हूं कि उससे देश मजबूत होगा, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास होगा। भारत के संविधान के निर्माता, बाबा साहिब अम्बेडकर जी ने अपनी किताब में, जिसको महाराष्ट्र सरकार ने पब्लिश किया है, फर्स्ट एडिशन में कहा है, हमको बिहार को दो राज्यों में, मध्य प्रदेश को दो राज्यों में और उत्तर प्रदेश को तीन राज्यों में कम से कम विभाजित करना चाहिए। यह बात उन्होंने आज नहीं कही है, पहले ही उन्होंने लिख दी थी। उन्होंने यह भी लिखा था कि विकास और प्रशासनिक दृष्टि से उनको बनाना चाहिए, लेकिन क्या आज उनके अनुसार राज्य बना दिए गए? उत्तर प्रदेश में कितने जिले थे? बिहार के अन्दर कितने जिले थे? बिहार में 24 जिलों के स्थान पर 52 जिले बन गए है। एक जिला हर महीने बनता है, एक सब-डिवीजन बनता है।

एक माननीय सदस्य : किसी की कृपा पर ?

श्री सूरज मण्डल : किसी न किसी की कृपा से तो जरूर हो रहा है। कभी जगन्नाथ की कृपा पर और कभी लालू जी की कृपा पर, इस मामले में दोनों एक ही हैं। (व्यवधान)

आज झारखंड को गरीब बना करके रखा गया है। झारखंड बहुत ही अमीर प्रांत हो सकता है और हैं वहां के लोग। उनमें सारी चीजों की क्षमता है। बिहार के लोग बोलते हैं कि झारखंड अलग बनेगा तो राज नहीं चल सकता है जैसे अंग्रेज कह कर गए थे, अंग्रेजों ने कहा था कि हिन्दुस्तान अगर आजाद होगा तो हिन्दुस्तानी लोग हिन्दुस्तान नहीं चला सकते हैं वही पुरानी बात अब हमारे

साथ में दोहराई जा रही है कि अगर झारखंड बनेगा तो झारखंड के लोग राज नहीं चला सकेंगे, यह कोई तर्क है, यह कोई तर्क नहीं है। आज झारखंड के इलाके से 70 डिब्बों की रेलगाड़ी कोयला लेकर के चलती है। हिन्दुस्तान के सारे थर्मल पावर बिजलीघरों तक कोयला पहुंचाती है और बेहतर कोयला बदरपुर पहुंचाती है। अभी हिमाचल में बन रहा है, यमुनानगर, उसका भी कोयला वहीं से आएगा। दादरी में अभी जो थर्मल पावर बन रहा है उसके लिए भी पीपरवाड़ से कोयला आएगा और आस्ट्रेलिया को कोयला वाश करने का काम दिया है, हिन्दुस्तान के लोगों को नहीं दिया। लेकिन आज अगर उस इलाके का ध्यान होता, कोयला ढोने के लिए तो रेल लाइन बिठा देते हैं लेकिन आदमी चढ़ने के लिये रेल लाइन बनाया क्या। आदमी चढ़ने के लिए रेल लाइन नहीं बना, कोयला ढोने के लिए रेल लाइन बन गया।

सभापति महोदय, 47 साल हो गए, आज जो लोग कहते हैं कि राज्य नहीं बनना चाहिए, मैं उनसे पूछता हूं कि हिन्दुस्तान की हर चीज वहां पर पाई जाती है। यूरेनियम, मैं एक ही चीज का उदाहरण देता हूं, आज सारे देश के अन्दर काम आता है, नेशनल एवरेज जो यूरेनियम का है वह 26.8 है और हमारे इलाके झारखंड में 20.3 यूरेनियम मिलता है। उसके बाद कोयला भी 46 परसेंट इण्डिया का वहां पाया जाता है। (व्यवधान)

महोदय, मैं 47 साल का एक उदाहरण देना चाहता हूं कि पूरे खनिज सम्पदा का बिहार में 41 प्रतिशत पाया जाता है उसमें 30 प्रतिशत झारखंड में है। झारखंड के इलाके में 30 परसंट है लेकिन यह बिहार सरकार का एक जो डेवेलपमेंट का आंकड़ा, उसका क्या परसंटेज है, बिहार सरकार ने निकाला है मैं देश को और सदन को बताना चाहता हूं कि अगर ईमानदारी के 47 साल में जहां खान और खनिज हैं उस इलाके को अगर आप विकसित करना चाहते तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि साहेबगंज झारखंड के इलाके में, उसके डेवेलपमेंट का रेश्यो है। परसंट, पलामू का है 2 परसंट, दुमका का है 3 परसंट, गोड्डा का है 4 परसंट, गिरीडीह का 5 परसंट, हजारीबाग का है 6 परसंट, गुमला का है 7 परसंट, देवघर का है 8 परसंट, रांची का है 11 परसंट, लोहरदगा का है 12 परसंट, सिंहभूम का हैं 13 परसंट, धनबाद का है 19 परसंट, इसको बोलते हैं कि अलग राज्य बनने से क्या हमारा बालू, कोसी का बालू वहां का उत्तर-बिहार का लोग फांकेगा और कोसी का पानी पीएगा। उसका रेशो क्या है, वह भी देख लीजिए।

सभापति महोदय, जहानाबाद का 21 परसेंट, मुंगेर का 22 परसेंट, औरंगाबाद का 25 परसेंट, नवादा का 26 परसेंट, रोहतास का 31 परसेंट, गया का 35 परसेंट, भोजपुर का 36 परसेंट, नालन्दा का 38 परसेंट और पटना का 39 परसेंट है, ये बिहार सरकार के डवलपमेंट विकास के आंकड़े हैं। यह मैं आपको सीं० ओ० डी० एम० कमेटी के आंकड़े बता रहा हूं। उसकी रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए, वह उसमें दिया हुआ है।.........(व्यवधान) सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश को अलग राज्य नहीं बनने देना चाहते क्योंकि वहां से 85 एम० पीज जीत कर आते हैं और बिहार को इसलिए नहीं बनने देना चाहते क्योंकि वहां से 54 एम०पीज० आते हैं और मध्य प्रदेश से 40 एम० पीज जीत कर आते हैं, इसलिए इन तीनों राज्यों को बनाकर भारत सरकार बनती थी। 45 साल हो गये, लेकिन उत्तर प्रदेश को छोड़कर कभी कोई और प्रधानमन्त्री नहीं बना। पहली बार दक्षिण भारत का प्रधान मन्त्री बना है, बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में। राजनीतिक दृष्टिकोण से सारे फैसले लिए जाते हैं। अलग राज्य मारकाट से पहले हो जाए, बदरपुर थर्मल पावर बन्द होने से पहले हो जाये तो यह हमारे देश के लिए अच्छी बात होगी और देश के हित में होगा और एक मजबूत राष्ट्र बनेगा। यह तर्क नहीं देना चाहिए कि छोटे राज्य से देश कमजोर होगा। झारखंड को

हमेशा गलत बताया गया है। जब झारखंड के सवाल पर जयपाल सिंह के साथ समझौता हुआ था तो उस समय बिहार के मुख्यमन्त्री पं० विनोदानन्द झा थे। उनके साथ यह कह कर समझौता हुआ कि राज्य की मांग मत कीजिए, हमारी और आपकी सत्ता में भागीदारी होगी। यह कह कर जयपाल सिंह को कांग्रेस के साथ मिला लिया गया। लेकिन विकास का काम नहीं हुआ और सत्ता की भागीदारी नहीं की गई बल्कि उस इलाके में खनिज सम्पदा, कल-कारखाने बनाने के बाद उपनिवेशवाद का बढ़ावा दिया गया, लेकिन सी० एन० टी० एस० यानी छोटा नागपुर और संथाल परगना विकास अधिनियम का उल्लंघन करके लोक सभा द्वारा जमीन का हस्तांतरण करना, अधिनियम पारित कर दिया। बिहार के लोगों ने इसे पारित कर दिया और हजारों लोगों को पटना से ले जाकर बैठा दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि हर चीज का एक्सपेरीमेंट हुआ। बिना राज्य बनाए उसका कोई सोल्युशन निकाला जाए। पं० विनोदानंद झा द्वारा एक्सपेरीमेंट हुआ और होम मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री हमीद की देखरेख में एक कमीशन बनाया गया और उनकी रिपोर्ट हुई कि प्रशासन में और विकास के लिए किस तरह से वहां पर काम किया जाए। उसमें यह था कि ट्राइबल माइंडेड और उसी एरिया के अधिकारियों को वहां नियुक्त किया जाए ताकि वे उनकी भलाई कर सकें और उनको सुरक्षा दे सकें। आज तक किसी सरकार ने उसको नहीं माना, उस पर अमल नहीं किया, बल्कि वहां पर नान-ट्राइबल को ट्राइबल में कंवर्ट करने के लिए बिहार सरकार के पर्सनल डिपार्टमेंट से एक नोटिफिकेशन इश्यू हुआ। मैं सदन से जानना चाहता हूं कि हमारा देश माता प्रधान देश है या पिता प्रधान देश है। उस नोटिफिकेशन में वहां पर माता प्रधान क्षेत्र घोषित कर दिया। अब गरीब लोगों की यह हालत हो रही है कि ट्राइबल लोगों के साथ नान ट्राइबल लोग शादी करते हैं और वे पहले से ही नान ट्राइबल से शादी करके रखते हैं। नान ट्राइबल औरत से जो बच्चा पैदा होता है, ट्राइबल औरत से शादी करके उसके नाम पर उसको नौकरी में, ट्रेनिंग में रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता है। इस तरह पहली बीवी से जो बच्चा पैदा होता है उसको ट्राइबल बनाकर जमीन खरीदी जाती है, इन्स्टीट्यूशन में एडमिशन करा दिया जाता है। इसी तरह से ये लोग वहां के लोगों को आई० पी० एस०, आई० ए० एस० और डिप्टी कलेक्टर आदि नौकरियों में जाने से रोक रहे हैं, उनकी नौकरियों को छीन रहे हैं और उपनिवेशवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हम सदन से और देश से अपील करना चाहेंगे कि आदिवासी लोगों का विरोधाभास बढ़ेगा तो पंजाब से बड़ा आक्रोश होगा। जिस तरह से पंजाब के लोगों के हाथ से आप ए० के०-47 नहीं उतार पा रहे हैं, वैसे ही वहां स्थिति हो सकती है। दुनिया में कोई इतिहास नहीं है कि 1952 से लेकर 1993 तक अहिंसक आंदोलन हो। झारखंड के अन्दर वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने अहिंसक आंदोलन चलाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल के द्वारा अलग राज्य का निर्माण करने की बात कोई गलत बात नहीं है। यहां 25 से 50 राज्य बनाये जा सकते हैं। अमरीका में जहां कि हिन्दुस्तान से कम आबादी है, करीब 24 करोड़ है, वहां पर 50 राज्य हैं, तो हिन्दुस्तान में क्यों नहीं 30-40 राज्य बन सकते। राज्य बनाकर सभी लोगों को बराबर स्वतन्त्रता और शासन में भागीदार बनाने का अधिकार यह बिल दे सकता है और लोगों का आक्रोश मिटा सकता है, देश मजबूत हो सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : सभापति महोदय, मैं अपने मित्र श्री जगतवीर सिंह द्रोण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। केवल इसलिए नहीं कि हमारी पार्टी के कार्यक्रम में पृथक उत्तरांचल और पृथक वनांचल राज्यों के निर्माण की मांग का समावेश है। बल्कि इसलिए कि इन राज्यों की मांग सचमुच में यहां की जनता की मांग है। वह मांग राजनीति

से प्रेरित नहीं है। वह मांग आर्थिक विकास के तकाजों को पूरा करने के लिए है। जैसा कुछ सदस्यों ने उल्लेख किया स्वाधीनता के बाद देश में भाषा को ध्यान में रखकर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। उस समय भाषा प्रमुख तत्व थी, वह स्वाभाविक भी था। एक भाषा जानने वाले लोग एक प्रशासनिक इकाई में रहें इससे उनका विकास सरल होता है, उनकी सांस्कृतिक पहचान भी समृद्ध होती है। लेकिन इस बात को बहुत समय बीत गया है। अब लग रहा है कि भाषा के आधार पर बने हुए राज्य बहुत बड़े हैं। उन्हें सम्भालना मुश्किल है। उनमें विकास अवरुद्ध हो जाता है। प्रशासन भी ठीक तरह से नहीं चलता है। अब जो मांग हो रही है वह आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हो रही है। छोटे राज्य इसमें सहायक होंगे। इस दृष्टि से छोटे राज्यों के सवाल पर विचार होना चाहिए। यह धारणा गलत है जैसा अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि छोटे राज्यों के निर्माण से देश कमजोर हो जायेगा। सचमुच में छोटे राज्यों का निर्माण देश की प्रगति में सहायक होगा। सभापति महोदय, आप पंजाब से आते हैं; अगर हिमाचल अलग नहीं बनता···

सभापति महोदय : वाजपेयी जी, मैं तो हरियाणा से आता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हरियाणा को भी इसका अनुभव है। अगर हिमाचल अलग नहीं होता, अगर हरियाणा का अलग निर्माण नहीं होता तो यह प्रगति की दौड़ में पंजाब के साथ जुड़े होने के बाद भी पिछड़ रहे थे, पीछे पड़ रहे थे। इससे कटुता कम होती है।

श्री जगमीत सिंह बरार : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। माननीय वाजपेयी जी नेस ही बात कही है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि प्वाइंट पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरों थे और उनके होते हुए हरियाणा और हिमाचल के एरियाज का विकास एकसार हुआ। इन फैक्ट जहां तक मुझे ज्ञान है कुल्लू और लाहौल स्पिति तक मेजर डेवलेपमेंट थे और वे सब सरदार प्रताप सिंह कैरों की अगुवाई में इन जगहों पर होते रहे हैं···

सभापति महोदय : सरदार जगमीत सिंह जी, अगर ऐसी बात होती तो यह हरियाणा नहीं बनता···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति महोदय, आपने मेरा काम आसान कर दिया। आप उनको यह भी बता दीजिए कि प्वाइंट आफ आर्डर के बहाने ऐसे मामले नहीं उठ सकते। अगर वे अपनी बात कहना चाहते हैं तो भाषण के रूप में कहें। मैं समझा मैंने कोई अभद्रता कर दी या किसी नियम का उल्लंघन कर दिया और मेरी बात को कार्यवाही में से निकलवाने की मांग करने वाले हैं···

सभापति महोदय : वाजपेयी साहब, आजकल नौजवानों का खून गर्म है। कुछ कहना चाहते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति जी, यह धारणा भी गलत है कि अगर उत्तरांचल बनता है तो उत्तर प्रदेश को बांटा जायेगा और वनांचल बनता है तो बिहार का विभाजन किया जायेगा। फिर कोई कहेगा कि अगर बिहार का विभाजन होना है तो मेरी लाश के ऊपर होगा। विभाजन का सवाल नहीं है। सवाल है पुनर्गठन का। विभाजन तो तब होता है जब कोई हिस्सा देश से बाहर जाने की गलत चेष्टा करता है।

सभापति महोदय, अगर जिलों का निर्माण हो सकता है, नयी कमिश्नरियां बन सकती हैं तो

आगे बढ़कर राज्य का निर्माण एक लम्बा कदम है मगर वह देश के भीतर होगा, देश के राजनैतिक ढांचे में होगा, संविधान के अन्तर्गत होगा। उसके कारण देश कमजोर हो या देश का विभाजन हो वह प्रश्न ही नहीं पैदा होता। उत्तर प्रदेश की चुनी हुई असेम्बली उत्तरांचल के निर्माण के पक्ष में प्रस्ताव पास कर चुकी है। वह प्रस्ताव केन्द्र में भेज दिया गया था मगर केन्द्र में कांग्रेस की सरकार है और इसीलिए उसने उस प्रस्ताव पर ध्यान ही नहीं दिया। अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा भी भंग कर दी गई। सभापति जी, सरकार तोड़कर भी विधानसभा रखी जा सकती थी। अब फिर चुनाव होगा और उस समय उत्तरांचल का मामला एक बड़ा चुनाव का मुद्दा बनेगा और उत्तरांचल के मामले में हमें पूरा समर्थन मिलेगा। सत्ता पक्ष फिर घाटे में रहने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चुनाव के पहले ही उत्तरांचल बना दो। कम से कम चुनाव का यह मुद्दा हमारे हाथ से ले निकल जायेगा और जो मुद्दे रहेंगे, वे रहेंगे। मैं रचनात्मक सुझाव दे रहा हूं। उनके भले की बात कर रहा हूं। पृथक् उत्तरांचल बनाने में कोई घाटे की बात नहीं है।

सभापति महोदय, पिछड़े हुए क्षेत्र इस बात की मांग करते हैं कि उनकी ओर ध्यान दिया जाये। साधनों का सही उपयोग हो, प्रशासन की भी सुविधा हो और इस दृष्टि से उत्तरांचल का केस बहुत मजबूत केस है।

जहां तक वनांचल का सवाल है, मैं अपने झारखण्ड के मित्रों से आग्रह करना चाहूंगा कि वे छोटा नागपुर और संथाल परगना मिलाकर अलग राज्य बनाने की मांग अभी स्वीकार कर लें।

17.00 म० प०

आप उसको अगर बंगाल से जोड़ेंगे, उड़ीसा का कोई भाग लेना चाहेंगे और मध्य प्रदेश के किसी हिस्से की कामना करेंगे तो आपको अधिक विरोध का सामना करना पड़ेगा। सिंह देव जी उड़ीसा का कोई हिस्सा छोड़ने वाले नहीं हैं।

श्री सूरज मंडल : वह आना चाहते हैं, संबलपुर उनका एरिया है, वह तत्पर आना चाहते हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ये आना चाहते हैं या आप बुलाना चाहते हैं !

सभापति जी, अनेक राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन अधिक कठिनाइयां पैदा करेंगी। संथाल परगना, छोटा नागपुर, ये भौगोलिक इकाई भी बनती है और ये पिछड़े हुए भी हैं, उनका शोषण भी हुआ है ··· (**व्यवधान**) ··· हम आपके साथ हैं मगर मुश्किल है कि आप कभी जमकर नहीं लड़ते हैं ? हमारे साथ मिलकर लड़ो तो बात बनेगी।

सभापति जी, जब कोई जन आंदोलन जोर पकड़ता है तो जोर पकड़ने वाले जन आन्दोलन को पथ भ्रष्ट करने के लिए तरह-तरह के लुभावने सुझाव रखे जाते हैं, उनमें विकास बोर्ड का एक सुझाव था। आपको याद होगा विदर्भ की मांग प्रबल हुई तो चर्चा हुई कि विदर्भ का एक अलग डेवलपमेंट बोर्ड होना चाहिए, मगर श्री शंकर राव चव्हाण ने डेवलपमेंट बोर्ड बनने नहीं दिया। कभी आंध्र प्रदेश में भी तेलंगाना की मांग हुई थी। यह मांगें अगर केवल राजनीति से प्रेरित हैं तो ऐसी मांगें जनता का समर्थन प्राप्त करने में सफल नहीं होती हैं। अगर थोड़े समय के लिए सफल हो भी जाती हैं तो यह लक्ष्य प्राप्त करने में सफल नहीं होतीं। मेरा निवेदन है कि विकास की दृष्टि से और प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से इन सवालों को देखा जाना चाहिए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि अगर फिर से राज्यों का पुनर्गठन आरम्भ कर दिया गया तो मदारी की पिटारी खुल जायेगी—

पंडोरा का बॉक्स, और यह सरकार पिटारी खोलना नहीं चाहती। इस सरकार ने बहुत-सी पिटारियां खोल रखी हैं। मैं नहीं समझता कि कोई नई पिटारी खुलेगी। अगर आप एक कमीशन बना दें और उस कमीशन की टर्म्स आफ रेफरेंस स्पष्ट होनी चाहिए, ऐडमिनिस्ट्रेटिव कनवीनियेंस और इकोनोमिक डेवलपमेंट, क्या इस दृष्टि से भारत के राजनैतिक मानचित्र को फिर से निर्धारित करने की आवश्यकता है ? एक समय सीमा तय कर दें और उस बीच में सिफारिशें आ जाएं, लेकिन कमीशन बनाने जा रहे हैं, इसलिए वनांचल और उत्तरांचल का निर्माण रुकना नहीं चाहिए। अगर कमीशन की बात इसलिए कही जाएगी कि हम इन राज्यों की मांग को टालना चाहते हैं तो इन राज्यों के साथ न्याय नहीं होगा और असंतोष को बढ़ावा मिलेगा। आज लोग शांति से मांग कर रहे हैं, और मैं वनांचल के मित्रों से कहना चाहूंगा कि आंदोलन को हिंसात्मक होने से रोकना चाहिए। हिंसा और लोकतंत्र साथ नहीं चलने चाहिए। यह बात मेरे ऊपर भी लागू होती है। हम सबके ऊपर लागू होती है। जहां कांग्रेस प्रतिपक्ष में है उस पर भी लागू होती है। आप कलकत्ता में हिंसात्मक हो जाएं और दिल्ली में हमें अहिंसा का उपदेश दें तो यह चल नहीं सकता। इससे बात बनती नहीं है। बात बिगड़ रही है। ऐसा आभास होता है कि देश बिखर रहा है। मतलब, एक होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय जब उत्तर दें तो वनांचल और उत्तरांचल के बारे में स्पष्ट रूप से आश्वासन दें। इन प्रदेशों का निर्माण कर दें, राज्यों का निर्माण कर दें और अगर फिर उचित समझते हैं तो पूरे मूल्यांकन के सवाल को तय करने के लिए एक कमीशन बनाने का प्रस्ताव रखें। हम उस प्रस्ताव का स्वागत कर सकेंगे, लेकिन उत्तरांचल और वनांचल में विलम्ब नहीं होना चाहिए।

[अनुवाद]

प्रो० के०वी० थामस (एरनाकुलम) : महोदय, उस ओर से हमारे माननीय मित्र द्वारा रखा गया यह प्रस्ताव आरम्भ में सामान्य-सा लग सकता है क्योंकि इसमें नये राज्य, उत्तरांचल और वनांचल की स्थापना का सुझाव है। परन्तु महोदय, यह उतना आसान है नहीं, जितना कि लगता है। यह मुसीबत को मोल लेने वाली बात होगी। यदि आप भाषाई आधार पर निर्मित राज्यों के इतिहास को देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि उसकी एक लम्बी कहानी है। ब्रिटिश ने केवल प्रशासन की सुविधा के लिए ही देश को राज्यों में विभाजित किया था। स्वतंत्रता के दौरान भी कांग्रेस पार्टी यह सोच रही थी कि देश को राज्यों में कैसे बांटा जाये। स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी के विभिन्न अधिवेशनों में इस पर बहुत गहराई से चर्चा की गई थी। 1930 में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया था कि भाषाई आधार पर राष्ट्र को राज्यों में विभाजित किया जाये। 1945-46 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की अपनी बात को दोहराया। यह कांग्रेस का वर्ष 1945 तथा 1946 का चुनाव घोषणा पत्र था। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद ही हमारे कई मित्र पंडित जी से मिले और राज्यों के निर्माण के लिए उन पर दबाव डालने लगे। उनका क्या उत्तर था ? पंडित जी ने कहा था :

> "पहला काम पहले होना चाहिए। और पहला काम है भारत की सुरक्षा और अखण्डता।"

वर्ष 1953 में आयोग का गठन हुआ और वर्ष 1956 में भाषाई राज्यों का प्रादुर्भाव हुआ। और यह बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। इसमें और विभाजन हुए। बृहत्त मुम्बई का महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजन हुआ था। इसी तरह से, पंजाब को तीन राज्यों में तथा असम को सात राज्यों में विभाजित किया गया था। क्या इन विभाजनों से समस्याओं का समाधान हुआ है ? आज

भी देश के विभिन्न भागों में छोटे-छोटे राज्यों के लिये—यथा झारखण्ड, बोडो लैंड, विदर्भ, तेलंगाना तथा उत्तरांचल—आन्दोलन किया जा रहा है। देश के विभिन्न भागों से उपर्युक्त राज्यों की मांग की गई है। अतः प्रश्न यह है कि क्या और विभाजन से समस्या का समाधान होगा अथवा नहीं। जबकि हमारे कई मित्र यह मांग कर रहे हैं कि बड़े राज्यों को छोटे राज्यों से विभाजित करने से उस क्षेत्र में आर्थिक विकास होगा, फिर भी ऐसे कई गम्भीर प्रश्न हैं जिनका समाधान करना होगा। महोदय, क्या उत्तर प्रदेश अथवा मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को दो या तीन छोटे राज्यों में विभाजित करने से, इन छोटे-से विखण्डित राज्यों का आर्थिक विकास हो सकेगा ? यदि यह बात है तो हम उन समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे जो कि देश के विभिन्न भागों में अभी भी ज्वलंत बनी हुई है। उदाहरण के लिये दक्षिण में कावेरी बेसिन राज्य बनाने का प्रस्ताव था जिसमें वे सभी क्षेत्र शामिल थे जिनमें से होकर कावेरी नदी बहती है अर्थात् तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। अन्ततः भाषाई राज्यों के गठन के बावजूद भी कावेरी जल विवाद का अभी हल किया जाना है। यह समस्या इस हद तक बढ़ गई है कि ये चार राज्य अब चार विरोधी गुट बन गए हैं। यदि इन राज्यों का और आगे भी विभाजन होगा तो जल विवाद एवं अन्य समस्याएं बढ़ेंगी। अतः यद्यपि विद्यमान समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता, इस तरह के कदम उठाने से और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आज भी हमारे पास भाषाई समस्या है। तमिलनाडु में हमारे कुछ मित्र, जाने-अनजाने हिन्दी के विरुद्ध लड़ाई छेड़े हुए हैं।

महोदय, हम समस्याओं से ग्रस्त हैं। हमारे पास आर्थिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, और इससे के बुरी समस्या यह है कि हमें साम्प्रदायिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पिछले तीन महीनों से सम्पूर्ण देश साम्प्रदायिक मुद्दों से दहक रहा है। अतः हम राज्यों के निर्माण के लिए एक अन्य आयोग के होने की बात कैसे सोच सकते हैं, जिससे सम्पूर्ण देश में सतत रूप से तनाव बढ़ सकता है ? मुझे अभी भी तेलंगाना का मुद्दा याद है, जिसके परिणाम स्वरूप श्री पोट्टी श्रीरामुलु को आत्म-दाह करना पड़ा था। छोटे राज्यों के निर्माण की समस्या को आसानी से नहीं लिया जा सकता जैसा कि इस प्रस्ताव को रखने वाले, उस ओर के मेरे मित्र समझते हैं। इन मुद्दों पर गम्भीरता से विचार करना होगा।

हमारे विपक्ष के नेता माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी अपने बिहार के दौरे में रांची और हजारीबाग में एकीकृत राज्यों के गठन की जोरदार वकालत करते रहे हैं। श्री वाजपेयी जी जिन्होंने मेरे से पहले भाषण दिया था, दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना पर जोर देते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मतदाताओं को यह आश्वासन दिया था कि उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्य का गठन किया जायेगा। इस तरह के मामलों को राजनैतिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हमारे पास पहले ही इतनी समस्याएं हैं जिन्हें हल किया जाना है। मात्र वोटों के लिए, देश के किसी भाग में सत्ता में आने के लिए दूसरे मसलों को उठाने से समस्याओं को हल करने में मदद नहीं मिलेगी।

व्यक्तिगत रूप से मैं नये राज्यों के गठन के विचार के विरुद्ध नहीं हूं यदि इनसे समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है। लेकिन समस्या यह है कि इससे समस्या बढ़ेगी। यहां हम विपक्ष में बैठे अपने साथियों पर भरोसा नहीं कर सकते। वे बिना किसी गलत मंशा के कोई मसला उठा सकते हैं और अंततः वह समूचे देश को जला देगा। अतः इन मसलों का गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए। मात्र छोटे राज्यों के गठन की मांग से उस क्षेत्र विशेष का वित्तीय सुधार संभव नहीं है।

यदि उनके तरीके से यह संभव है तो हम इससे सहमत हो सकते हैं। लेकिन क्या वास्तव में हम इस उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं?

मैं व्यक्तिगत तौर पर यह महसूस करता हूं कि सत्ता के विकेन्द्रीकरण से देश का आर्थिक विकास संभव है। हमारी पंचायतों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। हमारे जिला प्रशासन में सुधार करना होगा। पंचायतें और जिला परिषदों को सुदृढ़ करने के लिए अधिक-से-अधिक छोटे-छोटे राज्य बनाने के बजाए इन जिला परिषदों और पंचायतों को और अधिकार दिये जाने चाहिये। उदाहरणार्थ मैं केरल से हूं जो कि एक छोटा राज्य है जिसकी आबादी केवल तीन करोड़ है। लेकिन केरल में भी हम तीन भागों में बंटे हुये हैं—पुराना त्रावणकोर, समृद्ध कोचीन और पिछड़ा हुआ मालाबार। यदि आप बड़े राज्यों को छोटे राज्यों में बदलेंगे तो केरल जैसे छोटे राज्य के और छोटे-छोटे टुकड़े हो जायेंगे। नये राज्यों का गठन, हमारे सामने जो समस्याएं हैं उनका हल नहीं है।

हम देश की सर्वोच्च संस्था होने के नाते जहां यह चर्चा चल रही है हमें अपने राजनैतिक हितों का ध्यान रखे बिना इन मसलों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा। हमें राजनैतिक हितों से ऊपर उठकर इन समस्याओं का हल ढूंढना होगा। विपक्ष में बैठे हुए मेरे साथियो के साथ मेरी हमदर्दी है। अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई गंभीर समस्याएं हैं। हमें उनका हल ढूंढना है। सवाल यह है कि क्या राज्यों के पुनर्गठन से इसमें मदद मिलेगी। अन्य जगहों पर भी समस्याएं हैं, बहुत से अविकसित क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों का विकास करना है। इसी कारण वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह ने सामान्य बजट में जब यह घोषणा की कि असम जैसे क्षेत्रों को पांच साल के लिए कर से छूट दी जायेगी तो लोगों ने इसका स्वागत किया। इसी प्रकार अन्य अविकसित क्षेत्रों को भी मदद की जानी चाहिये जिससे देश में समान विकास हो सके। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिये और यदि इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक या दो राज्यों के गठन से मदद मिलती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन नये राज्यों के गठन से समस्याओं का पिटारा नहीं खुलना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : सभापति जी, जगत वीर सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरी सरकार से मांग है कि सरकार राजनीति से अलग हटकर इस समस्या के ऊपर विचार करने का काम करे।

मैं पिछली 7 तारीख को कोटद्वार गया हुआ था। यदि कोटद्वार नहीं जाता तो शायद इसकी अहमियत नहीं समझ पाता। कोटद्वार जाने के बाद मुझे ऐसा लगा, चाहे किसी भी राजनैतिक दल के कार्यकर्ता हों या नेता हों या आम पब्लिक हों, सबके दिमाग में उत्तराखण्ड, जिसको हमारे साथी उत्तरांचल कहते हैं, की बात घर कर गई है। हमको लगता है कि देर या सबेर सरकार को उस मांग को पूरा करना पड़ेगा।

अटलजी ने ठीक ही कहा कि इस देश में यह दुर्भाग्य है कि जब कोई मांग चलती है तो वह जब तक हिंसा का रूप नहीं ले लेती तब तक सरकार उस पर गम्भीरता से विचार नहीं करती। यह दुखद बात है। हमको एक पालिसी बना लेनी चाहिए और उस पालिसी के तहत देश में जिनके भी जो अधिकार हों, संविधान के तहत छोटा राज्य मांगना, देश की एकता और अखण्डता के ऊपर कोई खतरा उत्पन्न करना नहीं है। हमने देखा है, जहां-जहां छोटे हुए हैं उन राज्यों में तरक्की भी हुई है और कामन व्यवस्था की हालत में भी सुधार हुआ है। पंजाब, हरियाणा एक साथ था। आज पंजाब अलग है, हरियाणा अलग है। दोनों में कम्पीटीशन हुआ और दोनों तरक्की कर रहे हैं। हिमाचल

प्रदेश अलग हुआ। हमारे यहां बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक साथ थे, आज बिहार, बंगाल, उड़ीसा अलग-अलग राज्य हो गये। जो नार्थ-ईस्ट है, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश से लेकर जितने हैं, वे सारे राज्य एक साथ थे, आज सारे अलग हो गये हैं।

उसी तरह से उत्तर प्रदेश एक छोर से यदि आप देखेंगे तो दिल्ली से शुरू होता है और हमारे बिहार के बार्डर में बक्सर के नजदीक पहुंच जाता है। इतना बड़ा प्रदेश है, इसके एक कोने में क्या घटना घटती है शायद दूसरे कोने में वहां की सरकार के हैड को पता भी नहीं चल पाता है। नतीजा होता है कि जो इलाका पिछड़ा हुआ रहता है, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगलती है, उसी तरीके से क्षेत्र के मामले में भी होता है।

हमारे साथी श्री शिबू सोरेन बैठे हुये हैं। हमने हमेशा दलित सेना में साथ-साथ काम किया है। हम दर्जनों बार मीटिंग में गये हैं। हमने इस बात की मांग भी की है कि झारखंड राज्य की डिमांड को पूरा किया जाये। चूंकि बिहार में हम देख रहे हैं कि हमको खाना नहीं चाहिये, बहुत से लोग जात-पात कहते हैं, ठीक है आप विश्वास करें न करें, पहले जात-पात है।

17.20 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

बिहार में कोई ऐसी जाति नहीं है, जिसका मुख्यमन्त्री नहीं बना हो। बैकवर्ड भी बना, फॉरवर्ड भी बना, शेड्यूल्ड कास्ट का भी बना लेकिन आज तक कोई आदिवासी नहीं बन पाया। जब कोई मुख्य मन्त्री बनता है तो सोने की वर्षा नहीं कर देता है। यदि आदिवासी मुख्य मन्त्री बन जाता तो क्या बिगड़ जाता। उसका कभी नहीं बन पाया इसलिये उनके मन में गुस्सा है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो अटल जी ने कही कि इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिये। चूंकि मामला राजनीति का आता है तो खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाता है। जो औरिजनल डिमांड मंडल जी और शिबू सोरेन की हैं, मैं उनके साथ हूं। लेकिन इसमें भी वह राजनीति शुरू कर देते हैं। मध्य प्रदेश में अगर बी० जे० पी० की सरकार होगी तो कहेंगे कि मध्य प्रदेश का एक भाग भी नहीं जायेगा। पश्चिम बंगाल के हमारे साथी भी एक इंच जमीन नहीं देंगे। उधर उड़ीसा की सरकार भी एक इंच भी जमीन देने के लिये तैयार नहीं होगी। ऐसे में लालू प्रसाद क्यों देगा। इसलिये मैं कहता हूं कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिये।

श्री सूरज मंडल : लालू प्रसाद को हमने मुख्य मन्त्री इसलिये बनाया था कि उन्होंने कहा था कि हम हर हालत में यह बनाने में आपकी मदद करेंगे।

श्री राम विलास पासवान : सब लोगों का टैस्ट हो रहा है। कोई एक पार्टी का नहीं हो रहा है। मैं विदर्भ गया था···(**व्यवधान**)···

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : अभी मंडल जी ने अटल जी की इस बात को स्वीकार किया कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बंगाल के स्थान को छोड़ कर जो दो परगना बिहार के हैं, वे वह स्वीकार कर लेंगे। यह झगड़ा पिछले 45 वर्षों से चल रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है?

श्री राम विलास पासवान : यही राजनीति है, यही गड़बड़ है। हम पहले नारा लगाते थे कि "धन, धरती बंटकर रहेगा, अपना-अपना छोड़कर" अलग राज्य की डिमांड तो करते हैं लेकिन कहते हैं कि मध्य प्रदेश नहीं देंगे, उड़ीसा नहीं देंगे, पश्चिम बंगाल नहीं देंगे···(**व्यवधान**)···

श्री कालका दास (करोलबाग) : उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। तब भी वह उत्तरांचल की मांग करती रही। बी० जे० पी० की यह पुरानी मांग है और प्राइवेट मैम्बर्स में यह बिल भी इसी आधार को लेकर लाया गया है। जैसे आप बड़ी स्टेट की प्राब्लम बता रहे हैं, हम उसको समझते हैं। उत्तरांचल अलग स्टेट हो, हम इसकी मांग करते हैं।

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : उ० प्र० में जब भाजपा की सरकार थी तो वहां की असेम्बली ने विधिवत प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार को भेजा था कि उत्तरांचल बनाया जाए। बाद में रिमाइंडर भी केन्द्र सरकार को भेजे थे।

श्री कालका दास : उड़ीसा और बिहार में जो कुछ वह कर रहे हैं, उससे हमें मत मिलाइए। हम राजनीति नहीं करते हैं। लोगों की तकलीफ को कैसे हल किया जाये, इस पर हम सोचते हैं।

श्री राम विलास पासवान : मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी पालिसी या कानून रन्दा के समान चलना चाहिये। वह बरमा के समान एक जगह नहीं घूमना चाहिए। अभी मंडल जी कह रहे थे कि घबराइये नहीं, आप लोग तो चोंच में चोंच मिलाए हुए थे। कभी कहते थे कि हमें यह मिल जाए, वह मिल जाए, हम मानने को तैयार हैं···**(व्यवधान)** :

श्री कालका दास : जब भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही थी तो चोंच में चोंच तो तब भी मिलाई थी। इनकी चोंच के साथ चोंच तो मिलायी थी लेकिन यह इस काबिल नहीं उतरे कि चोंच इनके साथ रखी जाये।······**(व्यवधान)**

श्री कालका दास (करोल बाग) : चोंच में चोंच तो हमने जनता दल के साथ भी मिलाई थी और इनको शासन में लाये थे। **(व्यवधान)**

श्री सूरज मंडल : हम तो मारे हुए थे जगन्नाथ मिश्र के, हम तो मारे हुए थे चन्द्रशेखर सिंह के, बिन्देश्वरी दूबे जी के तो हमने सोचा कि लालू प्रसाद यादव तो कम से कम इसको करेगा। इसी-लिए उनको बनाया था लेकिन वह भी उनसे ऊपर निकले, वह दूबे जी, सिंह जी और मिश्र जी से भी ऊपर निकले।

श्री राम विलास पासवान : यह बहुत गम्भीर मामला है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अभी बहुत सारे राज्य हैं, जैसे उत्तरांचल, उत्तराखंड का मामला है, झारखंड का मामला है या सरकार ने बोडो लैंड के बारे में समझौता किया था, मैं समझता हूं कि अच्छा समझौता किया है और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस बात की हमने शुरूआत की थी, हमने उस समय भी कहा था कि झारखंड के मामले में भी हमारे जैसे लोगों को रखने का काम कीजिए लेकिन पता नहीं शिबू सोरेन जी को क्या हो जाता है कि ऐसा नहीं किया। अब विदर्भ का मामला है और भी अलग ऐसे राज्यों का मामला है तो उसमें मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि अगर इन तमाम क्षेत्रों के लिए एक राज्य पुनर्गठन कमेटी को नियुक्त करें तो मामला सुलझ सकता है। बहुत सारे इलाके हैं, जहां मतभेद नहीं है। मैं समझता हूं कि उत्तराखंड के मामले में कहीं कोई मतभेद नहीं है। झारखंड के मामले तो मतभेद हो भी सकता है···**(व्यवधान)**···अब क्यों की बात छोड़िए न।

श्री सूरज मंडल : अब तो आपका दल टूट कर भी 14 राजनैतिक दल एक साथ हो गए हैं।

श्री कालका दास : वहां इनकी सरकार है इसलिए इनके सारे अपराध माफ हैं ? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वह जैसा उचित समझते हैं अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहते हैं। यह माननीय सदस्यों पर निर्भर करता है कि वह उसे स्वीकारें या नहीं। उन्हें भी बोलने का अवसर मिलेगा। यदि वह उनसे सहमत नहीं हैं तो वह यह कह कर उनका प्रतिकार कर सकते हैं कि वह तर्कसंमत नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि वह उनके भाषण में विघ्न न डालें और उन्हें भाषण छोटा करने के लिए बाध्य न करें।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चे का जो ओरिजनल मैप है, इन्होंने जो ओरिजनल मैप तैयार किया था, बिना संशोधन हम उसको समर्थन देने को तैयार हैं लेकिन यदि आप उसमें एमेण्डमेंट करेंगे तो हमारे माइन्ड में भी एमेण्डमेंट आएगा इसलिए चारों स्टेट्स को मिलाकर जो इनका ओरिजनल मैप है जिसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, ये चार राज्य हैं······

(व्यवधान)

श्री सूरज मंडल : बिहार को ही लेंगे।

श्री राम विलास पासवान : आप ले लीजिये न, आपको कौन रोक रहा है। मैं दूसरा महत्वपूर्ण सवाल उठाना चाहता हूं कि इन राज्यों की मांग क्यों होती है। यह सबसे बेसिक सवाल है, चाहे बोडो लैंड का मामला हो, चाहे झारखंड का मामला हो, चाहे उत्तराखंड का मामला हो और चाहे विदर्भ का मामला हो, अलग राज्य की मांग इसलिए होती है कि राज्य की या केन्द्र की जो सरकार है जब वह तमाम क्षेत्रों को एक ही दृष्टि से नहीं देखती है और कोई क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा रह जाता है तो स्वाभाविक रूप से उस क्षेत्र के लोगों में असन्तोष बढ़ता है, जैसे बिहार का मामला है। बिहार में सारा का सारा खनिज पदार्थ दक्षिण बिहार में है लेकिन आज भी वहां का मूल निवासी आदिवासी बहुत पिछड़ा है और वह बहुत बदतर जिन्दगी जी रहा है। मैं बोडो लैंड के मसले में भारत सरकार के मन्त्री की हैसियत से था, एक मिनिस्टर की हैसियत से उसमें कोआर्डीनेट कर रहा था तो बोडो लैंड के लड़कों ने कहा कि हम अपना केस नहीं रखते हैं, हमारे वैलफेयर मिनिस्टर मि० राम विलास पासवान हमारी पैरवी करेंगे। जब उन्होंने ऐसा कहा तो हमने अपनी ए० पी० जी० की सरकार से भी कहा कि वह हमारे ऊपर विश्वास कर सकते हैं तो आपके ऊपर उनका विश्वास क्यों नहीं है? जमीन एन्क्रोच कर ली जाए, शैड्यूल्ड ट्राइब्स की जमीन को ले लिया जाए और उस जमीन के ऊपर बड़े-बड़े उद्योग धन्धे बना दिए जाएंगे लेकिन उस जमीन का मुआवजा उसको नहीं मिलेगा। यह जो शोषण है, यह जो दोहन है, इसका प्रतिफल होता है और इस वजह से अलग राज्यों की मांग आती है।

हम अभी पोटद्वार गए थे। वहां के लोग इतने सीधे हैं, ऐसे लोग मैंने कहीं नहीं देखे और इसके साथ-साथ इतना पिछड़ापन भी कहीं नहीं देखा। न कोई उद्योग धंधा है और न कहीं कोई कुछ है। मैं यह प्रेस क्लिपिंग देख रहा था, ऐसे बहुत से राज्य हैं, जैसे मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा— इन सारे राज्यों की जनसंख्या और इनका क्षेत्रफल कम है, उत्तराखंड से कम है। जब इनका काम कर हो सकता था और हुआ है, तो फिर इनका क्यों नहीं होगा। हमारे बीच श्री एम० एस० नेगी जी नहीं हैं, वे उत्तराखंड के बहुत बड़े नेता थे। मैं यह एक और प्रैस क्लिपिंग देख रहा था, यह मांग आज से नहीं 1967 से चलती आ रही है, बल्कि 1952 से लेकर। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि उत्तराखंड के सवाल पर किसी में दो मत नहीं हैं।

समस्या में कहीं कोई मतभेद नहीं है और मैं समझता हूं कि सरकार को भी, जैसा कि हमारे साथी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी इस प्रस्ताव को भेजा होगा।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : उत्तर प्रदेश की सरकार ने यहां भेज दिया है।

श्री राम विलास पासवान : अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रस्ताव पारित करके यहां भेज दिया है, तो बॉल भारत सरकार के कोर्ट में है। मैं समझता हूं कि पॉलिसी मैटर में सरकार यदि निर्णय लेना चाहे, तो आप सबका निर्णय लेते हैं। जहां तक मेरा ख्याल है, पार्टी ने छोटे राज्यों का समर्थन नहीं किया है। हमने कहा है कि छोटे राज्य के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश को तीन भागों में बांटा जाए, बिहार को दो भागों में बांटा जाए, राजस्थान को बांटा जाए, मध्य प्रदेश को बांटा जाए। मेरा तो यहां तक कहना है कि जहां-जहां भी आदिवासी इलाका है, जहां इनकी संख्या पचास फीसदी है, उनको फिफ्थ शैड्यूल में लाकर उनको बोडो लैंड का दर्जा दिया जाए, जिससे उनका शोषण रोका जाए। इसकी एक पॉलिसी बना दीजिए कि जहां कहीं भी ट्राइबल इलाके में उनकी जनसंख्या ज्यादा है, उनको स्वायत्तता प्रदान कर दी जाए, जिससे उनको पोलिटिकल इकोनोमिक पावर मिल जाए और अपने क्षेत्र का विकास कर सकें।

इन शब्दों के साथ, जहां मैं प्रिंसिपल रूप में, सैद्धांतिक रूप में छोटे राज्यों का समर्थन करता हूं, राज्यों के पुनर्गठन की मांग करता हूं, वहीं हम आपसे यह आग्रह करना चाहेंगे कि उत्तराखंड को तत्काल अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। मैं यह भी मांग करता हूं कि उत्तराखंड में जितने भी लोग बसे हुए हैं, इन पहाड़ी क्षेत्रों में जितने भी लोग बसे हुए हैं, उन सब को मंडल कमीशन के अन्तर्गत रखा जाए। कोई जात-पात का भेद नहीं, पिछड़ा हुआ पहाड़ी क्षेत्र है, उन पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को मंडल कमीशन के अन्तर्गत रख कर उनको आरक्षण की सुविधा दी जाए, जिससे वे सरकारी सेवाओं के माध्यम से सत्ता में भागीदार हो सकें। इसके बाद मैं विदर्भ की मांग करता हूं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि हमारे साथी मंडल जी टोटल रूप में झारखंड का जो पुराना नक्शा है, उस पुराने नक्शे के रूप में उसको प्रस्तुत करें, तो हम उसको समर्थन देंगे। लेकिन झारखंड की मांग का मैं अक्षरशः समर्थन करता हूं। उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, टेहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़ और पौढ़ी गढ़वाल—इन जिलों को मिलाकर उत्तराखंड का निर्माण किया जाए।

श्री सूरज मंडल : 25 जिला दिला दीजिये। सोलह दिला दीजिए, जितना दिला दीजिए, उतना ठीक है।...(व्यवधान)...

श्री राम विलास पासवान : मैंने कहा, चार राज्यों का मामला है, सब मिला करके आपको मिल जाता है, तो हम अपनी सरकार को दबाव डालने का काम करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं उत्तराखंड की मांग का समर्थन करता हूं।...(व्यवधान)

श्री सूरज मंडल : इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिये। इसमें आप राजनीति कर रहे हैं।...(व्यवधान)...

श्री राम विलास पासवान : इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

5.35 म०प०

[अनुवाद]

लोक सभा की बैठक के बारे में घोषणा

उपाध्यक्ष महोदय : अब घोषणा की जा रही है। मैं समझता हूं कि यह घोषणा आप सबको पसन्द आयेगी।

जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, सभापति के पैनल के सदस्यों, कार्य मंत्रालय समिति के सदस्यों ओर मुख्य सचेतकों की आज की हुई बैठक में मंगलवार, 9 मार्च, 1993 को निर्धारित सदन की बैठक निरस्त कर दी गई है।

इसका मतलब यह कि आपकी 9 तारीख की छुट्टी है।

अब इस मुद्दे के लिए निर्धारित समय समाप्त हो गया है। क्या सदन बैठक को 1 घंटा और बढ़ाने के लिए सहमत है ?

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमें इस पर और ज्यादा समय देना चाहिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : यह महत्वपूर्ण सबजेक्ट है। इस पर ज्यादा समय दिया जाए। इस पर कम-से-कम 10-12 सदस्य बोलने वाले हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम एक घंटे का समय बढ़ा दें।

श्री राम विलास पासवान : यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। प्रत्येक सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहेगा। मैं समझता हूं कि फिलहाल एक घंटे का समय बढ़ा देना चाहिए। बाद में हम एक और घंटे का समय बढ़ा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप सदन का समय दो घंटे बढ़ाना चाहते हैं ? फिलहाल हम एक घंटे का समय बढ़ा देते हैं। यदि ज्यादा वक्ता हुये तब हम बाद में देखेंगे।

श्री इन्द्रजीत : मैं श्री राम विलास पासवान के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। देश में बहुत-सी मांगें उठ रही हैं और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि शुरूआत से समय दो घंटे बढ़ा दें। यदि जरूरी हुआ तो इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। मैं उनके इस दृष्टिकोण का समर्थन करता हूं कि उन सभी सदस्यों जो इस विषय पर बोलना चाहते हैं, को अवसर मिलना चाहिए क्योंकि इस तरह की मांग देश के सभी भागों से उठ रही है। और देश में स्थायित्वके लिए यह महत्वपूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय : फिलहाल समय एक घंटा बढ़ा दिया जाता है। बाद में यदि सदन यह महसूस करता है कि समय बढ़ाया जाये तो इसे और बढ़ा जा सकता है।

अब श्री सूर्य नारायण यादव बोलेंगे।

3.39 म०प०

उतरांचल और वनांचल नए राज्यों के गठन के बारे में प्रस्ताव

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं जिन्होंने इस देश में छोटे राज्य का बिल लाया है, मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। अभी जो देश

की स्थिति है वह मांग रहा है कि देश के जितने राज्य हैं उनको छोटा किया जाए। आप अगर देखेंगे तो जितने भी गांव के लोग हैं, जो गांवों में बसते हैं, गांवों में रहते हैं वहां तक कोई भी विकास का कार्यक्रम नहीं पहुंच पाया। इसकी एक वजह यह भी है कि राज्य का बड़ा होना और मान्यवर, मिसाल है उत्तर प्रदेश देश का आधा हिस्सा है और इस पर मुझे लगता है कि वह मानसिकता वह जो सरकार थी उसकी मानसिकता पर दोष है चूंकि 85 एम०पी० हों, हम उत्तर प्रदेश के ही प्रधान मंत्री बने रहे, इस बात का यह ज्वलंत उदाहरण है। क्या वजह है कि 85 एम० पी० का बना हुआ उत्तर प्रदेश, मैं जब यहां दिल्ली से निकलता हूं और बिहार जब तक घूमता हूं तब तक उत्तर प्रदेश। हिमाचल जाने की नौबत आये तो उत्तर प्रदेश। इसलिए मेरा कहना है कि राज्य कम छोटा होना अति महत्वपूर्ण है, गांव के ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए।

महोदय, मैं आज एक उदाहरण देना चाहता हूं कि पंजाब से तीन स्टेटें बनीं। मैं चण्डीगढ़ गया था हरियाणा को मैंने देखा हरियाणा स्वर्ग बना हुआ है। उसने कितना अच्छा विकास किया है। उस वक्त यही रोना रोया जाता था कि अगर यह राज्य का डिवाइड होगा तो इसका क्या होगा लेकिन हरियाणा इस देश में इस बात की मिसाल है जिन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया कि कृषि पर आधारित जो क्षेत्र होगा वह भी विकास कर सकता है, वह भी आगे जा सकता है। उसका भी अनाज, सारी चीजें विदेशों में हम लोग व्यापार कर सकते हैं।

यह एक उदाहरण है। फिर उसके बाद एक छोटे राज्य की बात आती है तो सारे घबरा जाते हैं चाहे बिहार के लालू जी हों या किसी राज्य के मुख्य मंत्री हों। उनको लगता है कि हमारी हैसियत ही घट जायेगी।...(व्यवधान) हमारे उत्तर बिहार में आजादी से लेकर अब तक, यह रिकार्ड है और कोई भी वर्ष ऐसा नहीं है कि करोड़ों रुपया भारत सरकार या राज्य सरकार ने मिलकर रिलिफ के लिए खर्च न किया हो। लेकिन वहां कृषि का विकास करने के लिये जो भी आज तक मुख्य मंत्री हुए तो किसी ने वहां का विकास करने का काम नहीं किया। दक्षिण बिहार में कोयला, स्टील और अभ्रक होता है, उसकी रायल्टी लेकर भरण-पोषण करते हैं और विकास पर आज तक खर्च नहीं किया। इसलिए मांग करता हूं कि उत्तर बिहार को आगे लाना चाहते हैं और झारखण्ड के लोगों की जो मांग है उसको तुरन्त मान लेना चाहिए। इसमें एक मिनट भी देरी नहीं करनी चाहिए। आप झारखण्ड राज्य नहीं देना चाहते और उत्तर बिहार को रिलीफ देकर जिंदा रखना चाहते तो उत्तर बिहार के लोग इसको बर्दाशत करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर बिहार का विकास हो और झारखण्ड राज्य की मांग तुरन्त मान लेनी चाहिए। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में क्या हो रहा है। वहां जितना पैसा आदिवासियों के विकास के लिए जाता है तो उस रुपए को लूटा जाता है। उधर से मांग होती है कि राज्य का दर्जा दो, लेकिन जितने पदाधिकारी जाते हैं और जितने राजनेता हैं उनके उनको मोह नहीं है। उनको लगता है कि कि ये हमसे आज नहीं तो कल अलग होने वाले हैं इसलिए जितना लूट सकते हो लूट लो। मेरा निवेदन है कि जितना जल्दी हो आप राज्य का दर्जा दें। रांची में क्या उच्च न्यायालय की खंड पीठ नहीं है। वहां पर गवर्नर हाऊस है और गर्मी में वहां बिहार का विधान सभा का सत्र हुआ करता था। उसको रोका गया है। वह अन्याय कर रहे हो। आप गंभीरता से इस पर विचार करें और उन्हें राज्य दें। उत्तरांचल का जहां तक सवाल है तो इसमें कोई विवाद नहीं है। यह राज्य जितना बढ़ेगा बनना तो प्रधान मंत्री की उतनी पूछ बढ़ेगी। इससे कोई घटने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के चार स्टेट बनाएं तो क्या बुरा है। इससे देश आगे जाएगा और लोग छोटे राज्यों में रहेंगे और ग्रामीण विकास होगा। आप कभी कहते हैं कि आर्थिक कमी है और स्टेट का दर्जा देंगे तो इतना पैसा खर्च होगा जबकि रिलीफ के लिए करोड़ों रुपया जाता है। इसलिए गरीब के विकास

के लिए या कल्याण के लिए जो रुपया जाता है तो उसको रोक सकते हों तो उससे राज्य का विकास करा देना चाहिए।

मान्यवर, हमें हिंट मिल रहा है, ठीक है प्रस्ताव है तो उसका समर्थन होगा ही, लेकिन हमारे लालूजी ने भी प्रस्ताव भेजा। जब गृह मंत्री श्री चव्हाण ने राज्य का दर्जा देने की बात कही और कहा कि मैं बिहार में झारखंड राज्य बनाने जा रहा हूं तो उधर से लालूजी ने कहा कि मेरी लाश पर राज्य का बंटवारा होगा, उधर जगन्नाथ मिश्रजी भी उनके साथ आ मिले और दोनों में दोस्ती हो गई आदिवासियों का शोषण करने के लिए। मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार सक्षम है, राज्य बनाने के लिए। हो सकता है जैसा राम विलास जी अभी बोल रहे थे···

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): यह राज्य का विषय नहीं है, जब किसी भी राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव केन्द्र के पास आता है तो वह केन्द्र सरकार के अन्तर्गत हो जाता है इसलिए केन्द्र सरकार को इसका फैसला लेना चाहिए। राज्य में कोई नेता मिल लेते हैं यह कोई कहने की बात नहीं है।

श्री सूरज मंडल (गोड्डा) : ठीक है, जब केन्द्र को निर्णय लेना था, जब केन्द्र ने अंतिम समय और 15 दिसम्बर का समय दिया तो जगन्नाथजी ने कहा कि राज्य का बंटवारा में पहुंचा होगा तो हम पान की गुमटी खोल लेंगे।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उनके बयान पर क्या केन्द्र फैसला बदल देंगे ?

श्री सूरज मंडल : कल लिखकर दिया है।

श्री सूर्य नारायण यादव : जैसा देवेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा के लालू तैयार हैं, बदलते नहीं हैं तो मुख्य मंत्री अभी दिल्ली में हैं। आप उनकी प्रेस कांफ्रेंस करवा दें, हम स्वागत करते हैं, इसमें लड़ाई किस बात की है।

मान्यवर, मैं कह रहा था छोटे राज्य जितनी जल्दी हो बनने चाहिए। हमारे मित्र राहीजी बैठे हुए हैं, आप शीघ्रता से उत्तरांचल का, वहां तो झंझट ही नहीं है इसके अलावा जहां से भी ऐसे प्रस्ताव हैं उनको मानें। बिहार में भी कोई झंझट नहीं है। केन्द्र सरकार का दायित्व है, आप तुरन्त इसकी घोषणा करें। अगर आपको बिहार के दक्षिणी बिहार का राज्य बनाने में कोई व्यवधान हो तो आप केन्द्र शासित तुरन्त बना दें। इसमें एक मिनट भी विलम्ब नहीं होना चाहिए।

श्री सूरज मंडल : नहीं तो कोयला नहीं मिलेगा।

श्री सूर्य नारायण यादव : यह आप कह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं हमारे गुरुजी सोरेन साहब बैठे हुए हैं, लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन हिंसात्मक नहीं होनी चाहिए। उग्र नहीं होनी चाहिए। हम उत्तर बिहार के रहने वाले हैं, हम बुलंदी से समर्थन कर रहे हैं। आपके आंदोलन में भी सहयोग करेंगे, हमारा दल भी इसके लिए तैयार है। हमारे दल के जो नेता थे स्वर्गीय चरण सिंह जी, भूतपूर्व प्रधान मंत्री, वे कहा करते थे, हम लोगों को शिक्षा दिया करते थे कि जब देश में तुम लोगों की ताकत बनेगी तब सब लोग हर राज्य को तुरन्त छोटा करना, यह पहला कदम उन्होंने उठाया था, लेकिन वे अधिक समय नहीं रह पाये। उनका जो निर्देश है उनको मानकर हम चलते हैं। हमारे दल की यह नीति नहीं है, कार्यक्रम है अगर हम राज में आये तो बुलंदी से हम बोलते हैं कि ऐसा करने में ज्यादा समय नहीं लेंगे।

इसी के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवघर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा हो रही है। पचास के दशक में राज्य के भाषाई आधार पर पुनर्गठन का देश में एक आयोग बना था।

राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया जाना चाहिए। उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सन् 1956 में प्रस्तुत की थी। हमारे राज्य उड़ीसा सहित देश के कुछ भागों में खून-खराबे का दौर था। जबकि उड़िया प्रधान क्षेत्र कुछ पड़ोसी राज्यों में है और यह उड़ीसा के लोगों की उपयुक्त मांग और उम्मीद थी कि उन क्षेत्रों को उड़ीसा में शामिल कर दिया जाना चाहिए क्योंकि कुछ समय पहले वे क्षेत्र उड़ीसा का ही हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन यह वास्तविकता नहीं बन सकता था क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि न केवल उड़ीसा में बल्कि दूसरी जगह भी विवाद मौजूद थे यहां तक कि पानी के सम्बन्ध में भी विवाद था और आप जानते हैं कि हमारे देश में किस तरह की भावनाएं जागृत की जाती हैं।

लेकिन सामान्य रूप से मुझे यह स्पष्ट करने दीजिए कि मैं भी सिद्धान्त रूप में छोटे राज्यों के पक्ष में हूं—छोटे राज्य, छोटे, अच्छी तरह से संगठित और संयुक्त राज्य—ताकि राज्य के अन्दर एकता को मजबूत रखा जा सके और विकास कार्यक्रम भी आगे बढ़ाए जा सकें तथा सही तरीके से कार्यान्वित किया जा सके और यह अनियंत्रित न हो जाएं।

लेकिन महोदय हर काम के लिए एक उपयुक्त समय और उपयुक्त वातावरण होता है। हमें इस पर विचार करना होगा। विभिन्न राज्यों के लोग इस मामले पर उत्तेजित हुए हैं। यह केवल उत्तराखंड अथवा वनांचल अथवा झारखंड और कुछ अन्य क्षेत्रों का ही प्रश्न नहीं है। पहले भी मैं भी यहां दावा कर रहा था और मैं भी यही बात कह रहा था—मैं भी बिलकुल यही बात कहा करता था—यदि उड़ीसा में बड़ी संख्या में भुखमरी से हो रही मौतों की ओर इस तरह की उपेक्षा होना जारी रहा तथा कायम रहा तो इससे एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जायेगी। हमारा पश्चिमी उड़ीसा का क्षेत्र खानों, वनों, नदियों तथा सभी तरह के प्राकृतिक स्रोतों से भरा हुआ है लेकिन इन भरपूर प्राकृतिक स्रोतों के बावजूद भी वहां भुखमरी से मौतें हो रही हैं। यह वहां की नियमित बात बन गई है। वहां के लिए सही योजना तैयार नहीं की गई है। वहां के लोगों का दृष्टिकोण तथा रवैया उपयुक्त नहीं है। राज्य के नेता इन क्षेत्रों पर उपयुक्त ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए यदि उपेक्षा का यही रवैया जारी रहा तो निश्चय ही इन सभी पिछड़े क्षेत्रों द्वारा गठित पृथक राज्य की मांग करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं रह जाएगा।

यह स्थिति न्यूनाधिक उड़ीसा से ही जुड़ी हुई नहीं है। यही स्थिति न्यूनाधिक विभिन्न अन्य राज्यों में भी मौजूद है। गुजरात के कच्छ अथवा सौराष्ट्र में अथवा महाराष्ट्र के विदर्भा में अथवा आन्ध्र प्रदेश के तेलंगाना में भी यही स्थिति मौजूद है। यही स्थिति रांची, बुन्देलखंड अथवा छोटा नागपुर अथवा झारखंड में भी है। ये जनता की समस्याएं हैं। इन समस्याओं की उपेक्षा किये जाने की समस्या भी वहां है। यह शोषण का प्रश्न है। यही समय है जबकि केन्द्र तथा राज्य में हमारे नेतागण इस समस्या को गंभीरता से सुलझायें। उन्हें यह देखना चाहिए कि शोषण करने का समय समाप्त हो गया है। शोषण व्यक्ति से व्यक्ति के बीच, वर्ग से वर्ग के बीच और क्षेत्र से क्षेत्र के बीच विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूपों में होता है। किसी भी तरह का शोषण नहीं होना चाहिए। वह दिन समाप्त हो गये हैं। यदि हम

शोषण होने दें तो मुझे डर है कि जो कुछ भी उत्तर-पूर्वी भागों तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में हो रहा है उसकी पुनरावृत्ति होगी। आरम्भ में जो मैं कह रहा था वह यह है कि अभी हमारे पास काफी समस्याएं हैं—राष्ट्रीय एकता तथा एकता को खतरे की समस्याएं हैं। 6 दिसम्बर के बाद देश के साथ क्या हुआ ? मैं कोई निन्दा नहीं करना चाहता। (**व्यवधान**) इसमें हंसने की क्या बात है यह राष्ट्र के लिए शर्म की बात है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : चलिए हम सीधे विषय पर आयें।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : मैं कहता हूं, यह हमारे लिए शर्म की बात है। आप इस पर गर्व कर सकते हैं। आप एक मित्र समुदाय, मित्र जनजाति से सम्बन्ध रखते हैं और आप साम्प्रदायिक राजनीति में विश्वास रखते हैं इसलिए आप इस पर गर्व कर सकते हैं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : चलिए, हमें विषय पर आने दीजिए। हमारे सामने जो विषय है वह है "पिछड़े क्षेत्र" ।

(**व्यवधान**)

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : महोदय, हमें अपने जनतंत्र पर गर्व है। हमारे देश में जनतांत्रिक ढांचे का होना हमारे लिए गर्व का विषय है। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करोल बाग) : अध्यक्ष जी, इनके दिमाग पर 6 दिसम्बर का फोबिया है। इनकी अक्ल पर हंसने के अलावा चारा क्या है। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : चलिए हम विषय पर आयें। हमारे सामने जो विषय है वह 'पिछड़े क्षेत्र और छोटे-छोटे राज्यों का गठन'।

(**व्यवधान**)

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : आपने हमारे देश को अपमानित किया है। आपने हमारे देश के नाम पर कलंक लगाया है और आप कहते हैं कि :

[हिन्दी]

हमारे दिमाग में फोबिया है। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

यही आपकी बुद्धिमानी है। (**व्यवधान**)

महोदय, यह सबसे बड़ा जनतंत्र है, हमें उस पर गर्व है। जनतंत्र का होना हमारे लिए गौरव की बात है, पंथ निरपेक्ष राज्य का होना हमारे लिए गर्व की बात है और इस जनतंत्र में राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय भाई-चारे को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। इसलिए, महोदय, आज क्या हो रहा है ? जनतंत्र को बनाये रखने के लिए और उसे समृद्ध बनाने के लिए स्वतन्त्र राजनीतिक प्रणाली की भी बहुत आवश्यकता है और इस तरह से जो मैं कहना चाहता हूं उसका अर्थ है कि किसी तरह का शोषण नहीं होना चाहिए और उसके साथ ही उपयुक्त विकास होना चाहिए, देश के सभी भागों का संतुलित विकास होना चाहिए। इसलिए जो मैं यही कहना चाहता हूं कि अब जबकि हमारी एकता को खतरा है, आप जानते हैं, महोदय, कि इस साम्प्रदायिक पागलपन ने किस तरह यहां वहां

कुछ स्थानों को छोड़कर देशभर में तबाही मचायी है। उस तबाही ने लगभग 2,000 जानें ली हैं। स्वतंत्रता के पैंतालीस अथवा छयालीस वर्षों के बाद साम्प्रदायिक पागलपन ने, साम्प्रदायिक दंगों ने हमारे देश में लगभग 2,000 जानें ले ली हैं। यदि किसी को इस दल पर गर्व हो सकता है तो होने दीजिए लेकिन मैं कहता हूं, कि यह राष्ट्र के लिए शर्म की बात है। इसलिए, इस तरह से, अभी यदि किसी भी रूप में आप संगठित करें···

एक माननीय सदस्य : 1984 में क्या हुआ। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : वे अपने वक्तव्य को समाप्त कर रहे हैं। हमारे पास केवल तीन मिनट हैं। उसमें दखल न दें।

(**व्यवधान**)

श्री बलराज पासी (नैनीताल) : गुजरात में मुख्य मंत्री किसका था ? महाराष्ट्र में किसका मुख्य मंत्री था ?···(**व्यवधान**)···

[**हिन्दी**]

श्री कालका दास : दिल्ली में 1984 के दंगों में हुई विधवाएं आज भी दिल्ली में प्रदर्शन कर रही हैं। जो अपराधी हैं, सी० बी० आई० ने कह दिया है कि जो संसद सदस्य हैं उन पर भी केस नहीं चलाए जा रहे हैं। 1984 की विधवाएं आज भी इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए।

···(**व्यवधान**)···

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मुझे शर्म आनी चाहिए ! आपको शर्म होती तो बात ही अलग हो जाती। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक कि माननीय सदस्य न कहें, मैं समझता हूं आप दखल नहीं दे सकते।

(**व्यवधान**)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं यह कह रहा था कि जबकि हमारे सामने अभी यह समस्या है, मुझे डर है कि राज्यों का पुनर्गठन कहीं कोई विचित्र स्थिति उत्पन्न न कर दे और वह इस समय राष्ट्र के हित में नहीं होगा। इसलिए एक आयोग को इन सभी पहलुओं पर विस्तार से गौर करना चाहिए।

हमारे पास सरकारिया आयोग की सिफारिशें भी थीं। राज्य तथा केन्द्र के बीच सम्बन्ध तथा अन्य सभी बातों की विस्तार से जांच करनी होगी और महोदय आरम्भ में हमें संक्षेप में बातचीत करनी होगी। मैं यह भी सुझाव दूंगा कि बोडो लैंड के साथ-साथ विदर्भा तथा अन्य स्थानों में, कम से कम वहां जहां लोग अपने आपको उपेक्षित महसूस करते हैं, वहां के लिए कदम उठाये जाने चाहिएं। वास्तव में वहां पिछड़ापन है, वहां सही विकास नहीं हो पाता, वहां के लोग अपने आपको अलग महसूस करते हैं और उससे हमारी राष्ट्रीय एकता, भाईचारे तथा अखण्डता को खतरा पैदा होता है।

इसलिए, उस दृष्टिकोण से सोचने पर, वहां कुछ स्वायत्त विकास परिषद् होनी चाहिए। वस्तुतः मैं पहाड़ी विकास परिषद् की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में नहीं जानता हूं। राजीव जी के दिनों

के दौरान एक पहाड़ी क्षेत्र विकास परिषद् थी, उन्हें कुछ अधिकार दिये गये थे तथा दार्जिलिंग क्षेत्र इत्यादि के लिए पश्चिम बंगाल के अन्दर ही किसी तरह का प्रबंध किया गया था। मुझे बताया गया है कि बिहार में भी इस सम्बन्ध में कुछ चर्चा हुई थी, मैं यह नहीं जानता वह चर्चा कितनी प्रगति पर है और अद्यतन स्थिति क्या है। इस तरह से स्वायत्तता के साथ-साथ कोई विकास तंत्र भी होना चाहिए। (व्यवधान)

महोदय, मैं अगली बार अपना वक्तव्य जारी रखूंगा।

6.00 म० प०

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल : उपाध्यक्ष जी, आज इस विषय पर डिस्कशन बन्द कर दीजिये और दूसरी बार कन्टीन्यू रखिये। **(व्यवधान)**

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम लाल राही) : उपाध्यक्ष जी, ढाई घंटे हो गये, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि यह संकल्प महत्वपूर्ण है और बहुत से माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें आप कम से कम समय-सीमा तो निर्धारित कर दीजिये कि एक माननीय सदस्य इतने समय तक ज्यादा से ज्यादा बोले। यदि एक माननीय सदस्य आधा घंटा बोलेंगे, दूसरे मानीय सदस्य 40 मिनट तक बोलेंगे तो उस स्थिति में समय फिर बढ़ाना पड़ेगा। पहले ही एक घंटा बढ़ा दिया गया है। यदि जरूरत हो तो एक घंटा और बढ़ा दीजिए ताकि अगले दिन रिप्लाई हो जाये, यही मेरी प्रार्थना है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपका सुझाव बहुत अच्छा है।

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा यह अच्छा सुझाव दिया गया है और यह उनके सदस्यों पर भी समान रूप से लागू होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पाणिग्रही, क्या आपने अपना वक्तव्य समाप्त कर दिया है?

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, मैं अगली बार जारी रखूंगा। **(व्यवधान)**। मैं अगली बार कुछ समय और लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। अब समय समाप्त हो गया है।

अब सभा बुधवार, 10 मार्च, 1993 तक के लिए स्थगित होती है।

6.02 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 10 मार्च, 1993/19 फाल्गुन, 1914 (शक) के 11 म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, मौजपुर, दिल्ली-53